(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7 नवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तीसरा दिवस संख्या-3

शुक्रवार,

दिनांक 18 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

ईशाक मोहम्मद, एम. पी. डब्ल्यू., उदयपुर का प्रकरण

50. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) (अ) क्या यह सही है कि ईशाक मोहम्मद, एम. पी. डब्ल्यू., उदयपुर द्वारा नियम विरुद्ध यात्रा बिलों का भुगतान प्राप्त करने तथा अन्य गड़बड़ियां करने के सम्बन्ध में राजस्थान मलेरिया नगरीय ग्रामीण एवं मल्टी अधीनस्थ कर्मचारी संघ, उदयपुर ने सरकार को कोई ज्ञापन दिए थे ? यदि हां, तो उन ज्ञापनों की जांच का क्या परिणाम रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(ब) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उन्हें आरोप पत्र कब दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) (अ) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कोई जांच की जा रही है ?

(ब) क्या उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मलेरिया), उदयपुर ने उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पत्र की मंशा क्या थी ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) (अ) जी हां, राजस्थान मलेरिया नगरीय ग्रामीण एवं मल्टी परपज अधीनस्थ कर्मचारी संघ के ज्ञापन पर जांच के फलस्वरूप वर्ष 1982 से 1990 तक की अवधि में यात्राओं में दिनांक 11-7-1990 की यात्रा एवं 6-4-1988, 4-5-1988, 7-5-1988 एवं 20-7-1988 के यात्रा बिल गलत पाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

यात्राओं के औचित्य पर अंकेक्षण आपत्तियां होने के फलस्वरुप उन्हें भी जांच में शामिल कर लिया गया है।

(ब) जी हां। आरोप पत्र निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक–सीबी/एच एस/एस--140/329 दिनांक 7-2-1992 को जारी किया गया।

(2) (अ) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई थी और उसने भी खण्ड (1) में वर्णित स्थिति ही बतायी।

(ब) जी नहीं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि यह कितनी राशि थी और कुल कितने समय की राशि के बारे में यह शिकायत की गयी है। दूसरा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इनको किस तारीख को निलम्बित किया गया, इन्हें पुनः किस तारीख को बहाल किया गया और इनको चार्जशीट कब दी गई? मतलब बिना जांच पूर्ण हुए इनको बहाल कर दिया गया। मैं यह भी जानता हूं कि इस व्यक्ति से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं सिस्टम की तरफ जाना चाहता हूं कि जिस तरह की प्रवृत्तियां इस विभाग में पैदा हो रही हैं, किन लोगों ने उन टी. ए. पर साइन किए जिनकी वजह से वह टी. ए. उठाने योग्य हो गए और गलत टी. ए. उठाए गए? मैं, मान्यवर, यह भी जानना चाहता हूं कि ए. सी. डी. की जांच है, ए. सी. डी. ने जांच प्रकरण में क्या बतलाया है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रारम्भिक जांच की गई तो उप निदेशक, जोन उदयपुर ने ईशाक मोहम्मद, एम. पी. डब्ल्यू. की जांच रिपोर्ट 7,335/—रुपये के अनाधिकृत टी. ए. उठाने की बात कही।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-3-1991 को ईशाक मोहम्मद को निलम्बित किया गया, 27-12-1991 को विभागीय जांच सुरक्षित रखते हुए ईशाक मोहम्मद को चार्जशीट दी गई, 7-2-1992 को और 27-12-1991 को, क्योंकि प्रारम्भिक जांच हो गयी थी, चार्जशीट सर्व हो गई इसलिए पेंडिंग जांच इन्क्वायरी इनको बहाल कर दिया गया। इनके विरूद्ध जांच चल रही है। जांच 17 सी. सी. ए. के अन्तर्गत चल रही है। एक बात निश्चित रूप से है कि ए. सी. डी. ने, मैंने जो सारी पत्रावली देखी तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिन्होंने उसको प्रमाणित किया है उस अधिकारी ने प्रमाणित इस आधार पर कर दिया यह किसी पदाधिकारी होने के कारण कोई मीटिंग अटैण्ड करने जयपुर आये थे, तो जयपुर के अधिकारी उपस्थिति का प्रमाण-पत्र दे दिया कि ये उपस्थित थे। उस उपस्थिति का उपयोग क्योंकि अधिकारी थे, छुट्टी के लिए होता है, टी. ए., डी. ए. के लिए नहीं होता है। किन्तु उसके आधार पर आपने दिया और वहां जो अधिकारी थे उन्होंने इस आधार पर उसे प्रमाणित

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कर दिया कि ये जयपुर में उपस्थित थे। तो इसको ग्रभी ग्रवशेष जांच होने ग्रौर बाकी ए. सी. डी. ने केवल जो 4 बिन्दु मैंने बताए हैं 11-7-1990 की यात्रा, 6-4-1988 की यात्रा, 4-7-1988 की यात्रा, 7-5-1988 की यात्रा ग्रौर 20-7-1988 की यात्रा को ही दोषी पाया है। किन्तु डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करने पर इनके साथ-साथ, क्योंकि गलत उसको प्रमाणित किया गया है इसकी भी जांच हो रही है ग्रौर उस सारी जांच के ग्राधार पर टोटल मनी जैसी मैंने बताई है 7,335/—रुपये है, उसके ग्राधार पर जांच चल रही है ग्रौर जल्दी इस जांच का निर्णय करके उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस जांच से एक तो यह प्रमाणित होता है कि इसमें चीटिंग की गई है, इसमें फोरजरी की गई है, ग्रौर उसके बाद उसे बहाल किया जाता है ग्रौर ग्रापने जिस तरह की उसकी जांच 17 सी. सी. में दी है ग्रौर 16 सी. सी. में यह जांच ली होती तो यह बात भी थी, बाकी इसमें क्या है वार्निंग देकर ग्राप उसे छोड़ देना चाहते हैं। जिस समय उसको निलम्बित किया उस समय उसका हैड क्वार्टर ग्रापने वहीं रखा ताकि वह ग्रपनी जांच को प्रभावित कर सके। उन ग्रफसरों ने उसके खिलाफ चिट्ठियां लिखी हैं ग्रापके दफ्तर को कि इस ग्रादमी को यहां से बदला जाना चाहिये। उसका इतना भय ग्रौर ग्रातंक है उस यूनियन के नाम पर कि वहां पर दूसरा किसी तरह का काम ग्रफसर नहीं कर पा रहे हैं।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को जो ग्रब तक चलती ग्रा रही है इस व्यवस्था को ग्राप परिवर्तित करें तभी जाकर ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कुछ हो सकेगा बाकी इसी तरह की ए. सी. डी. वाले रिपोर्ट देते रहेंगे ग्रौर कुछ नहीं हो पायेगा। ग्राप उसे निलम्बित कीजिए या उसके हैड क्वार्टर बदलिएगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : निलम्बित कर दिया था प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद .. (व्यवधान)...।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बहाल कर दिया था उसे....(व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हां, चार्ट-शीट देकर पेंडिंग इन्क्वायरी निश्चित रूप से बहाल किया जा सकता है। माननीय सदस्य को मैं ग्राश्वस्त करना चाहता हूं कि फाइंडिंग्स फाइनली होने ग्रौर जांच के पश्चात् उसमें जिस प्रकार का ग्रपराध पाया जाएगा उसके ग्रनुसार निश्चित रूप से दण्डित किया जाएगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय मंत्री महोदय ये ग्रधिकारी उसे बचाना चाहते हैं इसलिए 17 सी. सी. ए. में उसको चार्जशीट दी गई है। (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : यह क्वेश्चन क्या है ?....(व्यवधान)....।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : वह

(श्री हेमराज मीणा)

जांच को प्रभावित कर रहा है हैड क्वार्टर पर बैठा बैठा ।....(व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर (ग्रटरू) :उसका हैड क्वार्टर चेन्ज करें ।....(व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह क्वेश्चन क्या है। यह यूनियन के ग्रापस के झगडे के पीछे सारी जमात बोल रही है, यह क्या मतलब है ?....(व्यवधान) ...

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या ग्राप भ्रष्टाचारियों के पक्ष में हैं, उनका पक्ष लेना चाहते हैं ?... (व्यवधान) ...

श्री शिव किशोर सनाढ्य : सवाल यह नहीं है....(व्यवधान)....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : हम भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं। ग्राप उस यूनियन के ग्रन्दर होंगे ... (व्यवधान) ...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज,....ग्रार्डर प्लीज .. ग्रार्डर प्लीज ।... (व्यवधान) ... ग्राप बैठिए। बिराजिए ग्राप। बैठिए श्री सनाढ्य साहब ।....ग्रब ये पूछ रहे हैं ।.... (व्यवधान) ...

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका ग्राधार क्या है ?

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं तो माननीय मंत्री महोदय से केवल इतना जानना चाहता हूं.... (व्यवधान)....

श्री ग्रध्यक्ष : बैठिये श्री सनाढ्य साहब ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : वह तो बैठे ही रहते हैं ।....(व्यवधान)...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह दावा करते हैं कि उनका डिपार्टमैंट बहुत एफीशिएंट हो गया है, करप्शन समाप्त हो गया है, मैं यह उनसे पूछना चाहता हूं कि जिसमें डाकुमेंटरी प्रूफ है उसकी जांच में 4 साल तो लग गए हैं ग्रौर कितने साल जांच में ग्रापको ग्रौर चाहिए ? यह बता दें ग्राप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस जांच में 4 साल नहीं लगे हैं यह ग्रापकी ग्रसत्य सूचना है। किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किन्तु जांच की पूरी फाइंडिंग्स ग्रौर निर्णय होने तक मैं क्या कर सकता हूं ।...(व्यवधान) ...

श्री रघुवीर सिंह कौशल : ग्रब ग्राप कितने वर्ष ग्रौर जांच में लेंगे ? यह बता दीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके मार्फत यह कहना चाहता हूं कि ग्रागामी तीन महीनों में इस जांच को पूरा करवा लिया जायेगा।

श्री ग्रध्यक्ष : नैकस्ट श्री राम नारायण वर्मा... (व्यवधान) ग्रार्डर प्लीज।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय यह जो ग्रापने 17 में चार्जशीट दी है उसे ग्राप 16 में कन्वर्ट

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कीजिये.. (व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, साथ ही हैड क्वार्टर भी चेन्ज कीजिये। 16 में उसको चार्ज शीट दीजियेगा तब होगा। उसको सजा नहीं मिल सकती, यह बेइमानी चलती रहेगी....(व्यवधान) आप सस्पेण्ड कीजियेगा, 16 में उसे चार्ज शीट दीजियेगा, 17 में उसे सारे ऑफिसर बचाना चाहते हैं क्योंकि वह कहता है कि मेरे ऊपर कोई भी केस हुआ तो मैं सबको नंगा करके रख दूंगा। ये सब मिले हुये हैं।.... (व्यवधान).... यह चेलेन्ज है उसका।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह हाउस से सूचना छिपा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह नंगा करें... (व्यवधान).... हाउस के एक सदस्य ने कहा है कि नंगा करना चाहता हूं। हाउस से सूचना छिपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप बिराजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ये उसे बचाना चाहते हैं, उस बात को घुमा रहे हैं। मैंने जो कहा है उसे आप........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सनाढ्य साहब विराजिये आप।

एक माननीय सदस्य : हो गये नंगे। अब क्या नंगे करोगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नैनवां (बूंदी) नगरपालिका कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण

51. **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1985 से 1990 तक नगरपालिका नैनवां के कितने हरिजन/चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त वर्णित कर्मचारियों में से किस-किस कर्मचारी की पेंशन राशि स्वीकृत की जा चुकी है एवं बकाया मामलों की कब तक स्वीकृति जारी कर दी जावेगी ?

(3) क्या उक्त कर्मचारियों की जी. पी. एफ. एवं राज्य बीमा की राशि भी अदा की जा चुकी है, यदि नहीं, तो कब तक अदा कर दी जावेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) वर्ष 1985 से 1990 तक नगरपालिका नैनवां के 9 हरिजन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सेवा निवृत्त किये गये 9 कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी की पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है। सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार, भुगतान किया जा सकेगा।

(3) नगरपालिका नैनवां द्वारा सेवानिवृत्त किये गये 9 कर्मचारियों की जी.

(श्री भंवर लाल शर्मा)

पी. एफ. की राशि का भुगतान किया जा चुका है। राज्य बीमा पालिसी सेवा के कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा कि यह कर्मचारी किस किस तारीख को रिटायर हुये और यदि यह सही है कि कर्मचारियों का रिटायरमेंट दो साल के पूर्व हुआ है तो इतनी अवधि तक पेंशन आदेश स्वीकृत नहीं करने के पीछे कौन कर्मचारी या कौनसी स्टेज या कौन अधिकारी दोषी है। नम्बर दो, चूंकि यह हरिजन हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिनका रिटायरमेंट करने के बाद तो क्या नौकरी करते हुये भी परिवार का पालन पोषण नहीं होता, इतनी कम राशि जिनको मिले, यह मानवीय दृष्टिकोण है क्या ? क्या मंत्री जी इस मानवीय दृष्टि-कोण को देखते हुये आज ही आदेश जारी करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को अधिकार थोड़े ही हैं कि आदेश जारी करे। .... (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : बिल्कुल सरकार है।

श्री अध्यक्ष : यह एक्सपेडाइट करवा सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इन कर्मचारियों के साथ अत्यन्त सहानुभूति है, जितनी आपको है लेकिन आपको....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी सहानुभूति से पेट भर जायेगा।

एक माननीय सदस्य : तभी तो दो साल से वे घर पर बैठे हुये हैं........ (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बार तथ्यों को समझ लें, फिर आपकी सहानुभूति हो तो बता देना।

एक माननीय सदस्य : तथ्यों को तो जनता ने समझ लिया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी सहानुभूति तो... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : पहला जो आपका पूरक प्रश्न है, श्री मंजूर अली यह सेवा निवृत हुये हैं 31-7-89 को, श्रीमती खातून यह भी सेवा निवृत्त हुई है 31-7-89 को, श्रीमती कमाल यह भी 31-8-89 को रिटायर हुई है, एक ही डेट है ज्यादा नहीं है। 31-7-89 और 31-8-89 श्री मंजूर अली 31-7--89 श्रीमती खातून 31-7-89 को, श्रीमती कमाल 31-8-89 को श्रीमती सोमराती 31--8--89 को श्रीमती रोशनी 31-8-89 को, श्रीमती केसर 31-8-89 को, श्री खाजी 31-8-89 को, श्री जुम्मा 31-8-89 को, श्री दिना 31-8-89।

अध्यक्ष महोदय इसमें क्या हुआ वह जरा मैं विस्तार से बताना चाहता हूं। इन सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने यह लिख कर

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिया कि हम 60 वर्ष के हो चुके हैं इसलिये हमको सेवानिवृत्त कर दिया जाये, सबने लिख कर दिया है और लिख कर देने के बाद उनकी आयु को मानते हुये सेवा निवृत्त कर दिया गया। पिछली बार भी आपने एक प्रश्न खड़ा किया था उसके बाद हमने जांच शुरू की कि आखिर यह हुआ कैसे। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारी रख लिये गये सेवा निवृत्त करके। जब जांच हुई तो जांच में पाया गया कि सेवा निवृत्ति की आयु जो उनका रिकार्ड है उसके आधार पर नहीं होती है, जो उनका सर्विस रिकार्ड है उस रिकार्ड की एन्ट्री के हिसाब से उनकी ऐज सेवा निवृत्ति की नहीं होती लेकिन इन्होंने एफीडेविट इस बात का दिया कि हमारी ऐज उसमें गलत लिखी गई है, हम पढ़े लिखे नहीं थे, आदि आदि करके और हमारी ऐज को यह मान करके सेवा निवृत्त कर दिया जाये। अब सेवा निवृत्त कर दिया उनको आज भी या जिस दिन सेवा निवृत्त किया गया था उस समय उनमें से कोई 60 साल का नहीं था। कुछ दिनों बाद में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि हमने तो जबरदस्ती हमारी ऐज लिखा दी है, यह गलत बात हो गई, हमारी ऐज वास्तव में यह है और हमें वापस रखा जाये, हम रिटायर हो नहीं सकते।

ऐसा ही विषय है। जब तक यह निर्णय ना हो जाये कि उनकी डेट आफ बर्थ क्या है वास्तव में उनका रिटायरमेंट ऐज से पहले हो गया कि नहीं हो गया अब एक नया विषय खड़ा हो गया, इसकी जांच करवाये बिना अब मैं इसको यह मानता हूं कि उनकी ऐज अभी रिटायरमेंट की नहीं थी इस प्रकार का सर्विस रिकार्ड है, क्योंकि सर्विस रिकार्ड में जो एन्ट्री है उसको असत्य मानने का कोई कारण नहीं है, पहली बात। फिर जो इन्होंने सबने दरख्वास्त दी है वह एक ही प्रकार की दरख्वास्त है अब यह क्यों लिखी, कैसे लिखी गई, क्या ऐसी परिस्थियां थीं कि उसके बाद तुरन्त इन्होंने थोड़े दिन बाद यह कहना शुरू कर दिया कि नहीं-नहीं हमारी ऐज तो रिटायरमेंट की नहीं है हमको वापस नौकरी पर रखा जाये। ऐसी परिस्थिति में उनके पेन्शन के मामलों को तय करना, जब तक इन सब बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण नहीं हो जाये कठिनाई है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या साठ साल से कम ऐज हुई तो क्या वापस नौकरी देंगे उनको ?

श्री भंवरलाल शर्मा : देखूंगा कि क्या कर सकते हैं।

श्री जुबेर खान : या तो नौकरी दो या पेन्शन दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी उनको पेन्शन मिले या नहीं मिले यह विषय मेरे सामने है। यह पेन्शन के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, कैसे उनको रिटायर कर दिया, किसकी इसमें भूल रही है, कैसे यह कर दिया गया। यह बिना पढ़े-लिखे अपने आपको मानते हैं, पढ़े-लिखे हैं नहीं, और

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कोई डाक्यूमेंट ऐसा हो नहीं सकता ...... (व्यवधान)

श्री किशनाराम (श्रीडूंगरगढ़) : तीन साल हो गये, जो कर्मचारी हैं उनकी पेन्शन का कुछ क्राइट एरिया बना दिया जाये कि तीन महीने में या चार महीने में कर दिया जायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विषय ऐसा है कि इसके बारे में मैरिट-डी-मैरिट की जांच किये बिना कोई पेन्शन देना अभी सम्भव नहीं होगा। हां मैं यह कह सकता हूं कि इसका निर्णय मैं जल्दी से जल्दी करवा दूंगा कि उनको पेन्शन मिलनी चाहिये या नहीं मिलनी चाहिये, यह हकदार हैं कि नहीं हैं, हैं तो, मिल जायेगी।

श्री रामनारायण वर्मा : एक बात तो साफ है, जैसा मंत्रीजी ने माना, एक ही दरख्वास्त है कि अनपढ़ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यदि आप जांच करवा रहे हैं तो क्या दरख्वास्त लिखने वाला कर्मचारी नगरपालिका का है? और नगरपालिका के कर्मचारियों ने उनको नुकसान पहुंचाने के लिये, चूंकि यह हरिजन हैं, एस. सी. के हैं यह कार्य किया है, एक चीज। दूसरा जब आप उनकी साठ साल की उम्र एपीरेन्टली मानते हैं तो क्या आप उनको नौकरी में इस स्थिति में लेंगे और जब रिटायरमेंट की ऐज हो जब तक आप पेन्शन नहीं दे रहे हैं, एडहॉक पेन्शन भी होती है ...

श्री अध्यक्ष : एडहॉक पेन्शन तो तब होगी जब पेन्शन के लिये एनटाइटल होगा।

श्री रामनारायण वर्मा : एनटाइटल तो मानते हैं यह, उन्होंने नौकरी की है, उनका कम्पलसरी रिटायमेंट मान लो।

श्री अध्यक्ष : आ गया आपका सवाल। बिराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा एक सवाल है कि आप उनकी पेन्शन को कब तक डिसाइड कर दोगे ताकि उनको पेन्शन मिलना शुरू हो जाये, कितने दिन तक?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने उनकी ऐज को साठ साल मान कर रिटायरमेंट दे दिया तो सरकारी नियमों के हिसाब से क्या उनको परिवार जनों को इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु मरा और यह जो उनके नाम हैं हरिजनों के यह मुस्लिम नाम हैं वैसे यह सारे के सारे हरिजन हैं इसलिये थोड़ा सा यह मुगालता भी करिये कि वे हरिजन हैं उनको मुसलमानों के नाम पर मत देखिये, क्योंकि उनको तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं इसलिये उनके नाम पर मत जाइये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, वैसे यह नैनवां का प्रश्न है, लेकिन जनरली राजस्थान में नगरपालिकाओं में जो हरिजन

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

और छोटे नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, वे अगर रिटायर होते हैं या उनकी खुद की डेथ हो जाती है तो उनको जो मुनाफा या जो भी सुविधाएं नगरपालिका से मिलनी चाहिए उनको समय पर नहीं मिलती हैं, एक तो मेरा यह प्रश्न है। दूसरा मेरा यह प्रश्न है कि क्या उनसे इस तरह के पत्र लिखवाये गये, वे इस बहकावे में आकर तो नहीं लिखवाये गये कि आपके प्री-रिटायरमेंट ले लेने पर आपके किसी उत्तराधिकारी को रिक्त पद पर उसको नियुक्ति मिल जायेगी और वे अनपढ़ थे, सारे हरिजन थे, महिलाएं थीं।

श्री अध्यक्ष : यह बात प्रश्नकर्ता को पता नहीं थी, आपको कहां से पता हुई, इसका भी कहीं से होगा (व्यवधान) या तो इनको पता होता कि उनसे जबरदस्ती लिखवा लिया या डिपार्टमेंट को पता होगा, इनको ही पता नहीं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह इनको भी पता नहीं है, इनको भी पता नहीं है मेरे को पता है कि जो हरिजन महिलाएं हैं, जो अनपढ़ हैं और उनको गांवों की नगरपालिकाओं में ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह जनरल बात नहीं....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं जनरल बात नहीं है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसमें पता है क्या आपको।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हां जनरली यह नहीं, मुझे पता है कि उनको यह कहा गया कि....

श्री अध्यक्ष : इस केस में ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हां इस केस में कि आपके उत्तराधिकारी को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेंगे तो उनको वहां पर पद स्थापित कर दिया जायेगा। क्या इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने निवेदन किया कि ये--ये बिन्दु हैं, जिनकी जांच होना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ये एक ही बात पूछ रहे हैं, बाकी तो जो आपके थे, वह तो सारी बात आ गई, कि आप उनको रिटायर मानकर उनके उत्तराधिकारी हैं, नौकरी दी है क्या....

श्री राजेन्द्र पारीक : उनके उत्तराधिकारी को आपने नौकरी में रखा है क्या रिक्त स्थानों पर....

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे कोई नियम नहीं है कि जो रिटायर होता है, उसके....

श्री अध्यक्ष : नियम तो नहीं है, दी है क्या नौकरी, यह पूछ रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह भी एक जांच का विषय है। मुझे यह बताया गया है, आप जैसा कहते हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई जांच का विषय नहीं है। क्या रिक्त स्थानों पर उनके उत्तराधिकारी को रखने का नियम है, प्रावधान है ऐसा ?

श्री अध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुनो तो सही, क्या है इसमें, एक ऐसा विषय आ गया जो सबके सामने है, इसमें चिन्ता की क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह बात सही है कि मामला बड़ा कोम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई....

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले उनकी जन्म की तिथि लिखी हुई है, फिर उनका एफिडेविट है।

श्री अध्यक्ष : आप तो इनको जल्दी एक्सपेडाइट करा दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मैं यह जरूर करूंगा।

श्री अध्यक्ष : सही है, जल्दी करा दीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या सरकार ऐसा मानस रखती है कि उनके रिक्त स्थानों को उनके उत्तराधिकारी से भरा जाय ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री शिवजी राम।

जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यान्तर्गत स्वीकृत कार्य

52. श्री शिवजी राम मीणा (जहाजपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान वित्तीय वर्ष, 1992-93 में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत कार्यान्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य प्रारम्भ किये जाकर कितनी राशि का उपयोग किया गया ? पूर्ण स्वीकृति राशि उपयोग में नहीं लेने के लिए कौन जिम्मेदार है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) ऐसे कितने कार्य हैं जो स्वीकृति के पश्चात् भी प्रारम्भ नहीं किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें। स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं करने के लिए कौन दोषी है एवं सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं करने की शिकायत सरकार को की गई थी ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, तो क्यों ?

अकाल राहत मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजना द्वितीय के अन्तर्गत 158 राहत कार्य स्वीकृत किये

(श्री कैलाश मेघवाल)

गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट–अ)

(2) स्वीकृत 158 राहत कार्यों में से 150 कार्य प्रारम्भ किये गये तथा इन पर 44.14 लाख रुपये का व्यय किया गया। राहत कार्य स्वीकृत होने के बाद कार्य प्रारम्भ होने में समय लगने व राहत कार्यों की समयावधि 31-7-92 को समाप्त होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके। अतः अपूर्ण कार्यों के लिए कोई दोषी नहीं है।

(3) पंचायत समिति जहाजपुर में स्वीकृत कार्यों में से 8 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए जिनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट–ब) इन कार्यों में अधिकतम कार्य पक्के थे जिसके लिए सामग्री की व्यवस्था की जानी थी। इन 8 कार्यों में से कुछ कार्यों की स्वीकृति माह जुलाई, 92 के प्रथम सप्ताह में ही की गई थी और राहत कार्यों की समयावधि 31-7-92 थी। इन कारणों से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका जिसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(4) जी हां। माननीय विधायक श्री शिवजीराम मीणा का तार दिनांक 26-5-92 इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था जिसकी प्रति जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई थी। पंचायत समिति के स्वीकृत 112 कार्यों में 8 कार्य प्रारम्भ नहीं हुए जिसका कारण अधिकतम कार्य पक्के थे जिसके लिए सामग्री की व्यवस्था की जानी थी तथा कुछ कार्यों की स्वीकृतियां भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में हुई थीं तथा अकाल राहत कार्यों की समयावधि 31-7-92 थी। अतः समय परिस्थिति के अनुसार कोई दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 158 कार्य स्वीकृत कराये लेकिन इन्होंने जो खण्ड (ब) में यह फरमाया है कि ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धन्यवाद देने के बाद में अब काहे का सवाल।

श्री शिवजीराम मीणा : नहीं, मेरा निवेदन सुन लीजिये, धन्यवाद केवल इस बात के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय, स्वीकृति के लिए, मेरे यहां 4 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हुए थे, उसमें से 10 प्रतिशत का यूटिलाइजेशन हुआ है। आपने यह फरमाया है कि खण्ड (ब) में राहत कार्य स्वीकृत नहीं होने, स्वीकृत होने के बाद प्रारम्भ होने में समय लगा, इसके लिए कौन दोषी है?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी सलाह मानें, तो अब आपका एक ही सवाल होना चाहिये कि जो काम अधूरे रह गये, क्या उनको और किसी योजना में पूरा कराने की सोच रहे हैं; यह ज्यादा महत्वपूर्ण

(श्री अध्यक्ष)

है। जो अधूरे रह गये, उनको पूरा करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है, देट इज इम्पोर्टेन्ट।

श्री शिवजीराम मीणा : इसका तो नकारात्मक जवाब आएगा अध्यक्ष महोदय,।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मामला यह नहीं है, मामला यह है कि 8 काम पंचायत प्रशासक ने बदनीयती से शुरू ही नहीं किये हैं यह है महत्वपूर्ण..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, देखिये इसमें, 7 जुलाई को 4 काम स्वीकृत हुए हैं, लेट स्वीकृति आने से काम पूरे नहीं हो सकते थे लेट स्वीकृति की वजह से काम पूरे होना सम्भव नहीं था ? (व्यवधान) क्या आप नहीं चाहते कि उनको पूरा करवाया जाय ?

श्री शिवजीराम मीणा : ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही निवेदन है.... (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वे अब पूरे नहीं होंगे। वे तो फेमिन के काम थे....

श्री अध्यक्ष : वह इसीलिए ही कह रहा हूं, इसलिये तो पूछा कि किसी और योजना में....

श्री शिवजीराम मीणा : आपने यह स्वीकार किया है कि कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब हुआ, स्वीकृति के पश्चात् में, इसके लिए कौन दोषी है ? जब मई के प्रथम सप्ताह में आपने कार्य स्वीकृत कर दिये....

श्री अध्यक्ष : अब उन्होंने बता दिया कि दोषी कोई नहीं है।

श्री शिवजीराम मीणा : दोषी क्यों नहीं है अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : अब यह कोई डिबेट का सवाल नहीं है। आपका सवाल यह है क्या कि कौन दोषी है ? यही सवाल है ?

श्री शिवजीराम मीणा : नहीं, और भी सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये फिर, आप बैठिये।

श्री शिवजीराम मीणा : नहीं और भी सवाल हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : सवाल और क्या हैं, पूछिये ना। एक हो गया कि कौन दोषी है, इसका जवाब आ जायेगा... (व्यवधान)

श्री शिवजीराम मीणा : .. कार्य इसलिए स्वीकृत नहीं हुए और अन्य कार्य प्रारम्भ कैसे हो गये। जो जून और जुलाई में कार्य स्वीकृत हुए थे, ये 8 ही कार्य क्यों बंद रहे, बाकी कार्य क्यों प्रारम्भ कर दिये गये ? क्या इसकी जांच करवाना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इनको बोलने दीजिये ना। वे बोल रहे हैं। उनका सवाल है।

श्री शिवजीराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो विकास अधिकारी थे, वे जो सामग्री के लिए पैसा दे रहे थे, उसके लिए एडवांस ले रहे थे और एडवांस नहीं देने के कारण रिश्वत के रूप में 10 प्रतिशत पैसा मांग रहे थे, इसलिए इन्होंने 25 मई तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये। मैंने 25 तारीख को टेलीग्राम दिया माननीय मंत्री जी को, उसके पश्चात् जून के प्रथम सप्ताह में कार्य प्रारम्भ किये गये, ठीक एक महीने बाद, तो क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप सुनिये। पहले इनका जवाब आ जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जिस प्रकार का आरोप लगाया है, मैं इसकी जांच करवा लूंगा, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर दोषी पाये तो उन्हें दंडित भी किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो काम अधूरे रहे, वे आपके यहां से मेटेरियल कम्पोनेंट का पैसा रिलीज नहीं होने की वजह से अधूरे रहे, क्या यह सही है ? दूसरी बात यह है कि जो काम हुए हैं राजस्थान में अकाल के, आप जे. आर. वाई. कह दीजिये उसको, उसका कितना पैसा अभी तक बकाया है और बकाया है तो आप कब तक चुका देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप पूछिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक ही सवाल पूछना है, फेमिन के जो कार्य हुए हैं और जो अधूरे रह गये, वे काम कौन से मद में पूरे कराये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विश्नोई जी ने जो प्रश्न किया, उसका उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि अकाल के दिनों में जो काम शुरू होते हैं, वह अकाल समाप्त होने तक पूरे नहीं होते हैं, उससे राज्य सरकार को भी नुकसान होता है और जनता को सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने विचार किया है कि अकाल में जितने भी अधूरे काम रह जायें, उनको पूरा करवाने की कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो, जिस व्यवस्था में जो पूंजी निवेश हम कर चुके हैं, उसका लाभ हमको मिले। इस दृष्टि से हमने एक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया है कि जिस वर्ष अकाल नहीं हो और अकाल की राशि में से, उस समय उन अधूरे कामों को पूरा करवाने की योजना बनाई और वह योजना बन रही है और.... (व्यवधान) भारत सरकार से हमको अनुमति प्राप्त हो जायेगी।

इस सदन को मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा, मैंने पिछले वर्ष यह कहा था कि अकाल के लिए हम एक मास्टर प्लान बना रहे हैं, अगर वह मास्टर प्लान बन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया हैं, अभी वह बनाने की प्रोसेस में है और 30 तारीख तक यदि वह बन जायेगा तो मैं सदन के माननीय सदस्यों को देऊंगा कि उसमें वह अपने सुझाव दें ताकि अकाल के अधूरे काम भी पूरे हो जायं और ड्राट प्रूफिंग काम, जो अकाल के समय में हमें मजबूरी में लेने पड़ते हैं, वह संवत् के समय हम लेकर अकाल की समस्या का समाधान करवा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री देवेन्द्र सिंह : हमारे पेमेन्ट का जवाब नहीं आया है।

श्री कन्हैया लाल मीणा : प्रश्न संख्या 53।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पेमेन्ट के जवाब के सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : वह तो आ गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह लेट हुए। कैसे पूरा कराने की योजना बने .... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वो भी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : वह तो हो ही जायेगा पेमेंट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने निर्णय लेकर कह दिया कि विधान सभा आरम्भ हो, उसके पहले-पहले कहीं पर भी बकाया की राशि रहती है तो उसकी जानकारी हमको दे दी जाय। हमने फण्ड्स रिलीज कर दिये है लेकिन यदि कहीं बाकी रहती है तो....(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : मजदूरों का पैसा अभी बकाया है और....(व्यवधान) अभी भी इन्स्ट्रक्शन दिये कि अकाल के बाद मजदूरों को पैसा चुका दिया जाय, बाकी पैसा बाद में चुका दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मजदूरों का पैसा मेरी समझ में तो कहीं बकाया नहीं है, यदि आप जानकारी देंगे तो बाकी क्यों रहा, इसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा :....सामग्री का पेमेन्ट नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन नहीं रहे हैं। आपको वह मालूम नहीं है। मजदूरों को पैसा दिलाना है या नहीं ...(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को जानकारी देना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैरवा जी प्लीज।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा :....मेरे विधान सभा क्षेत्र में 15 लाख रुपये बकाया हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज। आप मजदूरों को पैसा दिलाने में इन्ट्रेस्टेड हैं कि नहीं हैं। वह सुनिये ना पहले आप।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : मैं मुख्य

(श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा)

मंत्रीजी से कह रहा हूं ।... कि 15 लाख रुपये बकाया है मेरे यहां ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात कहने के लिए खड़े हो जाते हैं । जो बात मजदूरों के हित में आ रही है । वह सुन नहीं रहे हैं । वह सुनिये आप । वह आप सुनना नहीं चाहते हैं ।

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : इसके जो कार्य जुलाई में शुरू हुए थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिए आप । ये मानेंगे नहीं । इनका नोट मत करिए ।

श्री मोतीलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल मीणा ।

पर्यटन विभाग एवं पर्यटन विकास निगम द्वारा उद्घाटन अवसरों पर व्यय

53. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 जुलाई, 1990 से 31 अगस्त, 1992 तक की अवधि में पर्यटन विभाग व पर्यटन विकास निगम की अधीन कितने कार्यों के किस-किस के जरिए उद्घाटन किए गए हैं ? कार्यों की लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त उद्घाटनों पर विभाग तथा निगम द्वारा कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ?

(3) क्या पूर्व से मौजूद अथवा उद्घाटित कार्यों व इमारतों के भी उद्घाटन किए गए हैं ? यदि हां, तो इनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

पर्यटन मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : (1) 1 जुलाई, 1990 से 31 अगस्त, 1992 तक की अवधि में किए गए उद्घाटनों मय कार्यों की लागत का विगत निम्न प्रकार है :—

उद्घाटित कार्य	लागत (लाख रु.)	उद्घाटन कर्त्ता
1. पर्यटन भवन, जयपुर	10.00	प्रभारी मंत्री द्वारा
2. चिरमी कॉफी शॉप, जोधपुर	2.50	प्रभारी मंत्री द्वारा
3. चन्द्रावती पर्यटन विश्राम गृह, झालावाड़	24.96	मा. मुख्यमंत्री महोदय द्वारा
4. फास्ट फूड सेन्टर, बहरोड़	35.00	प्रभारी मंत्री द्वारा

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(सुश्री पुष्पा जैन)

(2) उक्त उद्‌घाटनों पर विभाग एवं निगम द्वारा व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

	विभाग	निगम	योग
1. पर्यटन भवन, जयपुर	29065/-	—	29065/-
2. चिरमी कॉफी शॉप, जोधपुर	—	19501/-	19501/-
3. चन्द्रावती पर्यटन विश्राम गृह, झालावाड़	—	8305/-	8305/-
4. फास्ट फड सेन्टर, बहरोड़	—	8169/-	8169/-

(3) जी नहीं।

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि विभिन्न पर्यटन भवनों पर और कॉफी हाउसों पर जो खर्चा हुआ यह करीब 70 हजार का खर्चा है लेकिन इसमें 2.50 लाख की लागत तो जोधपुर कॉफी शॉप की ही है और उसके उद्‌घाटन पर 20 हजार का खर्चा किया गया। क्या यह राजस्थान सरकार के धन के अपव्यय की परिभाषा में नहीं आता ? और नहीं आता तो यह कौनसी मद से खर्चा किया गया, यह बताने की कृपा करें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का पर्यटन विकास उसके प्रचार और प्रसार पर निर्भर है। राजस्थान सरकार का पर्यटन प्रचार-प्रसार के लिए 88 लाख रुपए का बजट भी है। अगर हम पर्यटन का प्रचार व प्रसार नहीं करेंगे तो पर्यटन जो आज हिन्दुस्तान में दूसरे नम्बर की इण्डस्ट्री है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो हमारे प्रान्त की कला और संस्कृति को....

श्री अध्यक्ष : इस खर्चे में प्रचार शामिल है ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इन उद्‌घाटनों में जिस तरह के लोगों को बुलाया जाता है मैं अर्ज करना चाहूंगी हम हर बार होटलियर्स को उद्‌घाटनों में बुलाते हैं, ट्रैवल एजेन्ट्स को बुलाते हैं।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : 29 हजार का खर्चा कैसे हो गया जयपुर की जयपुर में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सुनिए।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे सुन लें। ट्रैवल एजेन्ट्स को बुलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, टूयर ऑपरेटर्स को बुलाया जाता है, प्रेस को बुलाया जाता है, ट्रैवल राइटर्स को बुलाया जाता है और भरसक प्रयत्न किये जाते हैं कि प्रान्त में जिस जगह पर इस तरह के उद्‌घाटन होते हैं वहां देशी और विदेशी पर्यटक अगर होटलों में आये हुए हैं तो पूर्व सूचना के द्वारा कोशिश की जाती

(सुश्री पुष्पा जैन)

है कि वे भी इस तरह के उद्घाटनों में आयें और राजस्थान की कला व संस्कृति का, राजस्थान के पर्यटन का प्रचार-प्रसार हो सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : आप राजस्थान को खाना ही चाहें, भ्रष्टाचार की बात सुनिए आप। मुख्य मंत्री जी बैठे हैं यहां।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जो कार्य हैं वे किस-किस तारीख को प्रारम्भ किए गए और किस-किस तारीख को उद्घाटित किए गए। दूसरा, मेरा निवेदन है कि क्या इन उद्घाटनों के जो खर्चे हैं, जो गाड़ियां गई, उनके साथ-साथ मंत्री महोदय के साथ कर्मचारी गए, जो लवाजमा गया, उसका टी. ए./डी. ए. का खर्चा भी शामिल है? और साथ ही उद्घाटन खर्चों का माप दण्ड क्या है? (व्यवधान)....आप सुनिए। 2.50 लाख में 50 हजार क्या 5 लाख खर्च हुए हैं। आप रिकार्ड तो दीजिए। आप सुनिए।

श्री टीकम चन्द कान्त (रेवदर) : केन्द्र के मंत्रियों का खर्चा कौन भुगतता है? वे पूरा देश घूमते हैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय टीकमचन्द कान्त जी आप मंत्री हैं क्या? मंत्रीजी जवाब दे रही हैं आप बीच में क्यों खड़े होते है? आप बिराजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह भी लिस्ट में है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन भवन, जयपुर का उद्घाटन दिनांक 31-5-91 को किया गया। चिरमी कॉफी शॉप का उद्घाटन 23-11-91 को किया गया। चन्द्रावती विश्राम गृह, झालावाड़ का उद्घाटन 27-3-92 को किया गया। फास्ट फूड सेंटर, मिडवे–बहरोड़ का उद्घाटन 10-4-92 को किया गया।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : किस मद पर खर्चा हुआ?

श्री अध्यक्ष : हो गया अब। प्लीज।

प्रश्न संख्या 54 नेक्स्ट। श्री हरिसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

आर्डर प्लीज ...(व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं। मुझे 10 सवाल लेने हैं। बैठिए आप। नेक्स्ट, श्री बालचन्द आर्यवीर।

श्री परसादीलाल मीणा : जयपुर के पर्यटन गृह पर किस-किस मद में कितना खर्चा हुआ है?

श्री अध्यक्ष : इनका अंकित मत कीजिए।

श्री परसादी लाल मीणा : × × ×

श्री जुबेर खान : × × ×

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 55 श्री बालचन्द आर्यवीर ।

डग-चोमेला सड़क मार्ग पर चन्दन के वृक्षों की कटाई

55. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :- क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि डग कस्बे तथा डग-चोमेला सड़क मार्ग पर चन्दन के अधिकांश पेड़ वन विभाग के कर्मियों की मिलीभगत से काटे जा चुके हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ?

वन व पर्यावरण मन्त्री (**श्री** लालचन्द डूडी) : डग कस्बे व डग चोमेला सड़क मार्ग पर उगे चंदन के पेडों का प्रशासनिक नियन्त्रण वन विभाग के अधीनस्थ नहीं है, अतः वन कर्मियों की मिलीभगत से कटाई का प्रश्न हीं नहीं उठता । (व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में जंगलों की भंयकर कटाई हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्री बालचन्द आर्यवीर : मंत्री महोदय ने बताया कि इनका नियंत्रण विभाग के अधीनस्थ नहीं है । जबकि डग कस्बे में ग्रामों की भंयकर रूप से कटाई हो रही है । इसकी सुरक्षा के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं और कर्मचारियों व अधिकारियों की मिली भगत से वनों की कटाई हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, बहुत सीधा सा सवाल पूछा गया है कि डग कस्बे व डग-चोमेला सड़क मार्ग पर चंदन के पेड़ों की कटाई के बारे में है ....(व्यवधान)....वहां चंदन के पेड हैं भी नहीं और यह सड़क हमारे वन विभाग के अन्तर्गत भी नहीं है और दूसरी जगह जो कट रहे हैं उनकी अब रोकथाम करेंगे और उसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के अधीनस्थ नहीं है तो किसके अधीनस्थ है ? यह भी बताइये आप ।

श्री लालचन्द डूडी : इसमें कुछ निजी हैं, कुछ पंचायत के अधीन हैं और कुछ सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैं ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट श्री सम्पत सिंह । प्रश्न संख्या 56 ।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

प्रान्त के विद्युत उत्पादन केन्द्र

56. **श्री सम्पत सिंह** (नगर), **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) एवं **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रान्त में कुल कितने विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं ? उनकी पृथक–पृथक उत्पादन क्षमता क्या है ? विगत तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन का ब्यौरा दर्शाते हुए सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी बिजली परियोजनाए कब से केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु लम्बित हैं ? अनुमति न मिलने के क्या कारण हैं ?

(3) गांवों में कृषि कुओं पर एवं खेती के लिए विद्युत कनेक्शन की क्या नीति है ? उद्योग एवं कृषि कनेक्शन नीति में क्या कोई फर्क है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) भरतपुर जिले में विगत तीन वर्षों से तहसीलवार कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ? सूची वर्षवार व तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(5) तहसील नगर में कितने गांव विद्युत कनेक्शन हैं, उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ? वर्तमान वर्ष में तहसील नगर में कितने गांव विद्युतीकृत किये गये, नहीं तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई): (1) राजस्थान प्रान्त में कुल 10 विद्युत उत्पादन केन्द्र हैं जिनकी पृथक-पृथक उत्पादन क्षमता तथा गत तीन वर्षों मे विद्युत उत्पादन का ब्यौरा परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) निम्न चार बिजली परियोजनायें केन्द्र सरकार की अनुमति हेतु लम्बित हैं :—

(क) **धौलपुर तापीय विद्युत परियोजना— (3-250 मेगावाट)**

यह परियोजना मार्च, 1987 से केन्द्र सरकार के पास पर्यावरण संबंधित स्वीकृति के कारण लम्बित है।

(ख) जाखम लघुपन विद्युत परियोजना (2X2.5 मेगावाट) :

यह परियोजना जनवरी, 1991 से केन्द्र सरकार के पास, वन संबंधित स्वीकृति हेतु लम्बित है।

(ग) रामगढ गैस आधारित विद्युत गृह (160 मेगावाट) :

यह परियोजना जुलाई, 1992 से केन्द्र सरकार के पास केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु लम्बित है।

(घ) चित्तौड़गढ़ तापीय विद्युत परियोजना (1X500 मेगावाट)

यह परियोजना 26-2-92 से केन्द्र सरकार के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु लम्बित है। यह परियोजना मैं. सेन्च्युरी टैक्सटाइल एण्ड इण्डस्ट्रीज, बम्बई द्वारा सम्पन्न की जा रही है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

(3) ग्रामों में कृषि कनेक्शन दिये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष योजना मद में आवंटित वित्त एवं विद्युत उपलब्धि के अनुरूप लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है तथा लम्बित आवेदन पत्रों के अनुपात में पंचायत समिति वार लक्ष्यों का निर्धारण कर स्वीकृत नीति के अनुसार तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने वाले कृषि आवेदनों को वरीयतानुसार कनेक्शन दिये जाते हैं। औद्योगिक कनेक्शन तकनीकि दृष्टि से साध्य पाये जाने पर वरीयतानुसार दिये जाते है। उद्योग व कृषि कनेक्शन की नीति में यह फर्क है कि जहां कृषि कनेक्शन में होने वाले व्यय का बहुत बड़ा भाग मण्डल को वहन करना पड़ता है, औद्योगिक कनेक्शन में होने वाले खर्च का अधिकांश भाग आवेदनकर्त्ता को वहन करना पड़ता है।

(4) भरतपुर जिले में विगत तीन वर्ष में (1989-90 से 1991-92 तक) कुल 176 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। तहसीलवार/वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) नगर तहसील में विद्युतीकृत ग्रामों में से 17 ग्रामों में विद्युत कनेक्शन नहीं हैं। इन ग्रामों में आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कनेक्शन दिये जा सकेंगे। तहसील नगर में अब तक तीन ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जैसा बताया कि कुल चार बड़ी परियोजनाएं केन्द्र में लम्बित पड़ी हुई हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी जिस वक्त विरोध पक्ष के नेता हुआ करते थे तब बहुत जोर से इस बात का हम सभी पिछली विधान सभा में पक्ष रखते थे कि राजस्थान की औद्योगिक क्रांति के लिए और कृषि क्रांति के लिए इन योजनाओं की मंजूरी होना जरूरी है। तो कृपया बतायें जब-जब से आपने यह तिथि बताई है तब से लेकर अब तक हमने क्या कोशिश की कि केन्द्र सरकार इनको मंजूरी दे। दूसरे, जो क्षमता आपने बताई है उत्पादन की दसों विद्युत उत्पादन केन्द्रों में, यह 1990 के बाद ज्यादातर गिरी है। यह सदन का समय जाया होगा वरना मैं पढ़कर बताऊं। मंत्रीजी ने खुद लिख कर दिया है, हमारे राज के वर्षों में यह उत्पादन शक्ति गिरी है तो इसकी क्या वजह हो सकती है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन से प्लांट में ?

श्री सम्पत सिंह : राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह-इसकी उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट, 1989-90 में 372.74, 1990-91 में 331.312, यह गिरी है या बढ़ी है? 1989-90 में 298.25

श्री अध्यक्ष : यह मिलियन यूनिट्स हैं।

श्री सम्पत सिंह : क्या जी।

श्री अध्यक्ष : जो आप पढ़ रहे हैं यह

(श्री अध्यक्ष)

मिनियन यूनिट्स हैं और वह है मेगावाट, इनका अन्तर निकाल लीजिए।

श्री सम्पत सिंह : नहीं, आपने नहीं लिखा है। एक ही चीज लिखी है।

श्री रामनारायण विश्नोई : ठीक पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं–नहीं, यह तो है मिलियन यूनिट्स।

श्री सम्पत सिंह : मंत्रीजी मुझे प्रमाण-पत्र दे रहे हैं, मैं ठीक पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, इसमें लिखा हुआ है ऊपर, आप ऊपर पढ़िये, मिलियन यूनिट्स लिखा हुआ है।

श्री सम्पत सिंह : हां, मिलियन यूनिट्स ही लिखा है।

श्री अध्यक्ष : और वह है मेगावाट।

श्री सम्पत सिंह : नहीं, मिलियन यूनिट्स ही पढ़ रहा हूं मैं। 298.25 जवाहर सागर पन विद्युत गृह....

श्री रामनारायण विश्नोई : ठीक पढ़ रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : यह 89-90 में हैं और 90-91-92 में 261.845

श्री अध्यक्ष : एक मेगावाट में कितने मिलियन यूनिट्स होते हैं?

श्री सम्पत सिंह : यह तो मंत्रीजी बतायें पहले, मैं तो गांव से चल कर आया हूं सीधे। बताओ साहब।

श्री अध्यक्ष : तो यह कम और ज्यादा का पता कैसे चला आपको?

श्री सम्पत सिंह : मैं कह रहा हूं-नहीं, कम हुआ।

श्री रामनारायण विश्नोई : नहीं, यह ठीक पढ़ रहे हैं।

श्री नत्थी सिंह : यह वहां से पूछ कर बतायेंगे।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, यह ठीक पढ़ रहे हैं, मिलियन यूनिट्स ही हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं तो कह रहा हूं, आपने इसमें तो मिलियन यूनिट दे दी और उसकी जो क्षमता है उसमें मेगावाट दे दिया। उत्पादन आपने मिलियन यूनिट्स में दिया, मेगावाट में नहीं दिया ...... (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : तो अध्यक्ष महोदय, एक तरफ उत्पादन कम हुआ है, दूसरी तरफ जो आपने नीति बताई है कि हम गांव और शहर की, गांव और उद्योग के कनेक्शन्स में, इसलिए नीति में फर्क है कि तकनीकी दृष्टि से जो साध्य पाये जाते हैं, कृषि आवेदन को वरीयतानुसार इसीलिए कनेक्शन देते हैं। तो मंत्रीजी कृपया यह बतायें कि जो तकनीकी रूप से आपने घोषित कर दिये कि इतने गांवों में विद्युतीकरण कर दिया

(श्री सम्पत सिंह)

जायेगा और इतने गांवों को विद्युतीकरण करने की घोषणा कर दी पहले ही, तो उनमें से ही आपने विद्युतीकरण नहीं किया। अगर मैं नगर तहसील के लिए निवेदन करूं, भरतपुर जिले के लिए ही निवेदन करूं, जो मैंने प्रश्न आपसे निवेदन किया है तो सड़क सिर्फ बीच में है, एक गांव में आपने विद्युत कनेक्शन्स दे दिये, दूसरे गांव में आपने विद्युत कनेक्शन नहीं दिये। मैं सीधे-सीधे मंत्रीजी पर यह आरोप लगाना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, शुद्ध राजनीतिक कारणों की वजह से इन्होंने ऐसा किया है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, विद्युतीकरण नहीं हुआ या कनेक्शन्स नहीं दिये ?

श्री सम्पत सिंह : कनेक्शन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विद्युतीकरण तो हो गया।

श्री सम्पत सिंह : विद्युतीकरण नहीं है, दोनों ही बात हैं।

श्री अध्यक्ष : मतलब विद्युतीकरण तो हो गया।

श्री सम्पत सिंह : विद्युतीकरण भी नहीं किया, कनेक्शन्स भी नहीं किये।

श्री अध्यक्ष : विद्युतीकरण नहीं होगा तो कनेक्शन्स कहां से होंगे। इसमें अन्तर है। इनका यह कहना है कि....

श्री सम्पत सिंह : 17 गांव आपने बताये।

श्री अध्यक्ष : जहां विद्युतीकरण हो गया है..

श्री सम्पत सिंह : मैं समझ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वहां पर जब तक एप्लीकेशन्स नहीं आयेंगी तब तक कनेक्शन्स नहीं होंगे। एप्लीकेशन्स आयेंगी तब कनेक्शन्स दे देंगे। ऐसा है।

श्री सम्पत सिंह : जिन गांवों के लिए यह कहते हैं कि विद्युतीकरण हो गया, एप्लीकेशन्स नहीं है उनमें तो चार-चार साल से एप्लीकेशन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, वह दूसरी बात है।

श्री सम्पत सिंह : इन्होंने फार्म इश्यू कर दिये, पैसे जमा करा लिये, फिर कनेक्शन्स नहीं हुए। दूसरे, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : दो हजार रुपये दिलाओ।

श्री जुबेर खान : कमीशन नहीं दिलाया होगा।

श्री सम्पत सिंह : यह हमारा काम थोड़े ही है. आप देते। अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : अब आप जल्दी सवाल

(श्री अध्यक्ष)

पूछिये, देखिए- अभी चार-पांच प्रश्न बाकी हैं अपने ।

श्री सम्पत सिंह : आप यह कह रहे हैं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजनैतिक आरोप है ।

श्री सम्पत सिंह : कि नगर में 17 गांव बिना कनेक्शन्स के रह गये, मेरी सूचना के मुताबिक 55 गांव रह गये । मंत्रीजी उनको कब तक करना चाहेंगे ? पूरा भरतपुर जिला शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होने की योजना थी वह योजना कहां गई, बाकी गांव, बाकी पंचायत समितियां क्यों विद्युत कनेक्शन्स के बगैर रह रही हैं और आप कहते हैं कि कृषि कनेक्शन्स में खर्चा ज्यादा आता है, मण्डल को उसका भार वहन करना पड़ता है । जब आप कनेक्शन के आदेश करते हैं जब से लेकर तब तक कनेक्शन्स होते हैं, किसान पिटता है । अपनी गाड़ी में, अपने ट्रेक्टर में लट्ठे को लेकर जाता है पहले आप रुपये जमा कराते हैं, उसका जो टेरिफ चार्ज है वह तो आप शुरू में ही जमा करा लेते हैं, मण्डल क्या वहन करता है ? मंत्रीजी कृपया बताने की कोशिश करें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न तो यह उठाया कि योजनाओं में स्वीकृति में देरी जो हुई है उसके लिए क्या कोशिश की गई है । मुख्य रूप से धौलपुर परियोजना में देरी का जो कारण है वह बार-बार यही है कि पर्यावरण विभाग की तरफ से क्लियरेंस नहीं दिया जा रहा है और उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी बराबर प्रयत्नरत हैं और अभी वहां पर नये सिरे से थोड़ी-बहुत अगर कोई साइट चेंज करके पर्यावरण के जो ऑब्जेक्शन्स हैं उनको दूर किया जाकर पर्यावरण की स्वीकृति के लिए बराबर कोशिश चल रही है । माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी यह आश्वासन दिया है कि इस परियोजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जायेगी ।

श्री हरिसिंह (महुआ) प्रधान मंत्री तो तीन-तीन आकर चले गये ।

श्री रामनारायण विश्नोई : दूसरी बात, माननीय सदस्य ने कही कि हमारे यहां की जो परियोजनाएं हैं उनमें उत्पादन में कमी क्यों हो रही है ? मैं इस विषय में माननीय अध्यक्षजी, यही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह और जवाहर सागर पन विद्युत गृह में 1989-90 और 90-91 के जो आंकड़े बताये आपस के अन्दर, उसमें यह अवश्य है कि कुछ गिरावट 90-91 के अन्दर उत्पादन में हुई है पर 91-92 के अन्दर यही उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ गया है । जहां 90-91 के अन्दर 331-312 मिलियन यूनिट्स था वह 1991-92 में 629.916 मिलियन यूनिट्स का उत्पादन हुआ है ।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

इसी प्रकार से जवाहर सागर पन विद्युत गृह में भी 261.845 के बजाय 421.640 मिलियन यूनिट्स है, जो बढ़ोतरी हुई है और वह पन विद्युत गृह की जो परियोजनाएं हैं उनमें पानी की कमोवेशी के हिसाब से उत्पादन में कमी आ सकती है और उसके विपरीत माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कोटा तापीय विद्युत परियोजना में 1991-92 में 90-91 की बजाय 2398.32 मिलियन यूनिट्स की बजाय 3730 मिलियन यूनिट्स का उत्पादन हुआ है। माननीय सदस्य ने भरतपुर जिले के अन्दर जो ग्राम विद्युतीकरण घोषित किये जा चुके है उनमें विद्युत कनेक्शन नही दिये जाने की शिकायत की है।

मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर घोषित किये हुए करीब आज भी 3-4 हजार गांव ऐसे हैं कि जिनके अन्दर विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। इसके लिए हमने इस दफा यह कर दिया है कि जो भी गांव विद्युतिकृत घोषित किये जा चुके हैं उनके अन्दर दो कृषि कनेक्शन अवश्य दिये जायेंगे। पिछले साल के अन्दर जो गांव विद्युतिकृत घोषित किये जा चुके थे उनके अन्दर उन्होंने जहां-जहां कनेक्शन मांगे हैं उन काश्तकारों को कनेक्शन दिये गये हैं। ऐसे गांव अवश्य हैं जहां पर समय पर आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किये गये, उन गांवों के अन्दर विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। जो 17 गांव माननीय सदस्य ने बताये उनके आवेदन पत्र जल्दी से जल्दी आते ही आवेदनकर्त्ताओं को कनेक्शन दे दिये जायेंगे। जहां कहीं भी आवेदन पत्र प्राप्त हो गए उन आवेदन पत्रों की जांच करके कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

माननीय सदस्यों ने दूसरा एतराज यह किया है कि शायद कुछ गांवों को विद्युतिकृत घोषित करने में कोई पक्षपात किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से माननीय अध्यक्ष जी कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया गया है। तमाम पंचायत समितियों के अन्दर जो इस दफा हमने 700-750 गांव एक साल के अन्दर विद्युतिकृत घोषित करने की जो घोषणा की है वह तमाम पंचायत समितियों में उन पंचायत समितियों में विद्युतिकृत का प्रतिशत देख करके किसी पंचायत समिति में 3, किसी में 5, किसी में 7 और किसी में 10 तक बंटवारा करके गांव घोषित किये गये हैं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। मैं यह पहले ही कह रहा था....

श्री अध्यक्ष - इसमें दो और हैं कि जिनके नाम हैं। पहले वह पूछेंगे जिनके नाम हैं।

श्री सम्पत सिंह : मैं तो एक ही सप्लीमेन्ट्री कर रहा हूं। जब एक-एक करोड़ रुपये की बिजली चोरी के केस आप पकड़ रहे हैं, जब इतनी छीजत हो रही है उनको रोको और किसान से यह कह रहे है कि

(श्री सम्पतसिंह)

हम उस पर ज्यादा खर्चा करते हैं तो वह तो पहले ही अपना खर्चा जमा करा जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि गांवों के नाम चार-चार साल के जहां आवेदन पत्र हैं विद्युतिकृत होने के बाद वहां आपके अधिकारी किसी चीज को गम्भीरता से नहीं लेते....

श्री यदुनाथ सिंह : पैसे जमा हुए पड़े हैं।

श्री सम्पत सिंह : पैसे जमा हुए पड़े हैं और जो सेन्ट्रल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड आन दी स्पाट स्टडी करता है आकर वह करके गये। भरतपुर पूरा जिला शतप्रतिशत विद्युतिकृत होने की योजना थी उसको आपने क्यों खटाई में डाल दिया ? और फिर कटे पर और नमक, एक पंचायत को आप 9 गांव दे रहे हैं, एक पंचायत समिति में आप 3 गांव दे रहे हैं—आपके ही मंत्री मण्डल के सदस्य वहां पड़ोस में जाकर यह कहते हैं और छोड़ दो मंत्री मण्डल को ऐसे ही गांव धीरे-धीरे होंगे। आप यह बतायें कि आपकी क्या कलेक्टिव रेस्पान्सीबिलिटी है और आप इस गति से तो 2021 तक भी नहीं कर पाओगे विद्युतिकरण। आपने जो शतप्रतिशत योजना बनाई थी वह दें और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं धौलपुर से चुनकर आये। या तो अगली बार वहां से आप चुनाव नहीं लड़ेंगे और यदि लड़ेंगे तो वहां आज भी कह रहे हैं कि जब मुख्य मंत्रीजी के हलके में और कोई बड़ी विद्युत की योजना मन्जूर नहीं हो सकती तो बाकी गांवों की क्या बिसात है। माननीय मंत्री जी खुला सा करके बताओ।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि इनके विधान सभा क्षेत्र नगर में 1990-91 के अन्दर 15 गांव विद्युतिकृत घोषित किये गये थे और अब की दफा जबकि कामा के अन्दर सिर्फ 2 ही गांव घोषित किये गये थे और डीग के अन्दर 7 गांव किये गये पर सिर्फ रूपवास के अन्दर 15 गांव और इनके नगर ग्राम के अन्दर 15 गांव घोषित किये गये जब कि दूसरी पंचायत समितियों में 2, 7 और 4-4 गांव ही घोषित किये गये....

श्री सम्पतसिंह : आपकी 1992 मार्च तक 100 गांव तो विद्युतिकृत करने की योजना थी उसका क्या हुआ ?

श्री रामनारायण विश्नोई :...... तो 1990-91 के अन्दर माननीय अध्यक्ष जी, इनके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 15 गांव दूसरी विधान सभा क्षेत्रों के मुकाबले में डबल घोषित किये गये थे। 1991-92 के अन्दर 9 ग्राम घोषित किये गये और इस दफा भी इनके यहां 8 ग्राम घोषित किये गये हैं। किसी प्रकार का कोई असन्तुलन नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री नत्थीसिंह : जो गांव घोषित किये गये थे....

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा.... (अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द

श्री जगमालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा था....

श्री अध्यक्ष : पहले आपके नाम प्रिन्टेड हैं। मैं यह रहा हूं कि जिनके नाम हैं उनको तो बोलने दीजिए। श्री फूलचन्द गुर्जर,

श्री फूलचन्द गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : देख लीजिए। आप बिराजिये। बाद में पूछ लीजिए। श्री यादव

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि प्रान्त में कन्जम्प्शन लोड के आधार पर 33 जी. एस. एस. वांछित स्थानों पर नहीं है ? क्या यह सच है कि....

श्री अध्यक्ष : यह इस सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बेसिक क्वेश्चन तो यही है।

श्री अध्यक्ष : बेसिक तो बहुत हो जायेंगे। इस सवाल से संबंधित नहीं है। बेसिक तो बिजली का मामला है हजार और हो सकते हैं। इससे यह संबंधित नहीं है। आप दूसरा पूछिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप कह रहे हैं तो मैं दूसरा पूछ लूंगा बाकी इसका बेसिक क्वेश्चन है ही यही....

श्री अध्यक्ष : होगा लेकिन इस सवाल से संबंधित नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : आप तीसरा प्रश्न देखिये। गांवों में कृषि कुओं पर एवं खेती के लिए विद्युत कनेक्शन की क्या नीति है। नीति क्या है ? नीति पूछ रहे हैं यह।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मैं माननीय अध्यक्ष जी इसलिए जानना चाहता हूं कि कन्जम्पशन लोड के आधार पर जी. एस. एस. नहीं होने के अभाव में भी कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि 11 के. वी. और एस. टी. लाइन ओवरलोड होने की वजह से भी आप कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं और क्या यह सच है कि 31 मार्च, 90 के पहले से भी लोगों के राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में किसानों के पैसे जमा हैं–मैं 31 मार्च, 92 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 31 मार्च, 90 के पूर्व के किसानों के पैसे भी जमा हैं और उनको आपने कनेक्शन नहीं दिये हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यह जानना चाहता हूं कि इस चालू वित्तीय वर्ष से 6 महीने व्यतीत हो चुके और राजस्थान विद्युत मण्डल ने अभी तक कृषि कनेक्शन जारी करने की नीति जारी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी पूछिये दो मिनट रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त होने में दो मिनट रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसलिए इसका स्पष्ट जवाब दीजिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल मेरा प्रश्न प्रश्न के

(श्री जगमालसिंह यादव)

खण्ड-3 में एक प्रश्न पूछने का है। माननीय मंत्री महोदय से कि आपने खण्ड 3 में फर्माया है कि मण्डल जब कृषि कनेक्शन देता है तो उसको ज्यादातर वहन खर्च करना पडता है और उद्योगों को जो कनेक्शन दिये जाते हैं उनमें ज्यादातर खर्च का वहन उद्योग करते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रतिशत कृषि कनेक्शन में मण्डल वहन करता है और क्या प्रतिशत उस उद्योगों को कनेक्शन देने में वहन करता है। तो एक प्रश्न मेरा और इसी के साथ यह है कि क्या कृषि कनेक्शन लेने वाला किसान उस अनुपात में अगर खर्च करने को तैयार है जिस अनुपात में उद्योग खर्च करता है तो क्या उसी नीति के आधार पर आप कनेक्शन दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द जी

श्री जगमालसिंह यादव : एक मिनट,

श्री अध्यक्ष : एक ही पूछिये आप,

श्री जगमालसिंह यादव : यही पूरा कर रहा हूं। एक सैकिण्ड। मैं एक चीज मुख्य मंत्रीजी आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन पंचायत समितियों के अन्दर 4-5-7 या 10 गांव रह गये उनमें अगर आप सबको इक्लेक्ट्रिफाई कर दें तो कम से कम 8-10 जिलों से आपको मुक्ति मिल जायेगी कि यह दस जिले इलेक्ट्रिफाइड हैं। क्या ऐसा विचार सरकार रखती है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि मार्च, 92 तक जमा ओ. टी. पी. के कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे तथा इनको दो महीने में देने की घोषणा हुई थी तो इसके लेट होने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रामकिशन : एक मिनट

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं आयेगा। अब टाइम नहीं है। इनका जवाब आ जाने दीजिए आप तो वैसे ही बोल लेंगे विद्युत पर। माननीय मंत्री जी,

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी चौमू से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष जी चौमू से आने वाले माननीय सदस्य....

कुछ माननीय सदस्य : यह बार-बार चौमू शब्द क्यों कह रहे हैं ?....

श्री अध्यक्ष : बिजली का मामला है।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है....(विराम)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, चौमू से आने वाले माननीय सदस्य का जो प्रश्न है....चौमू से आने वाले, चौमू से....

श्रीमती उजला अरोड़ा : चौमूं का नाम विजयनगर कर दिया गया है। आप विजयनगर से आने वाले बोलिये।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय सदस्य का प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। इसी प्रकार से तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है .. (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(12.00 मध्याह्न)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

शीतला माता हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., चाकसू

54. **डा. हरिसिंह (फुलेरा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) शीतला माता हाथ करघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., चाकसू (जयपुर) ने उद्योग विभाग से प्रारम्भ से अब तक कितना ऋण तथा अनुदान किस कार्य हेतु प्राप्त किया? क्या उसका सदुपयोग किया गया? यदि हां, तो उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) समिति द्वारा अपने शोरूम, जयपुर जिला बुनकर संघ, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ तथा अन्य स्थान पर कितने मूल्य के हाथ करघा वस्त्रों का विपणन गत दो वर्षों में किया गया है? क्या यह स्थापित करघों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप है? यह उत्पादन राष्ट्रीय एवरेज के अनुपात में कितना अधिक है?

(3) क्या यह सही है कि समिति को जयपुर निवासी श्री विजयनारायण कटियार चलाता है तथा समिति में किसी प्रकार का उत्पातन नहीं होता है? क्या समस्त उत्पादन श्री कटियार के जयपुर में बने पावरलूम पर होता है तथा इन पर 20 प्रतिशत रिबेट दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) समिति को उद्योग विभाग से निम्न प्रकार अब तक ऋण तथा अनुदान स्वीकृत किया गया :—

क्र.सं.	मद	ऋण	अनुदान	कार्य जिसके लिए ऋण व अनुदान स्वीकृत किया।
1.	हाथकर्घा एवं उपकरण	45,890.00	22710.00	हाथकर्घा एवं उपकरण हाथकर्घा वस्त्र उत्पादक के लिए करघों की स्थापना हेतु।

(उद्योग मंत्री)

1	2	3	4	5
2.	हिस्सा पूंजी	15,780.00	—	सदस्यों की हिस्सा पूंजी बढ़ोतरी के लिए।
3.	रंगाई घर	13,330.00	6670.00	समिति में रंगाई घर वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से सूत रंगाई व्यवस्था के लिए।
4.	बिक्री केन्द्र	6,668.00	3332.00	समिति के द्वारा उत्पादित वस्त्रों की बिक्री व्यवस्था के लिये बिक्री केन्द्र स्थापना बाबत।
5.	व्यवस्थापकीय अनुदान	—	9000.00	समिति के रिकार्ड आदि को सुव्यवस्थित रखने एवं अन्य प्रबन्ध व्यवस्था बाबत व्यवस्थापक के लिये वेतन व्यय की पूर्ति हेतु।
6.	वर्कशेड (एन.सी.डी.सी.) की योजनान्तर्गत	3,75,000.00	125000.00	राष्ट्रीय सहकारी विभाग निगम की स्वीकृति योजना के अन्तर्गत करघा एवं उपकरण, वर्कशेड निर्माण तथा समिति की हिस्सा राशि बढ़ोतरी बाबत राज्य सरकार का हिस्सा राशि अंशदान।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं। वर्ष 1986-87 में स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अनुपलब्धता के कारण संलग्न नहीं है।

(2) समिति द्वारा गत दो वर्षों में निम्नानुसार हाथकरघा वस्त्रों का विपणन किया गया :-

वर्ष	अपने शोरूम से रु. पैसे		जयपुर जि.बु.स.सं. रु. पैसे	राज. रा.बु.स.सं. रु. पैसे	अन्य स्थान से रु. पैसे	योग रु. पै.
90-91	निल	निल	1788544.66	625411.35	निल	2413955.90
91-92	535750.50		3792831.50	226010.87	निल	4554592.37

(उद्योग मंत्री)

यह उत्पादन स्थापित करने की क्षमता के अनुरूप है एवं राष्ट्रीय ऐवरेज से अधिक है।

(3) यह समिति सहकारिता के अनुरूप संचालक मंडल द्वारा संचालित की जाती है, एवं श्री विजयनारायण कटियार इसके सदस्य हैं तथा समिति के संचालक मंडल में अध्यक्ष हैं। समिति में हाथकरघा वस्त्रों का ही उत्पादन किया जाता है। श्री कटियार द्वारा स्थापित पावरलूमों पर समिति का उत्पादन होने की सूचना नहीं है। 20 प्रतिशत रिबेट हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर ही देय होती है।
(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगरपालिका बगड़ (झुंझुनू) द्वारा निर्माण कार्य

58. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर पालिका बगड़, जिला झुन्झुनू द्वारा 10 सितम्बर, 1990 से 30 नवम्बर, 1991 तक कौन-कौन सा निर्माण कार्य कराया गया तथा उनमें कितनी राशि खर्च की गई? क्या किसी निर्माण कार्य में पालिका की स्थानीय आय में से भी कोई धन राशि खर्च की गई है? क्या किसी कार्य हेतु जन सहयोग से भी धनराशि मिली है? यदि मिली, तो कितनी?

(2) नगर पालिका बगड़ जिला झुन्झुनू द्वारा 1 सितम्बर, 1990 से 30 नवम्बर तक निर्मित कार्य जैसे नाली, सड़क एवं खुर्रा आदि किस-किस वार्ड में बनायें गये? उनकी लम्बाई, चौड़ाई एवं गहराई तथा उन पर होने वाली लागत अलग-अलग कार्यों पर क्या रही? वार्ड वाइज पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या इन कार्यों की पालिका के अधिकृत (तकनीकी) व्यक्ति से जांच करवा कर प्रमाण-पत्र लिया गया है।

(3) क्या उक्त कार्य, नगरपालिका बगड़ द्वारा पालिका की बैठक में इस आशय के पारित प्रस्ताव कि सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का व्यय निर्माण कार्यों पर प्रत्येक वार्ड में बराबर हो, के उल्लघंन में हुआ हैं? यदि हां तो क्यों?

उत्तर

(1) नगरपालिका, बगड़ द्वारा 10 सितम्बर से 30 नवम्बर, 1991 तक कराये गये निर्माण कार्य तथा उस पर किये गये व्यय का विवरण संलग्न है। इन निर्माण कार्यों में पालिका की आय में से कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है, न ही किसी कार्य हेतु कोई जन सहयोग लिया गया है।

(2) नगरपालिका, बगड़ द्वारा 1 सितम्बर, 1990 से 30 नवम्बर, तक जिन वार्डों में नाली, सड़क एवं खुर्रे निर्मित कराये गये हैं, उनकी लम्बाई, चौड़ाई व गहराई तथा इन पर व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया

(स्वायत्त शासन मंत्री)

गया है। इन कार्यों को तकनीकी अधिकारी द्वारा जांच कर माप-पुस्तिका में दर्ज कर दिया गया है।

(3) नगरपालिका बोर्ड की बैठक में सरकार द्वारा प्रदत्त राशि का व्यय प्रत्येक वार्डों में बराबर व्यय करने हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

जिला सवाई माधोपुर की नगर पालिकाओं को आवंटित राशि

59. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले में नगर पालिकाओं के लिए वर्ष 1990-1992 तक कुल कितना पैसा दिया गया और यह किस मद में खर्च हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने निर्माण कार्य पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले की नगर पालिकाओं को वर्ष 1990-92 तक दी गई राशि एवं किये गये व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) पूर्ण किये गये निर्माण कार्य एवं अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण भी कारण सहित संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

उप जिलाधीश वल्लभनगर (उदयपुर) के आदेश की अवहेलना

60. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उप जिलाधीश, वल्लभनगर जिला उदयपुर को नगरपालिका कानोड़ के वार्ड नम्बर 4 में सार्वजनिक भूमि पर हुये अतिक्रमण का शिकायत-पत्र नगर वासियों द्वारा दिनांक 24-3-1992 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो प्राप्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उप जिलाधीश, वल्लभनगर ने दिनांक 25-3-1992 को संबंधित तहसीलदार व अधिशाषी अधिकारी को जांच कर अतिक्रमण अविलम्ब हटाने के आदेश दिये थे? यदि हां, तो कृपया आदेश, जांच प्रतिवेदन तथा की गई कार्यवाही की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अतिक्रमण को हटा दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं,

(श्री कुबेर सिंह)

तो क्यों ? तथा क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को अभी भी हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त अतिक्रमण अभी तक भी नहीं हटाये जाने के लिये कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । शिकायत पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । आदेश जांच तथा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां । दिनांक 15-12-92 को अतिक्रमण हटा दिया गया है ।

(4) अतिक्रमण हटा दिया गया है तथा दोषी व्यक्ति श्री हरक चन्द डूमेगी ब. लि. नगरपालिका कानोड को निलम्बित कर विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी गई है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1979 में जयपुर शहर में अल्प आय वर्ग के मकानों के लिए रजिस्ट्रेशन

61. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1979 में जयपुर शहर के लिए अल्प आय वर्ग के मकानों के लिए कितने व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था ?

(2) क्या पंजीकरण नं. 69380 से 69400 तक के प्रार्थियों को भवन का आवंटन किया जाकर कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें । यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आवंटियों ने मंजिला मकान नहीं लेकर स्वतंत्र आवासन प्राप्त करने हेतु भी मण्डल को निवेदन किया था ? यदि हां, तो किस-किस ने कब-कब तथा उन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त

नोट :– "सरकार की ओर से 18-9-92 को दिये गये उत्तर को माननीय सदस्य द्वारा गलत बतलाया जाने पर सरकार की ओर गलती को स्वीकार करते हुए सही उत्तर 6-1-93 को भिजवाया गया ।"

(उपरोक्त पाद टिप्पण माननीय अध्यक्ष के पत्रावली पर 25-1-93 को दिये गये आदेशानुसार अंकित किया गया ।)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

प्रार्थियों ने मकान आवंटन से पूर्व की सभी राशि जमा करा दी ? यदि हां, तो राशि जमा हो जाने के बाद भी अभी तक मकान का कब्जा नहीं देने के लिए कौन दोषी है तथा दोषियों के विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त आवेदकों को अब जल्दी ही स्वतंत्र आवास उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979 में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अल्प आय वर्ग में कुल 3993 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया था।

(2) सभी आवेदकों की वरियता निर्धारित की हुई है। मकानों का आवंटन वरियतानुसार किया जाता है। पंजीकरण अवधि चालान संख्यानुसार नहीं किया जाता। अतः पंजीकरण संख्या के आधार पर किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या दो में अंकित तथ्यों के अनुसार सूचना उपलब्ध करवाना सम्भव नहीं है।

(4) उपरोक्तानुसार

(5) उपरोक्तानुसार

आवासन मण्डल द्वारा भरतपुर में उच्च आय वर्ग के आवेदकों से अधिक राशि की वसूली

62. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा भरतपुर में उच्च आय वर्ग के आवेदकों से अधिक राशि वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि दो वर्ष पूर्व निर्मित आवासों को आज तक आवंटित नहीं किया गया है ? क्या बोर्ड की लापरवाही से बढ़ी लागत आवेदकों से वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अलवर व जयपुर में निर्मित उच्च आय वर्ग के आवास की लागत भरतपुर के आवासों से बहुत कम है ? यदि हां, तो अन्य शहरों में निर्मित आवास लागत से तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी नहीं। मकानों का आवंटन पूर्ण निर्मित होने के समय पर नियमानुसार उचित लागत पर किया गया है। मण्डल की स्वयं की कोई पूंजी नहीं है। आवंटियों से वास्तविक लागत यानि कि भूमि एवं विकास लागत वास्तविक निर्माण लागत एवं उपरी व्यय, वसूली की जाती है।

(आवासन मंत्री)

(3) विभिन्न शहरों के आवासों की लागत वहां की तत्कालीन भूमि एवं विकास लागत दर, वास्तविक निर्माण लागत मय उपरी व्यय जोडकर जो निर्मित क्षेत्र के अनुसार बनती हैं वो ही ली जाती है। अलवर, जयपुर, भरतपुर, व अन्य प्रमुख शहरों में निर्मित उच्च आय वर्ग के आवासों की लागत जो वहां की भूमि एवं उपरी व्यय जोडकर ली गयी है, वह स्थानानुसार भिन्न-भिन्न है। लागत में भिन्नता के मुख्य कारण अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग भूमि एवं विकास दर होना, प्लॉट की साइज भिन्न होना, निर्मित क्षेत्र भिन्न होना निर्माण में विशिष्टीकरण पृथक होना, निर्माण समय में भिन्नता होना आदि है। आवास की लागत भिन्न हो जाने की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें।)

जलदाय विभाग नगर खण्ड उदयपुर में धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतें

63. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड उदयपुर के कार्यालय में 1-9-1988 से 31-12-1988 तक की अवधि में लगभग 6.75 लाख रुपयों की राशी का गबन का मामला श्री गोविन्द सिंह पंवार, वरिष्ठ लिपिक का प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो क्या यह गबन की राशि वसूल की जा चुकी है ? अब तक की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस गबन प्रकरण में पर्यवेक्षकीय लापरवाही के दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और यह कार्यवाही किन अधिकारियों के विरुद्ध की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उल्लेखित अवधि में 663053.21 रुपए का गबन प्रकाश में आया था, जिसमें से 9658.20 रु0 की राशि वसूल की जा चुकी है। श्री गोविन्द सिंह पंवार कनिष्ठ लिपिक को निलम्बित किया गया तथा गबन के मामले को रिपोर्ट पुलिस थाना सूरजपोल में दर्ज कराई गई। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है एवं विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(2) प्रकरण में पर्यवेक्षीय लापरवाही हेतु प्रारम्भिक जांच पूर्ण की जाकर सात सहायक अभियंताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रगति में है।

जलदाय विभाग उप खण्ड सवाई माधोपुर को देय पेशगी राशि

64. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर, उप-खण्ड सवाई

(श्री चुन्नीलाल)

माधोपुर को माह अप्रेल, 1991 से मार्च, 1992 तक नियम विरुद्ध अस्थाई पेशगी दी गई ? यदि हां, तो माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त पेशगी को किसी-किस मद पर खर्च किया गया एवं किस-किस फर्म से क्या-क्या कार्य करवाया गया ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित उपखण्ड को उल्लेखित अवधि में अस्थाई पेशगी नियमानुसार दी गई थी जिसका वान्छित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) उपरोक्त राशि का विभिन्न मदों में व्यय, सम्बन्धित कार्यों एवं फर्मों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

जिला अलवर में चिकित्सकों का मुख्यालय पर ठहराव

65. **श्री रमाकान्त (थानागाजी)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर जिले में कितने ऐसे चिकित्सक है और कहां-कहां हैं जो मुख्यालय (पोस्टिंग स्थान) पर नहीं रहते एवं मुख्यालय से रोज अपने निवास स्थान को आते जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कभी-कभी व्यक्तिगत नाराजगी से उपरोक्त चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हैं परन्तु अधिकांश को खुली छूट रहती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस स्थिति में परिवर्तन लाना चाहती है और अब तक के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध, कोई कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में निम्नलिखित चिकित्सकों के विरुद्ध अपने मुख्यालय पर नहीं रहने अथवा रोज निवास स्थान से आते जाते रहने बाबत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई :–

1. डा. मृदुला माथुर, रा. चि. गोविन्दगढ़
2. डा. रमाकान्त शर्मा, प्रा. स्वा. के. उमरेण
3. डा. कमल किशोर वर्मा, प्रा. स्वा. के. खोर
4. डा. पी. एम. गुप्ता, प्रा. स्वा. के. जबराना
5. डा. अरविन्द्र कुमार जैन, अस्पताल भिवाड़ी
6. श्रीमती तनुजा माथुर, रेफ. अस्प. भिवाड़ी
7. श्री बाबू लाल गोठवाल, प्रा. स्वा. केन्द्र, सिघली कंला

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला नागौर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

66. **श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले के किन-किन अस्पतालों में पुरूष डाक्टर, महिला डाक्टर एवं कम्पाउडरों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? सूचीं सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुचेरा (नागौर) में महिला चिकित्सक एवं डाक्टर के पद वर्तमान में रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) क्या सरकार डेगाना में पूर्व में स्वीकृत रेफरल अस्पताल को शीघ्र शुरु करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के अस्पतालों में डाक्टरों एवं कम्पाऊण्डरों के रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुचेरा (नागौर) में महिला चिकित्सक पदस्थापित है तथा केवल मात्र एक व. चि. अधिकारी का पद रिक्त है जिसे शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) डेगाना में रेफरल अस्पताल अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

नर्सिंग स्टाफ की मांगों पर कार्यवाही

67. **श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) :** एवं **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1986 एवं 1988 में नर्सिंग स्टाफ द्वारा हड़ताल की जाने पर मांगों के बाबत समझौता वार्ता हुई थी ? यदि हां, तो समझौतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा समझौते की पालना की गई है ? यदि हां, तो अब क्या कार्यवाही की जानी बाकी रह गई है ?

(3) क्या सरकार समझौते में वर्णित कुछ बातों की पालना नहीं करना चाहती हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो समझौते की पालनार्थ बाकी कार्यवाही कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, समझौते की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, शेष तीन मांगों को क्रियान्विति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

(3) नियमों के अन्तर्गत ही मांगों की क्रियान्विति सम्भव है ।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

जिला भरतपुर के ग्रामों में सम्पर्क सड़क का निर्माण

68. श्री रामप्रसाद (वैर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विश्व बैंक की सहायता से एक हजार की आबादी वाले गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोडा जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो राज्य सरकार को इस कार्य हेतु विश्व बैंक से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

(2) क्या भरतपुर जिले के अन्तर्गत आने वाले गांव भी इस योजना में प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांव हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कृषि विस्तार योजनान्तर्गत एक योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है जिसका वित्तीयन विश्व बैंक द्वारा किया जाना है । इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 13 जिलों में 1972 की जनगणनानुसार 1000 या अधिक जनसंख्या वाले उन गांवों को सड़क से जोडना प्रस्तावित है जो अभी तक किसी भी प्रकार की सड़क से जुडे हुए नहीं है । इस योजनान्तर्गत सड़कों के कार्य करने हेतु विश्व बैंक से अनुबन्ध होना बाकी है अतः कोई धनराशि अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(2) जी हां । इस योजनान्तर्गत प्रथम फेज में भरतपुर जिले के जिन गांवों को सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है उनकी सूची प्रपत्र "क" में संलग्न है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्रामों में सड़क निर्माण

69. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1991-92 में कुल कितनी सड़कों का निर्माण किया गया तथा कितनी सड़कों की मरम्मत की गई ? शेष कितनी सड़कों का निर्माण कार्य विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार इस क्षेत्र की अधूरी सड़कों यथा श्री महावीर जी नागल, टोडाभीम रोड से खिरकडी, बालाजी रोड से सोकर बाड, हिण्डौन रोड से माता सूजा लिंक रोड को पूर्ण करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1991-92 में किये गए सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) अधूरी सड़कों को पूरा करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों व कार्यों की प्राथमिकता के क्रम में वर्तमान में संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

लवण भूखण्डों का नवीनीकरण

70. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार लवण भूखण्डों के लिए खातेदार को स्वयं की खातेदारी की भूमि को रूपान्तरित करवाने पर दस साल के लिए लीज पर उसी खातेदार को दे दी है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उसी खातेदार को जो कि भूमि रूपांतरित करवाकर दस साल लीज पर रखने के बाद लीज को पुनः नवीनीकरण कराने पर दस साल के लिए फिर नवीनीकरण कर दिया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त लवण भूखण्डों के पुनः पट्टाभिलेख नवीनीकरण के लिये राज्य सरकार को लीज समाप्त होने के 90 दिन से पहले नवीनीकरण करवाने हेतु आवेदन किया जाने का नियम है ? यदि हां, तो क्या 90 दिन के बाद कोई भी लीजी आवेदन करे तो नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसे सरकार लीज डीड को दस साल के लिए नवीनीकरण कर दे ?

(4) क्या सरकार नियमों में परिवर्तन कर ऐसी कमी की पूर्ति हेतु नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के कई लवण उद्यमियों द्वारा 90 दिन के तथा लीज अवधि समाप्त होने के पहले लीज नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन कर रखा है ?

(6) क्या राज्य सरकार द्वारा जब तक नियमों में संशोधन नहीं कर दिये जायें तब तक उससे पहले ऐसे समस्त प्रकरणों के निपटारों के लिए प्रशासनिक आधार पर निर्णय लेकर तथा उक्त अवधि को कन्डोन करते हुए लीज डीड्स को नवीनीकरण करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राजस्थान भू राजस्व (लवण क्षेत्र आवंटन) नियम, 1970 में नवीनीकरण आवेदन पत्र लीज समाप्ति के 3 माह पूर्व प्रस्तुत करने पर ही नवीनीकरण प्रकरण पर विचार किया जा सकता

(उद्योग मंत्री)

है। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर नवीनीकरण करने का प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। कुछ उद्यमियों ने नियमों में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण आवेदन किया है।

(6) नियमों में संशोधन किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

इन्द्रगढ़ (बूंदी) में पर्यटक विश्राम गृह की स्थापना

71. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ में बीजासन माताजी, कमलेश्वर महादेव, किला तथा मालादेवी की गुफा पर सैकड़ों यात्री प्रतिदिन दर्शनार्थ आते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थानों पर आवागमन, प्रकाश, सुरक्षा, आवास, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था नहीं होने से पर्यटकों को भारी कठिनाई होती है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, इन्द्रगढ़ में पर्यटक विश्राम भवन बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन स्थलों पर मुख्यतः स्थानीय श्रद्धालु यात्री ही आते हैं।

(2) कमलेश्वर महादेव एवं बीजासन माता स्थानीय महत्व के तीर्थ स्थल है तथा इनकी पानी, प्रकाश, आवागमन, सफाई इत्यादि की व्यवस्था भी स्थानीय स्तर पर ही की जाती है।

(3) वर्तमान में योजना विचाराधीन नहीं है।

अटरू नगर में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

72. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अटरू नगर के पास सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत आवंटित विवादित भूमि पर वन विभाग के कौन-कौन से अधिकारियों द्वारा वहां जाकर पौधे तथा सहयोग दिया गया ? नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि हेतु अदालत में मुकदमा दर्ज है ? यदि हां, तो गलत तरीके से भूमि हथियाने वालों को पौधे लगाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) किसी ने नहीं।

(वन मंत्री)

(2) जी हां। अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला अलवर में अरावली पर्वत शृंखलाओं में वृक्षारोपण

73. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला अलवर में किन-किन स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और वर्ष 1992-93 में कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

(2) जिले में अरावली शृंखलाओं में वृक्षारोपण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। वर्ष 1992-93 में 11.19 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) साहिबी परियोजना में नारायणपुर, खैरथल, थानागाजी, हाजीपुर, मानकोट व जींदोली उप जल ग्रहण क्षेत्रों में भू व जल संरक्षण सहित अरावली शृंखलाओं में राज्य सरकार की ओवरसीज इकोनोमिक को-ओपरेशन फण्ड से पांच वर्षों में 17000 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 75 लाख पौध वितरण की योजना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 74
(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 75
(स्थगित)

जिला घाटोल में पौध रोपण कार्य

76. **श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य में आर. डी. एफ. (वानिकी) द्वारा पौधे लगाये जाकर वन पनपाने की योजना किस वर्ष से चलाई जा रही है?

(2) क्या दक्षिणी राजस्थान के जिला बांसवाड़ा में पौध रोपण कार्य इस योजना में किया गया है? पौध रोपण कितने क्षेत्रफल में किया गया है? गत पांच वर्षों में घाटोल निर्वाचन क्षेत्र में किये गये पौध रोपण का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक प्लान्टेशन में किस-किस किस्म के पौधे लगाये गये हैं? वर्तमान में पौधों की स्थिति क्या है?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में आर. डी. एफ. द्वारा पौधे लगाये जाकर वन पनपाने की योजना 1956 से चलाई जा रही है।

(वन मन्त्री)

(2) जी हां। गत वर्ष 3277 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। गत पांच वर्षों में घाटोल निर्वाचन क्षेत्र में कराये गये पौधारोपण की सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कृषि उपज मंडी समिति कोटा में अनियमितताओं की शिकायतें

77. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर द्वारा दिनांक 17-8-1990 से 19-8-1990 तक कृषि उपज मण्डी समिति कोटा में गबन के सम्बन्ध में क्या कोई जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या विभाग दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखता है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) जांच रिपोर्ट में तत्कालीन सचिव, लेखाकार एवं रोकड़िये को अनियमितताओं के लिये दोषी पाया गया है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

जांच रिपोर्ट से संबंधित दो बिन्दुओं पर पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

(3) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव

78. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव कब तक कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा की बैठकों एवं विधान सभा के बाहर सरकार ने कितनी बार चुनाव कराने का वचन दिया है?

उत्तर

(1) पंचायत राज संस्थाओं एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव सम्पूर्ण होने के बाद ही कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव सम्पन्न हो सकेंगे।

(कृषि मन्त्री)

(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण 1990 एवं कृषि मंत्री महोदय द्वारा विभाग से सम्बन्धित मांगों पर चर्चा के दौरान बजट सत्र, 1990 में मण्डी समितियों के चुनाव कराने की घोषणा की थी विधान सभा के बाहर कितनी बार चुनाव कराने के आश्वासान दिये गये, इसका विवरण उपलब्ध नहीं है ।

कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी द्वारा धान आवक सूचना

79. **श्री घासी लाल** (टोडारायसिंह) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति बूंदी द्वारा विभिन्न किस्मों के धान की आवक सम्बन्धी साप्ताहिक सूचना जिला रसद अधिकारी बूंदी को भेजी जाती है ? यदि हां, तो नवम्बर, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक की अवधि में भेजी गई सूचना की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अवधि में नियमित आवक सूचना नहीं भेजने के क्या कारण रहे हैं तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, बूंदी द्वारा जिला रसद अधिकारी, बूंदी को माह नवम्बर, 1991 से माह मार्च, 1992 तक धान की आवक सम्बन्धी भेजी गई साप्ताहिक सूचना की प्रतियां संलग्न हैं ।

(2) उक्त अवधि में कुछ साप्ताहिक सूचना आवक की अधिकता के कारण नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी, बूंदी को समय पर नहीं भेजी जा सकी । इसके लिये जिम्मेदार तय करने हेतु जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

कस्बे मुबारिकपुर में जी. एस. एस. सब स्टेशन की स्थापना

80. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के कस्बे मुबारिकपुर में 33 जी. एस. एस. (सब स्टेशन) बन रहा है ? यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होगा, कितना कार्य हो चुका है एवं कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) इस सब स्टेशन को कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

(3) इस सब स्टेशन के बनने क्षेत्र के किन-किन ग्रामों को इससे लाभान्वित किया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। अलवर जिले के मुबारिकपुर कस्बे में 33 के. वी. लाइन रामगढ़ से मुबारिकपुर एवं 33 के. वी. सब स्टेशन मुबारिकपुर बनाना प्रस्तावित था। रामगढ़ मुबारिकपुर 33 के. वी. लाईन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ट्रान्सफार्मर लगाने के अतिरिक्त मुबारिकपुर 33 के. वी सब-स्टेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इस सब-स्टेशन के निर्माण में स्वीकृत योजना के अनुसार 9.48 लाख रुपये व्यय होना प्रस्तावित है। उक्त सब-स्टेशन के अब तक किये गये कार्य में लगभग 3.50 लाख रुपये व्यय हो चुका है।

(2) 33 के. वी. सब-स्टेशन मुबारिकपुर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है केवल 1.6 एम. वी. ए. क्षमता का पावर ट्रान्सफार्मर लगाना शेष है जिसके उपलब्ध होते ही लगा दिया जायेगा। इस सब-स्टेशन को इसी वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जायेगा।

(3) उक्त सब-स्टेशन के बनने से संलग्न सूची के अनुसार लगभग 35 गांवों को विद्युत आपूर्ति से लाभान्वित किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

जयपुर में रिहायशी मकानों से खींची गई विद्युत लाइनों का सर्वे

81. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भवनों के ऊपर व बगल से जा रहे उच्च एवं न्यून वोल्टेज के बिजली के तारों की भवन की छत अथवा दीवार से दूरी रखने के क्या मापदण्ड है ?

(2) क्या जयपुर में ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया गया है जिससे मापदण्डों के उल्लंघन की व्यवस्था हो ? यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ?

(4) राज्य में बिजली के तारों से पिछले तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं व मृत्यु का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवनों के ऊपर व बगल से जा रहे उच्च दाब प्रभाव व निम्न दाब प्रभाव वोल्टेज के बिजली के तारों (कण्डक्टर) की भवन के ऊपर अथवा दीवार से दूरी रखने के मापदण्ड विद्युत प्रदाय नियम, 1956 के नियम 79 व 80 में निर्धारित हैं तथा विद्युत मण्डल द्वारा उसी अनुसार लाइनें खेंची जाती हैं।

(2) जी नहीं, जयपुर शहर में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है, लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि शहर में विद्युत मण्डल की जो लाइनें पूर्व से ही खींची

(ऊर्जा मंत्री)

हुई हैं उनके नीचे व बगल में कई व्यक्तियों ने उक्त मापदण्डों का उल्लंघन करते हुए निर्माण करा लिया है। उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने पर सम्बंधित व्यक्ति को भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अनुसार नोटिस दिया जाता है। यदि तकनीकी दृष्टि से साध्य हो तो सम्बंधित व्यक्ति/व्यक्तियों के खर्चे पर विद्युत मण्डल द्वारा ऐसी लाइनों को शिफ्ट कर दिया जाता है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार के सर्वेक्षण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लेकिन समय-समय पर जनता को अखबार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भवन निर्माण के समय विद्युत लाइनों के नीचे अथवा बगल में दूरी भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार रखी जाये।

(4) राज्य में बिजली के तारों से हुई जनता के व्यक्तियों की दुर्घटनाओं के बारे में पूर्ण सूचना तो विद्युत मण्डल में उपलब्ध नहीं है तथापि विभिन्न वृत्तों से प्राप्त जानकारी संकलित कर गत तीन वर्षों में हुई दुर्घटनाओं के उपलब्ध जिलेवार आंकड़े परिशिष्ट "अ" में संलग्न हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 82

(स्थगित)

च्याकन मध्यम बांध परियोजना

83. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ में च्याकन मध्यम बांध परियोजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो जनहित में उक्त परियोजना को तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होते हुए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं करने के क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार जनहित में उक्त योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए भेजी गई है। इस योजना के डूब क्षेत्र में 289 हैक्टर वन भूमि आती है। डूब भूमि की वन विभाग में स्वीकृति के प्रस्ताव भी केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग को भेज दिये गये है। स्वीकृति अपेक्षित है।

(2) राज्य सरकार इस परियोजना की स्वीकृति हेतु पूर्व में ही प्रस्ताव भारत सरकार को भेज चुकी है। किन्तु केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदन एवं योजना आयोग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही वित्तीय ससाधनों की उपलब्धि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया में राहत कार्य

84. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में वर्ष 1992-93 में अकाल राहत के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कहां-कहां कितनी कितनी लागत का कब-कब स्वीकृत किया गया ? कृपया कार्य का नाम, स्वीकृत राशि स्थान का नाम, तहसील सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत कार्यों में पूर्व में अपूर्ण कार्यों को स्वीकृत किया गया या नए कर्यों को ही स्वीकृति दी गई ? अपूर्ण कार्यों एवं नये कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदी हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 92-93 में जवाहर रोजगार योजना द्वितीय के अन्तर्गत स्वीकृत राहत कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) नया कार्य कोई भी स्वीकृत नहीं किया गया है। पूर्व में राहत कार्य जो अपूर्ण रहे उन्हें प्राथमिकता दी गई हैं। स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ठ-1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जब भी राहत कार्य स्वीकृत किये जावेगें, अपूर्ण राहत कार्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

तहसील सुजानगढ़ में राहत कार्य

85. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू की तहसील सुजानगढ़ में इस वर्ष कितने तथा कौन-कौन से विभागों द्वारा अकाल राहत कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कार्यों में कितने चालू हुए तथा कितने नहीं ? चालू नहीं होने के क्या कारण थे ? अभावग्रस्त गांवों में कार्य प्रारम्भ नहीं होने से अकाल पीड़ित लोगों को हुई परेशानी का जिम्मेवार कौन अधिकारी है तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत कार्यों का आज तक भी पूर्ण भुगतान सामग्री सहित नहीं होने के क्या कारण हैं ? अब कब तक भुगतान करा दिया जायेगा।

(4) क्या यह सही है कि 31-8-1992 तक कई कार्यों का मस्ट्रोल का भुगतान मजदूरों को एक रुपया भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कौन से

(श्री भंवरलाल)

कार्य हैं तथा कौन से गांव ? सूची सदन की मेज पर रखें तथा भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जिला चूरू की तहसील सुजानगढ में इस वर्ष जवाहर रोजगार योजना द्वितीय के अन्तर्गत विभागवार स्वीकृत किये गये राहत कार्यो की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

(2) कुल 708 स्वीकृत कार्यों में से 505 कार्य शुरू हुये। 203 कार्य शुरू नहीं हुए। 203 कार्यों में व्यक्तिगत लाभ के 79 कुण्ड और 40 कूऐं थे। 84 कार्य पंचायत समिति के माध्यम से किये जाने थे। व्यक्तिगत लाभ के कार्य कुण्ड एवं कुएं के सम्पादन की जिम्मेदारी कृषक की होती है। अतः यह कार्य मुख्यतः कृषकों के व्यक्तिगत कारणों से आरम्भ नहीं हो सके।

इसके अतिरिक्त निर्माण स्थान पर विवाद उत्पन्न होने व कुछ स्थानों पर सामग्री उपलब्ध नहीं होने, ग्राम सेवकों की संख्या कम होने एव निर्माण कार्य के लिये पानी पर्याप्त उपलब्ध न होने के कारण कुछ निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जा सके।

(3) अकाल राहत में स्वीकृत कार्यों के श्रम एवं सामग्री मद के अधिकतर भाग का भुगतान कर दिया गया है। अंतिम भुगतान के लिये कार्य का पूर्ण लेखा जोखा तैयार कराने, मूल्यांकन पुस्तिका भरने तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। अब शेष रहे भुगतान का कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही कर दिया जायेगा।

(4) पंचायत समिति/तहसील क्षेत्र सुजानगढ़ में ऐसे 33 कूप निर्माण के कार्य हैं जिनका भुगतान 31-8-92 तक नहीं किया जा सका। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ब") भुगतान नहीं होने का कारण यह है कि संबंधित कृषकों द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार निर्माण कार्य नहीं कराया गया है तथा भुगतान हेतु जो मस्ट्रोल प्राप्त हुये हैं, उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

अर्जुनपुर-फटुकड़ा के समीप एनीकट निर्माण

86. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या जनजाति और क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :—

क्या बून्दी जिले में अर्जुनपुरा फटुकड़ा के समीप एनीकट निर्माण करवाया जाना है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

बूंदी जिले में अर्जुनपुरा फटुकड़ा के समीप एनीकट निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है जिसके निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभि-

(जनजाति और क्षेत्रिय विकास मंत्री)

करण, बून्दी से प्राप्त हुए थे। प्रस्ताव अपूर्ण होने से कुछ सूचनायें अभिकरण से चाही गई थी जो अभी तक अपेक्षित है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर एवं प्रस्ताव उपयुक्त पाये जाने पर एनीकट निर्माण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

विद्यालय विहीन ग्राम

87. **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

प्रान्त में कितने गांव हैं, जहां प्राथमिक शाला नहीं है ? वहां कब तक प्राथमिक शाला शुरू हो जायेगी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

प्रान्त में कुल आबाद गांव 3,496 है इनमें 26,772 प्राथमिक शालायें चल रही हैं। राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के अधीन सामान्य जिलों में प्रत्येक 250 जनसंख्या वाले एवं रेगिस्तानी एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 150 की जनसंख्या वाले ग्रामों में स्कूल खोलने का प्रावधान है और ऐसी सभी जगह इस वर्ष स्कूल खोल दिये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 88

(स्थगित)

विधा समान क्षेत्र डेगाना ; में नई ग्राम पंचायतों की स्थापना

89. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायतोंके नये पुनर्गठन में नागौर जिले के डेगाना विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी ग्राम पंचायतें एवं कितनी पंचायत समितियां बनाई जानी प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नागौर जिले के डेगाना विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में कार्यरत तथा पंचायतों के पुनर्गठन के फलस्वरूप गठित, (पुनर्गठित तथा पुनर्सीमांकित पंचायतों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।) पंचायत समितियों का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील अटरू के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

90. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) अटरू तहसील के कितने व किन-किन पूर्व सरपंचों के खिलाफ गबन के आरोप ऑडिट आक्षेपों द्वारा लगाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक उक्त पूर्व सरपंचों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जिन सरपंचों पर गबन व पद के दुरुपयोग के आरोप सिद्ध हो गये

(श्री मदन दिलावर)

हैं क्या उनको चुनाव के अयोग्य घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या तहसील अटरू के कुछ भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध सरकार ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया हुआ है ? यदि हां, तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाये जाने के क्या कारण है ?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंचों के खिलाफ जांच एस. डी. ओ. छबड़ा (बारां) को दे रखी थी ? यदि हां, तो कब, तथा जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी दी गई है ।

(2) विकास अधिकारी, पंचायत समिति अटरू द्वारा गबनकर्ता सरपंचों को गबन की राशि जमा कराने के लिये रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये हैं । कलक्टर से आरोप पत्र मांगे जा रहे है ।

(3) राज्य सरकार ने उक्त 15 पूर्व सरपंचों के विरूद्ध एम. आई. आर. दर्ज कराने का कोई आदेश नहीं दिया था । इनके अतिरिक्त पूर्व सरपंच के विरूद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवायी जा चुकी है तथा एक पूर्व सरपंच के विरूद्ध करवाई जा रही है ।

(4) उप जिला कलक्टर, छबड़ा को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित विभागीय जांचों की सूची मय विवरण सदन की पटल पर रख दी गयी है । जांच अधिकारी से कोई भी विभागीय जांच पूर्ण होकर राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुयी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

ओसियां रायल्टी की वसूली का ठेका

91. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ओसियां, जिला जोधपुर में रॉयल्टी कलेक्शन का ठेका किनके नाम, कितनी राशि में तथा कितनी अवधि के लिये वर्तमान में किया हुआ है ? इससे पूर्व गत 4 वर्षों में रॉयल्टी से कितनी आय होती रही हैं ?

(2) यदि यह ठेका सीधे ही दो वर्षों के लिये दिया गया है, तो क्या इसे प्रति वर्ष अलग-अलग दिया जाना राज्यहित में नहीं था ?

(3) दो वर्षों के लिए ठेका दिये जाने का क्या औचित्य हैं ?

(4) क्या ओसियां में कार्य आर. सी. आर. एल. 5 क्वारी आवंटित है ? यदि हां, तो इनकी संख्या नवम्बरवार आवटियों के नाम सहित बतावें ? यदि नहीं, तो फिर रॉयल्टी का ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(49)

उत्तर

(1) ओसियां जिला-जोधपुर में पट्टी कातला व मेसेनरी स्टोन पर रॉयल्टी वसूली का ठेका वर्तमान में श्री संग्रामसिंह पुत्र श्री रतनसिंह भाटी निवासी ओसिया के पक्ष में 91,200/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से अवधि 1/4/92 से 31/3/94 तक (दो वर्ष) स्वीकृत है। इससे पूर्व इस क्षेत्र में पिछले 4 वर्ष से ठेके द्वारा रॉयल्टी की आय संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार प्राप्त हुई है।

(2) जी हां। यह ठेका नियमानुसार दो वर्ष के लिये दिया गया। विभाग की राय में ठेका प्रतिवर्ष अलग-अलग दिया जाना राज्यहित में नहीं था।

(3) नियमानुसार ठेका दो वर्ष के लिये दिया जा सकता है। ठेकेदार को रॉयल्टी वसूली हेतु अपने स्तर से व्यवस्था भी करनी होती है। इसलिये कम अवधि का ठेका देना उचित प्रतीत नहीं होता।

(4) जी नहीं। ओसियां तहसील में विशेष खनन गतिविधियां नहीं होने से वहां के खनन मजदूरों द्वारा आर. सी. आर. एल. नहीं लिए गए, अतः राजस्व हानि से बचने के लिए वर्ष 1960 से ही अधिशुल्क वसूली का ठेका दिया जाता रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

समिति का गठन

अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1990 पर प्रवर समिति का गठन

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि अपराधी परिवीक्षा (राजस्थान संशोधन,) विधेयक, 1990 पर गठित प्रवर समिति में निम्नांकित सदस्यों को मनोनीत किया गया है :— श्री कुन्दनलाल मिगलानी, मंत्री, पदेन सभापति, श्री परसराम मदेरणा, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री रमाकान्त, श्री सम्पतसिंह, श्री कन्हैयालाल मीणा, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री टीकमचन्द कान्त, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्री रामसिंह विश्नोई। प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में सदन में प्रस्तुत करेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री लक्ष्मीकांत व 6 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री रूपसिंह आत्मज केशरसिंह राजपूत एवं श्रीमती मोहन कंवर, धर्म पत्नी श्री रूपसिंह राजपूत, निवासी दौलाजी का खेड़ा, पुलिस स्टेशन दवेर, जिला राजसमन्द की हत्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिसिंह महुवा व श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 1 अगस्त, 1992 को लिवाली से

(श्री अध्यक्ष)

गंगापुर सिटी जाती बस की सभी सवारियों को बामनवास में असामाजिक तत्वों द्वारा उतार कर मारपीट करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में डकैती, लूट व मारपीट की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री मनीराम सियाग, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील की भूमि का रि-सेटलमेंट विगत 30 वर्षों से न करने से स्थिति के संबंध में।

(5) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में पौंग डेम के विस्थापितों को इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में भूमि आवंटन में हुई अनियमितताओं के संबंध में।

(6) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली में चोरी, तस्करी, हत्या व अपहरण की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री मोहनलाल चित्तौड़िया, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में अतिवृष्टि से काश्तकारों की सिंचाई व्यवस्था गड़बड़ाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री मोहनलाल चौहान व 4 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर में वर्षा के कारण ट्रान्सफारमर्स के जलने के कारण काश्तकारों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित और स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(9) श्री रामस्वरूप मीणा व 10 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से एक वर्ष में दो बार विद्युत की दरें बढ़ाने से किसानों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामकरण चौधरी व 7 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश के किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामेश्वर दयाल यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा बिजली की दरों में की गयी भारी वृद्धि से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(12) डा. चन्द्रभान और श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्र सरकार की घोषणानुसार पैट्रोल, डीजल एवं कैरोसीन के मूल्यों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। इनके संबंध में सदन में होने वाली चर्चा में मा. सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है :—

(1) श्री नत्थी सिंह व 2 अन्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा हाल ही में कृषि, घरेलू एवं औद्योगिक विद्युत दरों में की गयी वृद्धि से गरीब किसानों एवं आम जनता पर बढ़े भार से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री जगन्नाथ पहाड़िया व 12 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में पंचायत चुनावों की बार-बार घोषणा करने के बावजूद सरकार द्वारा चुनाव कराने में किये जा रहे विलम्ब से पंचायती राज की अव्यवस्था होने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। सदन में इन विषयों पर चर्चा के समय माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी।

(3) प्रो. केदारनाथ शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से इस वर्ष मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य के कई शहरों में जान व माल की काफी क्षति होने तथा हजारों गरीब परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो जाने और राज्य सरकार द्वारा समय पर सहायता उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई जिससे बाढ़ की सी स्थिति पैदा हुई। यह स्थिति पाली, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, सिरोही, जलौर अजमेर व टोंक जिलों के कुछ हिस्सों में हुई। भारी वर्षा के कारण कमजोर लोगों को कठिनाई हुई तथा कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ। सभी जिलों को पूर्व में ही तत्काल राहत के लिए प्रति जिले 10,000 रुपये की राशि आवंटित की गयी थी तथा तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जिला कलक्टरों, अजमेर, चित्तौड़गढ़, पाली, टोंक को क्रमशः 10.00 लाख रुपये, 2.50 लाख रुपये, 5.00 लाख रुपये व 8.00 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई। बाढ़ से नुकसान होने पर सहायता राशि जो पूर्व में देय थी, उसमें आदेश दिनांक 26-8-92 द्वारा वृद्धि की गई है। यह आदेश 15-7-92 से लागू किये हैं।

संबंधित जिला प्रशासन द्वारा ऐसे हालात पैदा होने पर बचाव कार्य किये गये हैं तथा राहत भी उपलब्ध कराई गई है। माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय राहत मंत्रीजी ने संबंधित जिले, अजमेर, 'जालौर, पाली आदि का मौके पर जायजा लिया तथा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया।

(श्री अध्यक्ष)

जिला प्रशासन व्यापक स्तर पर नुकसान का जायजा संबंधित क्षेत्रों का लिया जा रहा है।

यह स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत कार्य शुरू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुलाम मुस्तुफा खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्राप्त ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यार्थियों के लिए विभिन्न सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत बोनस अंक नियत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में 1987-88 में पड़े भयंकर अकाल के समय मेवाड़ सहायता समिति, उदयपुर द्वारा अकाल राहत के नाम पर कथित भ्रष्टाचार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली में गत दिनों सरकार द्वारा लगाये गये समस्या समाधान शिविरों में लिये गये निर्णयों को कार्यान्वित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में डीजल व पैट्रोल की समुचित वितरण व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले के बालिका विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के अभाव एवं कतिपय सड़कों के निर्माण को अविलम्ब करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री बालचन्द आर्यवीर, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी व अन्य विद्यालयों में अध्यापकों के अभाव के सम्बन्ध में।

(10) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमावर्ती जिले जैसलमेर के नागरिकों यथा—अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्रीमती सुचित्रा आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से नोहर तहसील के गोगामेड़ी पशु मेले में पशुपालन अधिकारी द्वारा कथित अनियमितताएं किये जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(12) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले में खराब होती जा रही चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निर्वाचित क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के मानपुरा कलां से साइवाड़, साइवाड़ से सांयपुरा सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर की वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों, नालियों आदि की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढने की अनुमति होगी।

मेरे पास 2 माननीय सदस्यों ने सूचना भेजी है, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिये ... (व्यवधान)....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये पहले। मैं बुला रहा हूं....

श्री रतनाराम चौधरी : मेरा तो इस लिस्ट में नाम भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बोलिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संगणक के पदों के लिए गत वर्ष 29-12-91 को हुई परीक्षा की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस परीक्षा में राजस्थान राज्य के करीब 14,500 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। आज 8 माह बीतजाने के बाद भी उक्त परीक्षा का परीणाम जारी नहीं किया गया और उसमें बड़े पैमाने पर नकल होने, अनियमितताएं होने और प्रश्न पत्र सोल्व करके उसकी फोटो स्टेट कॉपियां अन्दर परीक्षा स्थल में पहुंचाने की अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं है, इस सम्बन्ध में 24 अगस्त, 92 को श्रीमान् निदेशक महोदय ने एक पत्र लिखा और एक आदेश निकाला। मैं आपके माध्यम से उस पत्र के कुछ अंश पढना चाहता हूं। 24 अगस्त के उस पत्र में आदेश क्रमांक सी/1294/बीए/डीएएम/92 द्वारा....

श्री अध्यक्ष : अब आपका यह तो हो गया। आपने सरकार का ध्यान जिस समस्या की ओर दिलाना था, दिला दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड । मैं यह कहना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : आप पूरा भाषण थोड़े ही देंगे ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : भाषण नहीं दे रहा हूं । मैं यह कहना चाहता हूं, उन्होंने स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि इसमें अनियमितता हुई है ।

श्री अध्यक्ष : हो गया । डा. चन्द्रभान ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने तीन अधिकारियों की एक समिति बनायी....

श्री अध्यक्ष : हो गया । विराजिये, मान लीजिये । डा. चन्द्रभान क्या सूचना देना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : और 50-50 कापियां रेण्डम के आधार पर मंगायी लेकिन आज तक वह कापियां नहीं भेजी गयीं ।

श्री अध्यक्ष : हो गया सरकार का ध्यान आकर्षित ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह परीक्षा परीणाम रुका हुआ है । मैं जानना चाहता हूं, इसमें एक यह भी लिखा है कि परीक्षा परिणाम इसलिए नहीं निकाल रहा मंत्रीजी ने भी 16 लोगों के नाम दिये है कि हैं...

श्री अध्यक्ष : परीक्षा परिणाम में मंत्रीजी क्या कर सकते हैं ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कि कैसे भी एडजस्ट करके इनको सम्मिलित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, डा. चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी मिली है जो मैं आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं । सरकार के एक मंत्री ने न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया बल्कि उन्होंने राज्य कार्य में बाधा डाली और वह मंत्री और कोई नहीं बल्कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य और राज्य के मछली पालन मंत्री श्री रमजान खां है ।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये । देखिये, यह अखबारों में पढ़ी हुई खबर है । आपको पता है क्या ?

डा. चन्द्रभान : ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आपने जानकारी की है इसकी ?

डा. चन्द्रभान : अखबारों के माध्यम से नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपने व्यक्तिगत जानकारी की है ?

डा. चन्द्रमान : हां, मेरे पास अजमेर के दो लोग आये थे।

श्री अध्यक्ष : तो आप इसको विधिवत् उठाइये। नहीं, विधिवत् उठाइये, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अखबारों में जो चीज आ चुकी है उसको आप यहां कैसे उठा रहे हैं ?

डा. चन्द्रमान : मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो आप विधिवत् उठाइये। नहीं इसको मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप इस सम्बन्ध में जो भी उठाना चाहते हैं, विधिवत् उठाइये। इस तरह से नहीं। यह तरीका गलत है। श्री केदारनाथजी। आप विराजिये मेरे पास नोटिस आये हैं, मैं नाम बोल रहा हूं।

डा. चन्द्रमान : इसमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथजी, बोलिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा कल मोशन आपको मिल गया···

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये, एक मिनट पहले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपने मेशन नहीं किया उसको, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, मैं बोल रहा हूं अभी सबके नाम जिनके मेरे पास लिखित में आये हैं। आप बैठिये ना, तो। आप बिराजिये, पहले इनको बोलने दीजिये।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्षजी, मैं एक बड़े सीरियस मैटर की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्य मंत्री बड़े विजीलेंट हैं सीमाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये। 89 में एक पंजाब एक्शन प्लान के नाम से बार्डर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये बनाया गया था और उस पंजाब बोर्डर प्लान में सारा हमारा जिला गंगानगर है खाजूवाला तक। बीकानेर और गंगानगर जिले को उसमें कवर अप किया गया। हमारे लिये 9 करोड़ रुपये एलोकेट किये। सेण्ट्रल गवर्नमेंट उस समय केवल 50 लाख रिलीज कर पायी बाकी पैसा हमारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट में पड़ा रहा, क्लियर हुआ नहीं। उस 50 लाख से वायरलैस सैट खरीदे गये और वहां एस्टेब्लिश कर दिये गये। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं, अध्यक्षजी, कि बार्डर पर, सीमाओं पर फ्लड लाइट्स का इन्तजाम किया गया, वायरलैस फिक्स कर दिये गये, चौकियां बढ़ा दी गयीं और काफी सोफिस्टीकेटेड आर्म्स और व्हीकल्स सप्लाई किये गये। इसमें कोई शक नहीं। मगर राजस्थान में जैसलमेर, बार्डर और बाड़मेर का इलाका, केवल कुछ इलाके में वायरिंग हुई, सुनो भाई, बहुत बड़ी, इम्पार्टेण्ट चीज है, कुछ इलाके में, तो तारबंदी की गयी मगर जब से बाम्बे में लालसिंह एक मिलीटेंट, जो कनाडा में रहता था, जो पाकिस्तान से आर्म्स स्मगल करके गुजरात और राजस्थान में लाता रहा,

(श्री केदारनाथ शर्मा)

उसने वहां पर कुछ लोग इन्फार्मर्स के रूप में जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके में इकट्ठे किये, उनको ट्रेण्ड किया, मोबिलाइज किया, पैसा दिया, ब्रेन वाश किया और वहां वह धन्धा चलता रहा, उसके पकड़ने के बाद मालूम पड़ा कि बाड़मेर, जैसलमेर का बार्डर काफी पोरस है, काफी वलनरेबल है और पाकिस्तान का जो इन्टर सर्विसेज इन्टेलीजेंस है उसने इसको इस्तेमाल करके गुजरात और राजस्थान में आर्म्स स्मगल करना शुरू कर दिया। यह ठीक है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने गुजरात के साथ मिलकर एक जोइन्ट एक्शन प्लान बनाने की सोची, 32 करोड़ रुपया आपने इसके लिये मांगा है, सेण्टर से। यह अच्छा किया आपने 5 करोड़ अपने ओन रिसोर्सेज से इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया। आप सेण्टर के पास भी गये। मुझे यही आपसे पूछना है कि इस सिलसिले में कितने लोग गिरफ्तार किये? क्या कुछ बी. एस. एफ. के आफिशियल्स भी शामिल हैं? क्या पुलिस के भी शामिल हैं? अगर यह शामिल हैं तो हमारे लिये बहुत बड़ी सीरियस कन्सर्न है कि बी. एस. एफ. जो वहां इन्तजाम करता है बार्डर पर, अगर उसके कुछ आफिशियल्स भी शामिल हैं और उनकी मार्फत आर्म्स का स्मगलिंग होता है और देश की सिक्योरिटी को खतरा है तो बहुत सीरियस मैटर है। इसकी ओर मैं आपकी मार्फत मौजूदा सरकार से मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद! श्री हेतराम जी, मैं बोल रहा हूं ना।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय मैं गंगानगर जिले की एक बहुत ही गम्भीर स्थिति के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वह विद्यार्थियों के क्षेत्र में है। वहां आई टी आई के छात्रों की दो संस्थाएं हैं, एक गंगानगर में और एक अनूपगढ़ में। दोनों के छात्र तीन तारीख से हड़ताल पर हैं। सिर्फ हड़ताल पर नहीं है, इसी 26 सितम्बर से उनके इम्तिहान होने जा रहे हैं, टोटल छात्रों ने बायकाट कर दिया है। किसी ने फार्म नहीं भरा, 600 छात्रों ने। 600 छात्रों ने सारे गंगानगर जिले की छात्र संस्थाओं से सम्पर्क करके पूरी तरह से सारे जिले में शिक्षण संस्थाओं में संघर्ष करने का ऐलान किया है। उनकी मुख्य समस्या, अध्यक्षजी, यह है कि उनको एन सी बी टी का जो सर्टिफिकेट है, जो दो तरह की शिक्षण संस्थाओं में इश्य होता है, एक होता है राजस्थान स्टेट की तरफ से वोकेशनल ट्रेनिंग का और एक होता है नेशनल ट्रेनिंग का जो दिल्ली की तरफ से होता है, राजस्थान में सिर्फ गंगानगर जिला ऐसा बदकिस्मत जिला है जिसकी दोनों संस्थाओं को यह सर्टिफिकट....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। आपने सूचना दे दी।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं समस्या तो बता दूं।

श्री अध्यक्ष : आपने, देखिये, तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी आप

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बात तो सुन लीजियें। हड़ताल की बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल में इससे ज्यादा भाषण अलाउ नहीं है। श्री रतनारामजी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्षजी, मेरी एक मिनिट बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मुझे कई लोगों को सुनना है। अब आप प्लीज, कुछ तो रेस्ट्रन्ट रखिये। मैंने आपको मौका दे दिया, आपने सूचना दे दी। अब श्री रतनारामजी। माननीय अन्य सदस्यों को भी पूछना है। हां, बोलिये रतनाराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं....

श्री रतनाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा यह निवेदन है, आपके द्वारा गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में रानीवाड़ा के पास में अभी जो नौ किलोमीटर पर एक पुलिस थाना खोला है, जनता और पुलिस विभाग की यह डिमाण्ड है कि उसको मालवाड़ा में न खोलकरकरड़ा में खोला जाय। मालवाड़ा में खोलने से आखिरी जो गांव है ...

श्री अध्यक्ष : यह कल आपके लक्ष्मीचंदजी ने 295 पर....

श्री रतना राम चौधरी : इसमें कोई चर्चा नहीं हुई थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है।

श्री अध्यक्ष : हो गया। 295 में लक्ष्मीचंदजी ने उठा दिया कल।

श्री रतना राम चौधरी : उसमें 75 किलोमीटर पर लास्ट में एक गांव है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मामला उठ चुका है उसका जवाब आ जायगा। कमलेन्द्रसिहजी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री रतनाराम चौधरी : मैं एक मिनट में पूरा कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, हो गया।

श्री रतनाराम चौधरी : वास्तविक स्थिति से मैं मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं। इसलिए कृपा कर मालवाड़ा में खोला गया पुलिस थाना करड़ा में स्थापित करवाने की कृपा करें। जिससे जनता की मांग भी पूरी हो जायेगी और कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस को सहूलियत रहेगी और सेन्टर में करड़ा होने से....

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ना, वह नहीं रुकेंगे।

श्री रतनाराम चौधरी : लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय केदारजी ने जो स्मगलिंग के बारे में कहा उस पर काल अटेन्शन मोशन मैंने लगा रखा है, सरकार का जवाब अभी तक नहीं आया इसलिए लगा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह जवाब आते ही करूंगा मैं। हां, बोलिये, आप क्या कहना चाहते हैं ?....(व्यवधान) टाइम पर नहीं आयेगा तो मैं डिसाइड करूंगा। अब आपको पहले ही बता दूं।

श्री नत्थीसिंह : सरकार कह रही है कुछ। सरकार कुछ कहने जा रही है।

श्री अध्यक्ष : पहले इनके वह बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सीमा सुरक्षा के सबंध में जो चर्चा यहां उठाई उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा यदि आपकी अनुमति हो तो। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पंजाब में सीमा पर ज्यों ही सेना ने अपना कार्य आरम्भ किया तो आतंकवादियों ने दूसरे रास्ते ढूंढने का प्रयत्न किया। साथ ही उन्होंने अपनी गतिविधियां भी दूसरे क्षेत्रों में किस प्रकार बढ़ाई जाय, इसकी योजना बनाई और पंजाब में ही नहीं, कई अन्य राज्यों में अपनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ायीं। पिछले दिनों जिस मामले का उल्लेख श्री प्रोफेसर केदारनाथजी ने किया, यह सही है कि उस मामले के पश्चात् कई प्रकार के रहस्य प्रकट हुये हैं। उसकी जानकारी मिलने पर मैं स्वयं जैसलमेर और बाड़मेर गया हूं, बी. एस. एफ. को लेकर पूरी सीमा का मैंने प्रवास भी किया है और सारी जानकारी के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज तक चाहे हथियारों की स्मगलिंग हो, चाहे गांजा, अफीम, चरस, हैरोइन की स्मगलिंग हो... चाहे सोना और चांदी की स्मगलिंग हो। यह सारी स्मगलिंग केवल स्मगलर्स करते हैं।

यह सही हो सकता है कि स्मगलर्स की सांठ-गांठ कहीं पाकिस्तान के अधिकारियों से व्यक्तिशः रही हो लेकिन यह सारा धंधा स्मगलर्स के हाथ में था। जब से सिंध प्रान्त में पकिस्तान ने सेनाएं भेजी और सिंध की कल्चर पर अतिक्रमण करने और सिंध में जिस प्रकार की स्वतंत्रता है, उसका हनन करने की दृष्टि से सेना ने वहां अपनी गतिविधियां बढ़ायी इसके पश्चात् सेना के प्रभाव से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बन गई कि स्मगलर्स और सेना, इन दोनों में एक प्रकार से समझौता हुआ। समझौता दबाव से हुआ या किसी प्रकार से, मैं कह नहीं सकता लेकिन उस समझौते के कारण अब पकिस्तान से जिस माल का स्मगलिंग होता है, वह बिना सेना की अनुमति से नहीं। सेना ही व्यवस्था इस बात की कर रही है कि किस समय, किस रास्ते से यह माल हिन्दुस्तान में पार किया जाये। गुजरात बार्डर से, राजस्थान के बार्डर से और पंजाब के बार्डर से, किस प्रकार से कौनसे रास्ते से किन प्रकार के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पाइण्ट से इस माल का स्मगलिंग हिन्दुस्तान में किया जाये। जहां तक ड्रग्स का क्वेश्चन है, वह ड्रग्स अधिकांशतः हिन्दुस्तान में ही इनकी खपत नहीं होती है; यह विदेशों में जाते है और जिस-जिस देश में भी हेरोइन या इस प्रकार के ड्रग्स गये हैं, इन देशों ने भी इसका विरोध शुरू किया है और पाकिस्तान पर निरन्तर इस बात का दबाव भी डाल रहे हैं कि इस प्रकार के ड्रग्स की स्मगलिंग को रोका जाये।

जहां तक हथियारों की स्मगलिंग है, हथियार आप जानते हैं कि इस प्रकार के सारे हथियार पाकिस्तान की कोई मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी से आ रहे हों, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। ए. के. 47 या ए. के. जो उसका इम्प्रूव डिजाइन है, यह सारे 56 डिजाइन अफगानिस्तान की वार में अलग-अलग देशों से जिस प्रकार के हथियार उनके पास मिले हैं, उन हथियारों का सारा कलेक्शन कर अब हिन्दुस्तान में भेजने का षड्यंत्र किया गया है। इसमें राजस्थान ही टारगेट नहीं है, गुजरात ही टारगेट नहीं है बल्कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि पूरे देश में साम्प्रदायिक तनाव, पूरे देश में सबोटेज की कार्यवाहियां चले और इस दृष्टि से पाकिस्तान के आई. एस. आई और एफ. ओ. यू. इन दोनों ने मिलकर हिन्दुस्तान में इस प्रकार का स्मगलिंग चलायी जाये, इसकी पूरी व्यवस्था की है।

मैंने आपको अंतर्मन से निवेदन किया कि पहले यह स्मगलर्स करते थे और अब सेना के माध्यम से या पाकिस्तानी सेना के माध्यम से या पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन रेंजर्स पर है, उन सारे कोलोब्रेशन से एक मैकिनज्म इस प्रकार का डवलप किया गया है कि हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा हथियार स्मगलिंग किये जायें ताकि हिन्दुस्तान की लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो जाये। इसके पीछे परपज दो हैं। पंजाब में उनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि पंजाब में सेना के कण्ट्रोल में आने के कारण अब आतंकवादी गतिविधियों पर कोई रोक लगी है लेकिन जम्मू कश्मीर में किस प्रकार हथियार भेजे जायें, किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले, इस योजना के आधार पर यह सारी कार्यवाहियां चल रही हैं। उनको रोकने के लिए पहले राजस्थान की सरकार और भारत सरकार और पंजाब की सरकार के बीच आज के 4 वर्ष पहले एक योजना बनायी गई, जिसको पंजाब एक्शन प्लान के नाम से कहा जाता है। उस पंजाब एक्शन प्लान में राजस्थान भी शामिल किया गया और राजस्थान शामिल होने के कारण राजस्थान को भी 9 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का फैसला किया गया। दुर्भाग्य है कि 4 वर्ष की कोशिश करने के उपरान्त भी उसमे केवल 56 लाख या मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, 56 लाख ही है या 46 लाख रुपये हमको राजस्थान सरकार को अब तक मिले।

मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्रीजी से बात की, गृहमंत्रीजी से भी बात की और कई स्तर पर इसकी लगातार चर्चा हुई। अभी जब यह सारी गतिविधियां बढ़ी तो मैंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर से बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करके और गुजरात में एक मीटिंग की। जहां उनके अधिकारी भी शामिल थे, हमारे अधिकारी भी शामिल थे, हमने यह व्यवस्था की कि इस सारी चीज को रोकने के लिए आवश्यक इसलिए है कि गुजरात और पंजाब, गुजरात और राजस्थान में जो इस प्रकार के एलीमेंट्स हैं। वह एलीमेंट्स राजस्थान से भागकर गुजरात में आ जाते है, गुजरात से भगकर राजस्थान में आ जाते हैं, उन पर यदि सामूहिक कार्यवाही होने की और सीमा सुरक्षा का दायित्व भी यदि हमने सामूहिक रूप में लिया तो इसके परिणाम अच्छे निकलेंगे। हमने दोनों ने अपनी तरफ से क्या-क्या बिन्दु हो सकते है, उन बिंदुओं के ऊपर अपना एक्शन प्लान बनाया। राजस्थान के एक्शन प्लान में 32 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित किया गया है। जैसे मॉर्डनाइजेशन का क्वेश्चन है, इक्वीपमेंट्स का क्वेश्चन है और फोर्स बढ़ाने का क्वेश्चन है।

32 करोड़ रुपये की योजना हमने भारत सरकार को भेजी है। अब उस योजना को भारत सरकार कब तक मंजूर करे, हमने यह उचित समझा कि इस पर ज्यादा इंतजार नहीं किया जाये। हमने 5 करोड़ रुपये अपनी तरफ से इस योजना को स्वीकार कर काम शुरू करने के लिए लगाये हैं। जिससे हथियार भी लेंगे, इक्वीपमेण्ट्स भी लेंगे, गाड़ियां भी लेंगे- वायरलैस भी लेंगे और जिस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, वह व्यवस्था करेंगे। अब यह एडजक्ट डेट तो मुझे मालुम नहीं है लेकिन तीन दिन पहले जब दिल्ली में था तब प्रधानमंत्रीजी से हमने निवेदन किया कि इस संबंध में चर्चा की जाये। तो प्रधानमंत्रीजी ने एक बैठक बुलाई। जिसमें मैं भी था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी थे, डिफेन्स मिनिस्टर भी थे, फाइनेन्स मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर भी थे और बाकी के अधिकारी थे। उस सारे मामले पर पूरी तरह से चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद इसमें कुछ निर्णय लिये गये, मैं समझता हूं उन निर्णयों के बारे में तो माननीय सदस्य मुझसे यह नहीं चाहते होंगे कि मैं सारी चीजों को आपको बताऊं, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया है वह बड़ा गम्भीर है और राज्य सरकार भी इस प्रश्न को गम्भीरता से ले रही है।

मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने भी इसको गभीम्रता से लिया है। हम सब मिलकर इन स्मगलर्स के खिलाफ जल्दी से जल्दी और सख्त कार्यवाही किस प्रकार से की जा सकती है. उसके करने की कोशिश करेंगे। आपने जिस मामले का रेफरेंश दिया मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता लेकिन मुझे खेद के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि इस मामले में कुछ बी. एस. एफ. के लोगों का भी हाथ पाया गया है। बी. एस. एफ. की एजेंसीज जांच भी कर रही है। कुछ हमारे सिविल पुलिस के आदमियों पर भी संदेह किया गया है, वह भी जांच हो रही है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि चाहे बी. एस. एफ. का आदमी हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, या राजस्थान के किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में और भागीदार हो उन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सब लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मैं आगे आपको करेक्ट करने के लिए कह रहा हूं कि मैंने 32 करोड़ की योजना बतायी थी, वह एक्चुली 32 करोड़ की नहीं है। 36 करोड़ और 7 लाख की हमने एक अपनी कार्यकारी योजना बनायी है। गुजरात ने अपनी योजना प्रस्तुत कर दी और एक दो दिन में ही हम दोनों की योजना के आधार पर केन्द्रीय सरकार हमसे बातचीत करेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्रीय सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे राजस्थान हो, हम सब मिलकर यह योजना किस प्रकार से सफल हो सके, इस योजना के लागू होने में हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं। मैं सदन को इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि पैसे की कमी के कारण से पाकिस्तान अपना खेल खेल जाये, इसकी अनुमति हम देने वाले नहीं हैं। 5 करोड़ रुपये हमने दिये हैं और ज्यादा रुपये खर्च करने होंगे तो हम करेंगे और पाकिस्तान के इन सारे मंसूबों को किस प्रकार से असफल किया जाये, इसकी पूरी चेष्टा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन कल दिया था, 6 बजे दिया है, आपने व्यवस्था देते समय उसका मेंशन नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : इसलिए कि उसमें लीगलिटी है। मैं लीगली उसका एग्जामिन करवा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मतलब आप इसकी व्यवस्था मण्डे को देंगे।

श्री अध्यक्ष : अब वह तो एग्जामिन होने के बाद दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं इसमें ऐसा कोई लीगल इश्यू है तो मैं आपको असिस्ट कर सकता हूं। मैं भी निवेदन कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : जरूरत नहीं है। आपने तो निवेदन कर दिया, वह तो मैं देख रहा हूं। आपका निवेदन तो लिखित में है मेरे पास। अब आप इसके बारे में मेरे से मिल लीजिए। हां बोलिये आपका क्या क्वेश्चन है? अभी कल शाम को 6 बजे आया है और अभी से आप व्यवस्था चाह रहे हैं। कमाल है। बैठ जाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 6 महीने से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : हां बोलिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : एक बहुत ही गम्भीर मसला है। वह डीजल पेट्रोल की कीमतों के बारे में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बोल रहे हैं। आप इनको तो पूरा करने दीजिए। आप बोल चुके हैं। 5-6 वाक्य बोल चुके हैं। अधूरा रह जायेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : जैसी माननीय सदस्यों की राय है। पार्टियों की तरफ से नाम दिये जाते हैं, इस पर संक्षिप्त चर्चा की जाये इसके बजाय इन तीन साल में कभी कोई चर्चा इस सदन में नहीं हुई। जनरल किया जाये। हर माननीय सदस्य को इस पाइण्ट पर बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा वह तो आपकी चर्चा होगी तब उठाना यह प्रश्न। बिराजिये।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री हरिकुमार औदिच्य, शिक्षा मंत्री को विधान सभा के वर्तमान सत्र की शेष बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री हरिकुमार औदिच्य, शिक्षा मंत्री ने अस्वस्थता के कारण वर्तमान सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

माननीय प्रोफेसर केदार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपके सामने प्रश्न रखा था कि शाम को 6 बजे आपके दफ्तर में एक प्रस्ताव दिया, स्थगन प्रस्ताव और परम्परा व व्यवस्था यह रही है कि आप दूसरे दिन साढे नौ बजे तक प्राप्त जितने भी होते हैं उनके लिये आप यहां व्यवस्था देते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आप एक बात सुन लीजिये। नियमानुसार और पूर्व अध्यक्षों की व्यवस्था के अनुसार यह अध्यक्ष के लिये आवश्यक नहीं है कि हर एडजोर्नमेंट मोशन पर यहां पर व्यवस्था दी जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वांछनीय है।

श्री अध्यक्ष : आवश्यक नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आप रिजेक्ट कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब यह अध्यक्ष के विवेक पर है कि किस की सूचना यहां दी जाय और किस को वहीं पर मैं खारिज कर दूं। इसलिये यह कोई प्रतिबन्ध नहीं है। माननीय प्रोफेसर केदार।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप भाषण में तो एक मिनट ही नहीं दे रहे हो।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार, आप बोलिये ना।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर): अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा जो एडजोर्नमेंट मोशन था वह बड़ा पाइंटेड था। इस साल बहुत अच्छी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बारिश हुयी, 5–7 वर्ष के बाद राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश हुयी ।....

श्री अध्यक्ष : लोग इतने प्रसन्न हैं कि वह फ्लड की चिन्ता ही नहीं कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अच्छा हो गया, कोई बात नहीं बारिश आ गयी।

श्री केदारनाथ शर्मा : मगर हमारा मिटिरियोलोजीकल डिपार्टमेंट, हमारा जो मौसम विभाग है इस पर अध्यक्ष जी खर्चा बन्द कर दिया जाय। जो उन्होंने फोर टेलिंग की, जो वार्निंग दी, जो सूचना दी वह सारी झूठी निकली। इतना बड़ा महकमा....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : वह सब उल्टी गयी।

(12.32 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री केदारनाथ शर्मा : मेरा प्रश्न इस बात का है कि नेशनल केलेमिटी फण्ड के नाम से फ्लड से जो नुकसान होता है केवल वहां पर आप रिलीफ मैजर शुरू करते हो। मकान गिर जाय तो उसको पैसा देते हो, आधा गिर जाय तो कुछ पैसा देते हो। रिलीफ का पैसा आप दे रहे हो, सड़कों की मरम्मत के लिये पैसे देते तो मगर मूसलाधार बारिश में फ्लड की डैफिनेशन में नहीं आती मगर एक एक्सेसिव रैन, रैन इन टोलरेंस यह फ्लड की परिभाषा में आता है। यह अच्छा है मान-नीय मुख्य मंत्रीजी कि आपने कुछ अपने रूल्स में रिलेक्स किया, जो रिलीफ फ्लड के रूल्स है उनको आपने रिलेक्स किया है। ज्यादातर शहरों में सिवाय 2–4 शहरों के अलावा मान्यवर, ड्रेनेज सिस्टम राज-स्थान में नहीं है। गन्दा पानी, बरसात के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, यह इसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अब एडजोर्नमेण्ट मोशन आ गया, आपने रिजेक्ट कर दिया, मैं क्या बात कहूं। यह तो हमारे मुख्य मंत्रीजी या जो संबंधित मंत्री है उनको स्टेटमेण्ट देना चाहिये कि कैसे इसका इन्तजाम किया जाय और इस मूसलाधार बरसात में ज्यादातर जो मार पड़ी है, जो केज्युलिटी हुयी है वे वह लोग है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, लो लाइन एरिया में बसे हुये हैं, मकान उनके गिर गये, कोई और उनके पास रास्ता नहीं है, पट्टे उनके पास नहीं है पट्टे नहीं होने के कारण आप उनको कोई रिलीफ नहीं दे पायेंगे, आप उनके मकानों की मरम्मत के लिये पैसा नहीं दे पायेंगे।

इसलिये यह एक बहुत विचारणीय बात है कि जिनके मकान गिरे गये उनके पास पट्टे है कि नहीं है। आप तो उनको तीन हजार रुपये की राशि जो स्वीकृत की है वह उनको दे दीजिये। मान्यवर, हमारे इलाके में दो बच्चे मकान गिरने से मारे गये। माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारे गंगानगर शहर में मकान गिर गये, मूसलाधार बरसात में मकान गिरने से दो बच्चे दब कर मर गये। आपकी ओर से राशि प्रदान होनी चाहिये। कम से कम 10 हजार रुपये जो आप देते हो, आज उनका एलान कर दिया जाय। जो डेनेज सिस्टम में कमी

(श्री केदारनाथ शर्मा)

है और उनके पास पट्टे भी नहीं है तो भी जो राहत आपने एलान की है वह उनको मिल जाय। मेरा आज इतना ही मकसद है, इतनी ही बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : 295, माननीय श्री हीरालाल आर्य।

श्री केदारनाथ : जवाब तो दिलवा दें। जो राहत आप दें उसका एलान तो कर दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : बात कर लेंगे आप से।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : यह राजस्थान में कई जगह हुआ है। व्यक्तिगत आधार पर नहीं कर नीतिगत फैसला करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे बात कर लेंगे।

श्री रामकिशन : फिर वही बात। हमसे तो हर दिन बात होती रहती है। मैं तो राजस्थान की जनता से बात कराना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिये आपसे बात करने में जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जायेगी।

श्री केदारनाथ शर्मा : मकान बिल्कुल गिर गये उनके लिये कुछ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोफेसर केदार साहब, एक आप जवाब दे दीजिये कि जिन लोगों ने अनाधिकृत रूप से ऐसी जगहों पर मकान बना लिये जो मामूली बरसा हो जाय तो उनकी क्षति हो। जिसका विरोध आपने भी कर लिया, जिसका विरोध मैंने भी कर लिया। उन लोगों के लिये क्या....

श्री केदारनाथ शर्मा : ऐसे तो जो 10-15 साल से बैठे हैं वहां पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको आपने कहा कि हटें। बरसात आयेगी तो वे डूबेंगे। हमने कहा है कि बरसात आई तो डूबेंगे। मैंने जयपुर शहर में कई बस्तियों में जाकर कहा कि थोड़ी सी बरसात आ गयी तो तुम बच नहीं पावोगे। यहां मकान क्यों बना रहे हो। नाले में, सीवरेज लाइन में वहां पर यदि मकान बना कर बैठेंगे तो उनके बारे में क्या करना है वही हम सोच रहे हैं कि उनको किस प्रकार से कोई राहत दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। इस पर विचार करेंगे उसमें आपसे भी सुझाव आमंत्रित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव। माननीय श्री हीरालाल आर्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

विकास कार्यक्रम के तहत कार्य

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

(श्री हीरालाल आर्य)

उपाध्यक्ष महोदय, पीपल्दा विधान सभा के कोटा जिले की पीपल्दा तहसील का कुल क्षेत्रफल 2,24,533 एकड़ है। जिसमें भी आधा क्षेत्र ही कृषि योग्य है तथा बाकी क्षेत्र बंजर भूमि है। इसी प्रकार बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ अतिरिक्त तहसील का भी आधा क्षेत्र ही कृषि योग्य है तथा आधा क्षेत्र बंजर भूमि है। क्योंकि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र सभी ओर नदियों से (चम्बल, कालीसिंध, पार्वती, बाणगंगा, सूकनी, इन्द्रायणी) से घिरे होने की वजह से खेती की उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बीहड़ों एवं कंदराओं में बदल रही है। क्योंकि वर्षा अपने साथ उपजाऊ एवं उर्वरा मिट्टी को बहा ले जाती है और खालों की संख्या एव गहराई बढ़ती जाती है। यदि समय रहते इस कटाव को नहीं रोका गया तो पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की पीपल्दा एवं इन्द्रगढ़ तहसील की समूची भूमि बीहड़ों एवं कंदराओं में बदल कर बर्बाद हो जावेगी और सारी कृषि भूमि बंजर हो जायेगी। जिससे उस क्षेत्र के किसान भयभीत एवं आतंकित हैं।

अतः इस कटाव बीहड़ एवं कंदराओं को परिधि बंद का निर्माण, कृषि योग्य भूमि का विकास कर बीहड़ों का विकास एवं गली कन्ट्रोल निर्माण कार्य कर खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाये रखना अत्यन्त ही आवश्यक है एवं प्राथमिक कार्य हो गया है। जिससे एक तरफ कृषि भूमि उर्वरा होगी तथा जल ग्रहण से असिंचित खेती को लाभ मिलेगा, कुओं का जल स्तर ऊपर आयेगा जो सिंचाई एवं पेयजल की समस्या को हल करने में मददगार होगा।

इस समस्या के समाधान हेतु समय समय पर क्षणिक कार्य तो हुये लेकिन पूर्णतया एवं पर्याप्तता के अभाव में समस्या का स्थायी निदान नहीं हो सका। जैसे भूतपूर्व शासकों ने उनके समय में तथा बाद में भू-संरक्षण विभाग, वन विभाग की कंदरा सुधार एवं पठार स्थिरीकरण योजना, बाद में दस्यु उन्मूलन योजना आदि के माध्यम कार्य हुये लेकिन वे अधूरे ही हुये। लेकिन उक्त सभी योजनाओं को बीच में ही बन्द कर दिया गया जबकि इन योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ हुआ था।

अब क्योंकि भारत सरकार के सहयोग से बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, पर उक्त कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैं, कोटा जिले पीपल्दा तहसील तथा बूंदी जिले की इन्द्रगढ़ तहसील में क्षेत्रफल का करीब आधा भू भाग बंजर भूमि के अन्तर्गत आता है।

अतः मैं विशिष्ट योजना मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उक्त क्षेत्रों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के तहत शीर्ष कार्य प्रारम्भ किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदनलाल सैनी।

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. में अनियमितताएं

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष

(श्री मदनलाल सैनी)

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से सहकारिता मन्त्री महोदय का ध्यान राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. में की जा रही अनियमितताओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर एक पंजीकृत संस्था है। जिसका कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान है। इस संस्था को पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्रों, विभिन्न प्रकार के साहित्य, रजिस्टर, फार्म आदि सस्ते व उचित मूल्य पर सुन्दर छपाई कर उनको शिक्षण संस्थाओं ऐसी अन्य संस्थाओं सहकारी संस्थाओं राज्य सरकार से पुस्तकें अन्य सामग्री छपाई हेतु छाप कर देने एवं बेचने के प्रयोजन हेतु स्थापित की गयी थी। जिसका उद्देश्य सहकारी क्रिया-कलापों को भी बढ़ाना था।

लेकिन राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. आज अपने उद्देश्यों से हट रहा है और जिस उद्देश्य के लिये इस मुद्राणालय का गठन हुआ था। क्या वह उद्देश्य पूरा हो रहा है और इस पर विचार किये जाने पर लगता है कि सहकारी मुद्रणालय सहकारिता की भावना के प्रतिकूल कार्य कर रहा है। अपने कर्मचारियों से कार्य न करवा कर अन्य मुद्रणालयों से कार्य करवा कर केवल मुद्रित सामग्रियों पर अपना प्रेस का नाम अंकित करवा कर ही अपने कार्य की इतिश्री समझ रहा है। क्या यह कार्य धोखा-धड़ी की श्रेणी में नहीं आता।

यह जांच का विषय है कि मुद्रणालय ने किस-किस प्रेस को कब-कब कितनी सामग्री मुद्रण के लिये क्यों दी गयी और उसका क्या औचित्य था? यह मुद्रण कार्य अन्य मुद्रणालयों से सस्ते सुन्दर शीघ्रता अथवा सहकारी मुद्रणालय में कार्य की अधिकता अथवा कर्मचारियों के अभाव में नहीं अपितु अन्य गर्भित कारणों से बाहर से काम करवाया गया जो अनुचित है। यही नहीं उन प्रेसों को सहकारी मुद्रणालय ने जो कागज अच्छी किस्म का दिया था उस पर छपाई नहीं कर घटिया कागज पर छपाई करने में भी भ्रष्टाचार की गन्ध आती है।

संस्थान में बे-ईमानी भ्रष्टाचार का ही प्रश्न नहीं यह भी है कि क्या सहकारी मुद्रणालय कर्मचारी के हित की बात सोचता है? यह एक प्रकार का संस्थान है जहां कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार के सर्विस रूल नहीं बनाये गये हैं, इस कारण अधिकारी चाहे जैसे नियम बनाकर अपनी इच्छा अनुसार उनका स्पष्टीकरण करते हैं। क्रियान्वित करते हैं। एक ताजा उदाहरण 1-4-88 को 1. वर्क्स मैनेजर/प्रोडक्शन मैनेजर। 2. वरिष्ठ लिपिक/उत्पादन सहायक। 3. लिपिक/कैशियर/प्रूफ रीडर को दी गयी ग्रेड मे यह स्पष्ट लगता है कि जिन कर्मचारियों की ग्रेड अलग नहीं थी को सेवानियम न होने के कारण अनुचित लाभ पहुंचाने के कारण से नियम को तोड़ मरोड़कर केवल तीन

(श्री मदनलाल सैनी)

श्रेणियों को गलत एवं अवैध बना दी व शेष तकनीकी कर्मचारियों को इससे वंचित रख दिया गया। संस्थान के इस प्रकार के व्यवहार निर्णय की जानकारी समय-समय पर संबंधित उच्च अधिकारियो को दी जाती रही है लेकिन उस पर समुचित विचार नहीं किया गया और वहीं बेढंगी चाल चली जाती रही।

फिर चाहे वह प्रश्न कर्मचारियों को पदोन्नति का हो या कन्फरमेशन का हो इच्छा के नियम व इच्छा के कानून बनाकर पक्षपात किया जाता रहा। अधिकारियों की लापरवाही के कारण विभिन्न न्यायालयों विवादों में कास्ट एवं पेनल्टी का भुगतान जारी रहा है, क्या यह कास्ट एवं पेनल्टी के लिए अधिकारी दोषी नहीं हैं, क्या न्यायालयों में विवादों के लिए वकीलों की नियुक्ति व वकीलों के परामर्श लेने के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है ?

संस्थान में कार्यरत पंजीकृत एकमात्र श्रम संघ के साथ समझौता न कर 1-4-88 को अधिकार पत्र भरवा कर क्या पंजीकृत श्रम संघ का अपमान नहीं किया गया। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आज विचार कर निर्णय लिये जाने का समय है और सहकारिता मंत्रीजी से मांग करना चाहूंगा कि क्या बाहर की प्रेसों से मुद्रण कार्य बन्द करवाया जा सकेगा ? बाहर की प्रेसों को बढ़िया कागज देकर घटिया कागज पर छपाई की जा सकेगी ? उपहार की जगह सीधा कागज खरीदना रूकेगा ? कास्ट एवं पेनल्टी के लिये किसी पर जिम्मेदारी डाली जायेगी ? श्रम संघों के साथ मांग पत्रों पर समझौता किया जा सकेगा ? कर्मचारियों के सेवा-नियम बनाये जा सकेंगे ? नियमानुसार उन्हें पदोन्नति दी जा सकेगी, कार्यालय कर्मचारियों को दी गयी ग्रेड अन्य कर्मचारियों को दी जा सकेगी। धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राज्य सेवा में चयन हेतु बोनस अंक

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हेतु ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत बोनस अंक निर्धारित करने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

मान्यवर, भारतीय संविधान के तहत राज्य सरकार का यह दायित्व है कि सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्ति के समान अवसर प्रदान करें। यह निर्विवाद सत्य है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् से शिक्षा के क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में तो सरकार ने सामान्य व टेक्निकल शिक्षा की समुचित व्यवस्था की है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य व टेक्निकल शिक्षा का भयंकर अभाव है। इस कारण राज्य सेवा से लेकर मंत्रालयिक कर्मचारी तक की सेवा में शहरी क्षेत्र के निवासियों का वर्चस्व है। जहां राजस्थान की आबादी का 80% भाग गांवों तथा 20 प्रतिशत शहरों में रहता है इसके विपरीत राज्य सेवा में शहरी क्षेत्र के

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

निवासियों का 80 प्रतिशत स्थानों पर कब्जा है व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 20 प्रतिशत से भी कम स्थान प्राप्त हैं।

यह बात सही है कि सरकारी नौकरियों में अधिकतर भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा मैरिट के आधार पर होती है। मैरिट में शहरी क्षेत्र के लोग ही आते हैं क्योंकि सामान व तकनीकी शिक्षा की सरकार द्वारा शहरों में ही पूर्ण व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में उच्च कोटि के ना तो अध्यापक हैं ना ही प्रत्येक गांव में शिक्षण संस्थाएं हैं। वहां शिक्षण संस्थाएं हैं भी तो वे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की हैं। उनमें भी शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कम संख्या में अध्यापक कार्यरत हैं। अतः इस प्रकार का भेदभाव संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का घोर उल्लंघन है। इस प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए राज्य सरकार को ठोस प्रयास करना चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की रुचि शिक्षा में बढ़ सके। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की तरह ही शहरी क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति भी शिक्षा व राजकीय सेवाओं में दयनीय है। उसका प्रतिनिधित्व दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है एवं नगण्य स्थिति हो गयी है। इस सम्बन्ध में मेरा इस पवित्र सदन से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि—

1. राजस्थान राज्य स्तर की सेवाओं से लेकर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के समय की जाने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी एवं शहरी क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यार्थियों को प्रत्येक पेपर में 20 अंक बोनस के रूप में दिये जायं।

श्री जगमाल सिंह यादव : खुद माइनोरिटी सैल के सदस्य हैं किसको सुना रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रामीण क्षेत्र के आशार्थियों के लिए भी 20 अंक की मांग है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, जो भी तकलीफ है वह यह देखें। यह किसे कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा सदन में हो रही है इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : (2) राजस्थान में जितनी भी छात्रवृत्तियां विभिन्न सामान्य व टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती हैं उनमें 80 प्रतिशत छात्रवृत्तियां ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय को दी जाये।

(3) समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत स्थान ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासियों एवं शहरी क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित किये जावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिव किशोर सनाढ्य।

मेवाड़ सहायता समिति, उदयपुर द्वारा अकाल राहत के नाम पर किया गया भ्रष्टाचार

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 1987-88 में पड़े भयंकर अकाल के समय मेवाड़ सहायता समिति, उदयपुर ने अकाल राहत के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच कर परिणाम आज तक ज्ञात नहीं हुआ है।

विदित होगा कि राजस्थान में अप्रेल, 87 में मेवाड़ सहायता समिति का गठन किया और इस समिति के अध्यक्ष पूर्व गृहमंत्री श्री गुलाबसिंह शक्तावत और कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गणेश डांगलिया बने। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अप्रेल, 87 से जुलाई, 88 तक यानि एक वर्ष तीन माह में 7.15 लाख क्विंटल चारा वितरण करना बताया था जो लगभग 7 करोड़ रुपये का था। समिति ने जो परिवहन क्लेम किया वही लगभग 2 करोड 45.5 लाख रु. का था जिसमें से सरकार ने तत्काल 2 करोड़ 38 लाख रुपये का भुगतान समय-समय पर किया।

मेवाड़ सहायता समिति ने पशुओं को मौत से बचाने हेतु सरकार से प्राप्त अनुदान राशि को किसान तक पहुंचाने से पहले ही बहुत बड़ा भाग हजम कर लिया और सहायता समिति के नाम पर व्यवसाय शुरू कर दिया। इस समिति ने केन्द्र खोलने से पहले ही दो-दो हजार रुपए अग्रिम जमानत राशि वसूल की और इस प्रकार लाखों रुपए इकट्ठे किये। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया। समिति ने मई, 1987 में जो सूखला की खरीद की थी उस वक्त उसका बाजार भाव 45 से 55 रुपए प्रति क्विण्टल था और समिति ने भी इसी भाव से यह खरीद की। सरकारी अनुदान 30 रुपए प्रति क्विण्टल मिलने के बाद भी यह माल खरीद की कीमत पर ही बेचा गया।

इस प्रकार 10 से 15 रुपए प्रति क्विण्टल की अनुदान राशि में से रकम समिति द्वारा चुरा ली गयी, जो लाखों रुपए बनती है। मेवाड़ सहायता समिति ने घास खरीद के लिए बाजार भाव की जांच के लिए कोई निविदाएं आमन्त्रित नहीं कीं। एक ही दिन में एक ही माल को अलग-अलग भाव पर खरीदना आदि कई बातें सन्देह के घेरे में लाती हैं। यहां तक कि समिति ने गन्ने की खरीद कम दाम पर की और अधिक दामों में बेचकर पैसा हड़प लिया।

सरकारी राशि की चोरी के कई मामले जनता के सामने आये हैं। समिति ने एक गाड़ी दो-दो डिपो पर नकली रसीद बनाकर माल बेचना दर्शाया है। यह कैसे सम्भव है कि एक ही नम्बर की दो गाड़ियां मात्र डेढ-दो घण्टे की अवधि में ही खाली हो जाएं। जांच की मांग पर अतिरिक्त डिवीजनल कमिश्नर, उदयपुर और जिला कलक्टर, उदयपुर ने भी समिति से दिनांक 21-5-1988 को स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण कुछ नहीं हुआ। सम्भागीय आयुक्त ने कुछ

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आरोपों को सही भी पाया, लेकिन आश्चर्य है कि अतिरिक्त आयुक्त की रिपोर्ट के बाद भी मेवाड़ सहायता समिति ने अकाल राहत के नाम पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं कीं और राजकीय अनुदान का दुरुपयोग किया ।

इस समिति की विस्तारपूर्वक जांच कराकर सदन को तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिए । समिति ने किसानों से जो अग्रिम राशि ले रखी है उसे यह कहकर नहीं लौटाया जा रहा कि सरकार ने अभी पूरा पैसा नहीं चुकाया है, इसे नहीं लौटा सकते । वह लौटाया जाना चाहिए । यदि राज्य सरकार ने कोई जांच करायी है तो उसकी रिपोर्ट सदन में रखी जाय । इस समिति को लेकर जनता में तीव्र असन्तोष है । उदयपुर की जनता के लिये इस संबंध में क्या किया गया है, यह जानना चाहती हैं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार ।

समस्या समाधान शिविरों में लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली में गत दिनों सरकार द्वारा समस्या समाधान शिविर चलाये गये थे । उसके दो-तीन शिविरों को छोड़कर मैं सभी शिविरों में स्वयं उपस्थित था । वहां जनता के सुख-दुःख को सुना, थोड़ी बहुत कार्यवाही भी हुई जो सराहने योग्य है - वृद्धों को पेंशन के केस, विकलांगों को तुरन्त सहायता, कमजोर व गरीबों को छप्पर, जमीन आवंटन, जमीनों के केसों को निपटाना, कमजोर वर्गों को लोन देना आदि उल्लेखनीय कार्य हुए । ऐसे कार्य पिछली सरकार ने कभी नहीं किये । परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो निर्णय उन शिविरों के प्रभारी अधिकारियों ने लिये थे तथा मैंने स्वयं भी प्रभारी अधिकारियों को लिखकर दिया था, शिविर की समाप्ति के बाद मेरे प्रभारी अधिकारियों से सम्पर्क कर एवं फोन पर बात करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे जनता में भयंकर आक्रोश है तथा जिससे सरकार की भी छवि खराब हो रही है ।

लुनावा गांव के फर्जी पट्टे पूर्व सरपंच एवं पूर्व ग्रुप सचिव जगदीश शर्मा द्वारा दिये गये । मकानों के सामने मकान बनाने के कारनामे, फर्जी केबिन आदि प्रभारी अधिकारियों को मैंने स्वयं मौका बताया, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

बारवा में भी इसी प्रकार पूर्व सरपंच एवं ग्रुप सचिव व अन्य अधिकारियों द्वारा गोचर भूमि पर फर्जी पट्टे दिये गये एवं बाड़े बनाये गये, परन्तु अभी तक अतिक्रमण नही हटाया गया ।

इसी प्रकार साठाड़ा गांव के मेघवालों की जमीन पर एवं मन्दिर पर मुल्तान मल ने कब्जा कर लिया, जिससे पूरे मेघवाल

(श्री अमृतलाल परमार)

समाज में भयंकर आक्रोश है। कैम्प में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसे आज ही हटाया जाएगा, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके पीछे क्या राज है? ऐसी भी प्रभारी अधिकारियों की क्या मजबूरी है, क्या मंशा है? सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने की सोच रही है, कृपया सदन में बताए।

इसी प्रकार सेवाड़ी में जो गांव का मेन चौराहा है जिसमें होली की गेर होती है व खेलाजी का मेला भरता है, उसमें गांव वालों के मना करने पर भी काफी लोगों ने केबिन लगाकर अतिक्रमण किया है। यही नहीं केबिन पर आर एस. ई. बी. से लाइट कनेक्शन भी ले लिया है। इसी गांव में हास्पिटल के सामने मैदान में भी केबिन लगा लिये हैं, परन्तु मौका बताने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जिन गांवों में फर्जी कब्जे जमीनों पर किये गये, कितनी जमीन कितने कब्जे। जमीन किसकी, दादागीरी से खेती कोई और कर रहा है। खेती बोता कौन खाता कौन। जिन गरीब व कमजोर वर्गों को सरकार ने नये पट्टे दिये उनमें से बहुत-से लोगों को अभी तक पट्टे व कब्जे नहीं मिले। जिनको देने का प्रस्ताव किया गया था उनमें से किन्हीं-किन्हीं को ही मिले हैं। इस प्रकार कार्यवाही करने वाले तथा अभी तक अतिक्रमण, केबिन न हटाने वाले प्रभारी अधिकारियों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है तथा कब तक कार्यवाही करेगी, यह मैं मांग कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर शर्मा।

छबड़ा में डीजल व पैट्रोल की वितरण व्यवस्था :

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत छबड़ा में डीजल-पैट्रोल की वितरण समस्या बाबत निवेदन है कि गत दो वर्षों से मेरे क्षेत्र छबड़ा की डीजल समस्या के लिए लिख रहा हूं बोल रहा हूं, कि छबड़ा उप खण्ड व पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी डीजल बैरल पाइण्ट नहीं है, किसान परेशान हो रहे हैं। दोनों तहसीलों में कुछ खुदरा विक्रेता थे, पर गत वर्ष केन्द्रीय नीति के अन्तर्गत खुदरा लाइसेंस समाप्त हो गये। उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चोरी से डीजल-पैट्रोल मिलावटी व महंगा मिलता है। जनता दुःखी है। हमारे खाद्य व रसद मंत्री तथा सांसद महोदय ने केन्द्रीय मंत्री, पैट्रोलियम को लिखा तो उन्होंने जांच करवायी। तो छबड़ा-छीपाबड़ौद में खुदरा विक्रेता आवश्यक है, यह पाया गया। जब केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्री ने यह मान लिया तो वहां जब तक डीजल पम्प नहीं लगे, तुरन्त खुदरा लाइसेंस दिलाने की व्यवस्था की जाय, ताकि किसान को डीजल की दिक्कत नहीं आये। खेती ठीक ढंग से हो सके। छबड़ा व छीपाबड़ौद दोनों जगह शीघ्र ही डीजल पम्प लगाने की कार्यवाही की जाय अन्यथा किसान बहुत दुःखी होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर ।

जयपुर जिले में बालिका विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर (जमवा-रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के द्वारा जयपुर जिले के बालिका विद्यालयों में अध्यापिकाओं के रिक्त स्थानों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

गत दिनांक 29-8-1992 को जिला अभाव अभियोग की मीटिंग में जयपुर क्षेत्र के बालिका विद्यालयों में अध्यापिकाओं के रिक्त पदों के बारे में चर्चा की गयी कि बालिका विद्यालय खाली पड़े हैं, वहां शाला में अध्यापिकाओं की भारी कमी है । जैसे ग्राम मेड में हाई स्कूल है और वहां पर एक अध्यापिका गत छः माह से कार्यरत है । वैसे ही ग्राम नौरंगपुरा, आमलोदा मामोद, खोरा, छारला इत्यादि शालाओं के बारे में कहा गया तो जिला शिक्षा अधिकारी (छात्राएं), जयपुर ने मीटिंग में अवगत कराया कि जयपुर ग्रामीण शालाओं के अध्यापिकाओं की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति जयपुर शहर में कर रखी है, जिनकी संख्या 127 है ।

(1.00 म. प.)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र की तरफ इस जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ा अन्याय और खिलवाड़ कर रखा है कि 127 अध्यापिकाओं को ग्रामीण क्षेत्र से हटाकर के शहर में प्रतिनियुक्ति पर रख रखा हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र की समस्त शालाएं अध्यापिकाओं के अभाव में खाली पड़ी हुई है । वे ग्रामीण क्षेत्र से वेतन उठाकर शहर में मस्ती छान रही हैं । हमें गत जिला अभाव अभियोग की मीटिंग में यह आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही अध्यापिकाओं की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर ग्रामीण क्षेत्रों में रिलीव कर दी जावेंगी लेकिन आज तक ये अध्यापिकाएं रिलीव नहीं की गई हैं ।

अतः श्रीमान्, इस ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में इतनी बड़ी संख्या में अध्यापिकाओं का जो अभाव हो रहा है, उसको समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में अध्यापिकाओं की जो कमी है उसको पूरा किया जाय । साथ ही इस ग्रामीण क्षेत्र से खिलवाड़ करने वाली जिला शिक्षा अधिकारी को तुरन्त यहां से हटाया जाय ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रभुलाल पटेल ।

सपोटरा में सड़कों का अभाव

श्री प्रभुलाल पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में सड़क के निर्माण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । सपोटरा विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से ऊबड़-खाबड़ व पहाड़ी व डांग क्षेत्र है । इसमें सड़कों का पूर्णतया अभाव है । सड़कों की कमी के कारण इस

(श्री प्रभुलाल पटेल)

क्षेत्र का विकास भी नहीं हो पाया है तथा इसी कारण से आये दिन चोरी-डकैती हुआ करती है। लोग इधर-उधर छिप जाते हैं। प्रशासन तत्काल पहुंचने में असमर्थ रहता है। यहां की खनिज सम्पदा का भी इसी कारण से बाहर भेजना सम्भव नहीं हो पाता है जिससे इस क्षेत्र का पूर्णतया विकास रुका हुआ है तथा सरकार को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र तत्काल निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कराकर इस क्षेत्र की जनता को विशेष आभारी करें। कैलादेवी से हाड़ौती (15 कि. मी.), ताजपुर से भरतून (4 कि. मी.), सपोटरा से बारेल (20 किमी.), कुड़गांव से गेरई (10 किमी.), कैलादेवी से बारेल (20 किमी.), खिजूरा से राहित (7 किमी.), तथा नारोड़ी से खेजड़ा नीमादा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बालचंद आर्यवीर।

झालावाड़ जिले में अध्यापकों का अभाव

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले के प्राथमिक, मिडिल, सैकण्डरी तथा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के अभाव के कारण छात्र-छात्राओं में भयंकर आक्रोश है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले के डग सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान विषय का एक वर्ष से अध्यापक नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई मारी जा रही है। ऐसे कई विषयों के अध्यापकों का अभाव है। गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल भवानीमण्डी में कई विषयों के अध्यापकों के अभाव के कारण छात्राओं में भारी रोष है तथा उनका भविष्य अंधकार में है। गंगधार सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में कई विषयों के अध्यापकों का अभाव है। पिछले वर्ष छात्रों ने भी इस कारण हड़ताल की थी। मोगरा, बनी, सोमेला, रोजाना, नानोर, खेरिया तथा करलगांव मिडिल स्कूलों में अध्यापकों का अभाव है और उस कारण ग्रामीण जनता और छात्रों में भारी रोष है। गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल मनोहरथाना में बहुत समय से प्रधानाध्यापिका नहीं हैं। गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल बकानी में 7 वर्षों से प्रधानाध्यापिका नहीं है। पंचायत समितियों के कई स्कूलों में अध्यापकों का अभाव है। इस तरह बच्चों का भविष्य अंधकार में है, व बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले के स्कूलों में तुरन्त प्रभाव से अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां।

जैसलमेर में अल्प संख्यकों अनुसूचित जन-जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व का मामला प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि सीमावर्ती जिला जैसलमेर में भारत के मूल नागरिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा जनजाती के लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से तरह-तरह के अत्याचार किये जा रहे हैं तथा वे अभी तक जारी है। ये अत्याचार 1983 में शुरू हुए थे क्योंकि इससे पूर्व इस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना गरीब लोगों में नहीं थी। इस जमाने में गरीब लोगों में थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई आई व अनुसूचित जाति, जन जाति के अधिकारी लोग यहां आने लगे जिससे गरीब लोग अपनी समस्याएं सीधी अधिकारियों के पास ले जाने लगे व सीधे राजनीतिक नेताओं के पास जाने लगे। जिन चन्द लोगों ने अपने हुक्म से राजनीति चलाई व अधिकारी भी उसी उच्च वर्ग के हमेशा से छाये रहे, व उन्हीं के हुक्म से चलते थे, परिवर्तन आने से इन गरीबों को गुलाम बनाये रहने की नीयत से एक दो विशेष जाति के लोगों पर तस्करी, जासूसी और घुसपैठी के आरोप लगाकर दबाना शुरू किया व अभी तक जारी है। एक अनुसूचित जाति के डाक्टर व एक सहायक अभियन्ता लोकल थे जिनको काफी परेशान किया गया जिससे एक डाक्टर ने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी लेकिन उस अभियन्ता को 10 जगह तबादला किया गया। इसी प्रकार उपनिवेशन क्षेत्र में एक अनुसूचित जाति का अफसर, एक अल्पसंख्यक अफसर आया जिसे लोगों को कुछ राहत मिली। उनको भी हटाया गया और हाल ही में एक मीणा जाति का अफसर था जिसने भ्रष्ट पूर्व सरपंचों को फंसाना शुरू किया तो उसको भी वहां से हटाया गया।

नहर क्षेत्र में गरीब लोगों को जमीन नहीं मिले और मतदाता सूची से इनका नाम हटाया जावे, इसके लिए कई वर्षों से प्रचार किया जा रहा है कि उनकी जमीन नहीं मिलेगी जो राष्ट्र के वफादार नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि वफादार की सूची कौन तस्दीक करेगा? वह सूची स्थानीय पुलिस, सी.आई.डी. या राजनीतिक नेताओं के जो रिश्तेदार लगे हुए हैं, वे करेंगे? जो तस्कर-डकैत आज तक पकड़ में आये हैं उनमें सभी वर्ग के लोग पाये गये हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग से हों फिर भी दबाव में एक वर्ग को किया जाता है। फिर मानवता और न्याय नहीं है कि जो लोग भारत की धरती पर जन्मे हैं और अपने घरों में रहते हैं उनका नाम मतदाता सूची में नहीं लिखना, नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन नहीं करना, यह खुल्लम-खुल्ला नागरिक के मूल अधिकारों का हनन है।

अतः मैं इस सदन की मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजनीतिक दुश्मनी से लोगों के साथ भेदभाव बन्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुचित्रा आर्य।

गोगामेड़ी पशु मेले में की गयी अनियमितताएं

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भावना का प्रतीक प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला हर वर्ष नोहर तहसील के गोगामेड़ी गांव में भादवा के पूरे एक महीने भरता है। इसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश व देश के कोने-कोने से श्रद्धालु लोग देवता गोगाजी की समाधि पर मथा टेकने आते हैं। इस मेले में लगभग 5-7 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। जब मेला शुरू होता है तब वहां मेले का शुभारम्भ वहां के क्षेत्रीय विधायक के द्वारा झण्डारोहण करके किया जाता है। यह झण्डारोहण श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। उसके बाद यह मेला पूरे एक महीने चलता है। इस मेले की व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी वहां के क्षेत्रीय विधायक की होती है क्योंकि वह वहां का जनप्रतिनिधि होता है और 44 वर्ष से यही परम्परा बनी हुई है। इस मेले मे लाखों की संख्या में पशु बिकने के लिये लाये जाते हैं जिसमें ऊंट, बैल आदि पशु सम्मिलित हैं।

मेले में क्षेत्रीय विधायक तो पूरे समय रह नहीं सकता। मेले की व्यवस्था आदि बनाने में अधिकारियों व अन्य संगठनों से भी सहायता के लिये आना जाना पड़ता है। इसलिये वह अपने स्थान पर मेले में देखभाल करने, लोगों के आपसी विवाद हल करने व पशुपालन अधिकारियों द्वारा जो पशु कर न वसूल कर अन्य राज्यों को पशु भेजे जाते हैं, उन पर रोक लगाने और आम जनता व श्रद्धालुओं की समस्याएं सुनने के लिए एक मेला चौधरी की नियुक्ति की जाति है जो तहसील का मुख्य नागरिक होता है और वह हर आदमी की जानने वाला होता है। उस मेला चौधरी के द्वारा ही मेले की देख रेख की जाती है और जो भी मेले में हो, उसकी सूचना जनप्रतिनिधि को पहुंचाता है जिससे आम समस्याएं हल हो जाती है। यह परम्परा आज की नहीं, तब से चली आ रही है जब से गोगाजी का मेला भरना शुरू हुआ था 44 वर्ष से। तो वहां के जनप्रतिनिधि के द्वारा मेला चौधरी बनाया जाता है और उससे पहले उस तहसील के वरिष्ठ नागरिक मिलकर एक मेला चौधरी की नियुक्ति करते थे जिसकी व्यवस्था की जानकारी मेला चौधरी उस रियासत के राजा को देता था। इस बात का इतिहास साक्षी है।

लेकिन अब की बार, कुछ उलटा ही हुआ। गोगामेढ़ी मेले में पशुपालन अधिकारी, ओम प्रकाश विश्नोई ने जम कर पैसे लूटे व अपने जानकार को मेले में दलाल बनाया हुआ था। चूंकि वहां की स्थानीय विधायक ने दिनांक 13-8-1992 को झण्डी लगाकर मेले का शुभारम्भ किया था और उसी दिन मेला चौधरी की घोषणा कर दी थी और इसकी सूचना की प्रतिलिपि मेला पशुपालन अधिकारी, जिला कलक्टर, एस. पी. एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी गई थी। लेकिन पशुपालन अधिकारी ने पशुपालन मंत्री से मिली भगत करके दिनांक 19-8-1992 को पशुपालन मंत्री का आदेश लेकर गोगामेड़ी मेले

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

पहुंचा जिसमें शफी मोहम्मद, हनुमानगढ को मेला चौधरी नियुक्त किया गया। जबकि मेला नोहर तहसील में हनुमानगढ का आदमी नोहर की आम जनता को कैसे जानता था। कारण यह था कि मेला चौधरी पशुपालन अधिकारी के हाथ का होने पर पशु मेले में बिना कर लगाये भेज सकता है। जिसमें जो लाखों रुपयों की आमदनी होती है वह मेला अधिकारी व मेला चौधरी के पास रह जाती है। उसकी जगह तहसील का मुख्य आदमी होने पर ऐसा अन्यथा नहीं हो सकता था।

इस विवाद को लेकर नोहर की जनता में आक्रोश फैल गया और 10 हजार लोगों ने मेला पशु पालन अधिकारी के विरोध में जूलूस निकाला व धरने पर बैठ गए। जब वहां की विधायक व मेला मजिस्ट्रेट ने मंत्री महोदय के आदेश को रद्द किया और सारी व्यवस्था विधायक व मजिस्ट्रेट ने सम्भाली लेकिन फिर भी जिला पशु-पालन अधिकारी, ओम प्रकाश विश्नोई लाखों रुपयों का गबन कर गया। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का कष्ट करें व भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये जिससे राज्य सरकार को हानी उठानी पड़े। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जल्द से जल्द निलम्बित किया जाना चाहिए। अगर निलम्बित नहीं किया गया तो वहां की जनता फिर आन्दोलन करेगी।

श्री उपाध्यक्ष :डा. चन्द्रभान।

श्री सम्पतसिंह : 26 जनवरी पर वहां की विधायक को विशिष्ट सेवा मेडल देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान रखा जाएगा।

झुन्झुनू जिले की बिगड़ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुन्झुनू जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अकर्मण्यता, लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण चिकित्सा सेवाएं पूर्ण रूप से गड़बड़ा गई है। जिसकी वजह से साधारण जनता सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रही है जिला मुख्यालय पर बी. डी. केस तथा जनाना अस्पताल स्थित है, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है। जन-प्रतिनिधियों व जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बार-बार सफाई के मामले को उठाये जाने के बावजूद इन दोनों अस्पतालों में सफाई कर्मचारियों तथा स्थानीय प्रशासन की इच्छा शक्ति के अभाव में सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है।

महोदय, जहां एक ओर विभाग के स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में वित्तीय अभाव की बात कही जाती है वहीं राज्य सरकार द्वारा सफाई, एवं गरीब जनता के लिए ईलाज हेतु जांच तथा जरूरी दवाइयों के लिए आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किया जाता है। झुन्झुनू के बी. डी. के. अस्पताल सहित जिले के अन्य राजकीय चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनता को सर-

(डा. चन्द्रभान)

कार की ओर से इंजेक्शन के रूप में तो क्या बल्कि बुखार, जुकाम एवं पेट दर्द जैसी साधारण बीमारियों के लिए एक टेबलैट तक उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

महोदय, झुन्झुनू सहित जिले के प्रमुख कस्बों के चिकित्सालयों में कार्यरत डाक्टर्स अपनी ड्यूटी के दौरान अस्पताल में नहीं मिलते हैं तथा अपने घरों पर बैठे प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं और जनता से फीस के नाम पर मनचाही फीस वसूल करते हैं। जिले के एक वरिष्ठ चिकित्सक, डा. महामना ने तो विकलांग सर्टिफिकेट भी 50/- रुपये की दर से अपने घर पर ही देना प्रारम्भ कर दिया था। विधान सभा में पिछले बजट वर्ष में माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी के आश्वासन दिए जाने के बाद भी प्रदेश में डाक्टर्स के घर के सामने "प्रेसक्राइब्ड फीस" की पट्टिकाएं अभी तक नहीं लगी हैं। इतना ही नहीं सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ डाक्टर्स अस्पताल में भर्ती करने व वहां पलंग उपलब्ध कराने के नाम पर प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जिले के बी.डी.के. अस्पताल में "पैथो लॉजिकल लेबोरेट्री" में नाम मात्र के टेस्ट होते हैं तथा गरीब मरीजों को भारी रकम देकर बाहर प्राइवेट लेबोरेट्रीज में जांच करवानी पड़ती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी के समक्ष यह भी बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपके विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मिली-भगत से जिले के एक पूर्व सी.एम. एण्ड एच. ओ. ने "लाइफ सेविंग ड्रग्स" के नाम पर की गई खरीद में लाखों रुपयों का घोटाला किया जिसकी जांच स्थानीय प्रशासन कर रहा है।

महोदय, इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो चिकित्सा सेवाओं की स्थिति और भी ज्यादा बदतर है। जिलों के ग्रामीण आंचल में स्थित राजकीय डिस्पेन्सरीज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्रों में डाक्टर्स की उपस्थिति की बात छोड़िए कम्पाउण्डर्स और नर्स भी उपलब्ध नहीं होते हैं। गत 27 अगस्त से 1 सितम्बर तक मैंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, राजकीय चिकित्सालयों और उप केन्द्रों का निरीक्षण किया था। ज्यादातर वह खाली पड़े थे। जिनमें से केवल एक डाक्टर उपस्थित मिला तथा दो कम्पाउण्र्स और नर्स मिले। बाकी में चपरासी लोग स्वास्थ्य सेवाओं को सम्भाले हुए थे। अच्छी वर्षा होने तथा गांवों में पानी की निकासी के चैनल नहीं होने से ग्रामीण जनता में मलेरिया बुखार का बहुत ज्यादा प्रकोप है लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कतई चिंतित नहीं है। गांवों व कस्बों में अब डी. डी. टी. छिड़कने का रिवाज भी खत्म हो गया है।

केन्द्र व राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश व पेरामीटर्स दे रखे हैं कि जिस गांव में मलेरिया हेतु खून की जांच में निर्धारित पोजीटिव केसे होंगे वहां डी. डी. टी. छिड़की जाएगी। मुझे यह कहते

(डा. चन्द्रभान)

हुए दुःख हो रहा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के हैल्थ वर्कर गांवों में जाते ही नहीं हैं तथा ब्लड की स्लाइडस इकट्ठी ही नहीं करते हैं। इसलिए सरकारी निर्देशों की खुली अवहेलना हो रही है तथा जिले की ग्रामीण जनता मलेरिया बुखार से ग्रस्त है और गरीब लोगों को मृत्यु का शिकार होना पड़ रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनू जिले में विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, घोर लापरवाही एवं अकर्मण्यता को दूर कर जिले की साधारण जनता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर ग्रामीण में कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई सड़कें

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई गई टूटी-फूटी सड़कों की ओर कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में मानपुरा कलां से साइवाड़, साइवाड से शाहपुरा कृषि उपज मण्डी की ओर से 1980 में सड़कों की मरम्मत कराई गई थी। यह रोड बेहद महत्व की है। यह लगभग 20 पंचायतों के आवागमन का मार्ग है जो पूर्ण-रूपेण टूट गई है। मानपुर कलां से लेकर 5 किलोमीटर का टुकड़ा तो चलने लायक नहीं है। बिलकुल टूट चुका है। सड़क के दोनों ओर किसानों के खेत हैं। उनमें से निकलना मुश्किल है। इस मार्ग पर जयपुर से टोड़ामीणा, वाया मानपुर कला पंचायत वासना (व्यवधान)

श्री सम्पतसिंह : कौन सुन रहा है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री रह चुके हैं, इनको भी कहा था। मैंने कहा था कि मंत्री महोदय मेरे काम करें तो बोले कि आप भाजपा की मेम्बर हैं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, इससे पर्याप्त काम हो जाएंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे पूरा कहने तो दें। आप बोले कि आप भाजपा की मेम्बर हैं इसलिए मैं काम नहीं करूंगा ? बोलो क्या कहा था आपने ?

श्री सम्पतसिंह : भाजपा का तो हम बहुत आदर करते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और अगली बात नहीं बोली थी ? बोले अम्मा का काम करूंगा पर भाजपा का नहीं करूंगा।

श्री सम्पतसिंह : अब तो कोई नहीं सुन रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मानपुर कलां वासिनी बस संचालन भी होता है। बस कितनी ही बार उलट चुकी है। यात्रियों की जान-माल का नुकसान भी हो चुका है पर बार-बार कहने पर भी विभाग द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणजन बेहद परेशान हैं। मानपुरकलां से वाया वासना, टोडामीणा तक यह सड़क आगे गई है जिस पर निर्माण कार्य की देरी व विभाग की अकर्मण्यता से यहां सभी ग्रामीणजन परेशान हैं। एतदर्थ पैसा व वित्तीय स्वीकृतियां भी निकल चुकी हैं परन्तु कार्य में गति नहीं है। इस सड़क मार्ग पर एक व्यक्ति ने सड़क को तोड़कर मलबा हटाकर निजी आवास बनाया था जिसे कृपा कर एस. डी. एम. आमेर ने हटवा दिया है, परन्तु विभाग ने इससे पूर्व में बराबर अनदेखा किया है। यहां तक कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं की कि उक्त अतिक्रमण को हटाने में मदद करे। खेद है कि उक्त कार्यों के लिए इस अप्रिय घटना से पूर्व सड़क पूरी बन जाती तो विभाग के पास साइबोर्ड रोड के डामरीकरण के आदेश तीन वर्ष पूर्व 20 फरवरी को हो चुके थे। आदेश विभाग की फाइलों में है। सम्पर्क किया मैंने खुद वह आदेश पढ़े थे लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक अर्थात् मंत्रियों से सम्पर्क करने पर भी स्वीकृति के बावजूद भी यह सड़क पता नहीं क्यों नहीं बनाई जा रही है। मंत्री बैठे हैं एक तो, इसके पीछे विभाग का क्या मन्तव्य है, यह निष्क्रयता और कितने दिन जन-धन की क्षति करेगी। ग्रामीण जन में इस भयंकर निष्क्रयता और अकर्मण्यता से रोष है। तीन दिन पहले डेढ़ सौ आदमी मेरे घर आये थे, वे आक्रोश में हैं और उद्वेलित हैं। मेरा मंत्री महोदय से, जो यहां नहीं है, अब कैसे कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह दीजिये, सुन रहे हैं। काफी लोग बैठे हैं, रिकार्ड हो रहा है आपका सब। जवाब के लिये जायेगा, जवाब मिलेगा, ये कन्वे कर देंगे, यह बैठे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मंत्रीजी से क्या कहूं। आप तो कृपा करके ऐसी जगह पर मेरे यहां सड़क शुरू की है जहां से मेरी पुरानी कितनी पीढ़ियां निकल गईं, कभी सड़क नहीं बनी, आगे भी सम्भावना नहीं थी। अगर आप

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर हो रही हैं आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देती हूं आपको। मुझे शायद वहीं प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो मैंने आपसे अपनाई थी। मुझे सबसे ऊंची जगह बताओ जहां से मैं कूद कर क्या करूं, अब मैं आगे नहीं बताऊंगी।

माननीय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस कार्य को वह स्वयं देखें और अविलम्ब पूरा कराने के निर्देश दें जिससे ग्रामीण जन राहत पा सकें। अतः यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। इसको आपने लगा दिया मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आप मंत्री महोदय से स्वयं भी इस काम के लिये जरूर कहेंगे इतनी बात कह करके, आपने मुझे समय दिया आपका आभार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

व्यक्त करते हुये मेरी बात समाप्त करती हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ।

जोधपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जोधपुर शहर की वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों नालियों आदि की मरम्मत के संबंध में प्रस्ताव ।

महोदय, राजस्थान के अन्य भागों की तरह जोधपुर में भी इस बार अच्छी वर्षा हुई है, और इस मानसून की भारी वर्षा से जहां-जहां कृषि क्षेत्र को राहत मिली है, वहीं शहर की परम्परागत सड़कों, नालियों, गटर लाइनों एवं रोड़ लाइट आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से झकझोर कर रख दिया है ।

जोधपुर शहर की सड़कें जगह-जगह से टूट गई है । वर्षा से ऊपर का डामरीकरण बह गया है, एवं जगह-जगह पर बड़े-बड़े खड्डे हो जाने से जहां आये दिन वाहनों से दुर्घटनायें होने का भय मंडराता रहता है, वहीं स्त्रियों एवं बच्चों का पैदल चलना दुर्भर हो गया है ।

सड़कों की इस स्थिति के साथ ही गटर लाइनें एवं नालियों जो वैसे भी आबादी के अनुपात में पर्याप्त नहीं है, वो भी पूर्णतया अव्यवस्थित हो गई हैं, जिससे तमाम गन्दगी एवं मैला वर्षा के पानी के साथ सड़कों पर बहने से पूर्ण शहर बदबू मार रहा है, एवं जनता भारी कठिनाई का सामना कर रही है, एवं कोई आश्चर्य नहीं कि इस प्रकार की गन्दगी से कोई बीमारी जनता को घर दबोचे ।

सड़कों एवं नालियों की स्थिति का जो वर्णन किया गया है, वह पूरे शहर की स्थिति का करीब-करीब स्पष्ट चित्रण करता है, परन्तु मुख्य सड़कें एवं समानान्तर नालियों एवं सिवरेज सिस्टम जिसे तुरन्त सुधारने एव मरम्मत की आवश्यकता है उन्हें उदाहरण के लिये इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है :

1. जालोरी गेट से फतेहपोल मार्ग ।

2. सिवांची गेट से मोची मार्केट वाया नाजरजी की बावड़ी से घोड़ों के चौक तक ।

3. सिवांची गेट से चांदपोल मार्ग ।

4. हाथीराम के ओड़ा से नागौरी गेट वाया जालोरिया का बास, गुलाब बाग, फतेह सागर ।

5. कन्दोई बाजार से आडा बाजार, मकराना मोहल्ला, माणक चौक ।

6. सोजती गेट से त्रिपोलिया ।

उपरोक्त मुख्य मार्गों के साथ ही शहर की भीतरी भाग की छोटी-मोटी गलियों एवं सम्पर्क सड़कें जैसे खेरातियों का बास, कबूतरों का चौंक, गलियों का बास, हनुमान जी की भारवरी से रामानुज कोट, नाइयों

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

के बड़े से चांदपोल आदि इस प्रकार की कई अन्य सड़कों एवं भीतरी क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, जहां तुरन्त मरम्मत कार्य प्रारम्भ किये जाने चाहिये।

यहां यह भी निवेदन करना उल्लेखनीय होगा कि दशहरा के पर्व पर जोधपुर किले से भगवान श्रीराम की परम्परागत रथ यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है, परन्तु यदि तुरन्त इन सडकों को दुरूस्त नहीं किया गया तो इस धार्मिक पर्व पर इस परम्परागत रथ यात्रा को निकालने में कठिनाई होगी, जिससे आम जनता की धार्मिक भावना को आघात लग सकता है।

अतः मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सरकार से पुरज़ोर शब्दों में निवेदन करती हूं कि जोधपुर शहर की तमाम क्षतिग्रस्त सड़कों, नालियों, गटर लाइनों, रोड़ लाइटो एवं मूलभूत नागरिक सुविधाओं को मध्य नजर रखते हुये, मरम्मत करवा कर सुचारू बनावें, जिससे लम्बे समय से परेशान जनता को राहत मिल सके।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से भी यह आग्रह करती हूं, कि भारी वर्षा से हुई क्षति को मध्य नजर रखते हुये सड़कों, नालियों आदि की मरम्मत हेतु नगर परिषद, जोधपुर को विशेष अनुदान एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करावें, जिससे जनता को अविलम्ब राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जोधपुर से आने वाली माननीय विधायिका ने सड़कों के विषय में जो ध्यान आकर्षित किया है आपके माध्यम से मेरा सदन से निवेदन है कि जोधपुर शहर ही नहीं राजस्थान में पी. डब्ल्यू.डी. की जो सड़कें बरसात से क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनका 15 सितम्बर से मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि 15 अक्टूबर तक पी. डब्ल्यू. डी. की सारी सड़कें पुरानी जैसी स्थिति में आ जायें, कोई भी खड्डा ना रहे, सबकी मरम्मत हो जाये। यह मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को इसके लिये तो धन्यवाद दे दूं। एक मंत्री महोदय से निवेदन है आपके माध्यम से कि शहर के अन्दर जो फतेहपोल से जालोरी गेट तक की सड़क है उसको अगर सीमेन्टीकरण करवा दें, हर साल पांच सात लाख रुपये खर्च होते हैं, मेरा सुझाव है कि अगर इस तरीके से करवा दें तो वहां जब बरसात आती है तो पानी का बहाव बहुत रहता है हर साल 5-7 लाख रुपये खर्च होते हैं उसकी बचत होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि उसके ऊपर विचार करें तो बहुत अच्छा होगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कुणी ग्राम, चौसला पंचायत की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरिशचन्द्र कुमावत, सदस्य, विधान सभा ग्राम पंचायत चौसला की गैर

(श्री उपाध्यक्ष)
मुमकिन गोचर भूमि के लिये राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम कूणी, पंचायत चौसला की गोचर भूमि खसरा नम्बर 791 रकबा 600 बीघा पर भेड़ पालन सहकारी समिति के नाम पर अवैधानिक कब्जा करने एवं इस समिति द्वारा की गई अनेक प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री, भेड़ ऊन विभाग मंत्री एवं सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री ।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम कूणी तहसील नावां के हाल खसरा नं. 761 रकबा 92.15 हैक्टेयर का पुराना खसरा संख्या 237 था । वर्ष 1979 में ग्राम कूणी का खसरा संख्या 237 रकबा 600 बीघा गैर मुमकिन गोचर ग्राम पंचायत को खातेदारी में दर्ज था । कलक्टर, नागौर ने उनके आदेश क्रमांक प. 6 (132) राज/79 दिनांक 3-10-79 के द्वारा उक्त खसरा संख्या 237 में से 100 हैक्टेयर भूमि चारागाह विकास हेतु परियोजना निदेशक (डी. पी. ए. पी. को आवंटित की थी । इस आदेश की पालना में दिनांक 2-11-79 को पटवारी चौसला ने इस भूमि का कब्जा यूनिट मैनेजर, डी. पी. ए. पी. पनवाड़ी को सम्भलवाया तथा तहसीलदार, नावां ने दिनांक 17-7-80 को नामान्तरकरण संख्या 462 स्वीकृत किया जिनके द्वारा उक्त खसरा संख्या 237 ग्राम पंचायत के नाम खारिज किया जाकर भेड़ विकास हेतु परियोजना निदेशक (डी. पी. ए. पी.) नागौर को खातेदारी में अंकित किया गया । इस नामान्तरण के आधार पर तत्कालीन जमाबंदी सम्वत् 2034 व सम्वत् 2037 में नोट अंकित किया गया । तब से यह खसरा रिकार्ड में परियोजना निदेशक, डी. पी. ए. पी. की खातेदारी में चलता रहा । हाल ही में तत्कालीन नावां में सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान इस खसरा संख्या 237 का नया खसरा नम्बर 761 रकबा 92.15 हैक्टेयर बनाया गया तथा इसे सिवाय चक नाकाबिल काश्त गोचर दर्ज किया गया ।

वर्तमान में खसरा संख्या 761 राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक नाकाबिल काश्त गोचर दर्ज है । सम्वत् 2049 में श्री शिवकरण पुत्र मेवाराम, अध्यक्ष, कूणी भेड़ पालक सहकारी समिति ने खसरा संख्या 761 में 10.24 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण करके ग्वार की फसल बोई है । तहसीलदार, नावां ने श्री शिवकरण के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मुकदमा संख्या 34/92 दर्ज करके कार्यवाही आरम्भ की । तहसीलदार, नावां ने दिनांक 4-9-92 को भू-अभिलेख निरीक्षक, लूणवां को निर्देशित किया कि श्री शिवकरण द्वारा अतिक्रमण कर बोई गई ग्वार की खड़ी फसल को कुर्क करके अपनी तहसील में लेकर कुर्की कागजात नीलामी हेतु अविलम्ब पेश करें । इस आदेश की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक, लूणवां ने दिनांक 7-9-92 को ग्वार की खड़ी फसल को कुर्क कर लिया है ।

(श्री गंगाराम चौधरी)

तहसीलदार, नावां ने उनके पत्र दिनांक 15-9-92 द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक को निर्देशित किया है कि कुर्कशुदा फसल को नीलाम करने हेतु नीलामी इश्तिहार जारी करके नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करें। यह भूमि कभी भी कूणी भेड़ पालक सहकारी समिति की खातेदारी में नहीं रही। वर्तमान में यह भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक नाकाबिल काश्त, गोचर दर्ज है तथा राजकीय भूमि है।

श्री शिवकरण, अध्यक्ष कूणी भेड़ पालक सहकारी समिति द्वारा सम्वत् 49 में किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में तहसीलदार, नावां द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत समुचित कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण रकबा 10.24 हैक्टेयर के अलावा खसरा संख्या 761 का शेष रकबा जो लगभग 82 हैक्टेयर है, मौके पर खाली है जिस पर ग्राम की मवेशी आज भी चरती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिशचन्द्रजी।

श्री हरिशचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 80 में यह जमीन चारागाह विकास हेतु परियोजना निदेशक, डी. पी. ए. पी. को दी गई थी और उसी के अनुसार यह 600 बीघा जमीन थी, उसका नामान्तरण भी उनके नाम हो गया। अब ढाई-तीन साल पहले सैटलमेंट हुआ तो सैटलमेंट ने इस जमीन का नामान्तरण बदल दिया, सिवाय चक नाकाबिल काश्त कर दिया। इसका क्या कारण था कि सैटलमेंट ने इस नाम से कर दिया जबकि उस विभाग ने वहां पर चारा विकास योजना हेतु कुआ भी किया होगा, वहां और भी विकास किया होगा, वहां मौजूद होगा तो फिर सैटलमेंट ने यह रद्दोबदल कैसे कर दिया। तो मंत्रीजी मुझे बतायें कि सैटलमेंट ने पहले तो यह रद्दोबदल कैसे किया ?

दूसरे, जिस व्यक्ति ने यहां पर यह कब्जा किया है और वही सहकारी समिति का अध्यक्ष भी है तो यह संदेह होता है कि जब उसके नियन्त्रण में थी तो जानबूझ कर जब सैटलमेंट हुआ उस समय उसने ध्यान नहीं रखा और जानबूझ कर उस पर कब्जा करने के नीयत से इस प्रकार की कार्यवाही कराई ताकि टी पी दर्ज होकर उस जमीन पर, बड़ी जमीन पर उसका कब्जा हो सके। तो यह संदेह जाहिर होता है। तीसरा मेरा यह कहना है कि वहां पर पटवारी भी है, आर. आई. भी है उन सब को ध्यान में है कि सरकारी रिकार्ड में है तो उस पर यह कब्जा हो जाने के बाद कब मुकदमा दर्ज हुआ और जब यह कब्जा कराने वाले खुद पटवारी और आर. आई हैं तो वह उस जमीन पर जो फसल बोई है उसको नीलाम करके राशि जमा करवा देंगे, इस में संदेह होता है तो मैं चाहूंगा कि जो फसल बोई है उसकी नीलामी की कार्यवाही तहसीलदार लेवल के अधिकारी से करवाई जाय क्योंकि वह आर. आई. और पटवारी पहले ही उनसे मिले हुए हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय का यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि पहले तो सैटलमेंट ने किस प्रकार इसमें परिवर्तन किया और उसका कब्जा किया,

(श्री हरिशचन्द्र)

उसके लिए तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की, उस पटवारी और आर. आई. के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गंगाराम चौधरी : भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा इस भूमि को चारागाह नाकाबिल काश्त दर्ज किया गया है, इस संबंध में तो जानकारी इस वक्त नहीं की जा सकी, अलबत्ता तो डी. पी. ए. पी. को चाहिए था कि सैटलमेंट विभाग ने जो एन्ट्री की है और अगर उनके हक में सही नहीं है तो उनको एतराज करना चाहिए और एतराज करने के बाद में जो भी अदालत ए. एस. ओ. या ए. आर. ओ. जो भी फैसला करता, हो जाता। यह भूमि सैटलमेंट विभाग में चारागाह दर्ज की है और मेरे पास अभी इतनी ही जानकारी है। लेकिन माननीय सदस्य यह चाहेंगे या सहकारी समिति की तरफ से, हालांकि सहकारी समिति का तो इसमें रिकार्ड में दर्ज ....

श्री उपाध्यक्ष : यह कह रहे हैं कि सिवाय चक भी लिखी हुई है, यह क्यों लिख दिया ? गोचर भूमि थी।

श्री गंगाराम चौधरी : देखिए–सिवाय चक का मतलब कई तरह से लोग लेते हैं। सिवाय चक का मतलब आम तौर पर यह होता है कि कृषि से अलग, कृषि भूमि को चक बन्दी या चक कह देते हैं और कृषि से अलग, इसलिए सिवाय चक लिख दिया और नाकाबिल काश्त भी लिखा और चारागाह भी लिखा, यह शब्द इसमें लिखे गये हैं। तो यह चूंकि पहले से ही दर्ज था चारागाह, इसलिए भू प्रबन्ध विभाग ने इस तरह से इसको दर्ज कर दिया। अगर माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसका इन्द्राज गलत हुआ तो इस सम्बन्ध में जानकारी कर ली जायेगी, इन्क्वायरी कर ली जायेगी। दूसरे, माननीय सदस्य का यह अन्देशा है कि नीलामी आर. आई. और पटवारी के मार्फत न की जाये चूंकि उनकी मिलीभगत से उसने फसल बोई है शिवकरण ने, तो इस सम्बन्ध में मैं विश्वास दिलाता हूं कि उच्च अधिकारी के द्वारा ही नीलामी की कार्यवाही की जायेगी और नियमानुसार माकूल कार्यवाही की जायेगी, बेदखली की जायेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : और कुछ ?

श्री हरिशचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जमीन पर शिवकरण ने कब्जा किया और वहां पर सन् 80 में इस जमीन को भेड़-ऊन विभाग को दिया गया। उसके बाद भेड़-ऊन विभाग ने उस जमीन को यह जमीन सौंपी तो यह सैटलमेंट हुआ ढाई साल पहले, इतने वर्षों में यह भूमि सहकारी समिति के पास रही तो वहां पर उसकी आमदनी भी हुई क्योंकि वहां पर जो भेड़ें थी, मेंढ़े होते हैं उनकी भी नीलामी की होगी और वहां पर जो मींगणी, खाद होती है उसका भी बेचान किया होगा, ऊन का बेचान भी किया होगा और जमीन की जो उपज है जैसे खेजड़ी का लूंग....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें यह कहां इन्क्लूड होता है, आप तो अतिक्रमण वाली बात कह रहे हैं, आमदनी वाली बात यहां कहां सम्बन्ध रखती है ?

श्री हरिशचन्द्र : तीनों का ध्यान आकर्षित किया है और यह जवाब में भी है कि अतः राजस्व विभाग इस सम्बन्ध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकता। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की प्रतिलिपि शासन सचिव, विशिष्ठ योजना संगठन, शासन सचिव, सहकारिता विभाग एवं शासन सचिव, भेड़-ऊन विभाग को प्रेषित कर दी है। उनसे यह निवेदन किया गया है कि उनसे संबंधित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक टिप्पणी दें, सीधे ही विधान सभा को प्रेषित करें। तो उन्होंने भी उनको सूचना दे दी है और उनका भी जवाब आज के दिन आना चाहिए। तो माननीय भेड़-ऊन मंत्री और सहकारिता मंत्री भी यहां उपस्थित रहने चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सारी बातों का, इसमें तो एक राजस्व-विभाग उत्तर देगा। अतिक्रमण वाला है, सारे विभाग तो साथ आ नहीं सकते।

श्री हरिशचन्द्र : इसमें है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आपने दे दिया होगा लेकिन उत्तर तो एक ही विभाग देगा न।

श्री हरिशचन्द्र : जो जवाब दिया है उसमें यह अंकित है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत सारे अल्टर-नेटिव हैं और जिनके तहत आप इसको रेज कीजिए। आज तो यह एक ही उत्तर आयेगा यहां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ज्वाइंट रेस्पोन्सिबिलिटी है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नो-नो ज्वाइंट रेस्पोन्सिबिलिटी। अलग-अलग हैं तीनों प्रकार के मामले।

श्री हरिशचन्द्र : मेरे पास जो जवाब है उसमें यह स्पष्ट अंकित है।

श्री उपाध्यक्ष : इससे नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है जिसका जिक्र आ गया है और जिसका जिक्र है कि मंत्रीजी की जानकारी में है और कोई भी इस प्रकार का मामला आता है तो ज्वाइंट रेस्पोन्सिबिलिटी है। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि....

श्री उपाध्यक्ष : महावीरजी, अलग प्रकार का मामला है यह। बिराजिए आप। अलग प्रकार का है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या ?

श्री हरिशचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है ...

श्री उपाध्यक्ष : जिनके तहत जानकारी भेजी है वही तो उत्तर देंगे ना।

श्री हरिशचन्द्र : इसमें लाखों रुपये का घोटाला हुआ है क्योंकि जो आमदनी हुई

(श्री हरिशचन्द्र)

है, जो सरपंच था शिवचरण चौधरी, अब इसका अध्यक्ष भी है, उसने अपने कब्जे में ले रखी है, उस राशि का दुरुपयोग किया है और अभी भी रिकार्ड उसी के कब्जे में है ताकि वह हेराफेरी कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सारा मामला जब इस प्रकरण में आगे संबंधित है तो माननीय मंत्रीजी को पूरा इसका जवाब देना चाहिए क्योंकि जवाब में यह साफ है, उन्होंने उसका जवाब मंगाया है तो यह सारा जब नहीं आयेगा और उसको यह जानकारी हो जायेगी तो वह सारे रिकार्ड को इधर-उधर कर देगा और यह जो रकम का गबन हुआ है, उसका फिर सरकार कुछ नहीं कर पायेगी। इसलिए सारी जिम्मेदारी है। मंत्री महोदय, इसको आप भी आश्वस्त करें कि उसका रिकार्ड जप्त किया जायेगा इसलिए सारी जिम्मेदारी है तो माननीय मंत्री महोदय इस बात के लिए भी आश्वस्त करें कि इनका रिकार्ड जब्त किया जयेगा और जो भी उसकी आमदनी हुई है उसका पूरा लेखा जोखा लिया जाकर जांच करवाई जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप तो शिवचरण के कब्जे वाला है, उसके लिए फरमाओ। उसको कब हटवा दोगे।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह जमीन सहकारी समिति को सौंपी गई, यह बात सही नहीं है। यह जमीन राजस्व रिकार्ड में डीपी एपी के नाम ही दर्ज थी और उन्हीं की खातेदारी में थी और उसके बाद में राजस्व रिकार्ड में ही वापस चारागाह हो गई तो राजस्व विभाग इसका मालिक हो गया। इसलिए राजस्व विभाग ने 91 के तहत कार्यवाही की और दूसरे जो भेड़ व ऊन विभाग है, उनके सम्बन्धित है, हमारे पास सूचना आई नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, आती तो मैं भी कुछ कह देता।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर में अध्यापक की प्रतिनियुक्ति

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय श्री सम्पत सिंह, सदस्य, विधान सभा, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री सम्पत सिंह : मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री रतन लाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निदेशालय संस्कृत शिक्षा ने समूचे राजस्थान के 30 जिलों में होने वाली द्वितीय व तृतीय वेतन शृंखला के अध्यापकों की रिक्तियों के लिए प्रति वर्ष विज्ञापन प्रकाशित करने होते हैं। इन वेतन शृंखलाओं में संस्कृत, सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक

(श्री रतन लाल जाट)

शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष इत्यादि विविध पद होते हैं। विज्ञापन के सन्दर्भ में प्रत्येक जिला नियोजन कार्यालय से प्राप्त होने वाले लगभग 22,000 आवेदन पत्रों का विषयवार एवं पदवार पंजीकरण करने के उपरान्त नियमानुसार स्क्रूटनी, पात्रता परीक्षण, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षकीय प्रवृतियां, अध्यापन अनुभव, राज्य कर्मचारी आश्रित, अध्यापक पुत्र-पुत्री आदि निर्धारित विविध अंकों की पोस्टिंग अलग-अलग कॉलम में करके वरीयता सूची निर्मित करने हेतु आधार अंक निकालने होते हैं तथा प्रत्येक आशार्थी को प्रत्येक विषय एव पद के लिए योग्यता अधिमान की वरीयता निर्धारण कर नियुक्ति हेतु योग्यता सूची बनानी होती है। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कार्य कितना क्लिष्ठ, विशिष्ठ समय साध्य कार्य है। यह कार्य समय बद्ध करना होता है। और इसके लिए हमेशा ही अतिरिक्त मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः इस अशिक्षण के लिए 10 शिक्षकों को लगाया जाना आवश्यक होता है। इसलिए ऐसे अध्यापकों को विभागीय हित में मुख्यालय पर बुलाया जाता है। वरीयता सूची के निर्धारण का प्रोफोर्मा संलग्न है। फरवरी 1992 से मार्च 1992 तक इस कार्य के लिए गठित कार्यकारी दल के शिक्षकों की सूची, इसके साथ ही 1992-93 के रिक्तियों की वरीयता सूची निर्मित कराने के सन्दर्भ में समय-समय पर लगाये गये शिक्षकों की सूची भी साथ में संलग्न है।

जहां तक उन अध्यापकों के अभाव में उन संस्थाओं में शिक्षण कार्य के प्रभावित होने का सम्बन्ध है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षाओं के कारण फरवरी, 92 से अभ्यास अवकाश हो गया था अतः फरवरी एवं मार्च 92 में किसी शिक्षक को नहीं लगाया गया था। विद्यालयों में बोर्ड की परीक्षा के कारण कोई शिक्षण कार्य नहीं था, अप्रेल, 92 में किसी शिक्षक को नहीं लगाया गया था तथा मई-जून 92 में विद्यालय ग्रीष्मावकाश के कारण बंद थे। विभाग में सामान्यतया यह प्रयास रहता है कि शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचे बिना जहां तक सम्भव हो, वहां से शिक्षक लगाये जाते हैं। वैसे शिक्षकों के शाला से प्रवास की अवधि में शाला प्रधान अन्य शिक्षकों की रिक्तान्तरों में पाठ्य चर्चा व्यवस्था करते हैं, अतः शिक्षण व्यवस्था को यथा साध्य बनाये रखने का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जैसा अपने जवाब में फरमाया है, स्पष्टतः उन्होंने यह नहीं बताया है कि संस्कृत शिक्षा जो करीब-करीब अलोकप्रिय होती जा रही है राजस्थान में खास तौर से, अव्वल तो कोई संस्कृत की शिक्षा लेना ही पसन्द नहीं करता, कोई जाता भी है तो मैं जानना यह चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षक क्यों निदेशालय में पदस्थापित किये जाते हैं। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा का अध्यापक ही

(श्री सम्पत सिंह)

क्यों निदेशालय में है ? दूसरे विभागों के प्राध्यापक-अध्यापक क्यों नहीं लगाये जाते और खास तौर से मई-जून के महीने में जब अवकाश के दिन होते हैं, उस समय अध्यापकों का सदुपयोग करना चाहिये और ऐसे हालात बने हुए है निदेशालय में कि अध्यापक तो, आपने जो काम सौंपा है, उस काम को अंजाम दे रहे हैं, तमाम फेहरिस्त तैयार करते हैं, जो क्लिष्ट काम आपने बताया और जिस क्लिष्ट काम के लिए क्लर्कों को आपने रखा हुआ है, वे कार्यालय के बाहर फिजूल के कामों में व्यस्त करें, मटरगस्ती करते रहें, दोनों तरफा नुकसान पब्लिक एक्सचेकर का हो।

एक तो अध्यापन का काम सफर करें, प्रभावित हो, छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो, दूसरे जिसको अच्छे-खासे वेतन की तनख्वाह पर रख रहे हैं क्लर्कों को, उसके काम का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। वह कार्यालय से बाहर है, अनुपस्थित रहे, ऐसी हालत में माननीय मन्त्रीजी क्या यह उचित समझते हैं क्योंकि क्लिष्ट काम को सिर्फ अध्यापकों से ही कराया जाय, उसके लिए स्टेटिसटिक्स से कोई अनुभवी अधिकारी लिये जा सकते हैं, दूसरे किसी क्षेत्र से आपके अधिकारी को लिया जा सकता है। क्या वजह है, संस्कृत अध्यापकों को ही लगाया जा सके।

मैं जानना चाहूंगा कि संस्कृत के अध्यापक ही क्यों निदेशालय में ज्यादातर को पद स्थापित किया जाता रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान में जो निदेशक महोदय है, उनके कृपा पात्र ये हैं और पढ़ाई-लिखाई के बोझ से बचने के लिए, बचाने के लिए, उन्हें ठण्डी-ठण्डी हवा खाने के लिए, वातानुकूलित कमरों में बैठाये रखने के लिए पद स्थापन कर दिया गया है और वहीं स्कूलों में, विद्यालयों में छात्रों को इसका प्रभाव भुगतना पड़े, जिन्दगी के उनके अध्यापन--अध्ययन के जो वर्ष हैं, उसमें खामियाजा उठाना पड़े कि मंत्रीजी से खास तौर से यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो मैंने निवेदन किया है, आपका ध्यान आकर्षण किया है, उस पर खुलासा करके बताइयेगा कि आखिर संस्कृत अध्यापकों के साथ ही यह मेहरबानी या यह निष्ठुरता, जैसा भी आप उचित समझें, वह क्यों की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अनधिकृत रूप से माननीय सम्पत सिंह जी ने आज यहां पर एक सर्टिफिकेट दे दिया ..

श्री उपाध्यक्ष : आप सहयोग दीजिये। यह सम्पत सिंह जी का अपने-आपमें ही शब्द है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सुनिये आप, राजस्थान में संस्कृत अलोकप्रिय होती जा रही है, मुझे इस पर आपत्ति है, इस शब्द को निकाला जाय। नहीं, कैसे अलोकप्रिय है, बल्कि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में शायद आपने प्रश्न भी रखा हुआ है लेकिन अपनी बात को आप

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

ठीक नहीं कह पाये, गलत ढंग से कहा जो आपत्तिजनक है। उन शब्दों को निकाला जाय या माननीय सदस्य इसको वापस ले। एक ओर तो तारीफ कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं, दूसरी ओर आपत्तिजनक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। खेद की बात है।

श्री सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर संस्कृत लोकप्रिय होती तो माननीय सदस्या पहले तो संस्कृत में ही बोलती, इतने ही लाभ ले रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं कितनी ही संस्थाओं से ये और पूरा परिवार इनका...

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यहां संस्कृत में लिखने की व्यवस्था हो तो मैं केवल संस्कृत में ही बोलूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपने अलोकप्रिय कैसे कही, अनावश्यक रूप से आप अलोकप्रिय कह रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : संस्कृत में ही लिखा जायेगा। आप बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप संस्कृत के बारे में जानते नहीं, विभाग के बारे में पूरी जानकारी है नहीं। इतनी लोकप्रिय भाषा के सम्बन्ध में आप अलोकप्रिय कैसे कह रहे हैं। मैं इसको आपकी अज्ञानता कहूंगी कि आप अज्ञानी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। इसको बहस का विषय नहीं बनायें। माननीय सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पत सिंह : आप संस्कृत की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हिन्दी दिवस पर आपने दूरदर्शन एक-एक इन्टरव्यू देखा होगा। तीन विद्वान उस समय हिन्दी में बैठे हुए थे और मैंने अपना दूरदर्शन सैट खोला इतनी ही देर में एक विद्वान के मुंह से कम से कम एक दर्जन बार अंग्रेजी के शब्द निकले हिन्दी दिवस के दिन, ये संस्कृत की बात कर रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री रतनलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने संस्कृत शिक्षा निदेशालय में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति के बारे में, जो ध्यानाकर्षण किया है और खास तौर से संस्कृत के जिन अध्यापकों को यों ही इस कार्य के लिए यहां पर डेपुटेशन पर बुलाया जाता है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस निदेशालय में सभी प्रकार के अध्यापक, जिसके बारे में अभी मैंने निवेदन किया था, तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी के अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, शारीरिक शिक्षक, कई प्रकार के अध्यापकों के, उनकी नियुक्ति का अधिकार केवल निदेशालय को ही प्राप्त है और क्षेत्रीय कार्यालय को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है.... क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक निदेशालय की तरह हमारे यहां संस्कृत शिक्षा ने कोई प्रशासनिक सैट-अप नहीं है और न ही संस्कृत निदेशालय के पास प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संतुलन में मानव शक्ति है और क्योंकि यहां पर सभी रिक्त पदों पर उनके यहीं पर सलेक्शन

(श्री रतनलाल जाट)

किया जाता है इस हेतु इन सभी अध्यापकों को यहां बुलाया जाता है।

जहां तक इन स्कूलों से अध्यापकों को बुलाने का सवाल है तो जिन स्कूलों से अध्यापकों को बुलाया जाता है तो उनके हैडमास्टर्स वहां पर जिन टीचर्स की जो वैकेन्ट पोस्ट रहती है उन्हीं टीचर्स को एडजस्ट करके और बाकी छात्रों की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं।

श्री सम्पत सिंह : यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत के अध्यापकों पर ही क्यों गाज गिरती है ? अंग्रेजी के अध्यापक को भेजो, मैथेमेटिक्स के अध्यापक को भेजो, संगीत के अध्यापक को भेजो, खेल वाले को भेजो जो कुछ नहीं करते। आप कबड्डी में भी फील्ड नहीं मारकर आये हैं। खेल मंत्रीजी की + + + जा रही है, + + + के मारे झुकी जा रही है। ऐसे अध्यापकों को लगाओ, संस्कृत के अध्यापकों से क्यों परेड लेते हो ?

(1.50 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री रतनलाल जाट : माननीय सभापति जी, मैंने निवेदन किया था कि जो अध्यापक इस कार्य हेतु लगाये जाते हैं यह कार्य वास्तव में इतना क्लिष्ट और इतना विशिष्ट है और इतना टाइम बाउण्ड प्रोग्राम है जिसके तहत पूरे निदेशालय में साल भर की एक वरीयता सूची बनाई जाती है और वर्ष भर में उसी मैरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति दी जाती है और जहां तक माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह भी कहा है कि यहां पर जो टीचर्स लगाये जाते हैं। हमारे निदेशालय ने यह प्रयत्न किया है कि जो टीचर्स प्रतिनियुक्तियों पर यहां बुलाये जाते हैं वे जयपुर या आसपास के विद्यालयों से ही हम बुलाते हैं ताकि विशेष टी. ए. उनको नहीं दिया जाय। इसके साथ-साथ हम कोशिश यह कह रहे हैं कि एक स्कूल से प्रायः एक ही शिक्षक को बुलाया जाय। ज्यादा शिक्षकों को कार्य हेतु नहीं बुलाते हैं। इस कार्य हेतु निदेशालय में प्रतिदिन औसतन 4 और 5 शिक्षक इस कार्य हेतु आज दिन तक गये हैं ज्यादा शिक्षक इस कार्य हेतु नहीं बुलाये गये हैं और जो बुलाये गये हैं वे भी वर्ष 1991--92 में हमने ज्यादातर जब प्रिपेयरेशन लीव डिक्लेयर हो गई थी उन दिनों में बुलाये गये हैं या फिर बोर्ड के एक्जामिनेशन हुए थे उन दिनों हमने बुलाये हैं और इसके बाद जब ग्रीष्मावकाश हो गया था उन दिनों में इन अध्यापकों को बुलाया गया था। इसलिए हमारे छात्रों को किसी प्रकार का पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ है।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त हुई। बहुत हो गया।

श्री सम्पत सिंह : बिल्कुल साफ सवाल है।

श्री सभापति : सभी जवाब आपके आ गये हैं।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री सम्पत सिंह : दो बातें हैं। अगर आप पेनेलाईज कर रहे हैं तो खाली संस्कृत के अध्यापक को ही क्यों कर रहे हैं ? और अगर आप उनको कोई आश्रय दे रहे हैं तो भी खाली संस्कृत के अध्यापकों को ही क्यों ? जयपुर शहर में रहने के लिए पचासों किस्म के बहाने इजाद किए जाते हैं। इसमें इस तरह की बात....

श्री सभापति : यह आप अभी-अभी कह चुके हैं फिर से उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। जो माननीय मंत्रीजी जवाब दे सकते थे वह सारा का सारा दे दिया और मैं समझता हूं कि काफी उपयुक्त चर्चा हो चुकी है। अब कृपया समाप्त करने की मुझे आज्ञा दें। चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : आपको उचित लग रहा है कि इस पर और डिस्कशन न हो ?

श्री सभापति : बहुत हो चुका।

श्री सम्पत सिंह : आपका ऐसा आदेश है तो ठीक है।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री सभापति : माननीय शांतिलाल चपलोत, प्रभारी मंत्री, राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री, विधि एवं न्याय) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पुरः स्थापित करेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री सभापति : कारणों का विवरण भी प्रस्तुत कर दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : अब आप प्रस्ताव भी कर दीजिएगा कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री दिग्विजय सिंह : आज नहीं लेना है।

श्री सभापति : नहीं लेना है। श्री शांति लाल चपलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : विधेयक को जनमत जानने के लिए जिन लोगों के प्रस्ताव हैं मैं उनके नाम बोलूंगा।

श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित) प्रो. सांवरलाल जी। (अनुपस्थित) श्री श्रीकिशन सोनगरा। (अनुपस्थित) माननीया श्रीमती उजला अरोड़ा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर मंत्री महोदय राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 में संशोधन के लिये यहां पर एक प्रस्ताव लाये हैं। आपने चाहा है कि जो भी इस प्रकार के संशोधन हैं वो 14 दिन के लिए विधान सभा में प्रेषित किये जायं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप स्पष्ट करें जब विधान सभा सत्र में हो यह शब्द इस वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है। मेरा आशय यह है कि जो भी संशोधन प्रेषित किये जाय वे वाद-विवाद और विचार-विमर्श के लिए सदन में आने चाहिए तभी उनको प्रस्तुत किया हुआ माना जाय। मंत्री महोदय अगर ऐसा नहीं हुआ, सदन में आये, 14 दिन पड़े रहे फिर वे अपने आस-पास हुए मान लिए गए तो इस स्थिति में कोई भी कानून नहीं होना चाहिए। हर नियम के उपनियम भी बनते हैं और वह अधिकार विधान सभा को ही है कि वह नियमों के संशोधन को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। इस परिस्थिति में आप इसमें क्या स्पष्ट करते हैं। यह जनमत इस बात पर आधारित है कि यदि आप इस बात को स्वीकार करें तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरा जनमत अपने स्थान पर इसी प्रकार रहेगा।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत साधारण बात है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, राजस्थान गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बनाती है और विधान सभा से करवा ले, 14 दिन तक यहां रखे।

श्री सभापति : उन्होंने पूछा है देना चाहो तो दो नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है।.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे सुनने दीजिए।

श्री शांति लाल चपलोत : राजस्थान स्टेट कोई कानून बनाता है, नियम बनाता है तो उसका रूल्स बनाने का जिम्मा पहले तो इस तरीके से नहीं था और पार्लियामेंट कमेटी ने यह फील किया कि इस तरीके से रूल बनाये जाने चाहिए। इसके लिए धारा 26 (ए) जनरल क्लॉज को जोड़ने का हमने प्रावधान किया है। यह बहुत ही सिम्पल बात है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सिम्पल बात तो है लेकिन एक-एक प्रति यदि सदस्यों को नहीं मिलेगी, यह नहीं कि सदन के पटल पर ही रख दिया जाय। सभी को वितरित की जानी चाहिए तभी विचार-विमर्श हो सकता है। नियम बनाने की तो सिफारिश की गई है उसका आशय कदापि यह नहीं है 14 दिन में कभी भी भेज दिया जाय, कभी भी पास मान लिया जाय। इस प्रक्रिया से कोई भी कानून चैलेंज हो सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप फिर स्पष्ट करें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री शांतिलाल चपलोत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक 1991 को पारित किया जाय।

(2.00 म. प.)

श्री सभापति : कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे ?... कोई नहीं बोलेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : सिम्पल सी बात है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

राजस्थान साधारण खण्ड (संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया गया।

श्री दिग्विजयसिंह जी माननीय प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय दण्ड

(श्री सभापति)

संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये ।

विधेयक पर विचार

भारतीय दण्ड संहिता(राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री समापति : श्री महावीर प्रसाद जैन, कुछ नहीं बोलना तो ठीक है। श्री बिरधाराम चौधरी, (अनुपस्थित) श्रीमती उजला अरोड़ा ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मंत्री महोदय जी यहां पर संशोधन लाये हैं और जो परीक्षा लेने के लिए अधिकृत किया जायेगा उसको लोकसेवक की संज्ञा दी जाये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि नकल करने का अभ्यास परीक्षाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसके लिए कई लोग जो पढ़ते नहीं हैं, मान्यवर सभापति महोदय, निवेदन यह कि लोग पर्चे बनाकर ले जाते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और पढ़ते लिखते हैं नहीं और चाकू लेकर भी कई बार परीक्षायें देने जाते हैं और परीक्षक को धमकाते हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी आपसे आग्रह है कि यह आप ले आये अच्छा है लेकिन आप उत्तर प्रदेश की तरह से यहां पर नकल नहीं की जाये इस सम्बन्ध में पूरा विधेयक लायें । यह मेरा आपसे आग्रह है और मैं समझती हूं कि आप इसको उचित मानते होंगे और अगर उचित नहीं होता तो उत्तर प्रदेश सरकार जो कि भाजपा की है वह ऐसा नियम नहीं लाती । तो आप मेरे तर्क से सहमत होंगे और सहमति प्रकट करेंगे ।

श्री समापति : विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने हेतु माननीय श्री हेतराम जी बेनीवाल प्रस्ताव करेंगे ।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हेतराम बेनीवाल : सभापति महोदय, निश्चित तौर से यह जो अमेन्डमेन्ट आया है इस अमेन्डमेन्ट के बारे में तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इससे क्या वह समस्या हल हो जायेगी जो इसका परपज है। क्योंकि सिर्फ हम उसको गवर्नमेंट सरवेन्ट डिक्लेयर कर दें उसकी रक्षा नहीं हो जायेगी । जिस तरह का वातावरण बना हुआ है और जिस तरह की प्रवृत्ति नकल की है और जिस तरह से सामुहिक नकल होती है उसके लिए निश्चित तौर से कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए दण्ड संहिता में जिससे कि वह रुक सके । इसलिए मेरा तो निवेदन यह है कि इसको तो वापिस ले लिया जाये और पुनः इसके लिए कोई बिल लाया जाये ।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित) प्रोफेसर श्री सांवर लाल। (अनुपस्थित, श्री श्रीकिशन सोनगरा। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं मेरा जनमत का प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्रीमती उजला अरोड़ा को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी..

श्री सभापति : आप बोल चुकी हैं पहले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं उस विषय पर नहीं बोली जिसके लिए आप कह रहे हैं।

श्री सभापति : इसी विषय पर बोल चुकी हैं आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सुनिये पहले तभी मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राज्य में परीक्षाओं के दौरान ऐसी घटनायें पाई जाती हैं। हर विद्यालय में कभी-कभी तो पुलिस की छाया में परीक्षायें करानी पड़ती हैं। मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार अपना मानस बना ले, आज उत्तर दे या

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नहीं दे मेरा निवेदन है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश की तरह से यहां नियम बनायेगी जिससे कि फिर से नकलबाजी नहीं हो और जो भी शिक्षक हैं जो परीक्षा के लिए जाते हैं उनकी जीवनरक्षा भी हो सकेगी। इस बात को देखते हुए नियम बनाने का यहां पर बात कहेगी सरकार यह बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट सरकार लाई है यह निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में जब बीमारी हद से आगे बढ़ गयी तब जाकर उनका नकल अध्यादेश और एक और अध्यादेश और एक ट्यूशन का अध्यादेश - इस तरह से कई अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार को लाने पड़े। हमारे तो उत्तर प्रदेश पास में लगा हुआ है आगरे का जिला, मामला अभी तक काबू में नहीं आया। अब सवाल पैदा होता है कि यहां पर जो लोग इम्तहान को कन्डक्ट करते हैं और इनविजिलेटर्स जिनको कहते हैं खास तौर से यह इनविजिलेटर्स को सेफगार्ड करने के लिए आप यह अमेन्डमेन्ट लाये हैं। अब इनविजिलेटर्स भी दो प्रकार के होते हैं आपके। जो आपके सरकारी अध्यापक हैं वह तो आलरेडी 353 से कवर होते हैं। अब दूसरे किस्म के अध्यापक हैं जो कि प्राइवेट संस्थाओं के अध्यापक हैं, हालांकि आपका महकमा नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है, आप इनविजिलेटर्स को प्रोटेक्ट करने के हिसाब से लाये हैं और लेकिन एक बीमारी आपके ध्यान में और लानी पड़ेगी क्योंकि सरकार की ज्वाइन्ट रेस्पान्सीबिलिटी है इसलिए कह रहा हूं, जो प्राइवेट संस्थाओं को अब दूरदराज गावों के अन्दर रिकगनाइज्ड संस्थाओं में जो आप परीक्षा केन्द्र स्थापित कर रहे हैं उनके बारे में आप विचार कीजिए और उनके ऊपर आपको कुछ न कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा अन्यथा उत्तरप्रदेश में सभापति महोदय ठेके पर नकल होती हैं। ठेके पर नकल क्या होती है आपको समझाऊं सभापति महोदय। दाम दे दीजिए और कोई और कापी लिख आयेगा। किताब से नकल करनी है उसके दाम दूसरे हैं।

श्री सभापति : परीक्षा केन्द्र सारे के सारे सरकारी स्कूल हैं राजस्थान में और सरकारी स्कूलों में इनविजिलेटर्स सारे सरकारी अध्यापक हैं जो पहले से ही इसमें कवर्ड हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : फिर आप यह किस के लिए लाये हैं ?

श्री सभापति : यह उन लोगों के लिए लाये हैं जो यूनीवर्सिटी के अन्दर उसमें कवर नहीं हैं। यूनीवर्सिटी के टीचर्स गवर्नमेंट में कवर्ड नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप गवर्नमेन्ट की तरफ से एक्सप्लेनेशन देते रहिये।

श्री सभापति : मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं दे रहा हूं। अपनी समझ से दे रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप आसन पर बैठे हुए हैं इसलिए आसन के ऊपर कोई

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कमेन्ट करने का अधिकार नहीं है। आप पढ़िये।

श्री सभापति :बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी पब्लिक बॉडी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो खाली आप यूनिवर्सिटी को क्यों कह रहे हैं सभापति महोदय।

श्री सभापति : नहीं, युनिवर्सिटी एण्ड पब्लिक बोर्ड, सारी....

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति : अच्छा, कहिये आप।

श्री प्रद्युम्नसिंह :Kindly go through it. There is no necessity of giving explanation from the chair,

और आपका एक्सप्लेनेशन तो कम से कम आसन का एक्सप्लेनेशन मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो मेरा खाली आपसे एक ही अनुरोध है, मैंने स्वागत किया है आपकी टोटेलिटी में लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेना पड़ेगा अन्यथा यह बीमारी राजस्थान में घर कर गयी तो जो आपका शिक्षा का स्तर आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, तीनों प्रान्तों के मुकाबले में आपका शिक्षा का स्तर जो बहुत अच्छा है, वर्षों से चला आ रहा है, कहीं वह शिक्षा का स्तर गिर नहीं जाय। इस प्रिकॉशन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यही बात मुझे निवेदन करनी थी आपसे।

श्री नत्थी सिंह: माननीय सभापति महोदय, यह जो विधेयक आप लाये हैं, उसके पीछे जो भावना है उस भावना का मैं समर्थन करता हूं लेकिन आप कानूनी पहलू से, में एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप कह रहे हैं तभी मुझे बोलने की जरूरत पड़ी हैं नहीं तो मैं नहीं बोल रहा था। अभी स्वायत्त शाषी संस्थाओं में जो सरकारी संस्थाये नहीं कहलातीं, ऑटोनोमस कहलाती हैं उनके जो अधिकारी है उनके लिए क्या स्थिति हो ? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है।

(2.10 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो को-आपरेटिव संस्थायें हैं आपकी और वह जो दिल्ली में सुपर बाजार है उसमें जो सरकारी अधिकारी, आई. ए. एस. ऑफिसर डेपुटेशन पर गये और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और उन्होंने कहा कि हम तो गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट आलरेडी हैं, पब्लिक सर्वेण्ट की तारीख में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि एक बार आप डेपुटेशन पर चले गये स्वायत्तशाषी संस्था में, को-आपरेटिव स्वायत्त शाषी संस्था है और सुपर बाजार में उनके बाद आपका करेक्टर बदल गया है। आप पब्लिक सर्वेण्ट नहीं रहे और उनको पब्लिक सर्वेण्ट नहीं माना गया। अब आप दूसरी बात ला रहे हैं। आप यह ला रहे हैं कि ऑलरेडी वह ऑटोनोमस बॉडी है युनिवर्सिटि और वह

(श्री नत्थी सिंह)

पब्लिक सर्वेण्ट की तारीख में नहीं लेकिन इन्विजिलेटर का काम करेंगे तो उनको पब्लिक सर्वेण्ट मान लिया जायेगा । मैं समझता हूं कि कानूनी रूप से ग्राप एग्जामिन करिये, जब सुप्रीम कोर्ट की एक व्यू बन चुकी है जो ग्रालरेडी पब्लिक सर्वेण्ट हैं, गवर्नमेण्ट हैं वह स्वायत्त शाषी संस्था में जाते हैं तो उसको पब्लिक सर्वेण्ट नहीं मानते । ग्राप यह कर रहे हो, यह कानूनी में कितना वैधानिक होगा, मैं चाहता हूं इस पर ग्राप एक बार जरूर विचार करें ।

श्री ग्रध्यक्ष : देखिये, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है ग्रौर मैं समझता हूं इस संबंध में माननीय सदस्य भी ग्रपने विचार विस्तार से प्रकट करें तो ठीक रहेगा क्योंकि संशोधन तो ग्रा ही गया है लेकिन प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेण्ट है । हर दृष्टि से, तो ग्राप जो भी इस पर बोलना चाहें, बोलिये ।

श्री नत्थी सिंह : मैं तो इसलिए कह रहा हूं....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप बोलिये, ग्रौर सुझाव दीजिए ग्राप ।

श्री नत्थी सिंह : मैं तो कह रहा हूं, यह जो संशोधन ग्राप लाये, इस संशोशन के दो पहलू हैं, एक तो कानून संशोधन मैंने बात रखी, पर एक पहलू है कि यह क्या एन्क्रोचमेन्ट नहीं है ? बड़े ग्रच्छे तरीके से जिन स्वायत्त शाषी संस्थाग्रों को ग्राप....

श्री दिग्विजय सिंह : को-ग्रापरेटिव का ग्रौर है, साहब । वह ज्यादा महत्वपूर्ण है ।

श्री नत्थी सिंह : को-ग्रापरेटिव का नहीं, श्रीमान्जी, ग्राई. ए. एस. ग्राफिसर था वह, मैं जो कह रहा हूं वह ग्राई. ए. एस. था ग्रौर भारत सरकार ने उसको डेपुटेशन पर भेजा है ग्रौर जब दफे 21 का सवाल ग्राया तब सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया कि नहीं ग्रौर ग्राज ग्राप जो कर रहे हैं, ग्राप उल्टा यह कर रहे हैं, उनकी ग्रालरेडी जो ग्राटोनोमस बाडीज हैं ग्रौर जिनमें दफे 21 लागू नहीं होती है, पब्लिक सर्वेण्ट नहीं हैं । वह चूंकि इम्तिहान लेने जायेंगे, पब्लिक सर्वेण्ट बना दिये जायेंगे । यह कानून गलत है । कानून के साथ-साथ इसका एक ग्रौर ग्रॉटोनोमी भी खतम करेना चाहते हैं ग्राप । इस तरह से थोड़े दिन के लिए ग्राप पब्लिक सर्वेण्ट बनाना चाहते है इससे क्या फायदा होगा ? ग्रौर भी कई प्रकार हैं, इसमें यह भी है 332 ग्रौर लग जायेगा । वही तो है कितनी इफेक्टिव 332 ग्रौर क्या है, इससे नहीं ग्रौर दूसरे साधन करिये लेकिन जो ग्रॉटोनोमी रखी है, इणरोड्स जो हो रही है, धीरे-धीरे ग्रॉटोनोमी को ग्रवोइड करने की उसको इस तरह से मत लाइये । मुझे पता नहीं यूनिवर्सिटी वाले क्या कहते हैं, उनको सुरक्षा की ज्यादा पड़ी है, ग्रॉटोनोमी की ज्यादा । इस पर सैद्धान्तिक रूप से विचार करिये ग्रौर ऐसे बिल को इस तरह से सदन के समक्ष मत लाइये । इस पर कोई फायदा नहीं होने वाला है ।

श्री ग्रध्यक्ष : उजलाजी के विचार क्या

(श्री अध्यक्ष)

हैं इसके बारे में ? उजलाजी के सुन लीजिए पहले। हां, बोलिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो बोल चुकी हूं। मैं यहां कुछ नहीं कह रही हूं। मैं तो कह रही हूं, आप सम्पूर्ण बिल लाइये।

श्री अध्यक्ष : आप इसमें पूरी खुल कर सलाह दीजिए ताकि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : समय बहुत बच गया इसलिए ...

श्री अध्यक्ष : नहीं कोई बात नहीं, आप सलाह दीजिए ... (व्यवधान)... श्री रमाकान्तजी।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस कानून के तहत आई. पी. सी. का जो सेक्शन 21 है उसमें 12 सब सेक्शन हैं जिनमें यह बताया गया है कि किन-किन प्रकार के जो ऑफिसर हैं वह इस सेक्शन के तहत आते हैं। अब इसमें जो अमेण्डमेण्ड लाया गया है वह बताया गया है कि इसमें 13 वां और जोड़ देते हैं और यह बताया गया है कि वह आदमी जो किसी पब्लिक बॉडी में, जैसे कि युनिवर्सिटी है या जैसे बोर्ड है, इनके जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर हैं, वह भी पब्लिक सर्वेण्ट की गिनती में आ जाते हैं ..

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : कभी-कभी प्राइवेट लोगों से भी काम लेते हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरा नम्र निवेदन है कि एक तो माननीय नत्थी सिंहजी ने जो कहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इस मायने में है, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वह मेरे पास लिखा हुआ है Supreme Court has held that a public servant is an authority who must be appointed by the Govt. or semi Government body and should be in the pay, or salary of the same. So a person like a Municipal Councillor who does not own his appointment to any Government authority is a public servant आगे जाकर इसमें यह बताया गया है In the same way a Lecturer in a Govt. College does not function as a public servant within the meaning of clause 9 of 21 of IPC.

तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि यद्यपि लेक्चरर गवर्नमेण्ट का ऑफिसर है गवर्नमेण्ट से पे लेता है और यदि वह इस तरह के काम नहीं करता है जिसकी मन्शा 183 का है, आई. पी. सी. का, तो उसको पब्लिक सर्वेण्ट नहीं माना जायेगा। अब केवल मात्र अपने यहां पर इसको जोड़ दें और इसको पब्लिक सर्वेण्ट कह दें और यह इस तरह का जो काम कर रहा है, जिसको कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एग्जामिन कर चुके हैं कि इस तरह का जो काम है, इस तरह के काम करते हुए वह पब्लिक सर्वेण्ट नहीं माना जायेगा। किस तरह का काम करते

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हुए पब्लिक सर्वेण्ट माना जायेगा ? इसमें डिटेल उनको बताया हुआ है ।

मेरा इस सिलसिले में और नम्र निवेदन है, हम कानून बराबर बनाते चले जा रहे हैं और एक इतना बड़ा जंगल पैदा कर दिया है कानूनों का इस देश में । एक कहीं स्टेडी आयी थी कि सारे यूरोप के जितने भी देश हैं उन सब में जितने कानून हैं उन सब कानूनों से हिन्दुस्तान में ज्यादा कानून हैं और एक कानून दूसरे कानून से कण्ट्राडिक्ट्री बना हुआ है । मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो अध्यापक और जो छात्र हैं, उसके बीच के सम्बन्ध का हम यदि आई. पी. सी. में ले जायेंगे, हम यदि उसको कानून से निपटाना चाहेंगे तो नहीं निपट सकेगा । पुनः एक वर्ग संघर्ष ही होगा और इस कानून का प्रापरली इम्प्लीमेण्टेशन बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है बिल्कुल भी । जहां छुरा दिखा दिया जाता है, जहां आंख दिखा दी जाती है, वह जो इन्विजिलेटर है वह अपने-आप ही वहां से खिसक जाते हैं ।

इस समस्या का समाधान हमारे शिक्षा का जो जगत है, शिक्षा के जगत में छात्र और अध्यापकों के आपस का जो वातावरण है उसमें जब तक विकास नहीं किया जायेग, उसमें इम्प्रूवमेण्ट नहीं किया जायेगा तब तक हम इन कानूनों से पार नहीं पा सकेंगे । यह हमारी ब्रीटिश लिगेसी है । ब्रिटिशर्स ने कोई आई. पी. सी. जैसी पेनल कोड इंग्लैण्ड में नहीं बनाया आज तक और बराबर वहां कानून का मामला बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और ऐसा कंस्टीट्यूशन भी नहीं बनाया है । वहां पर इने-गिने कानून हैं और हमारे यहां पर जो यह आई. पी. सी. बनायी थी अंग्रेजों ने हमारी गुलामी की हालत में उस आई. पी. सी. को हम निरन्तर बढ़ाते तो चले जा रहे हैं परन्तु हमारी संस्कृति, हमारी जो समझ है, वातावरण है उसके मुताबिक हम नहीं सोच पा रहे हैं कि इस आई. पी. सी. में आमूलचूल परिवर्तन किये जायं । परन्तु इसके अन्दर हम इस प्रकार के कानून जोड़ना चाहते हैं कि अब इस मामले में पुलिस का इण्टरफियरेंस होगा और पुलिस का इण्टरफियरेंस हो कर और छात्रों को नकल करने से रोक दिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का अभी तक काम सम्भव नहीं हो सका है, क्यों ?

आखिरकार लेक्चरर हमारे गवर्नमेंट कालेज के हैं वह तो पहले से ही पब्लिक सर्वेन्ट हैं, चाहे महाराजा कालेज हो, चाहे अलवर का राजर्षि कालेज हो, चाहे चूरू का हो, चाहे डूंगर कालेज हो, वहां के इम्तिहानों के अन्दर यदि इस प्रकार के कानून से आलरेडी वहां लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स को प्रोटेक्ट करना है, कोई एक भी केस 183 के तहत दर्ज हुआ है ? हिम्मत नहीं है किसी भी अध्यापक की जो 183 के तहत छात्रों के अगेंस्ट केस दर्ज करा दे । हम एक और कानून बना रहे हैं जिसका हम वायोलेशन करेंगे, जो कानून किताबों के अन्दर धरा रह जायगा और उसका पालन नहीं हो सकेगा ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी एक प्रवृत्ति हो

(श्री रमाकान्त शर्मा)

गयी है, जो साधारण अध्यापक से काम करवाना है वह पुलिस से करवाना चाहते हैं, जो पुलिस कर सकती है उसको आर्मी से करना चाहते हैं। हम इस तरह के अनुशासनहीन वातावरण में कहां पहुंचेगें। जो काम अध्यापकों को अपने छात्रों के ऊपर करना है उसको हमे पुलिस से नहीं लेना चाहिये। फिर दूसरी बात, इस कानून से हम कौनसा तीर मार लेंगे। इस कानून का वायोलेशन पहले तो जिस वक्त इम्तिहान हो रहे हैं तब होगा फिर यह आफेन्स नान काग्नीजेबल है, पुलिस का इंटरफियरेंस ही नहीं है। सेक्शन 21 और 183 नान काग्नीजेबल हैं। अपको सेक्शन 10 सी आर. पी. सी. के तहत डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस पीरियड के लिये काग्नीजेबल रहेगा और यदि आप भूल गये तो फिर उसमें ठीक है आप एक रिपोर्ट कर दीजिये पुलिस के अन्दर, पुलिस उस एक्शन नहीं लेगी।

इसलिये पहले ही इस सेक्शन को ला मेकर्स ने इतना अनइम्पार्टेण्ट माना है कि इसको कग्नीजेबल तक नहीं माना है। फिर इसमें सजा क्या है? 6 महीने की या 500 रुपये। "एण्ड" तक नहीं लिखा है, "आर" लिखा है। कानून बनाने वालों ने इस सेक्शन को बहुत महत्व नहीं दिया है। 500 रुपये की सजा के डर से कोई छात्र, अध्यापक के उससे बच जायेगा? नहीं बच सकेगा। तो इस प्रकार का जो हम कानून बना रहे हैं, यह कानून केवल मात्र कुछ अध्यापकों ने आकर सरकार से कह दिया कि हम मर गये, साहब, कोई कानून बना दीजिये नहीं तो हम कैसे काम करेंगे, हम इम्तिहान लेने नहीं जायेंगे, हम इन्वेस्टीगेशन नहीं करेंगे, इनविजिलेशन नहीं करेंगे और उस दबाव में आकर हमने फटाफट बिना सोचे समझे कानून को लाकर किताब में रख दिया। यदि इस मामले के अन्दर हम विचार करते और उन अध्यापकों से कहते कि यह आपका काम है, आप इसे अच्छि तरह से निपटाइये, आपके अन्दर महात्मा गांधी का वर्चस्व आना चाहिये छात्रों के मामले के अन्दर। फिर अन्त में निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट में इतना निर्णय हो चुका है कि आप इसको बना दें इसके तहत तो यह कानून स्ट्राइक डाउन हो जायेगा वहां पर नहीं चलने पायेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी। नकल रोकने के बारे में आपके क्या सुझाव हैं?

श्री सम्पत सिंह : मैंने तो कुछ लिख कर दिया नहीं है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिजनेस तो है अभी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार तो बिजनेस लेकर आती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अभी बिजनेस है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप चाहते हैं, आपकी बी. ए. सी. की मीटिंग है, श्रीमन् तो बी. ए. सी. की मीटिंग अभी अनाउन्स

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कर दीजिये वह बी. ए. सी. की मीटिंग में आ जायगा। सरकार के पास कोई बिजनेस नहीं है, अब खीचेंगे जबरदस्ती इसको।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बिराजें। आप बोल रहे हैं।

श्रीमती रमा पायलट : इतनी इम्पार्टेण्ट इस राजस्थान प्रदेश के लिये बहुत सी पालिसी पड़ी हुई हैं जो इन लोगों को बना लेनी चाहिये। वैसा तो कोई बिल लेकर आये नहीं ताकि बस लोग उसमें बिज़ी रहे और बोलते रहें। अब ऐसे-ऐसे बिल लेकर आते हैं, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। फिर उधर से आग्रह करते हैं, भाई बोलो, सब बोलो। क्या बोलें ? यह तो कोई बिल नहीं है, आर्डिनेन्स पास करने से हो रहा था। इतने बिल बढ़िया पड़े हैं उसको आप लाइये, उस पर हम बोलें। लेकिन यह कोई बोलने का मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप लेजिस्लेटिव बिजनेस पर अधिक से अधिक बोलें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कहां तो आप रोकते हैं, श्रीमन्, हमको, आप बोलने नहीं देते जब बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब देखिये, आपके जितने स्पेशल मेंशन आज आये, मैंने सब लगा दिये, एडजोर्नमेंट मोशन आज लगा दिये। आप ही नहीं दे रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं। प्राइवेट मैम्बर जो हैं वह और नहीं दे रहे हैं। माननीय केदार जी।

श्री केदारनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं, स्टूडेण्ट्स का कौनसा सेक्शन है जो एक्जाम के दिनों में नकल मारने के लिये उतारू होता है। उसमें जब रुकावट डालते हैं तो वह मारपीट करते हैं। अन्दर और बाहर वह बहुत कम स्टूडेण्ट्स हैं। उनके एडमीशन पर पाबन्दी हो, उनकी पढ़ाई का इन्तजाम किया जाय, एक्जाम सिस्टम का जो बेसिक फीचर है उसको बदला जाय वह तो इसका असली हल है। उनको पब्लिक सर्वेण्ट डिक्लेयर करने के बाद पुलिस आ जाय, मुकदमा दर्ज कर लिया जाय, उनको पकड़ लिया जाय, दो चार जनों के लिए इस्तगासे 151 में हो जाय, यह कोई हल नहीं है। आफ शूट आफ अदर इश्यूज है।

स्टूडेण्ट्स के और टीचर्स के जो रिलेशन हैं वह क्यों खतम हो गये आज ? एक्जाम सिस्टम बेसिकली इतना फाल्टी है, साल में एक बार एक्जाम लेते हो आप। आप मंथली टेस्ट लीजिये, वेल्यूएशन उन का कीजिये आप। कोई ऐसा रास्ता निकालिये कि ऐसा मौका नहीं आये। यह रास्ता तो निकाल नहीं रहे हो आप।

यू. पी. ने, इसमें कोई शक नहीं, सारा ओवरहाल करने के लिए एक बिल पेश किया है। और भी स्टेट कर रही हैं। प्लानिंग कमीशन ने जो पैनल बनाया है उसमें भी एक नया ड्राफ्ट आ रहा है आप के सामने। एक्जामिनेशन में एक गड़बड़ि

(श्री केदारनाथ शर्मा)

नहीं हो, यह बैड प्रेक्टिस कैसे बन्द हो आप उसकी ओर जाओ। आप केवल यह बिल पीस मील ले आये इससे मुझे लगता नहीं है कोई परपज सर्व हो जायगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप चाहते ही हैं कि कोई सुझाव दिये जायं तो अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : देना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब चूंकि गेमट अमेण्डमेण्ट का क्रिमनल कोर्ट तक है, श्रीमन लेकिन यह अवसर का लाभ उठाते हुए, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : वह और उठाया जा सकता है, आप अपने सुझाव दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका एक्जामिनेशन सिस्टम, जो अध्यापकों का नैतिक चरित्र है, जो ट्यूशन की व्यवस्था, ट्यूशन का सिस्टम, जो बीमारी समाज में फैल गयी है उसके ऊपर चर्चा करना इस अमेंडमेंट के माध्यम से उचित रहेगा, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : यह तो आई. पी. सी. का है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आई. पी. सी. का है लेकिन को रिलेटेड है, सरकार की जोइंट रेस्पांसिबिलिटी है इसके ऊपर भी चर्चा कर इसका लाभ उठाते हुए सरकार का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा, श्रीमान्। अध्यक्ष महोदय, आप इनविजिलेटर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यह बिल लाये हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यह इनविजिलेटर्स मूलतः अध्यापक होते हैं। जहां अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते, छात्रों के संग पार्शियल बिहेवियर करते हैं नम्बर एक। नकल करने के लिये, मैं कोई सभी टीचर्स की नहीं कह रहा हूं, कुछ टीचर ब्लैक शीट में हैं जो उनको उकसाते हैं नकल कर लेना क्योंकि उन्होंने ट्यूशन किया हुआ होता है। ट्यूशन में उन्होंने 6 महिने, 8 महिने लड़कों को पढ़ाया, लड़कों से दो सौ, डेढ़ सौ, ढाई सौ, तीन सौ रुपया लिया। इस सरकार के सत्ता में आने के बाद, शासन में आने के बाद यह बीमारी बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्यूशन विरोधी अध्यादेश निकाला है, आप इस बारे में क्या कर रहे हैं मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। आपको सबको मालूम है, अमीर के पास तो पैसा है ट्यूशन कर लेता है, गरीब लड़कों को बाध्य किया जाता है स्कूल आवर के बाद, स्कूल के अन्दर ट्यूशन चल रही है आपकी।

यह मैं धौलपुर जिले की आपको देता हूं जहां बहुत से अध्यापक स्कूल अलवर के बाद ट्यूशन लेते हैं, स्कूल के अन्दर बैठकर लेते हैं। यह घरों पर फेक्टिरयां चल रही हैं खास तौर से जो विज्ञान के विषय हैं। अंग्रेजी और गणित के विषय में लड़कों को मजबूर करते हैं ट्यूशन लेने के लिये। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी का जिला है, मेरा जिला है, सारे राजस्थान में यह बीमारी है। अखबारों के अन्दर यह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

आया है, कई जगह आन्दोलन चल रहे हैं छात्रों के अभिभावकों ने इस बारे में सरकार को लिखा लेकिन आप इस बीमारी को रोक नहीं पाये, यह बीमारी दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही है। इसके विरोध में जिन छात्रों ने ट्यूशन नहीं किया क्योंकि क्लासेज में उनको पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि नकल माध्यम रह जाता है, जब नकल का वह सहारा लेते है, पास होने के लिये पैसे की कमी के कारण तब जाकर ट्यूशन जिन्होंने किया नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि जिन छात्रों ने ट्यूशन नहीं लिया है उसके खिलाफ आप असत्य *रिपोर्ट नहीं करेंगे ? वहां पर उनको आप क्या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं ? आप फिर कानून के बल पर एक जो अव्यवस्था फैली हुई है आपकी शिक्षा के अन्दर, आपने उसको रोकने का प्रयत्न किया नहीं और उस अव्यवस्था को दूर करने के लिये आपने कानून का सहारा लेकर लड़कों को जेल और भेजना चाहते हैं।

किसी के खिलाफ आप कह दीजिए साहब, 353 में क्या है ? आप उसके इनग्रिडिएण्ट उठाकर देखिये खाली उसके अन्दर आंख भी दिखा दी, जोर से उसको धमका भी दिया, कुछ कह दिया तो 353 आई. पी. सी. सेम्शन इन्वाइट कर लेगा मेरा आप से निवेदन है कि सरकार को इस बारे में विस्तार से विचार करना चाहिए और आपको इस बीमारी, जो ट्यूशन की फैल गयी है, को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यूनिवर्सिटी के टीचर्स को आपने इसके अन्दर लिया ? यूनिवर्सिटी कौनसी बची हुई है आज इससे। आप सोचते हैं ट्यूशन से बची हुई हैं यूनिवर्सिटी खास तौर से साइन्स फैकल्टी में जहां लड़के तैयारी करते हैं इन्जीनियरिंग की, मेडिकल कालेज की तैयारी करते हैं इण्टरमीडियेट के बाद जिनको अवसर नहीं मिला है वह भी उसके अन्दर आ गये आज। तो सारी की सारी व्यवस्था शिक्षा की जो है, लड़कों में फ्रस्टेशन है।

तो शायद कहीं नौकरी मिल जाये। आज बेरोजगारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। समाज में पिछड़े वर्ग के शैड्यूल कास्ट के लड़कों की हालत आज वह हो गई है, पहले शिड्यूल कास्ट का लड़का पढ़कर निकलता था, नौकरी मिल जाती थी। आज शिड्यूल कास्ट के लड़के दर दर ठोकर खाते फिर रहे हैं आप उनके कोचिंग का इंतजाम कीजिए, आप कुछ करिये, वह तो आपने किया नहीं, आप इसी तरह के एक्ट लाते है। कल भी आप ट्रांसपोर्ट का इसी तरह का एक्ट लाये थे। आपका एग्जिस्टिंग लॉ है, उसका आपने सहारा लिया नहीं। दुनियां भर की अनलॉफुल बसें जो प्लाई करती हैं, आपकी नाक के नीचे प्लाई करती हैं उसको रोका नहीं और आप वह एक्ट ले आये। इसी प्रकार का आप यह जो एक्ट लाये हैं, आज शिक्षा में ट्यूशन को आप रोकिये। आपको इस एक्ट में अमेण्डमेण्ट की आवश्यकता नहीं

*शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पड़ेगी। इस अवसर का लाभ उठातेहुए में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : तीन घण्टे तक बोलते रहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह जी।

श्री कैलाश मेघवाल : भाषण भी अच्छा कर लेते हैं, ज्ञानी भी हैं, तीन बजे तक बोलते रहिये आप।

श्री सम्पत सिंह (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जो परीक्षा भवन में पुलिस की दखलंदाज़ी का आप अमेण्डमैण्ट ला रहे हैं, मैंने विश्वविद्यालय परीक्षा पोस्पोण्ड करने की की प्रवृत्ति पर विधान सभा में एक अतारांकित प्रश्न लगाया था। यद्यपि अभी उसका जवाब नहीं आया है लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर, कालेज लेवल पर और स्कूल लेवल पर सब जगह अगर देखा जाये तो नकल की प्रवृत्ति बढ़ी है। और तो और अध्यक्ष महोदय, आई. ए. एस. और मेडिकल एम. बी. बी. एस. के इम्तहानों में भी नकल की प्रवृत्ति को देखने मिलती है। अब तमाम लोगों का विश्वास इन परिक्षा पद्धतियों पर से उठ चुका है। मैं तो यह चापता हूं कि जैसे यूरोप में कई मुल्क हैं अव्वल तो इम्तहान ही नहीं हो। जिन आदमी को, जिस छात्र को, जिस छात्रा को अपने जीवन के यथार्थ में प्रवेश करना है, वह अपने ही तरीके से वैल इक्युप्ड होकर किसी संस्था से निकलेगा, उसे इम्तहान और तोता रटन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जब इम्तहान नहीं होगा तो पुलिस की देखलंदाजी स्वतः ही नहीं होगी और अगर आप इम्तहान लेना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि जैसे कि राजेन्द्र राठौड़ पास कर आये। इम्तहान हो तो फिर इम्तहान हो। अग्नि परीक्षा हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे सख्त ऐतराज है। मेरे जैसे मेधावी छात्र पर माननीय सदस्य असत्य आरोप लगा रहे हैं। मैंने मेरे छात्र जीवन में जितनी डिग्री ली हैं, शायद उसके मुकाबले आपके पास 10 प्रतिशत डिग्री भी नहीं हैं और सारी अध्यक्ष महोदय, पढाई करके ली हैं।

श्री अध्यक्ष : वह भी यही कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जगत में हम लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का आरोप यही हैं कि आपने डिग्रियां हासिल कर लीं। यही तो कह रहे हैं वह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह मेरे सानिध्य में आयें इनको भी डिग्री दिलवा दूंगा।

श्री सम्पत सिंह : जब तक इस विश्वविद्यालय का वातावरण खराब होता हम तो यहां से छोड़कर चले गये। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देना चाहूंगा। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा सदन का। यहां इस विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुने गये, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वह इतने छोटे

(श्री सम्पत सिंह)

आदमी हैं कि इस सदन में क्या नाम लूं। उनके दोनों हाथ टूटे हुए थे, जबड़ा टूटा हुआ था। यानि बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। एस. एम. एस. के कॉटेज वार्ड में एक लेक्चरर बोल रहे हैं, दूसरे लैक्चरर लिख रहे हैं और वह छात्र प्रथम आया। टॉपर जिसे कहते है। अब आप अध्यक्ष महोदय, अंदाजा कीजिए जिनके लिए यह व्यवस्था की गई थी उनके छोटे भाई आज फिर नेतागिरी कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय में।

अव्वल तो वक्त बदल गये वरना जो क्लास रीप्रजेंटिव नहीं बन सके, ऐसे छात्र वह आज विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन रहे हैं, छात्रसंघ के अध्यक्ष बन रहे हैं, तो इस नकल की प्रवृत्ति को आप कहां-कहां.... वह डाल-डाल, वह पात पात। आप पुलिस की व्यवस्था करेंगे, वह कोई दूसरा सिस्टम ईजाद कर लेंगे। इसलिए मेरी विनम्र राय तो यही है कि या तो इम्तहान ही नहीं हो। इम्तहान हो तो जैसा प्रोफेसर साहब कह रहे थे, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे कि पीरियोडिकल होने चाहिए। हर महीने हो, 15 दिन में हो, ट्यूटोरियल्स हो, तमाम किस्म की जो पहले व्यवस्था वह, इसके अलावा आप जो इम्ताहान लें उसकी एक रिलीजियस भावना से डेट फिक्स करें कि भई फलां तारीख से आगे इम्तहान नहीं बढ़ेंगे। अब इन्होंने इम्तहान की तिथि सरका दी। छात्र राजनीति करने के लिए जाते, वाइस चांसलर के कमरे में बैठकर धमकी दे आते, तीन महीने को इम्तहान आगे बढ़ गये।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ कानून की, विधि की परीक्षाओं का उदाहरण देता हूं। जिन लड़कों को, जिन छात्र छात्राओं को आर. ए. एस. या आई. ए. एस. में नहीं बैठना हो, आर. ए. एस. से, आई. ए. एस. से वह अपने दफ्तर में नौकरी क्या वह हाजिरी दिलवाने के इरादे रखते हों, जो सारी उम्र वकालत करेंगे, उनको क्या मतलब पड़ा है आपकी आर. ए. एस. की परीक्षाओं से। सिर्फ आर- ए. एस. का इम्तहान नहीं हो रहा है इसलिए विधि की परीक्षा बढ़ा दी गई। तीन साल का तो वैसे ही कोर्स कर दिया। चार-चार, छह-छह साल..अब राजेन्द्र राठौड़ साहब को 6, 7, 8 साल में यूनिवर्सिटी में रोजगार मिल गया। यह तो घर से आ जाये घी, कुछ आ जायें घर से रुपये, वरना तो हमारे जैसे गरीब छात्र उनसे चंदा अर्जन कर लेते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो ज्ञानार्जन कर रहे थे। अध्ययन कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो आप इनको घी में हिस्सा दे देते ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब वह गलती हो गई और छात्रसंघ के अध्यक्ष तो आप भी रहे हैं अध्यक्षजी, भरतपुर महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष तो आप भी रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : भरतपुर में तो अध्यक्ष नहीं रहे खाली छात्र हो जाये, यह ही बड़े

(श्री सम्पत सिंह)

सौभाग्य की बात है। यह तो जयपुर है जो यहां की पोल में पिल गये आप। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इन्हीं शब्दों में जो माननीय मंत्रीजी संशोधन ला रहे हैं, पुरजोर शब्दों में दृढ़ता के साथ इसका विरोध करता हूं और उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वह इसको वापस लें और विश्वविद्यालय में कम से कम वह इम्प्रेशन दे दें कि जो एक कहावत है '-That Government is best which governs the least."

कम से कम अपनी शक्ल सूरत का अहसास कराओ जिससे छात्र और छात्राओं का जी नहीं मिचलायें और वह मन लगाकर पढ़ें।

श्री अध्यक्ष : श्री राजपाल सिंह।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया.....

श्री अध्यक्ष : यह बोल रहे थे राजपाल सिंहजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जब आपने मुझे मौका दिया तब मैं नहीं बोली लेकिन सम्पतसिंह जी की बात से....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब आप बिराजिये। पहले यह बोल लेते हैं राजपाल सिंह जी। हां बोलिये ना आपको बोलने का मौका दूंगा मैं, राजपाल सिंहजी बोल लें पहले।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, बहन जी कैसे पास हुई जेल में एग्जाम देकर इनसे पूछ लें पहले।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो पढ़ती थी।

डा. चन्द्रभान : नहीं आपने परीक्षा कैसे दी थी वह बता दीजिए जरा सबको।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने तो पढ़कर दी थी।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आई.पी.सी. का अमेण्डमैण्ट जो लाया गया है और जिस डिजीज को एजोल्ट करने के लिए अमेण्डमैण्ट लाने की बात की गई है, उस डिजीज को ढंग से डाइग्नोस नहीं किया गया। आई.पी.सी. में अमेण्डमैण्ट करने से एजोल्ट रुक जायेगी इनविजीलेशन पीसफुल हो जायेगा, इतना आसान काम होता तो मेरे ख्याल से आई.पी.सी. के अन्दर तो पहले से जैसा कि रमाकांत जी बता रहे थे डूंगर कालेज का लैक्चरर पहले से ही पब्लिक सरवेण्ट हैं। उस पर किया गया एजोल्ट ऑलरेडी इसी एक्ट में कवर होता है। इसमें क्या रुका? राजस्थान के अन्दर राजस्थना यूनिवर्सिटी की बात छोड़ दें, राजस्थान के पांच कालेजेज की बात छोड़ दें क्या बाकी कालेजेज में एजोल्ट नहीं हुए और उन कालेजेज में एजोल्ट रुक गये, तो कोई अमेण्डमैण्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी में एजोल्टस को रोक देगा, वरना इस एक्ट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

का, अमेण्डमैण्ट का भी वही हाल होगा। वही हालत होगी, जो उस एक्ट की हुई।

सवाल है कि टीचर और टॉट रिलेशनशिप में अंतराल क्यों आया है? यह सैंक्टिटी क्यों खत्म हुई? एग्जामिनेशस की सैंक्टिटी क्यों खत्म हुई? आज टीचर्स ने कहा एग्जाम नहीं लेते, आपने कहा बाबू से एग्जाम दिलवा दो। बी. ए. का एग्जाम है, टीचर एग्जाम के लिए अवेलेबल नहीं हैं, आपने कहा स्टूडेण्ट जिसने एम. ए. किया हो उससे एग्जाम लिवा लो। आपने एग्जाम की सैंक्टिटी को खत्म किया है। एग्जामिनेशन जब चाहें आप पोस्टपोंड कर दें। एग्जामिनेशन का इवेल्यूएशन आप चाहें तो स्टूडेण्ट से करवा लें, चाहे किसी स्कालर से करवा लें, उस कण्डीशन में एग्जाम की सैंक्टिटी क्या रहेगी। उस एग्जाम के बारे में लोगों का क्या सोच रह गया होगा? छात्र विद्यालय को क्या मानेगा? एक डिग्री लाने का तरीका। एक डिग्री लेने के लिए जरूरी है, आर. ए. एस में बैठने के लिए बी. ए. जरूरी है। बी. ए. करने के लिए एग्जाम में बैठना जरूरी है और एग्जाम में बैठना है, इसलिए बैठना है, इस सोच के साथ में वह एग्जामिनेशन में बैठता है तो क्या एजोल्ट भी करेगा। एजोल्ट कर भी सकता है।

सवाल इस बात का है क्या कारण है कि आज भी मेरे पास स्कूल में पढ़ाये हुए सेण्ट जेवियर के टीचर आते हैं और मुझसे बात करते हैं। मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है एक बी. ए. किया हुआ, एम. ए. किया हुआ टीचर जिसने हमें सेण्ट जेवियर में पढ़ाया, आज मैं जर्दा खाने लग गया, पर वह टीचर अगर मेरे सामने आता है मैं जर्दा नहीं खा सकता लेकिन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मेरे सामने आकर बात करता है तो मैं जर्दा खाता रहता हूं।

श्री सम्पत सिंह : आप ऐसी संगत ही क्यों करते हो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : आपके साथ खाया है मैंने तो, मैं तब एम. एल. ए. नहीं था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका इशारा एक ही तरफ क्यों है?

श्री राजपाल सिंह शेखावत : जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि स्कूल के टाइम में जो टीचर है, उसका एक इमपैक्ट है। उसी टीचर का इमपैक्ट कालेज में खत्म हो जाता है, यूनिवर्सिटी में खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि स्कूल का टीचर तो मुझसे केवल यही पूछता था कि लॉन में आप 15 मिनट पहले कैसे खड़े थे, 15 मिनट बाद तक क्यों खड़ा है? अगर क्लास लग रही है तो लॉन में क्यों खड़ा है। टीचर टॉट रिलेशनशिप की किताब पढ़ाने को नहीं उठता आज वही लैक्चरर, अब हालत यह है लैक्चरर कौन बनता है।

तो पी. एम. टी. पास करने की कोशिश की। पी. एम. टी., पी. ई. टी. में जब सलेक्शन नहीं हुआ तो बी. एस. सी., एम. एस. सी. कर लिया, रिमेनिंग लाट के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अन्दर मेरा फर्स्ट क्लास आ गया और उसने बी. एस. सी. में रजिस्ट्रेशन करवा लिया और चेयरमैन के पैर पड़ कर और लैक्चरर बन गया। लैक्चरर बने 3-4 साल से आप लोगों ने सलेक्शन नहीं करवाये बाद में आन्दोलन उठा। हम कहां जायेंगे। आपने आर्डिनेंस जारी कर दिया, उनको पर्मानेण्ट कर दिया और वे पर्मानेण्ट हो गये और प्रमोशन से रीडर बन गया और किसी दिन वाइस प्रोफेसर बन गया। किसी मंत्रीजी के पांव पड़ कर वाइस चान्सलर बन गया अपने आपको इन्टेलेक्च्युअल कहलाने लग गया। इन्टेलेक्च्युअल कहने का बुखार आ जाय। इस बुखार के लोगों को मोरल प्रेसर नहीं रहा। जब तक टीचर कम्युनिटी का मोरल प्रेसर नहीं रहेगा स्टूडेण्ट पर, टीचर वह है जिसके प्रति आपकी भावना जागृत हो।

इस पूरे सिस्टम को डी-जनरेट किया गया है, डी ग्रेड किया गया। इसमें जो डी-ग्रेशन आया उसमें रोक लगनी चाहिए। उस पर रोक कैसे लगे इस बारे में सदन सोचे, इस बारे में समाज सोचे फिर उसका समाधान कर सकेंगे। उसमें रिसर्च कर पाये तो मेरे ख्याल से बातचीत बन सकती है वरना आई. पी. सी. में अमेण्डमेण्ट करने से, अमेण्डमेण्ट क्या किया। 500 रुपये का जुर्माना और जुर्माना कर देंगे। आम तौर पर लड़कों पर केस चलते हैं, मार पीट के केस हो जाते हैं और थाने जाकर के थानेदार को पैसे देते हैं, वकील को देते हैं। राजेन्द्रजी बतायेंगी कि कितने वकील को पैसे दिये होंगे और कितने केस चले होंगे। उन पर जो खर्चा आता है 500 रुपये का वह कोई मायना नहीं रखता और जब 500 रुपया मायना कुछ नहीं लगता तो मैं 500 रुपये पैनल्टी दे दूंगा। चाकू लाउंगा, केस बन जाय परन्तु अभी एग्जाम दे लूंगा, डिग्री मुझे मिल जायेगी। मुझे तो डिग्री लेनी है। डिग्री लेकर कहीं एल. डी. सी. बन जाना, यू. डी. सी. बन जाना या....

श्री सम्पत सिंह (नगर) : ऐसे लोगों की शादी हो जाती है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : सम्पत सिंहजी को अनुभव हुआ होगा। मैंने यूनिवर्सिटी बहुत पहले छोड़ दी। आपने कहा कि डिग्री लेते ही शादी हो गयी। शादी होते ही यूनिवर्सिटी छोड़ दी। तो मैं जो अर्ज करना चाहता था वह यह करना चाहता था कि इसको जनमत संग्रह के लिये भेजा जाना चाहिये। इस पर डिबेट की जाय। इस बारे में जनता क्या सोचती है, समाज क्या सोचता है।

श्री नत्थी सिंह : अब थर्ड रीडिंग है इसलिए आपको वापस लिया जाय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : इसको वापस लिया जाना चाहिये क्योंकि इससे टीचर और टोट रिलेशनशिप में एक बार ऐसा वातावरण बनेगा कि हमारा और उनका सम्बन्ध ..

श्री हेतराम बेनीवाल : वापस ले लें इसके लिये हम तैयार हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : नहीं, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि टीचर और टोट रिलेशनशिप में जो गर्मी आ रही है, टीचर और टोट रिलेशनशिप की सैंक्टिटी खत्म हो रही है वह इस एक्ट के आने से, इस आई.पी.सी. के तहत रिलेशनशिप बनाने से और ऐसा रिलेशन बनेगा कि क्रिमिनल का और राजनैतिक साथी के रिलेशन बन जाय। यह रिलेशन नहीं बने इसके लिये आई. पी. सी. में किया गया अमेण्डमेण्ड इस सरकार को पेश नहीं करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

श्री केदारनाथ शर्मा : शादी की बात करो आप तो।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नकल रोकने के लिये आई. पी. सी. और कानून की चर्चा यहां हो रही है, इस सम्बन्ध में यही सुझाव देना चाहूंगा कि हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन करना चाहिये। ज्यादातर नकल की घटनाएं एकेडेमिक कालेज, यूनीवर्सिटी वगैरह में होता है। मैं आपको मेडीकल और इंजीनियरिंग के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा कि मेडिकल कालेज और इंजिनियरिंग कालेज में नकल की घटनाएं बहुत कम होती हैं और जो लोग नकल करते हैं वे लोग परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं।

वहां अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी व्यवस्था है कि सिद्धान्त रूप से जो थोअरी के मार्क्स होते हैं 75 व 50 प्रैक्टिकल और वाइवा के मार्क्स होते हैं और कापी पड़ी रहती है। एग्जामिनर इन्टरनल या एक्सटर्नल जो भी होता है। एक दो केस को मैं भी जानता हूं। मेरे एक मित्र हैं डाक्टर और उनकी बहुत अच्छी हैण्ड राइटिंग है और वह नकल करने में बहुत एक्सपर्ट है। उनके 75 में से 62 नम्बर थे। सर्जरी में नम्बर थे 75 में से 62 नम्बर। मेडीकल में नहीं आते हैं जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं : जो एग्जामिनर, डाक्टर साहब बाहर से आये और कहा मैं तो इस लडके का इन्टरव्यू लेउंगा और उसको इन्टरव्यू के लिये बुलाया और उनको केस दिया गया। नेच्युरल है कि वह तो जैसा था वैसा ही था।

जब उसने पूछा तो पेसेन्ट का नाम बताया वह तो ठीक बताया। फिर आगे पूछा कि इसका डायग्नोसिस क्या है। इससे आगे पूछा तो आगे कुछ नहीं। एक नाम तो मालूम था कि यह केस प्रोस्टेट का है, सर प्रोस्टेट। तो कहा नहीं घबराओ मत, तुम बोलो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हारे को नम्बर वन यहां पर करना चाहता हूं। तो उसने कहा साहब मैं तो पास होने के लिये आया हूं नम्बर वन के लिये नहीं आया हूं। उसको 'जीरो मार्क्स देकर फेल कर दिया। तो वहां नकल करने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से चाहे आर्ट्स हो, कामर्स हो, विज्ञान हो। इन सब में एक व्यवस्था करनी चाहिये। चाहे आप लिखीत परीक्षा लीजिये लेकिन लिखित परीक्षा के साथ में....

श्री सम्पत सिंह : यह मंत्रीजी पूछ रहे हैं कि वह डाक्टर साहब कौन हैं।

डा. चन्द्रभान : उन डाक्टर साहब को आप भी जानते हैं। मैं आपको बता दूंगा अलग से। यहां बताना ठीक नहीं है हमारे बॉस रहे हैं वह। तो मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, बिना नाम बताये कैसे पता चले कि यह सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। कहीं खुद की आप बीती तो नहीं बता रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, मेरे 75 में से 62 नम्बर नहीं आये थोअरी के अन्दर या किसी एग्जाम में। आप जानकारी करवा लीजियेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)। इनका रूप बदल गया है, स्वरूप बदल गया है। शादी तो राजेन्द्रजी ने भी की है।

डा. चन्द्रभान : यह न तो यूनिवर्सिटी गये हैं न कालेज में गये फिजूल के बीच में खड़े हो रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जिन दिनों में यह घाटगेट के पास रहते थे उन दिनों का साथी हूं।

डा. चन्द्रभान : मेरा तो अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में निवेदन है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिये। अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है। सिफारिश का जमाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि अब कोई साक्षात्कार होगा ही नहीं लिखित में मार्क्स आयेंगे उसका चयन हो जायेगा। लिखित में लोग नकल कर लेंगे और नकल करने के लिये तो परीक्षा केन्द्र ठेके पर उठ रहे हैं। यू. पी. में तो मैं आपको बताऊं, मैं एक बार आगरा गया। वहां पर इन्टर कालेज है उसके मैनेजमेण्ट के लिये नत्थीसिंहजी अच्छी तरह से जानते हैं कि इतना झगड़ा हो रहा था। हमने कहा यह क्या हो रहा है। कहा आप आइये, यह कालेज ठेके पर उठता है और मां-बाप दोनों आते हैं लाठी लेकर, खाना लेकर और बेटे की नकल करवाते हैं।

तो नकल किया हुआ लड़का यदि डिग्री ले लेगा तो आज वह जमाना तो है नहीं कि डिग्री लेते ही नौकरी मिल जायेगी, नकल किया हुआ लड़का कभी सफल होगा। इसके लिये एक माहोल बनाना पड़ेगा। एक आपने कहा कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में रिश्ता अच्छा होना चाहिये। कई जगह तो अध्यक्ष महोदय, अध्यापक और प्रिंसिपल, यह सब लोग मिले रहते हैं। पहले तो पढ़ाते लिखाते नहीं फिर उसका रिजल्ट ठीक करने के लिये यही लोग मिल जाते हैं। वाइवा, प्रैक्टिकल आर्ट्स में नहीं होता है। साक्षात्कार की कोई व्यवस्था, वाइवा 10 नम्बर का या 20 नम्बर का होना चाहिये। जिस लड़के के थोअरी में बहुत अच्छे नम्बर हैं और यदि वह ठीक होगा तो वह कुछ बतायेगा। एक आब्जेक्टिव टाइप के पेपर सैट होने चाहिये कि 100 सवाल दे दिये जैसे आज प्री मेडीकल में, प्री इंजीनियरिंग में होते हैं। यह होना चाहिये क्योंकि इसमें नकल की गुंजाइश कम

(डा. चन्द्रभान)

रहेगी । परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना चाहिये बाकी परिवर्तन करने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है । दूसरा, समाज में गिरावट ही नहीं है चरित्र में गिरावट है । जब तक इसका उठान नहीं होगा तब यह गिरावट रहेगी चाहे आप कितने ही कानून में परिवर्तन कर लें ।....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो प्रोफेसर है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रोफेसर तो है । यह हरिकुमारजी औदिच्य और....

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर साहब तो रीअल बैचलर हैं खाली बी. ए. नहीं हैं । रीअल बेचलर हैं । श्री राजेन्द्र पारीक ।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस देश में यह चरितार्थ हो कि गुरू दोनों गोविन्द खड़े, काके लागू पांव बलिहारी आपने गोविन्द दियो बताय । ऐसे देश में आज यह कैसी बिडम्बना है ऐसे कानून के चलते एक अध्यापक को उसका शिष्य पिटाई कर दें तो यह दण्डनीय अपराध होगा । वैसे तो जिस उद्देश्य के लिये यह बिल लाया जा रहा है, यह तो स्वयं दण्डनीय अपराध है पहले यदि किसी की किसी ने पिटाई कर दी तो दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है और राजकीय सेवाओं में किसी को व्यवधान डालने का मामला है तो वह भी स्वयं दण्डनीय अपराध है । लेकिन फिर भी पता नहीं यह सरकार किस मंशा से यह कानून बनाने जा रही है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्पष्टत: आप भी इस बात को जानते हैं कि कालेज का, स्कूल का जो माहौल है वह पूरी तरह से राजनीति से ग्रसित है । इस राजनैतिक वातावरण में वहां का विद्यार्थी भी अछूता नहीं है और विद्यार्थी के साथ वहां का शिक्षक भी उस राजनैतिक वातावरण में अपने आपको लिप्त पाता है क्योंकि उसको भी अपने ट्रांसफर का भय रहता है हर वक्त सताता रहता है । ऐसे माहोल में कहीं ऐसा न हो कि छात्र और गुरू की आपस की पुरानी दुश्मनी, उसके चलते कोई वाक्या हो और उसको अगर उसमें तब्दील कर दें ...

(2.50 म. प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो बोलिये ।

श्री राजेन्द्र पारीक: जहां होना यह चाहिए कि हम इस पर चर्चा कर लें कि इस राजनैतिक वातावरण के चलते शिक्षा जगत में जो गिरावट आयी है इसको कैसे दूर करें, हम ऐसी कौन सी चेतना समाज में लायें जिससे आज का विद्यार्थी जिस तरह से कुंठित है । उस कुंठा की भावना से बाहर निकलकर स्वच्छ वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके । लेकिन उस पर मैं समझता हूं कि चर्चा का कोई आयाम बाकी नहीं रह गया है । हम ने तो तय कर लिया किसी नकिसी तरीके से दण्डनीय अपराध कर दें कि लोगों को भयभीत

(श्री राजेन्द्र पारीक)

करके ही समाज की व्यवस्था कायम कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें बहुत से अपराध हैं जो दण्डनीय अपराध है, लेकिन फिर भी लोग उनको चलाकर तोड़ते हैं। बालविवाह की प्रथा है दण्डनीय अपराध है। फिर भी आये दिन बाल विवाह होते हैं। स्पष्ट पता है कि थप्पड़ मारने से जो सजा मिलने वाली है उसके बाद भी आये दिन झगड़े होते हैं अखबार के कालम इसी से भरे रहते हैं कि फलां कि हत्या हो गयी, फलां को थप्पड़ मार दिया, अखबार थाने की डायरी के माफिक लगता है फिर इस कानून से आप कौन सी पावर जनरेट कर देंगे जिसके चलते विद्यार्थी भयभीत हो जायेगा कि वह परीक्षाओं में नकल नहीं करेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि विद्यार्थी को ऐसा वातावरण दें। ऐसे शिक्षकों से शिक्षा दिलायें, जिससे कम से कम दोनों का आपस में रिश्ता है जिसमें इतनी गिरावट आ गई कि विद्यार्थी के हाथ उठाने की नौबत आ गयी है इससे बचा जा सके। यह तभी सम्भव है जब हम समाज को शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों का आपस में प्रेम भाव बने और भावनात्मक लगाव होना चाहिए। शिक्षार्थी और शिक्षक का सम्बन्ध पिता और पुत्र तुल्य हो। जब तक यह सम्भव नहीं होगा तब तक केवल इन कानूनों से हम इसको रोक नहीं पायेंगे। इससे एक बात होगी और वह यह है कि आज विद्यार्थी जो पहले से ही कुंठा से ग्रस्त है, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं। प्रतिशत का झमेला है। इतना बड़ा लगा हुआ है कि 36 प्रतिशत में पास तो कर देते हैं लेकिन एडमिशन 45 प्रतिशत पर देंगे। तो यह हो कि पास ही 45 प्रतिशत पर करें ? जिससे कम से कम इस गैप से बचा जा सके। 36 प्रतिशत पर पास किया तो क्यों पास किया इसकी उपयोगिता क्या है। पास कर दिया एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वह वैसे ही कुंठित है।

दूसरी ओर जहां 80 से 100 विद्यार्थी क्लास में बैठता था अब आपने कानून निकाल दिया कि 60 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं बैठेंगे वह इससे पीड़ित है कि 45 प्रतिशत मार्क्स तो है लेकिन 60 से ज्यादा विद्यार्थी क्लास में प्रिंसिपल को लेने की पावर नहीं है इस लिए प्रिंसिपल उसको एडमिशन नहीं दे रहा है वह कुंठा में जी रहा है। ऐसे वातावरण में इस तरह का कानून लाने से निश्चित मानें कि ऐसा जलजला विद्यार्थियों में घर कर जायेगा आये दिन ऐसा चलाकर हादसा करेंगे। बोलो आपने क्या बिगाड़ लिये।

माननीय सभापति महोदय, इन कानूनों के चलते कुछ नहीं होगा। या तो ऐसा करें जिससे वह भयभीत हो जाय कि वह अपराध नहीं करें। वरना ऐसे छोटे मोटे अपराध बनाने से उसका भय निकल जायेगा। मारवाड़ी में कहावत है डराऊं कै, बोले हां, कै डराऊं तेरा तो डर देख लिया। आप जो कानून बनाने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जा रहे है जिसका इतना सा हश्र होगा। उसका यही हश्र होगा। सामाजिक वातावरण ऐसा दें जिससें विद्यार्थी और शिक्षक का आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सके। जयहिन्द।

श्री सभापति: माननीय डा. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुरग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं तो उस बात पर चर्चा करना चाह रही थी जो कि यहां पर सम्पतसिहजी बोले थे। परीक्षा की तिथि आगे सरकती जाती है। क्यों नहीं इस बात की चर्चा की जाती है कि 15 मार्च तक पहले 10 वीं क्लास की परीक्षा हो जाती थी। अप्रेल के महीने में सारी परीक्षायें खत्म हो जाती थी और शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सबके परीक्षा परीणाम निकल आते थे। लेकिन यह बात तो तय नहीं की जाती है। और ऐसे विषयों पर संशोधन लाये जाते हैं जिसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में बात तो यह है कि 90 में हम आये शिक्षकों ने हड़ताल कर दी, पुलिस के माध्यय से परीक्षा करायी गयी वह साहस का काम था उस समय आते ही परीक्षा करनी पड़ी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी शिक्षक क्यों उत्तेजित होते हैं उनकी समय पर क्यों सुनवाई नहीं होती है इसके बारे में किसी ने चिन्तन नहीं किया। उनको भी लगता है कि बदला लेने का समय यही है उस समय आप किसी को मेज देंगे तो वह परीक्षा ले लेगा मतलब सारे परीप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा। कितने खेद की बात है कि ऐसे विषय पड़े हुए हैं क्यों नहीं परीक्षा की तिथि तय की जाती है। विधि परीक्षाओं को जब मैं पढ़ती थी 10 साल हों चुके हैं तब एक वर्ष शून्य की स्थिति में चला गया था हो सकता है अब दो वर्ष शून्य की स्थिति में चले गये हों। यहां मंत्री महोदय बैठे होते तो बताते। लगातार परीक्षाओं का समय आगे बढ़ाया जाता है। विधान सभा ऐसे बिल पास कर सकती है तो यह भी पास कर देना चाहिए कि परीक्षा की तिथियां विधान सभा तय कर दे। बच्चों के हित में, छात्रों के हित में यही है कि विधान सभा तय कर दे इस बात को मैंने कई बार कहा परन्तु सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया और भी ऐसे मामले हैं भाषा का मामला है।

हिन्दुस्तान भर में हमारा अपमान हुआ है जहां यह कहा गया कि राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में आप पहले अपने राज्य में तो तय कर लो। द्विभाषी फार्मुला पश्चिम बंगाल तय कर सकता है, पंजाब कर सकता है तो राजस्थान तय नहीं कर सकता है? केन्द्र के लोगों को यह कहने की ताब हो जाय कि राजस्थान पहले अपने घर में तय करके आये। 5 करोड लोगों की भाषा का मामला राजस्थान की विधान सभा तय नहीं कर सकती है इस सम्बन्ध में स्वीकृति नहीं दे सकती है, बिल नहीं ला सकती है। कितने अपमान की बात है।

मैंने पिछली बार भी संकल्प रखा और इस बार भी पहले 13 सितम्बर को रखा

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

और फिर 3 अप्रेल को रखा हिन्दी भाषा के बारे में मान्यता देने के सम्बन्ध में यह निकाल दिया जाय कि अनिवार्य रूप से जो भी पेंशन, स्वीकृति, निवृत्ति सारे नियम होंगे वह केवल हिन्दी में ही निकलेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूं मैं लायी भी हूं कोई एन. के. वर्मा हैं स्वायत्त शासन में सचिव हैं उन्होंने प्रश्नावली निकाली है बाकी सब तो हिन्दी में है लेकिन जिल्द पर नाम अंग्रेजी में है पता नहीं लिखने में क्या दिक्कत आती है। आप को नत्थीसिह बोला जाता है। एन. के. को नरेन्द्र कुमार क्यों नहीं हो सकता है। मुझ को उजला अरोड़ा पूरा बोला जाता है आपको रमाकांत पूरा बोला जाता है तो यह एन. के. क्या है ? इस सबके बारे में आप बारीकी से ख्याल नहीं करते हैं। कितना अपमान भाषा के मामले में हमारा हुआ है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पी. वी. का क्या मतलब है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यहां की बात कर रही हूं। मैं बहुत स्नेह करती हूं, आदर करती हूं। मैं समझती हूं कि आप ठीक बात बोलते हैं लेकिन खेद की बात है।

यह पूरी किताब हिन्दी में है। लिखा गया कि आपको इसको हल करना है।

श्री सभापति : आप आज के विषय तक सीमित रहें तो अच्छा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : श्रीमन्, यह नकल का मामला मैंने नहीं उठाया था। नकल का तो इसमें विषय नहीं था। इसमें तो सिर्फ यह था कि उसको लोक सेवक कहा जायेगा। नकल का नहीं रखा है। लेकिन पढ़ते नहीं सीधा ही उस पर अनुसरण करके उन्हीं बातों पर बात करने लगते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि जो मुद्दा समाज का है या राजस्थान का सम्मान बढ़ाने वाला मामला है वह बिल क्यों नहीं लाया जाता है इस तरह के आदेश क्यों नहीं दिये जाते है कि सारा काम हिन्दी में होगा, राज्य के सभी विभागों में

श्री सभापति : कृपया विषय तक सीमित रहें। हिन्दी ली जाय या नहीं ली जाय यह विषय नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : फिर तो ठीक है, पास करो और चलो। मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बैठती हूं आपको सम्मान की बातों पर बात करना बुरा लगता है, अगर भाषा की बात करना बुरा लगता है, पांच करोड़ की भाषा के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हिन्दी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं और परीक्षा की तिथि तय नहीं करना चाहते हैं। बच्चों का अपमान करना चाहते हैं, शिक्षकों का अपमान करना चाहते हैं तो आनन्द से करिये।

श्री सभापति : मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय सभापति महोदय, आज यह जो अमेण्डमेण्ट यहां पर मूव किया गया, नकल करने के मामले में कानून को ज्यादा सख्त बनाना, सजा का प्रावधान करना, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अपनी बात को दूसरे से मनवाने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है आदेश, ऑर्डर "यू करो" दूसरा तरीका होता है उपदेश देना, आप किसी को नसीहत करे दो कि पाप करोगे तो नर्क में जाओगे और पुण्य करोगे तो बेकुंठ में जाओगे। तीसरा होता है आचरण। दूसरे से जो अपेक्षा करते हैं वह आपका स्वयं का आचरण होना चाहिए। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री को कह रहा हूं और दूसरे को भी सुना रहा हूं। एक खांसी के लिए डाक्टर ने क्लिनिक खोला और वहां एक बड़ा सारा बोर्ड लगा दिया कि यहां खांसी का गारण्टी से इलाज होता है और मरीज जाये और सीढ़ी चढ़े और अगर खुद डाक्टर की खांसने की आवाज आये तो बेवकूफ ही होगा तो दूसरी सीढ़ी चढ़ेगा और उतर कर वापस आ जायेगा।

(3.00 म. प.)

इसकी तो खुद की खांसी नहीं मिटी, हमारा गारण्टी के साथ क्या इलाज करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कानून ला रहे हैं, पहले अध्यापक तो ऐसे बनाए जिनका आचरण इस तरीके का हो। आज मैं आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन शिक्षण संस्थाओं में नकल होती है वह, प्राइवेट कालेज हैं तो मैनेजमैंट कमेटी के और अगर सरकारी कालेज हैं स्कूल हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं तो अध्यापक, प्राचार्य, हैडमास्टर की मिलीभगत के बिना सम्भव नहीं हो सकती। विभिन्न पार्टियां जाती हैं, निरीक्षण दल जाते हैं। उनको पकड़ते हैं। उसकी कमेटी बनी होती है। वे जब उस कमेटी के सामने पेश होते हैं तो उसको रैस्टिकेट कहने का, डिबार करने का प्रोविजन है। उसको ही अगर सख्ती से आप लागू कर दें तो कहां इस कानून की जरूरत रह जाती है।

अगर आपने नकल के कानून को ज्यादा सख्त बनाया तो, पेपर आउट होने की घटनाएं हो रही हैं यह भी छात्र करा रहे हैं? ये पेपर आउट कैसे हो रहे हैं? पेपर तो आउट अध्यापक ही करा रहे हैं, मैनेजमैंट ही करा रहा है। पेपर तो छात्र के पास परीक्षा हाल में ही जाता है, उससे पहले नहीं जाता। आप इसके सम्बन्ध में क्या विचार कर रहे हैं? आज राजस्थान के अन्दर चाहे आर. पी. एस. सी. का मामला हो चाहे, मैं शून्य काल में कल रहा था, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के संगणकों का मामला हो, चाहे नवीं क्लास या दूसरी क्लासों का मामला हो, विगत दो वर्षों में पेपर आउट होने की घटनाएं बढ़ी हैं। इस सम्बन्ध में आप क्या प्रोविजन करने जा रहे हैं? मैं नकल का पक्षधर नहीं हूं। आज उसको जो कानून है उसके जरिये भी रोक सकते हैं, लेकिन रोकने वाले कौन होंगे? अध्यापक होंगे। उनमें इस तरीके की नैतिकता हो।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

जो अध्यापक स्वयं नकली डिग्री के आधार पर, या जिसने डी. लिट. फर्जी किया हुआ है या पी. एच. डी. किसी की थीसिस को लाकर किया हुआ है तो इस तरीके से उनकी जांच कराइये, उनको सुधारिये । आज कुल मिलाकर, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि नैतिकता का ह्रास हुआ है। मैं कामर्स का विद्यार्थी रहा, कामर्स का अध्यापक भी रहा। कामर्स के अन्दर एक विषय होता है बैंकिंग। उस बैंकिंग में एक नियम है ग्रेशम का नियम। आप में से भी जो कामर्स हैण्ड होंगे वे जानते होंगे। ग्रेशम का नियम यह है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का चलन से बाहर कर देती है। और मामलों में तो एक आई. ए. एस. अफसर की मैंण्टलिटी अलग होगी, एक चपरासी की अलग होगी । एक शहरी व्यक्ति की अलग होगी, ग्रामीण की अलग होगी। एक पढ़े लिखे की अलग होगी, अनपढ़ की अलग होगी। लेकिन इस मामले में चाहे वह शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, चाहे पढा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे आई. ए. एस., अफसर हो चाहे मंत्रालयिक वर्ग का कर्मचारी हो, उसकी एक ही मैण्टलिटी होगी।

अगर उसके पास दो दस-दस के नोट हैं और उनको कहीं व्यय करने की आवश्यकता है, एक नोट नया है और एक पुराना तो यह नये नोट को अपनी जेब में रखना पसन्द करेगा और पुराने को खर्च करेगा। यानी कुल मिलाकर बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। वही आज हमारे समाज में चाहे शैक्षणिक जगत में हो चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्र में अमल हो रहा है। बुरे, भ्रष्ट और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने अच्छे लोगों को बाहर कर दिया है। इसलिए आवश्यकता कानून में संशोधन करने की या कानून को कड़ा करने की नहीं है, बल्कि इसकी है कि नैतिकता का विकास करके कायदे-कानून बनें, चरित्र का निर्माण हो।

अगर अध्यापक और विद्यार्थी में भाई-चारे के सम्बन्ध स्थापित हों तो मैं समझता हूं वे कानून के बजाय ज्यादा अच्छे होंगे। एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि परिवार नियोजन जबरन नसबन्दी करके लागू नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें लोगों में इस तरीके का प्रचार और प्रसार करना चाहिए कि वे स्वयं जागृत हों और छोटे परिवार के आनन्द को, सुख को समझें और परिवार नियोजन अपनाएं। दूसरे मामलों में हम यह चाहते हैं कि इसमें आम सहमति नहीं होनी चाहिए और लोगों में नैतिकता और चरित्र का निर्माण करने की बजाय इसको हम डण्डे के जोर से कानून के जोर से रोकना चाहें, यानी हर जगह के लिए मापदण्ड अलग अलग हों, इससे मैं सहमत नहीं हूं।

कई जगह तो ऐसा होता है। एक दिन इस सदन में बता रहा था कि राजस्थान में तीन यूनानी मेडिकल कालेज चलाते हैं। सभापति महोदय, आप को आश्चर्य होगा कि 1980 से लेकर 1992 तक सैकड़ों

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

छात्र वहां से बी. यू. एम. एस. की डिग्री करके निकले हैं, लेकिन आज तक उनको डिग्री नहीं दी गयी। जवाब देते हैं कि डिग्री छपकर नहीं आयी। क्या करेंगे वे विद्यार्थी जो वहां से पास करके गये हैं? आज उनका प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, वे नौकरी में नहीं जा सकते। आज तक डिग्री नहीं दी गयी, छपी नहीं। इस तरीके के काम होंगे तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इसको आप वापस ले लीजिए और इसको पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : लक्ष्मीनारायण जी दवे। आप नहीं बोल रहे हैं? माननीय श्री गोपाल सिंह।

श्री गोपाल सिंह (आहोर) : सभापति महोदय, नकल को रोकने के बारे में जो अमैण्डमैण्ट आ रहा है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : नकल को रोकने का नहीं, सुरक्षा का है।

श्री गोपाल सिंह : इसी से सुरक्षा है। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि किस की बात हो रही है। मैं इसमें यह निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार इसको वापस नहीं ले तो कम से कम रिव्यू तो करे ही। यह रिव्यू करने लायक पाइण्ट है, इसके ऊपर एक दफा पुनः विचार तो करें। मेरे इसके अन्दर कुछ सुझाव हैं जिनके ऊपर अगर आप विचार करें तो शायद इसका कुछ हल निकल सके। मैं चाहूंगा कि एग्जामिनेशन जो होते हैं सालाना, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, वे स्कूल तक ही सीमित रहें, कालेजेज में एग्जामिनेशंस नहीं होने चाहिऐ। कालेज में वे ही बच्चे आप जाने दीजिए जो कालेज में पढ़ने लायक हैं, जो कालेज में जाने के हिसाब से पढ़कर कुछ करने लायक हैं। स्कूल में पास होने के बाद अगर आप यह महसूस करते हैं कि यह बच्चा आगे एकेडेमिक साइड में जाने लायक नहीं है, उसको आप वहीं रोकिये, उसको कालेज में नहीं जाने दें। उसको किसी ऐसे रास्ते पर लगाएं वोकेशनल ट्रेनिंग कालेज के जरिये जिससे कि वह बच्चा जो कि सिर्फ अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए बी.ए. की डिग्री लेना चाहता है, या जो सिर्फ पास होकर नौकरी लेना चाहता है वह नौकरी दूसरे जरिये से, वोकेशन के जरिये से मिल जाय।

इसमें सिर्फ वही बच्चे आएंगे कालेज में जो चाकू अपनी मेज के ऊपर गाड़ कर एग्जामिनेशन देने के लिए नहीं बैठेंगे, वे चार-चार पैन जेब में डाल कर लाएंगे क्योंकि उन्हें काफी लिखना है, काफी अपने आपको व्यक्त करना है। स्कूल से बाहर जैसे ही बच्चे निकलें, उनकी छंटाई वहीं हो जानी चाहिए। आज आप देखेंगे, कई ऐसे मैकेनिक्स हैं जिन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा वे इतने बड़े मैकेनिक हैं लेकिन उन्होंने आई. टी. आई. की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उनकी अपनी इण्टरनल इच्छा थी, उस इच्छा के जरिये उन्होंने पढ़ाई के अलावा भी काम किया है।

श्री सभापति : कृपया शान्ति बनाये रहें।

श्री गोपाल सिंह : सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा।

इसमें मैं बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहता, इसी बात तक सीमित हूं कि कालेज में जो लड़के लड़ाई करके या झगड़ा करके या डरा धमका कर एग्जामिनेशन देकर पास होते हैं वे इसलिए कि उनको आगे नौकरी मिल सके। अगर नौकरी के लिए उनको आप इधर डाइवर्ट कर दें तो सिर्फ वही बच्चे कालेज में आएंगे जो एकेडेमिकली बड़े स्ट्रांग हैं या बड़े ब्रिलिएण्ट स्टूडेण्ट हैं और ब्रिलिएण्ट स्टूडेण्ड कभी भी चाकू-छुरा लेकर नहीं आएगा, वह तो इम्तिहान देगा। इम्तिहान के लिए ही इम्तिहान देगा।

मैं इसमें यह बताना चाहता था कि ये जितनी गड़बड़ होती हैं वे स्कूल में उतनी नहीं होती उससे कई गुना ज्यादा कालेज में होती हैं, क्योंकि कालेज के लड़के बड़े होते हैं, उनकी आयु ज्यादा हो जाती है और उनमें वह हिम्मत बढ़ जाती है। स्कूल में एग्जामिनेशन होते रहें, जैसे हो रहे हैं और कालेज में उन बच्चों को जाने नहीं दिया जाय जो इस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं। उनको आप डाइवर्ट कर दीजिए किसी वोकेशन की तरफ। ब्रिलिएण्ड स्टूडेण्ट को जाने देंगे तो मैं समझता हूं कि बगैर इस अमैण्डमैण्ट के लाये ही आप इसमें पार पा लेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय सभापति जी, बड़े अफसोस की बात है कि 1860 में भारतीय दण्ड संहिता हमने बनायी थी, उसमें आज 132 साल हो गये....

श्री सभापति : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : ये कह रहे हैं कि नकल करने में लम्बे लोगों का हाथ ज्यादा होता है क्योंकि वे मौका देख लेते हैं।

श्री सभापति : कृपलानी जी अपनी जगह पर जायं तो ज्यादा अच्छा है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : 132 साल हो गये, लेकिन हम धारा 21 भारतीय दण्ड संहिता को अभी कम्प्लीट नहीं कर पाये। कोर्ट्स के अन्दर मुकदमे आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुल्जिम सी आर पी सी के क्लाज 197 का फायदा उठाता है।

वह कहता है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेन्ट हूं और मेरे खिलाफ सेंक्शन नहीं ली गई है। सारी ट्रायल 10-20 साल तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक विशियेट हो जाती है। उसका सिर्फ यह कारण है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 को अच्छी तरह से इन्कोरपोरेट नहीं कर पाये और हर बार 2-3-4 साल बाद वही जोड़ते रहते हैं।

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

मेरा सुझाव यह है कि इसके अन्दर सीधी सी एक धारा छोटी, सी बना दी जाय कि पब्लिक सर्वेंट में कोई भी अपाइण्टेड, नामिनेटेड, इलेक्टेड, कोई भी ऐसी बोडी जो किसी ला के अन्दर बनी हुई है, उसके सारे मैम्बर भी इसके अन्दर इन्क्लूड हो जायेंगे। तो मेरे ख्याल से जितने अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, इसकी किसी की जरूरत नहीं रहेगी। आज भी एम. एल. एज. और एम. पीज. के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पब्लिक सर्वेंट था और सारी प्रोसिडिंग्स जिस तरह अन्तुले वाले केस में हुआ, विशियेट हो गई, बार-बार वापस ट्रायल के लिये आते हैं।

इसी तरह कई बोडिज अभी भी हैं जो सैक्शन 21 आई.पी.सी. में अभी भी इन्क्लूड नहीं हैं। तो जब तक छोटा सा ऐसा इस तरह का अमेंडमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारा यह हल होगा नहीं। आज भी कोआपरेटिव के जो सर्वेंट्स हैं, ग्राम पंचायत हैं, दूसरी लोकल बॉडिज हैं, ऐसी और रह गई हैं जिनके सदस्य हालांकि काम पब्लिक सर्वेंट की तरह करते हैं लेकिन वे इन्क्लूड नहीं हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से एक अमेंडमेंट कर दें ताकि आइन्दा किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं रहे और 10-20 साल तक जो प्रोसीक्यूशन होता है, वह विशियेट नहीं हो। धन्यवाद।

श्री समापति : माननीय श्री मदेरणा जी।

श्री परसराम मदेरणा : यह कौनसी स्टेज बिल की चल रही है? मैं देरी से आया क्षमा करें आप मुझे।

श्री दिग्विजय सिंह : थर्ड स्टेज है।

श्री परसराम मदेरणा : थर्ड स्टेज के ऊपर प्रिंसिपल आफ बिल्स पर प्रकाश डाला जा सकता है।

माननीय गृह मंत्रीजी ने इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 21 के अन्दर जो संशोधन सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसमें परीक्षा का संचालन करने वाले, उसके सुपरविजन करने वाले जो लोग हैं, वैसी परीक्षाएं जो विधि के अन्दर अप्रूव्ड भी है और रिकोग्नाइज्ड भी हैं, यूनिवर्सिटी की परीक्षा और पब्लिक बाडीज का संचालन करने वाले और सुपरविजन करने वाले जो भी लोग हैं, चाहे वे पेपरसैटर्स हों, तो वह तो दूर बैठा हुआ है लेकिन इंविजिलेटर्स कहिये और दूसरे जो व्यवस्था करने वाले हैं, अध्यापक वगैरह जो वहां पर रहते हैं इंविजिलेटर्स के अलावा, उन सब को आप पब्लिक सर्वेंट बनाना चाहते हैं।

समापति महोदय, पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस किसी भी सैक्शन में अमेंडमेंट होता है इस सदन में तो जिस सैक्शन में आप अमेंडमेंट करने जा रहे हो, उस सैक्शन को पूरा रिप्रोड्यूस कर दिया जाता है साथ में ताकि मैम्बर्स को सुविधा हो पढ़ने में गृह मंत्रीजी इसको पीनल आफेंस बना रहे हैं, और गृह मंत्री

(श्री परसराम मदेरणा)

जी के पास में फोर्स है जिसको पुलिस फोर्स कहते हैं, आर. ए. सी. भी है और दूसरे इस प्रकार की कई फोर्सेस हैं लेकिन यहां नहीं देने से वे 12 और लोग जो पब्लिक सर्वेंट है, यह हमको जानकारी नहीं है सदन को, 13 को तो आप बना रहे हैं, यह तो मैं मान गया।

इसलिये पहले तो आप यह बतायें हमको कि आपने रिप्रोड्यूस क्यों नहीं किया ? यह 12 ए करके आगे एक्स-एक्स कर दिया, यह कोई तीन दिन रोजनामचा एफ. आई. आर. का खुला रखने वाला मामला नहीं है, लॉ बनाने जा रहे हैं, गृह मंत्रीजी और इसलिये आप मेहरबानी करके आपको इसको रिप्रोड्यूस करना चाहिये था सैक्शन 21 आफ द इंडियन पीनल कोड। आपने नहीं किया। आपने मुझे कॉल कर लिया और मेरी आई-कैच हो गई आपसे तो मेरा यह दायित्व हो गया कि मैं कुछ बात कहूं। और क्योंकि मैं खुद ही इग्नोरेंट था कि दूसरे सर्वेंट्स कौनसे हैं, जैसे अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे अगर आप इंविजिलेटर को ही पब्लिक सर्वेंट बनाना चाहते हो और पब्लिक बॉडिज...पब्लिक बॉडिज से आपका मतलब क्या है। पब्लिक बॉडिज आप किस को मान रहे हो ? इसमें डिफाइन आपने नहीं किया है।

जितने भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशंस हैं और प्राइवेट इन्स्टीट्यूशंस हायर सैकण्डरी तक चल रहे हैं। यह पब्लिक बॉडिज हैं या नहीं हैं ? हैं तो किस एक्ट में हैं ? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् पब्लिक बॉडी है या नहीं है ? ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत समिति का प्रधान और जिला परिषद की प्रमुख पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है ? सी. सी. बी. का चेयरमैन भी पब्लिक सर्वेंट है या नहीं ? कल यातायात मंत्रीजी यहां पर विधेयक को आप संचालित कर रहे थे और उसके प्रभारी थे। तो एम. एल. ए. के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और मैंने एक किस्सा आपको सुनाया था, कैसे यूनियन बनाकर के, सी. सी. बी. के चेयरमेन, पंचायत समिति के प्रधान की लोग पिटाई शुरू कर दें तो वह पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है ? आज वह नहीं है। है आपके सैक्सन 21 में ? वह नहीं है। आप देखिये। वह लिस्ट तो देखिये। पढ़कर भी सुनाइये कि वे 12 हैं क्या। न उसमें प्रधान है, न सरपंच है, न प्रमुख, है, न सी सी.बी. का चेयरमेन है, न अपेक्स बैंक का चेयरमेन है, और न फैडरेशन का चेयरमेन। और ये भी तो इन्स्टीट्यूशन्स है अण्डर लॉ।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, इस सैक्शन में तो नहीं है पर जो पंचायत एक्ट उस पंचायत एक्ट में दिया हुआ है कि वह पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आयेगा। जिला परिषद एक्ट, पंचायत एक्ट है उसके अन्दर है यह। जहां तक मेरी जानकारी है।

श्री सभापति : जब तक इसमें नहीं आयेगा तब तक उसमें होने से काम नहीं चलेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : It will be covered.

जहां तक मेरी जानकारी है, पंचायत एक्ट में है।

श्री सभापति : वह तो आई पी सी 21 के अन्दर डेफिनेशन आयेगी तब ही....

श्री दिग्विजय सिंह : मैं प्रधान-सरपंच रहा हूं, मुझे मालूम है कि उसमें है।

श्री परसराम मदेरणा : आपको तो एक जानकारी रखनी चाहिए, बाकी सब जानकारी से आपको कोई मतलब नहीं है। एक 154 आफ द क्रिमिनल प्रोसीजर क्या है, एफ. आई. आर. कैसे दी जाती है, उसको कितने दिन तक दर्ज नहीं किया जाय और उसके बाद सी आर नम्बर कब दिया जाय, इस बात की जानकारी होम मिनिस्टर बहुत रखते हैं। अब है या नहीं है, मैं समझता हूं कि नहीं है तो आपको कांप्रिहैसिव लाना चाहिये। मैं थोड़ी देरी से आया। जनरल क्लाजेज एक्ट आपने पास किया है। जनरल क्लाजेज एक्ट के अन्दर भी आपने बोथ हाउसेज आफ पार्लियामेंट की सबआर्डिनेट लेजिस्लेशन की जो रिकमंडेशन्स थीं, उनको स्वीकार करने में सरकार ने बहुत तत्परता दिखाई है। बहुत एफिशियेन्ट सरकार है, बहुत विजिलेंट सरकार है पर यहां के सबआर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की जो पचासों रिकमंडेशन्स पड़ी हुई हैं आपके कोल्ड स्टोरेज में, घर का पूत कंवारा डोले, वहां से जनरल कमेटी ने रिकमंडेशन कर दीं इसलिये हम सब ले-डाउन कर रहे हैं हाउस की टेबल पर रूल्स। आपने यहां की रिकमंडेशन कितनी मान ली? आपको यह पता नहीं है। इसलिये आप पब्लिक सर्वेंट उनको भी मानिये जो रिप्रजेंटेटिव हैं, जो इलेक्शन्स से चुन के आये हैं और उन लोगों के अगर कार्य के संचालन के अन्दर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उसमें भी इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 186 और 353 को इन्वोक किया जा सके। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर उसकी ड्यूटी के संचालन में कोई आबस्ट्रक्शन करता है।

then section 186 and 353 are attracted.

सभापति महोदय, इंडियन पीनल कोर्ड के एक-एक सैक्शन के क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उस सम्बन्ध में आपको इतना ज्यादा अनुभव नहीं होगा लेकिन इनमें तो आपको होगा क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट रहे हो और आपको मालूम है मेरे संचालन में कोई आबस्ट्रक्शन करेगा तो पीनल आफेंस बनायेंगे उस आदमी के लिये जो मुझे अपनी ड्यूटी के निर्वहन में बाधा पहुंचता रहा।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो बातें क्लीयर कीजिये आप यह ट्रन्केटेड लाये हैं, दूसरी पब्लिक बॉडिज को डिफाइन कीजिये, प्राइवेट एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स क्या इसमें आये या नहीं, इन बातों को क्लीयर कीजिये। कोआपरेटिव और पंचायत इन्स्टीट्यूशन्स के जो भी एग्जीक्यूटिव हैड्स हैं, उनको आप पब्लिक सर्वेंट की केटेगरी में नहीं लायेंगे तो दूसरी जगह अमेंडमेंट कर सकते थे, आपको यह अमेंडमेंट इंडियन पीनल कोड में करने की क्या जरूरत थी? इंडियन पीनल कोड के अन्दर तो जरूरत इसलिये महसूस होती है

(श्री परसराम मदेरणा)

कि कुछ लोग आजकल एग्जामिनेशन के वक्त में इंविजिलेटर और दूसरे लोग जो संचालन करते हैं, उसमें भयभीत हो गये।

किसी भी तरह की ऐसी प्रैक्टिस चल रही है, इललिगल फैक्टिस उसके खिलाफ और दूसरा कोई भी एक्शन लेगा तो मेरा कंडक्ट है, मेरी हैसियत है मेरा स्टेटस है वह पब्लिक सर्वेन्ट का है। इस सम्बन्ध में यहां पर दो राय थी, यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि एक सौ और कुछ साल पुराना, वह पब्लिक प्रोसीक्यूटर रहे हैं नागौर से आने वाले माननीय सदस्य। इंडियन पीनल कोड को पूरे 511 सेक्शन तक उनकी टिप्स पर हैं और यह मैकाले के वक्त में बना हुआ है ... (व्यवधान)

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप तो मैकाले के शागिर्द हो, इसलिए उस वक्त का बना हुआ है उसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। एपरेंटली इंविजिलेटर के लिए अब इसको पेनल आफेंस बनाया जा रहा है ऐजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के वातावरण में। मैं यह सोचता हूं कि आपको काम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए था।... (व्यवधान)....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 186 में कम्प्लेंट केस है- अनबेलेबल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं काम्प्रीहैंसिव कह रहा हूं और आप कम्प्लेंट की बात कर रहे हैं। तो मैं काम्प्रीहैंसिव कह रहा हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं यह कह रहा हूं कि 186 कम्प्लेंट केस है।

श्री परसराम मदेरणा : कम्प्लेंट केस है तो कम्प्लेंट होती रहेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि इसको गेमट कवर करना चाहिए था। मैं तो काम्प्रीहैंसिव की बात कह रहा हूं। कम्प्लेंट-वम्प्लेंट 186 में कर देना जिसको जरूरत हो उसको। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, पब्लिक बॉडी वही होगी जो किसी विधि के अन्तर्गत पब्लिक बाडी मानी गई है कोई भी हायर सैकण्डरी स्कूल, आज अजमेर में प्राइवेट हायर सैकण्डरी स्कूल्स 10-12 होंगी वह इसमें आयेंगी या नहीं आयेंगी? यह रजिस्टर्ड बॉडी हैं क्या? और रजिस्टर्ड हैं तो पब्लिक बॉडी हैं क्या? तो यह इंविजिलेटर के सम्बन्ध में कह रहे हैं कि केवल यूनिवर्सिटीज के लिए और पब्लिक बाडीज के लिए कर रहे हैं जो विधि के अन्तर्गत एग्जामिनेशन्स तो सब के सब विधि के अन्तर्गत हो रहे हैं, प्राइवेट तो कुछ क्लासेज तक ही एग्जामिनेशन्स लेते है, हायर एग्जामिनेशन्स तो लिए जाते हैं बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं या यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाते हैं या सक्षम कालेज द्वारा लिए जाते हैं एक स्टेज तक। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इसको क्लियर कीजिए कि पब्लिक बाडी का मतलब क्या है?

अन्त में गृह मंत्रीजी जो एग्जा-

(श्री परसराम मदेरणा)

मिनेशन्स कंडट सुपरविजन के अन्दर जो लोग लिए जा रहे हैं चाहे उनको एंगेज किया है और चाहे आप उनको एम्प्लोय किया है, उसमें कितने लोगों की पब्लिक सर्वेन्ट की संज्ञा में उनका कवर नहीं होने की वजह से ऐसी कितनी वारदातें हुई हैं राजस्थान में जिनकी वजह से सरकार को इस निर्णय पर पहुंचना पड़ा कि इस प्रकार का कोई भी प्रावधान करना, सेक्शन 21 इंडियन पीनल कोड में इम्परेटिव है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे मामले सरकार के पास कितने आए और कहां कहां से आए हैं और उनकी वजह से क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं और ऐजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के जो लोग हैं उनकी तरफ से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव था क्या ? और उसके निर्णय के बाद में जो आपने कैबिनेट के अन्दर कलेक्टिव विजिलेंस से निर्णय लेकर इस बिल को सदन के सामने लाए हैं ।

सभापति महोदय, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जितने मामले इनके पास में आए हैं उनकी निश्चत तौर से मंत्रीमण्डल में चर्चा हुई होगी और चर्चा हो गई तो प्रभारी मंत्री आप हैं। तो निश्चित तौर से आपको मालूम होगा कि इस-इस तरह के मामले आये हैं। यह सदन जानना चाहता है कि आपकी समस्या इतनी गम्भीर हो गई, इसका डाइमेंशन इतना बढ़ गयाहै, बूस्टर अप हो गई है कि आर्डिनरी शिक्षक और जो पिपुल के बीच में जो सम्बन्ध थे उनमें इतनी दरार पड़ गई है कि बिना सख्त कानून के एग्जामिनेशन्स कंडक्ट नहीं किए जा सकते हैं ।

प्रभारी मंत्रीजी जो मैंने कुछ मुद्दे उठाए हैं उनका आप निश्चित तौर से उत्तर देने का कष्ट करेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने दो प्रस्ताव यहां पर रखे हैं। एक तो जनमत जानने हेतु और दूसरा इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु। इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों ने हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर और शिक्षा के अन्दर जो कमियां हैं उनके ऊपर भी प्रकाश डाला है। यह भी कहा है कि क्या इस तरह का इंडियन पीनल कोड में संशोधन करने से नकल करना रुक जाएगा ?

जहां तक इंडियन पीनल कोड में अमेंडमेंट करने का प्रश्न है वह मैं आपसे कहूंगा। पर मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने बिल्कुल सही कहा है कि आज से पहले जो टीचर्स और टाट की जो रिलेशनशिप थी उसके अन्दर निश्चित रूप से गिरावट आई है और गिरावट आने के कई कारण रहे हैं। उन कारणों के ऊपर मैं सूक्ष्म रूप से आपसे निवेदन करूं कि हम यह मानकर चलें कि आज से पहले जो टीचर और टाट की रिलेशनशिप थी, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी उस संस्कृति में और आज की संस्कृति में, उस वातावरण में काफी पलटाव आया है। विशेष तौर से जैसा आपने कहा कि यूनिवर्सिटीज में और कालेजेज में इस रिलेशनशिप में जिस तरह का सौहार्दपूर्ण होना चाहिए था उसमें धीरे-धीरे कमी आने लगी और कमी आने का कारण यह रहा कि सोशल एन्वारनमैंट भी कुछ बदला और

(श्री दिग्विजय सिंह)

स्टूडेंट्स के अन्दर इस बात की जागृति आई और कुछ हमारे समाज के अन्दर इस प्रकार की घटनाएं होने लगीं जिसके कारण से शिक्षक वर्ग और शिक्षा देने वाले जो लोग भेजे गए जो वहां पर शिक्षा दे रहे थे उनके अन्दर एक भय का वातावरण उत्पन्न होने लगा।

इसका एक कारण यह भी है शिक्षा के अन्दर जो गिरावट आई है मैं स्पष्ट रूप से आपसे निवेदन करूं कि यूनिवर्सिटीज और कालेजेज में जो इलेक्शन्स की पद्धति चली और इलेक्शन पद्धति के माध्यम से भी....

(3.28 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इस इलेक्शन की प्रथा वहां शुरू हुई उससे स्वाभाविक था कि राजनीतिक पार्टियों का उसमें हस्तक्षेप होता चला गया। इलेक्शन प्रणाली आज के युग में कोई गलत नहीं है, इलेक्शन्स होने चाहिए....

श्री परसराम मदेरणा : राजनीतिक पार्टियां क्या कर रहीं थीं इसमें ?....

श्री दिग्विजय सिंह : इलेक्शन्स होने चाहिए। ..(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : वह क्लियर होना चाहिए ना, आपने राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप लेने का कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां इन्टरफियर क्या कर रही थीं ?

श्री दिग्विजय सिंह : यह तो आपको खुद को ही मालूम है सब जगह, यूनिवर्सिटीज में .. (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं है, मालूमहोता तो मैं क्यों पूछता ? मुझे बिलकुल मालूम नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : जहां पर इलेक्शन्स होते हैं, अपने अपने इन्ट्रेस्ट होते हैं, बी. जे. पी. का हो, कोई भी पार्टी का हो सब अपने अपने कैंडीडेट्स खड़े करते हैं, आप भी जानते हैं माननीय श्री परसरामजी मदेरणा साहब, यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन्स के अन्दर किस प्रकार से खुल कर के पार्टीज भाग लेती हैं, हम भी समर्थन करते हैं और सब पालिटिकल पार्टीज उसमें जुड़ जाती हैं। यह मेन कारण बताया है जिससे कि वहां पर टीचर और टाट के बीच के अन्दर जो सद्भावना रहनी चाहिए थी वह नहीं रह पा रही हैं और शनैः शनैः शिक्षा का जो स्टेण्डर्ड हम सब मान कर चलते थे कि आगे बढ़ायेंगे उसके अन्दर गिरावट आई है।

आपने एक बात कही, यू. पी. के अन्दर कोई विधेयक आया है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि चीटिंग करेगा और चीटिंग करने पर, उन्होंने अध्यादेश भी निकाला था और अब विधेयक बना दिया कि चीटिंग करने वाले शिक्षार्थी को सजा होगी। यह बिलकुल अच्छा है। मैं भी

(श्री दिग्विजय सिंह)

यू. पी. के अन्दर गया था उस वक्त मैंने भी वहां के शिक्षा मंत्रीजी से इस संदर्भ में बात की थी। उसका वहां पर असर हुआ है। हम भी इस प्रकार का लाने की सोच रहे हैं, उस प्रकार की व्यवस्था यहां भी करें ताकि चीटिंग की जो व्यवस्था है या-धौंस दिखा कर और इनविजिलेटर को डराकर परीक्षा दे देते हैं, चीटिंग कर लेते हैं और उसका नतीजा अंजाम नहीं हो पाता है उससे भी शिक्षा के स्तर पर असर पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मैन जो बात है कि यह क्यों लाया गया है उसके ऊपर ही चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि यह जो दूसरे सब्जैक्ट आपने बताए हैं आमूल-चूल शिक्षा से सम्बन्धित, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ऐजुकेशन एक्ट है, शिक्षा विधेयक है उसके अन्दर क्या परिवर्तन किए जायं उस बारे में शिक्षा मंत्रीजी ज्यादा विस्तार से बता सकेंगे।

यह जो इण्डियन पीनल कोड में अमेण्डमेंट लाये हैं उसके पीछे उद्देश्य एक ही रहा है और वह यह रहा कि आये दिन जब भी एग्जामीनेशन्स होते हैं और उस वक्त कम्पलेंट भी काफी आई, पब्लिक की तरफ से यह कम्पलेंट आई, अखबारों में भी छपा इस बात की काफी खबरें छपी कि धमकी दी जाती है, जगह जगह पर इन्वेजीलेटर को, या तो चाकू रख दिया गया, धमकाया गया और उसके बाद इम्तिहान देकर चले गये। चूंकि वह पब्लिक सर्वेन्ट की परिभाषा में नहीं आते थे तो उनके विरुद्ध या उनको बचाने के लिये कोई कारगर उपाय करने का सेक्शन में अमेण्डमेंट नहीं था। तो उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस बात के लिये सैक्शन 21 में यह अमेण्डमेंट किया और जैसा अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने पब्लिक बॉडी के सम्बन्ध में क्या कहा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अन्दर एक ही पक्ष नहीं है। इसमें वह भी पक्ष है कि जिसको अंगेज किया जा रहा है वह अंगेज किये जाने वाला भी अपने आप को सिक्योर फील करे कि मैं इन्वेजीलेटर के रूप में जा रहा हूं तो मेरी कोई सुरक्षा रहेगी और कानून के तहत मुझे संरक्षण मिलेगा। इसलिये यह प्रोविजन किया है कि "Every person employed or engaged by any public body in the conduct and supervision of any examination recognized or approved under any law;"

यह बहुत स्पष्ट है और एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ें तो पब्लिक बॉडी की जो बात कही है....

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि डिफाइन दी पब्लिक बॉडी।

श्री दिग्विजय सिंह : एक्सप्लेनेशन आप पढ़ें उसमें लिखा हुआ है कि "Explanation : 'Public body' includes a University, Board of Education or other body either

(श्री दिग्विजय सिंह)

established by or under a Central Act. or State Act. or under the provisions of the Constitution of India or constituted by the Government and a local authority".

इसके लिये पूरा वाइड है, कवर्ड। जो लोकल बॉडीज आती है उनका उसके अन्दर समावेश हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कहते हुये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह संक्शन कोपींग करने के हिसाब से नहीं बल्कि जो इन्वेजीलेटर जाते हैं वह किस प्रकार से सुरक्षा अपने आप में फील करें और जहां तक थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि उसको करने से क्या होगा तो उसके अन्दर लिखा है कि सेक्शन 53 का उनको लाभ मिलेगा। अगर उनके पास एसाल्ट होता है तो निश्चित रूप से सेक्शन 53 के अन्तर्गत वह कवर होंगे और जिसके अन्दर लिखा हुआ है कि "Whosoever assaults or uses criminal force to any person being a public servant in execution of his duty as such public servant or with an intent to prevent or deter the person from discharging his duty as such public servant or in consequence of anything done or attempted to be done by such a person in lawful discharge of his duty as such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years or a fine or with both."

यह सुरक्षा उसको दी हुई है कि कवर होने के बाद में करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि यह कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। इसे निश्चित रूप से जो वहां पर इन्वेजीलेटर जो वहां अगेज किये जाते हैं उनको सुरक्षा की भावना मिलेगी और जो वहां एनजाम देते हैं उनको इस बात का अहसास होगा कि हम अगर इस प्रकार की कोई घटना करेंगे तो हमको वहां पर निश्चित रूप से दण्डित किया जा सकेगा। तो जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु और प्रवर समिति को सुपुर्द करने का रखा है और इस विधेयक को वापस लेने की बात कही है मैं उसको अस्वीकार करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह कि भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

भारतीय दण्ड संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1991 में पारित किया गया।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992, श्री चतुर्भुज वर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे। राजस्थान

(श्री उपाध्यक्ष) :
संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992, यह जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है इसमें उद्देश्य और कारण का कथन मैं पढ़ कर सुनाता हूं कि क्यों लाया जा रहा है। संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित विधि, वर्ष 1958 में अधिनियमित की गई थी। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 3) की धारा 3 की उप धारा (2) के विद्यमान उपबन्ध के अनुसार शुल्क की अधिकतम रकम जो किसी संस्था का रजिस्ट्रीकरण करते समय प्रभारित की जा सकती है, पचास रुपये है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क अन्य बातों के साथ-साथ रजिस्ट्रीकरण के लिये राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं का खर्चा वसूल करने के बदले में प्रभारित किया जाता है। सेवाओं के खर्चे में सदैव वृद्धि हो रही है। जब कभी शुल्क में वृद्धि का विनिश्चय किया जाता है, विधि में संशोधन करना अपेक्षित होता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है।

अतः यह प्रस्ताव है कि उस शुल्क की भारी मात्रा के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश देने के लिये राज्य सरकार को सशक्त करने हेतु अधिनियम की धारा 3 में आवश्यक समर्थकारी उपबन्ध किया जाय जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रभारित किया जा सकेगा। इसलिये इस प्रयोजन के लिये अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य प्राप्त करने के लिये हैं।

अब यह जो सब क्लॉज 2 है उसमें यह क्या ला रहे हैं ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये रजिस्ट्रार को ऐसा शुल्क संगत किया जायेगा जिसका राज्य सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करें और इस प्रकार के किये गये समस्त शुल्क को राज्य सरकार के खाते में जमा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा खतरनाक और विधि विरूद्ध यानि कोई भी आज तक ऐसा बिल नहीं लाया गया होगा एक ऐसी परम्परा डालना चाहते हैं कि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं और राजस्थान विधान सभा में नहीं आया जाये और जो वहां पर करते रहे उसका लेखा जोखा राजस्थान विधान सभा में

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

देने की आवश्यकता नहीं है। यह एक नई परम्परा इस विधेयक के द्वारा हम पैदा करना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो ठीक है लेकिन खतरनाक कैसे है। खतरनाक होने के जो पहलू है उस पर प्रकाश डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह यह है कि राजस्थान विधान सभा के नियन्त्रण से यह बाहर निकलना चाहते हैं....(व्यवधान) ... कानून की बात, है ना तो आपका स्वास्थ्य ठीक है नहीं, आपका कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ठीक है नहीं, आपके बस की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, विधि और नियमानुकूल यह है कि फाइनेन्स कोष में जमा होता है, राजकोष से निकलता है उस शुल्क का लेखा जोखा कान्सटीट्यूशन के अनुसार, नियमानुसार, कोई भी अधिकार विधान सभा से नहीं लिये जा सकते और कोई ऐसे अधिकार किसी भी संस्था को नहीं दिये जा सकते कि पहले 50 रुपये रजिस्ट्रीकरण के और उसकी फीस के रूप में दिये जाते हैं कोई भी सोसायटी रजिस्ट्रीकरण कराती थी, 50 रुपये शुल्क के रूप में लिये जाते अब अभी भी आपने कोई सीमा नहीं बताई है कि हमारा खर्चा कितना बढ़ गया है या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे बढ़ रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कम होने लग गया है, ऐसा कोई कारण नहीं बताया। केवल एक अनुमान लगा लिया गया कि महंगाई बढ़ रही है। लोगों के वेतनमान बढ़ रहे हैं हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, यह बात भी समझ में आती है लेकिन आप 50 की जगह 75 कर दें, 50 की जगह 60 कर दें लेकिन, इस अमेंडमेंट के जरिये आप यह चाहते हैं समय-समय पर कि हम 50 से 100 कर दें, 100 से 200 कर दें, 200 से 400 कर दें और विधान सभा में लाने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे विधान सभा के अधिकार का भी अतिक्रमण है और संविधान पर भी अतिक्रमण है और नियमों का भी अतिक्रमण है और यह विधिमान्य नहीं है। यह खतरनाक विषय है माननीय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री परसराम मदेरणा : अब मेरी समझ में आ गया, सदन को बबलू बनाया जा रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको अब समझ में आ गया, मैं तो ऐसा नहीं मानता क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं इस विधान सभा के जो प्रारम्भ में नियम और कानून बने हुए हैं, उसका गहराई से अध्ययन यदि किसी ने किया है तो उसमें आप हैं और इसीलिए...

श्री परसराम मदेरणा : असेम्बली को जब बाई पास किया जा रहा है तो यह प्रभारी मंत्रीजी का मूव है, जैसा कि अभी आपने एक्सप्लेन कर दिया, पहले मैं अनभिज्ञ था, यह तो खतरनाक मूव है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आवश्यकता तो इस बात की थी कि को-आपरेटिव

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मूवमेंट है। कोग्रापरेटिव मूवमेंट में जो कमियां आई हैं, आज यह कोआपरेटिव मूवमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यह कुछ प्रभावशाली और कुछ लोगों का चारागाह बन गया है....

श्री उपाध्यक्ष : यह को-आपरेटिव कहां आ गया, कोआपरेटिव पर मत जाइये। सोसाइटीज का है, को-आपरेटिव का नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपका डाइवर्सन बहुत खतरनाक है। यह कोआ-परेटिव एक्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह रजिस्ट्रेशन एक्ट है। को-आपरेटिव सोसा-इटी रजिस्टर्ड होती है दूसरे एक्ट के नीचे....

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है रजिस्टेशन जो है, कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्टेशन इसी के अन्तर्गत होता है....।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : इतनी तैयारी करने के लिए नहीं कहा था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, कोआपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, वह इसी के अन्त-र्गत होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो संस्था रजि-स्ट्रीकरण एक्ट के तहत बात कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो रजिस्ट्रेशन होता है....

श्री उपाध्यक्ष : ये अलग है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, महावीर जी को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। ये महावीर हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सीमा का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब्जेक्ट को डाइव्यूट भी नहीं किया जा सकता।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य सचेतक जी से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को समय देने के लिए....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने का सवाल नहीं है। मैं तो कोआपरेटिव....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें। ये बोल रहे हैं। महावीर जी बोलिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन: उपाध्यक्ष महोदय, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी सोसाइटी का निर्माण नहीं किया जा सकता और इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही सारी अनियमिताएं शुरू होती हैं और इस बिल का मूव भी को-आपरेटिव मिनिस्टर ने किया है और रजिट्रेशन जिसके तहत होता है उस पर किस प्रकार की पाबन्दियां लगाई जायें, उस रजिस्ट्रेशन के पूरे उद्देश्य उसमें होते हैं, उसमें किस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रकार का अमेंडमेंट लाया जाय और रजिस्ट्रेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाय, आज जो जितनी सोसाइटीज इसके तहत रजिस्टर्ड होती हैं उस पर किस प्रकार का नियंत्रण रजिस्ट्रेशन करते समय लगा दें तो हमारी समझ में आता है कि जो कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, इस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यानि हमारे यहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए वह आते हैं, शुल्क देते हैं, उसमें हम कोई कंडीशन लगाते हैं, उनका कोई कांस्टिट्यूशन होता है कि हम इस कांस्टिट्यूशन के तहत आपके यहां आए हैं, इसका रजिस्ट्रेशन करिये और उसका हम शुल्क लेते हैं लेकिन यह केवल शुल्क लेने के लिए तो हम हैं, उन सोसाइटीज पर किसी प्रकार का नियंत्रण, किसी प्रकार का प्रभावी नियंत्रण रखते हैं इस रजिस्ट्रेशन के मार्फत, तो हमारी समझ में आता है, मैं इसलिए उनको बताना चाहता हूं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस प्रकार के गिरोह पनप रहे है, उन पर इस रजिस्ट्रेशन के जरिये आप ऐसा कोई अमेंडमेंट लेकर आते जिससे इस पर अंकुश लगता। इसकी बजाय आप ऐसा संशोधन ला रहे हैं जिससे पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं और वह भी असीमित।

श्री हेतराम बेनीवाल : अब ये किस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो ठीक बोल रहे हैं। नहीं, नहीं टू दी पाइंट बोल रहे हैं। ये ठीक विषय पर बोल रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका तो....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये। नहीं, उनसे बात नहीं कीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको तो यूनियन रजिस्ट्रेशन करानी है। इसके बाद इनकी कोई समझ की बात नहीं है इसलिए मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैंने कई सवाल विधान सभा में कोआपरेटिव के उठाये हैं। उनका जवाब भी आया है। यानि कितनी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, उसमें क्या-क्या अनियमितताएं हुई, इसमें किसी प्रकार की आवश्यकता इस बात की थी, जिस समय हम यह अमेंडमेंट ला रहे थे, उसमें एक तो समय निर्धारित करना चाहिये था और उसमें यह बताना आवश्क था कि कितना पैसा बढ़ा रहे हैं, उससे कितनी इन्कम होगी और राजकोष में कितना पैसा आएगा। इसका अभाव रहा है। आवश्यकता इस बात की भी थी और आवश्यकता इस बात की भी थी कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी इस प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती हैं, वह गड़बड़ियां किस प्रकार रुकती। उस पर दिमाग लगाया जाता, वह दिमाग नहीं लगाया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया (अनुपस्थित), श्री जनार्दन सिंह गहलोत (अनुपस्थित), श्री जुबेर खान (अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र पारीक, बोलिये आप। श्री हरिसिंह महुआ (अनुपस्थित),

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री ईश्वर लाल सैनी (अनुपस्थित) माननीय पंडित रामकिशन जी।

श्री रामकिशन : केवल वह ही आपको कहना चाहता था मैं केवल बोलता तब ही हूं जब नई बात हो। महावीर जी ने जो बात उठाई है, असल में इसके पीछे यही मंशा है। जब 50 रुपये की यह रकम 500 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 250 कर सकते हैं, अब नियमों की आड़ लेकर निश्चित तौर से यह इस तरह का प्रावधान होने जा रहा है, इससे असेम्बली के अधिकार भी कम होंगे और विभाग को भी पूरी छूट मिल जायेगी ; मैं तो मंत्रीजी से यह चाहूंगा. इस पर कोई समय निर्धारित कर दें, 50 से ज्यादा आपको बढ़ानी होगी तो आप बढ़ा सकते हैं लेकिन इसकी एक निश्चित सीमा कर दें और नियमों के तहत ही अगर आप प्रावधान कर दें तो इसमें स्पष्ट डाल दें की नियम कब तक बनेंगे । इतनी बात तो मुझे कहनी थी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण वर्मा (अनुपस्थित), प्रोफेसर सांवर लाल जी (अनुपस्थित), श्रीकिशन सोनगरा (अनुपस्थित), श्रीमती उजला अरोड़ा । (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : कुछ भी चलेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है श्री और श्रीमती में कोई फर्क नहीं है। केवल उजला अरोड़ा भी चलेगा । (व्यवधान) आपके आगे विधुर चलता है क्या ? मैं पूछना चाहती हूं, आप किस तरह से महिलाओं से बात करते हैं। आप शादीशुदा है पता नहीं, आप विधुर है पता नहीं, आप बच्चे हैं पता नहीं। महिलाओं के साथ सारी श्रेणियां लगा देते हैं। अब चुप रहो।

श्री उपाध्यक्ष: आपसे संतोषप्रद उत्तर मिलता है, इसलिए पूछ लेते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सन् 1958 में यह विधि बनाई गई थी कि जो संस्था रजिस्टर्ड की जाय उनसे 50 रुपये लिए जायं, यह बात सही है कि बहुत दिन हो गये। यह बात भी सही है कि खर्चे बढ़ गये हैं लेकिन ये फीस बढ़ाने का जो कार्य है उसमें शामिल नहीं किया जाना, कितना बढ़ाया जायेगा और कोई भी अपर लिमिट तय नहीं की जाय। यह बहुत गलत तरीका है। मैं समझती हूं, यह तो कानून ही चैलेंज हो जायेगा । इधर तो विधान सभा को बाई पास करेंगे और उधर कानून चैलेंज होगा। यह दोनों स्थिति में हमारी सरकार को तो कम से कम नहीं पड़ना चाहिये।

आप यह भी तय करें कि आप अधिक से अधिक कितना लेंगे यानि कुल कितना लेगें या आप कोई श्रेणी बनाने जा रहे हैं तो वह कह दीजिये कि स्कूलों के सम्बन्ध में संस्था से 75 लेंगे और सिलाई कढ़ाई की संस्था से आप 100 लेंगे या आप इसी प्रकार की गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, मुझे लगता है माननीय मंत्री महोदय केवल गृह निर्माण सहकारी समितियों के अलावा और कोई सोसाइटी देख ही नहीं पाते तो मेरा निवेदन है कि हरेक तो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इतनी मालदार तो है नहीं, छोटी-संस्थाएं राजस्थान में खुली हुई है, कुछ संस्थाएं तो ऐसे-ऐसे सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की गई हैं जो समाज कल्याण विभाग की सहायता से पनपी है और चली है। मेरा निवेदन है कुछ भी करके आप यहां पर श्रेणी का निर्णय ले लें कि किस श्रेणी के रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी लेना चाहेंगे या शुल्क कितना लेना चाहेंगे। यह तो बात समझ में आ जाती है लेकिन आप तो कई ऐसी श्रेणियां बना रहे हैं। नहीं अभी आप यह तय कर रहे हैं कि अधिकतम सीमा कितनी होगी।

एक खुला अधिकार आप लेना चाह रहे हैं यह कदापि उचित नहीं है। मैं कहना चाहूंगी करना तो आपको यह चाहिए आप जमीनों की सोसाइटी बनाते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में मकानों के संबंध में सोसाइटी बनाते हैं। ये सोसाइटीज के नाम पर जितने घपले हो रहे हैं वे जमीनों के कारण से हो रहे हैं कि जमीनों की सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई। अगर यह मकान बनाने के छोटे-छोटे ब्लॉक्स में बनाने की सोसाइटियां होती तो जैसे बम्बई और अहमदाबाद में ये संस्थायें पनप रही हैं, वहां आपको अध्ययन करने के लिए जाना चाहिए कि किस तरह से वहां पर ये सोसाइटियां पनपी और फलीभूत हुई हैं, फैल नहीं हुई हैं, केवल राजस्थान में ही ऐसी सोसाइटियों का नाम लिया जाता है कि जो कोई जमीन पर हैं या नहीं, जमीन है या नहीं और मकान बिक रहे। गलत रजिस्ट्रियों के कारण से 73 की रजिस्ट्री के अन्तर्गत आज भी पिछली तारीख में मकानों के संबंध में आवंटन करके नक्शे-पट्टे दिये जा रहे हैं। आप उनको ठीक नहीं कर पाये, आप उन सोसाइटियों को ठीक नहीं कर पाये।

आप कह रहे हैं आपका खर्चा बढ़ रहा है। आपका खर्चा गलत कारणों से बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप इसके सारे परिप्रेक्ष्य में देखते हुए जितना भी आप लेना चाहते हैं इसकी कोई अंतिम सीमा होनी चाहिए। बिना सीमा के हमारी राय नहीं है कि यह आपको खुली छूट दी जाय। यहां विधान सभा में तय होना चाहिए। पहले तय हुआ है और अब भी तय होना चाहिए कि आप कितना पैसा रजिस्ट्री की फीस के रूप में, शुल्क के रूप में लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हेतराम जी बेनीवाल, प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने हेतु संशोधन प्रस्ताव पर बोलेंगे।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : उपाध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूं कि मेरी समझ में नहीं आया है इतने साल बाद सरकार के जो ख्याल आया है कि सिर्फ इसमें फीस बढ़ोतरी का प्रोविजन करके इसको छोड़ दिया जाय। या तो इसके ओवर-ऑल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ही देखा जाय। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से ट्रस्टीज बहुत बड़ा ट्रस्ट चलाते हैं। बहुत बड़ी सोसाइटी बनाकर बहुत

(श्री हेतराम बेनीवाल)

तरह के धंधे किये जाते हैं। इसमें जब इतना वाइड ट्रांजेक्शन होता है इन सोसाइटीज के थ्रू तो या तो उस एक्ट में प्रोविजंस करके आपकी तरह से ओवर-आल किया जाय क्योंकि यह 80-90 साल पुराना एक्ट है और सिर्फ फीस बढ़ोतरी की बात करके छोड़ रहे हैं इसलिए सीरियसली सरकार को इस रूप में करना चाहिए अन्यथा सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए प्रोविजन करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त शर्मा : (थानागाजी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी है। एक तो यह कि इस प्रकार की असीमित शक्तियां कि 50 रुपये से सरकार चाहे 50 करोड़ करना चाहे तो कर देगी। यह इस प्रकार की असीमित शक्ति किसी भी सरकार को देना उचित नहीं है। आई पी. सी. के अंदर भी यदि हीनियस से हीनियस कोई क्राइम कर दे तो वहां निर्धारित है कि 10 हजार रुपया पैनल्टी लगाई जा सकती है, 50 हजार लगाई जा सकती है, 15 हजार लगाई जा सकती है। किसी भी एक्ट के अंदर इस प्रकार की सीमित शक्ति नहीं दी जा सकती कि जब जैसा सरकार चाहे 50 रुपए से 500 रुपया, 5 लाख रुपया, 5 करोड़ कर दे। तो इस प्रकार की और वह भी वित्तीय मामले में इस प्रकार की शक्ति देना उचित नहीं है।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि को-आपरेटिव सोसाइटीज एक्ट तो है करीब 350 पेज का और उसके अन्दर किसी को चपरासी भी रखना हो तो सोसाइटी को रजिस्ट्रार से पूछना होता है और यदि वह हां कर दे तो वह चपरासी लग जाय नहीं तो नहीं लग सकता। लेकिन उसके ठीक मुकाबले में जो सोसाइटीज एक्ट है वह कुल मिलाकर डेढ़ पेज का है। डेढ़ पेज के बजाय एक पेज का ही है और उसमें इस तरह की मनमानी चल रही है कि कब तो उनका एनुअल्स होता है, कब उनके इलेक्शन होते हैं, कब उनकी बैलेन्स शीट होती है, कब उनके अकाउंट्स होते हैं, कौन उनके मेम्बर हैं, क्या वे काम करते हैं इसके बारे में को-आपरेटिव डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं।

को-आपरेटिव सोसाइटी यदि मान लीजिए सारे राजस्थान में कुल मिलाकर 10 हजार से ज्यादा नहीं है करीबन 6-7 हजार तो ग्रामीण सोसाइटीज हैं और अन्दर सोसाइटीज हैं परन्तु जो सोसाइटीज हैं ये अनलिमिटेड हैं न जाने कितनी हैं। को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के पास में सोसाइटी एक्ट का कोई ब्यौरा नहीं होता है। जहां को-आपरेटिव सोसाइटीज के तहत हजारों सरकारी कर्मचारी कार्य देखने वाले हैं सोसाइटीज एक्ट को देखने के लिए को-आपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कोई भी संस्थागत तरीका नहीं है। वहां कोई असिस्टेंट रजिस्ट्रार, न डिप्टी रजिस्ट्रार, न कोई अलग से रजिस्ट्रार देखने के लिए है। उनको यह भी पता नहीं है कि राजस्थान के अन्दर कितनी सोसाइटीज हैं, किन सोसाइटीज के अन्दर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

तो यह सरकार का एक कैजुअल एटीट्यूट है कि किसी बाबू ने कह दिया कि 50 रुपया बहुत कम है यह ज्यादा होना चाहिए और यहां पर कानून आ गया। जब कभी किसी भी एक्ट के बारे में चर्चा होती है तो उसमें काम्प्रहेंसिव तरीके से सोचना चाहिए। आज राजस्थान में, हिन्दुस्तान में कितनी सोसाइटीज आ गई है; वे सोसाइटीज ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनका जो कानून बनाया है वह सही है या नहीं है, उनके अन्दर गल्तियां हो रही हैं या अच्छा हो रहा है। खर्चा इतना बढ किस चीज में गया? इनके यहां रजिस्ट्रार के पास में, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास में एक रजिस्टर है जो भी अनकम्पलीट है उसमें उनका नाम भी पूरा लिखा है या नहीं लिखा है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है किसी सोसाइटी के बारे में।

तो आवश्यकता इस बात की थी कि जिस प्रकार से आज सोसाइटीज प्रत्येक काम के लिए बढ़ रही हैं उन सोसाइटीज के बारे में सारा का सारा विचार करके पूरे एक्ट को संशोधित करने की आवश्यकता थी उसको न करके उसके बारे में ध्यान न देकर एक कैजुअल एटीट्यूट को लेकर केवलमात्र फीस के बारे में विधान सभा के सामने आये हों तो उचित नहीं है। मैं तो निवेदन करूंगा कि इसको सलेक्ट कमेटी के पास भिजवाकर सारे के सारे एक्ट पर पुर्नविचार करके उसके बाद में सदन के सामने आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में कुछ विचार प्रकट किये। 34 साल के बाद इस फीस के बारे में विचार हुआ और इसलिए नहीं कि 50 रुपया से 75 रुपया किया जाय, 100 रुपया या 125 रुपया किया जाय। वो इसलिये कि बार-बार हर काम में, छोटे-छोटे काम के लिये विधान सभा में मामला आवे ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दीजिये महावीर जी। यह ऐसा नहीं कह रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : महावीरजी के बहुत अच्छे सुझाव आ चुके हैं उन पर विचार बाद में किया जायेगा। (व्यवधान) ... एक सुझाव रमाकान्तजी का है इस पर मैं अपने विचार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुझाव दिए कि 5 लाख रुपये भी कर सकते हैं, 10 लाख भी कर सकते हैं। ये हमारे को-आपरेटिव सेक्रेटरी रहे हैं, वर्षों तक रहे हैं। उस समय भी कॉपरेटिव के बारे में विचार आ सकता था, कितनी सोसाइटी राजस्थान में हैं वो भी इनको मालूम है। क्या-क्या कमियां हैं, कहां-कहां कमियां हैं, कैसे सुधार किया जा सकता है। मैं समझता हूं इस को-आपरेटिव

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

को अगर सही ढंग से सबके सामूहिक सोर्स से पैदा किया जाता तो को-आपरेटिव विकास की ओर बढ़ता और को-आपरेटिव आन्दोलन को सीमा में नहीं बंद किया जा सकता। इसलिये आन्दोलन को हम संस्कारों से, कार्यकर्ताओं के द्वारा आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है। पिछले सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मैं इस पर नहीं जाना चाहता लेकिन मेरे विचार निश्चित है कि कॉपरेटिव का मेरे समय में, बहुत अल्प समय में नया स्वरूप मिला है।.... (व्यवधान)।

मैं को-आपरेटिव के अन्दर जो भी माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं उनके बारे में बोल रहा हूं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि को-आपरेटिव एक्ट को बहुत गम्भीरता से लिया जायेगा माननीय सदस्यों के जो भी उपयुक्त सुझाव होंगे उनके बारे में विचार किया जायेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको पवित्र आन्दोलन देना चाहते हैं। इसके अन्दर जहां-जहां भी कमियां आई हैं हमारे आचरण की वजह से कमी आई है वरना ऐसा कोई कारण नहीं है, को-आपरेटिव जनता का एक बहुत बड़ा आन्दोलन है, पूंजीवाद से दूर हटकर, साम्यवाद से दूर हटकर है। एक मिला-जुला आंदोलन सारे देश का है। राजस्थान के अन्दर मैं विश्वास दिला दूं कि को-आपरेटिव के अन्दर हमने बहुत थोड़े समय में जो संशोधन किए हैं वे राजस्थान में एक रेकार्ड है और क्रांतिकारी कदम है। रजिस्टेशन होने के बाद कोई चुनाव नहीं हुए, वे चुनाव हमने कराये। हमने लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की है, जन-प्रतिनिधियों की आकांक्षाओं की पूर्ति की है। जो वचन मैंने दिया था कि 2 साल से ज्यादा समय नहीं लिया जायेगा उसकी मैंने पालना की है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप अपने क्षेत्र से बाहर की बात कर रहे हैं। यह को-आपरेटिव सोसाइटी के लिए एक्ट थोड़े ही है। यह सोसाइटीज के लिए अदर दैन को-आपरेटिव सोसाइटीज के लिए है।

(4.00 म. प.)

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य, मैं भी इसको समझता हूं लेकिन जैसे विचार प्रकट किये गये थे आउट ऑफ वे जाकर, उनका मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी-अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव कराये हैं।

डा. चन्द्रभान : नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस पर चर्चा ...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत सारे अध्यक्ष बनाये हैं इसलिये उसके बारे में कह रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नहीं, तो बहुत समय है मंत्रीजी के पास।

श्री चतुर्भुज वर्मा : कुछ बातें आई हैं उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ बातों का जवाब है। आप बोलिये वर्मा साहब।

श्री चतुर्भुज वर्मा : इसलिए माननीय सदस्य, इसमें क्या है कि आप सब ने जो सोच और विचार प्रकट किये हैं सहकारिता के बारे में, जो-जो भी पाइंट बताये हैं, निश्चय ही आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपके सुझावों को भी मैं ग्रहण करूंगा, अन्य जो भी सोच आये हैं उन पर भी मैं विचार करूंगा और आपकी सब की समन्वय भावना के द्वारा को-ऑपरेटिव एक्ट को नया रूप दिया जायेगा। यह बात तो निश्चित है। इसमें आज तो केवल यही था कि बार-बार सदन के अन्दर नहीं आया जाय, एक छोटा सा मामला है लेकिन यह भी कोई ऐसी ज्यादा तानाशाही स्वरूप नहीं है कि अधिकार हम ग्रहण कर रहे हैं। जब 34 साल के अन्दर पचास रुपये नहीं बढ़ाये गये, इसमें थोड़ा-सा बदलाव लाना चाहते हैं और बहुत सोच-समझ कर ही रजिस्ट्रेशन फीस कायम की जायेगी लेकिन समय-समय के ऊपर बार-बार नहीं आना पड़े, इसलिए हमने यह किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको पारित किया जाय। यही विचार हैं मेरे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय श्री चतुर्भुज वर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चौदहवां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) । उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं । प्रतिवेदन इस प्रकार है :

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 18 सितम्बर, 1992 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई । समिति ने निर्णय लिया है कि दिनांक 21 सितम्बर से 30 सितम्बर तक सदन में लिये जाने वाले कार्यों का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय :-

सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 1992—	राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1992 राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1992 राजस्थान बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 1990 राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास (संशोधन) विधेयक, 1992 एवं राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1991 पर विचार एवं पारण ।
मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1992—	राजस्थान विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 एवं राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण ।

बुधवार, गुरुवार दिनांक 23 और 24 सितम्बर, 92 को सदन की बैठक नहीं होगी ।

शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1992-	मध्याह्न पूर्व आधे दिवस गैर सरकारी कार्य दिवस, मध्याह्न पश्चात् 1.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक । राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण ।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

	संविधान (76वां संशोधन) विधेयक, 1992 का अनुसमर्थन,
शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1992—	जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1991 एवं राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण।
रविवार, दिनांक 27 सितम्बर, 1992 को बैठक नहीं होगी।	
सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर, 1992—	राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 1992 एवं राजस्थान नगर निगम विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण।
मंगलवार, दिनांक 29 सितम्बर, 1992–	वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1992-93 (प्रथम संकलन) एवं वर्ष 1984-85 के लिए अतिरेक मांगें तथा तत्सबन्धी विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।
बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1992-	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991 पर विचार।

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति व्यक्त करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त की जाय ?

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त की गई। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के प्रथम दिवस जिस बिल को यहां पर इन्ट्रोड्यूस किया गया, टेनेन्सी अमेंडमेंट बिल ...

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली, पैट्रोल के बारे में कब है। बिजली पर भी विचार होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां।

श्री नत्थी सिंह : बोले कहां हैं। बोला नहीं है आपने, बोलिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं बोला तो भी है।

श्री नत्थी सिंह : नहीं-नहीं ऐसे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कार्य सूची में आ जाता है, यह तो बिल्स के बारे में बोला है। वह तो सारा रखा हुआ है, उस पर डिस्कशन हो चुका है सारा।

श्री नत्थी सिंह : कब हुआ ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : नहीं, नहीं हुआ साहब।

श्री नत्थी सिंह : कब हुआ ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : कब हो गया ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले दिन इन्ट्रोड्यूस किया और एक ही बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया, वह बिल नहीं आया है, टिनेन्सी अमेंडमेंट बिल, वह कहां रह गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो कमियां हैं वह बाद में पूरी कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, माननीय श्री चतुर्भुजजी वर्मा प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान संस्था

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

रेजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे !

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप काहे पर बोल रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : Now I will speak on the principles of the Bill. It is an important Bill.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह बाद में करना, अभी आप छोड़ जावो।

श्री परसराम मदेरणा : Leader of the House, I will take only two minutes.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, एक क्लाज का एक विधेयक लाये हैं प्रभारी मंत्रीजी और वह राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 का सब्सीट्यूट चाहते हैं, रिप्लेसमेंट चाहते हैं, एक नया सब क्लाज लाये हैं। पहले सब क्लाज यह था—

"There shall be paid to the Registrar, for every such registration, a fee of Rs. 50 or such smaller fee as the State Government may from time to time direct and all fees so paid shall be accounted for to the State Government."

पहले जो प्रावधान था उपाध्यक्ष महोदय, इसके डाइमेट्रिकली अपोजिट लाये हैं। पहले प्रावधान यह था कि पचास रुपये की फीस रजिस्ट्रेशन की होगी लेकिन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट डाइरेक्शन देगी कि इसको पचास से कम रखा जाय, ऐसे डाइरेक्शन सरकार दे सकती है। लेकिन अब जो यह प्रावधान लाये हैं—

"There shall be paid to the Registrar, for every such registration, such fee as the State Government may from time to time direct and all fees so paid shall be accounted for to the State Govrenment.

50 रुपये क्वेन्टम फी का मैक्जीमम था। अगर आज रुपये की वैल्यु को देखते हुए और सर्विसेस पर खर्चा बढ़ गया जिसकी दलील दी है इन्होंने अपने उद्देश्य और कारणों में प्रभारी मंत्री जी ने तो आप इससे हायर लिमिट को 50 की जगह 100 कर सकते थे, 120 कर सकते थे लेकिन मैं टोंक से आने वाले माननीय सदस्य के उस आर्ग्यूमेन्ट से सहमति प्रकट करता हूं जो उन्होंने इस प्रावधान को खतरनाक बताया है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि यह प्रावधान जो किया

(श्री परसराम मदेरणा)

गया है दलील दी है मंत्री जी ने कि समय-समय पर अगर हम इसमें कोई क्वेन्टम के अन्दर मोडीफाई करते हैं तो लेजिस्लेचर में जाना पड़ेगा और हर वक्त हमको कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए उस कानून से बचने के लिए हमने एक दफा ही तमाम शक्ति हमारे पास ले ली हैं। फिर हम डाइरेक्शन उसमें देते रहेंगे। यह किसी भी एक्ट के इनेक्टमेंट के लिए जो टेन्डेन्सी है यह बहुत खतरनाक है। टेन्डेन्सी इसलिए खतरनाक है कि आप टाइम टू टाइम निर्देश देंगे। आप एक-एक केस को मंगायेंगे सरकार के पास पर टाइम टू टाइम आप निर्देश देते रहेंगे। पहले भी टाइम टू टाइम निर्देश देते थे। पहले टाइम टू टाइम सरकार निर्देश इसलिए देती रही थी कि 50 मत लो यह छटी सोसाइटी हैं इसलिए आप उसमे 15 रुपये फीस ही लीजिए। यह निर्देश दे सकती थी पहले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज भी दे सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, अब अनलिमिटेड है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे तो सकती है ना ?

श्री परसराम मदेरणा : अब तो आप ऐसी पावर्स अपने पास में ले रहे हैं कि क्वेन्टम आफ फीस चाहे आप 10 हजार फीस कर सकते हैं, 20 हजार के आदेश दे सकते है, 20 लाख के दे सकते है, 211 करोड़ के भी दे सकते है, और इसलिए अभी जो कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही, दिखने में ऐसा दिख रहा है। मुख्य मंत्री जी अपनी राजस्व की आय बढ़ाने में बहुत माहिर है यह कोई सर्विसेस से फीस नहीं ली जा रही है। यह राजस्व आय को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यु बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सब्टल डिवाइस अख्तियार की है सब - क्लास (2) के सब्सटीट्यूशन के अन्दर।

टोंक से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार असीमित शक्तियां नहीं ले रही हैं, यह अनलिमिटेड पावर्स ही नहीं हैं, माननीय सदस्य यह अनविडिलड पावर्स सरकार ले रही है इस सब - क्लाज के द्वारा सब्सटीट्यूशन में और यह अनविडिलड ही नहीं है अनरेस्टिक्टेड पावर हैं और अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स को कह रहे हैं आप समर्थकारी बनना चाहते हैं तो समर्थकारी आप बनिये, सरकार अनलिमिटेड पावर्स लेने से कोई समर्थकारी नहीं बनेगी। कानून वह बनाना चाहिए जो अपेरेन्टली दीखे कि यह कानून न्याय करने वाला है। कानून के अन्दर अभी हमने जनरल क्लाजेज एक्ट के अन्दर आज अमेन्डमेन्ट किया और कई बहुत से इनेक्टमेन्ट ऐसे थे कि रूल मेकिंग पावर जो सरकार के पास थी वह एग्जीक्यूटिव को जो पावर्स थी सबआर्डीनेट लेजिस्लेशन की वह इस सदन की मेज पर नहीं रख रहे थे इसलिए यह रिकमन्डेशन जो पार्लियामेंट की ज्वाइन्ट कमेटी थी उसको माना है और यहां पर उसके विपरीत अनलिमिटेड पावर्स ले रहे हैं यह। न तो नोटीफिकेशन रखने वाले हैं न इसके अन्दर कोई रूल मेकिंग पावर रखी है, न सबआर्डीनेट लेजिस्लेशन की पावर्स

(श्री परसराम मदेरणा)

रखी हैं। इनकी हाइएस्ट लिमिट क्या होगी उसके संबंध में इस सदन को डार्क में रखा है। इसलिए माननीय प्रभारी मंत्री जी आप बहुत रिट्रोग्रेट ला लाये हैं और अनलिमिटेड पावर्स आपके पास आप लेना चाहते हैं। बहुत सिम्पल मैटर था।

जहां एक ओर सरकार 50 रुपये से कम के लिए डाइरेक्शन दे सकती है वह सरकार कानून के लिए बार-बार संशोधन नहीं करना पड़े इसलिए एक मुश्त के अन्दर सभी पावर्स अपने में नीहित करना चाहती है। अगर सरकार इस प्रकार की पावर्स अपने में वेस्ट करना चाहती है और फिर समय-समय पर डाइरेक्शन दे देगी और डाइरेक्शन में एक को कहेगी कि इससे 1 लाख रुपया लीजिए तो दूसरे से कहेगी दूससे 22 रुपया लीजिए। इस प्रकार का वाइल्ड डिस्क्रिशन ला में प्रोवाइड करने का कोई भी कानून बनाना 'इट एज ए बैड ला' और इसलिए इस लेजिस्लेचर से मैं निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य इस बिल को पारित नहीं करें क्योंकि इसकी पावर्स अनलिमिटेड हैं और अनब्रिडलड हैं जो सरकार इस सदन के मार्फत छीनना चाहती है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने विपक्ष के वरिष्ट नेता ने जो भी अपने विचार प्रकट किये वह ऐसा नहीं समझें। यह गवर्नमेंट बहुत संवेदनशील है और बहुत सोच विचार कर अपना कदम बढ़ाने वाली है और मैं विपक्ष के नेता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी जो शंका है कि 5 करोड़ या 50 करोड़ किया जायेगा, वह नहीं किया जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

(मत विभाजन घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। मैं एक बार और पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 21 सितम्बर, 1992 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. 4.20 बजे सोमवार, दिनांक 21.9.92 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूची

नगर पालिका, नैनवा में वर्ष 1985 से 1990 तक सेवा निवृत हुए चतुर्थ श्रेणा कर्मचारी/सफाई कर्मचारियों की सूची :—

1.	श्री कमाल S/o इदया	सं. क.
2.	श्री दीन्या S/o चांद खां	,,
3.	श्री मंजूरियां S/o पीरु खां	,,
4.	श्री जुम्मां S/o मुनिरयां	,,
5.	श्रीमती केसर W/o खाजू	,,
6.	श्रीमती रोशन W/o इदया	,,
7.	श्रीमती खातूना W/o अलादीन	,,
8.	श्री सुबराती S/o पीरु खां	,,
9.	श्रीमती खाजी W/o जबरियां	,,

ह.
अनुभाग अधिकारी
नगर पालिका, नैनवा

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके

तारांकित प्रश्नोत्तर

मकराना मार्बल क्षेत्र को रायल्टी नाका एवं कांटा

57. **श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना मार्बल आदि के वजन के लिए मकराना में एक ही कांटा है और वह भी पैट्रोल पम्प के सामने भीड़ भरे इलाके में ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना से बाहर जाने वाले ट्रक व बाहर से आने वाले ट्रक के एक साथ तुलने कि व्यवस्था नहीं होने से वहां पर ट्रकों को 7-8 घन्टे तक खड़ा रहना पड़ता है एवं ट्राफिक भी बन्द हो जाता है, व दुर्घटनायें होने की सम्भावना रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि यह रायल्टी नाका व कांटा अन्यत्र ले जाने की मकराना की जनता व ट्रक मालिकों ने मांग की है एवं दो कांटे लगाने की मांग भी की है ? यदि हां, तो विभाग कब तक रायल्टी नाका अन्यत्र व दो कांटे कब तक लगा लेगी ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। मकराना के तुलायन्त्र पर मकराना के बाहर जाने वाले तथा बाहर से मकराना में आने वाले ट्रकों को तुलने की व्यवस्था है एवम् ट्रकों को 7-8 घन्टे खड़े नहीं रहना पड़ता। किन्तु भीड़ भरा क्षेत्र होने से कई बार ट्राफिक अव्यवस्थित हो जाता है। जिससे समय भी लगता है और दुर्घटना की सम्भावना भी हो सकती है।

(3) जी हां मकराना का रायल्टी नाका व तुलायन्त्र अन्यत्र ले जाने की मांग जनता व ट्रक मालिकों द्वारा की गई है एवम् विभाग द्वारा नाका एवं तुलायन्त्र भीड़ भरे क्षेत्र से हटा कर अन्यत्र ले जाने की कार्यवाही की जा रही है। किन्तु तुलाई हेतु वाहनों की कुल संख्या देखते हुए दो तुलायन्त्रों की आवश्यकता नहीं है।

राज्य में निजी तौर पर चल रहे डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स पर नियन्त्रण

58. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** एवं **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में निजी तौर पर

(श्री रामस्वरूप)

चल रहे विभिन्न डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु कोई वैधानिक प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(2) क्या इस बाबत अन्य राज्यों में बनाए हुए कानूनों की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों की तुलना में और अधिक प्रभावी कानून बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) इस बाबत अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार किया जा रहा है। सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर ही किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना संम्भव हो सकेगा ।

जोधपुर लिफ्ट कैनाल हेतु क्रय किए गए स्टील पाइप्स

59. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर लिफ्ट कैनाल में पी. एस. सी. पाइप की बजाय स्टिल पाइप्स लेने के क्या कारण थे ?

(2) उक्त पाइप्स रेल्वे के माध्यम से ढुलाई (ट्रांसपोर्ट) नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ? रेल्वे की ढुलाई की क्या दर निर्धारित थी और ट्रकों द्वारा पाइप्स लाये जाने पर कितना व्यय हुआ ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त पाइप ढुलाई हेतु निविदायें कब आमंत्रित की गई, किनकी निविदा स्वीकार की गई और किस दर पर ? फर्मों की सूची मय दर सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या स्वीकार निविदा फर्म साझेदारी में है ? यदि हां, तो साझेदार कौन-कौन हैं ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में पेयजल की लगातार गंभीर समस्या के निदान हेतु जोधपुर लिफ्ट नहर परियोजना के पूर्ण होने में लगने वाले अधिक समय को दृष्टिगत रखते हुए, आंशिक मात्रा में दिसम्बर, 1992 तक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, आपातकालीन योजना स्वीकृत की गई । परन्तु इस आपातकालीन योजना के लक्ष्यों की पूर्ति पी. एस. सी. पाइपों की आपूर्ति एवं बिछाये जाने से निर्धारित अवधि में पूर्ण होना संभव नहीं थी। अतः इनके स्थान पर स्टील पाइप लगाये जाने का निर्णय लिया गया। स्टील पाइपों के उपयोग से संधारण व्यय में अपेक्षाकृत कमी, इनकी मरम्मत इत्यादि का कार्य अधिक सुगम होना तथा इनकी स्कैप वैल्यू अधिक होना, इत्यादि कुछ अन्य बिन्दु थे, जिन्हें दृष्टिगत रखते हुए भी यह निर्णय लिया गया ।

(2) उपरोक्त पाइपों को रेलवे से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

परिवहन किए जाने में अधिक समय एवं अधिक व्यय संभावित था। रेलवे रैक्स की प्राप्ति में कठिनाईयां तथा साबरमती पर ब्रॉडगेजसे मीटरगेज में क्रेन के माध्यम से बदलना फलौदी एवं जोधपुर रेलवे स्टेशनों से साइट तक परिवहन में संभावित कठिनाईयां तथा सड़क परिवहन में लगने वाले समय में अपेक्षाकृत कमी होना इत्यादि ऐसे उन्य कारण थे जिन्हें दृष्टिगत रखते हुए इन्हें सड़क द्वारा परिवहन किए जाने का निर्णय लिया गया। रेलवे तथा सड़क परिवहन से होने वाले तुलनात्मक व्यय का वांछित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विभिन्न 4 रीचों हेतु निविदायें फरवरी तथा जून, 1992 में आमंत्रित की गई तथा मै. बी. डी. एस. ऐसोसियेट्स जोधपुर की निविदाऐं स्वीकार की गई। दरों संबन्धित विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। स्वीकृत फर्म के साझेदारों में श्री विनोद कुमार बापना प्रतिनिधि बी. एण्ड बी ऐसोसियेट्स अहमदाबाद मै. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लि. जोधपुर एवं श्री रामगोपाल चतुर्भुज शर्मा, प्रोपराईटर शर्मा ट्रांसपोर्ट कम्पनी बम्बई सम्मिलित हैं।

(क) रेलवे के माध्यम से आंशिक मात्रा में फलौदी साइट तक पाइप के परिवहन पर किए गए व्यय का विवरण :—

1. स्टील पाइप जो रेलवे परिवहन द्वारा पहुंचाई गई

(अ) रेलवे परिवहन पर व्यय	रु.	19,89,360=00
(ब) सड़क परिवहन पर अनुमानित व्यय (अभी तक आंशिक राशि का भुगतान किया गया है)	रु.	1,45,725=75
	कुल व्यय रु.	21,35,085=75

2. परिवहन किए गए पाइपों की लम्बाई — 1079.45 मीटर

3. उपरोक्तानुसार रेलवे परिवहन दर प्रति मीटर — 1977.94 रुपए प्रति मीटर

(ख) सड़क परिवहन पर किया गया वास्तविक व्यय

(अ) प्रथम दो फलौदी साइट की रीचों में

(1) राशि जिसका भुगतान किया जाना हैं (अभी तक आंशिक राशि का भुगतान किया गया है) — रु. 2,37,85,500

(2) कुल पाइप की लम्बाई रु. 14820.55 मीटर

(3) सड़क परिवहन की फलौदी वर्क साइट तक अनुमोदित दर रु. 1104=90 प्रति मीटर

(ब) जोधपुर साइट की द्वितीय दो रीचों में

(1) राशि का भुगतान किया जाना है (अभी तक आंशिक राशि का भुगतान किया गया है) रु. 20,07,37,50=00

(2) कुल पाइप की लम्बाई 13250 मीटर

(3) सड़क परिवहन की जोधपुर वर्क साइट तक अनुमोदित दर रु. 1515 प्रति मीटर

फर्म का नाम— मैं. बी. डी. एम. एैसोसियेट्स, जोधपुर

न्यूनतम स्वीकृत निविदा दर

प्रथम रीच	1604.90 रु. प्रति मीटर
द्वितीय रीच	1604.90 रु. प्रति मीटर
तृतीय रीच	1515.00 रु प्रति मीटर
चतुर्थ रीच	1515.00 रु. प्रति मीटर

राज्य के क्षतिग्रस्त बांध

60. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990 एवं 1992 में राजस्थान में कुल कितने बांध टूटे तथा कितने क्षतिग्रस्त हुये ?

(2) इन टूट हुये बांधों में पहली बार भरने वाले कितने बांध हैं तथा ये कहां-कहां स्थित हैं ?

(3) क्या सरकार बांधों के टूटने के कारणों की जांच करवायेगी तथा निर्माण की दृष्टि से रही खामियां एवं इनमें हुई अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर दोषी लोगों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

वर्ष 1990 में राजस्थान में कुल 86 बांध टूटे तथा 443 बांध क्षतिग्रस्त हुए। वर्ष 1992 में राजस्थान में कुल 50 बांध—टूटे तथा 290 बांध क्षतिग्रस्त हुए।

(सिचाई मंत्री)

(2) वर्ष 1990 में पहली बार भरने वाला कोई बांध नहीं टूटा। वर्ष 1992 में 4 नए बांध पहली वर्षा से टूटे, जिनमें एक टौंक, एक अजमेर व 2 जालौर जिले में स्थित हैं।

(3) बांधों के टूटने के कारणों की जांच राज्य सरकार के प्रपत्र सं. एफ. 23 (10) सिचाई/75 दिनांक 14–3–1984 के तहत करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही सम्भव होगी।

औद्योगिक विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण

61 **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा), **श्री हीरालाल इन्दोरा** (केशरीसिंहपुरा) एवं **श्री सम्पतसिंह** (नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार (रीको) अलवर में किस-किस पंचायत समिति में किन-किन ग्रामों की भूमि औद्योगिक विस्तार के लिए अधिग्रहण कर रही है? क्या यह सब ग्रीन वैल्ट में है अथवा उसर भूमि है?

(2) अधिग्रहण की कितनी कार्यवाही किस-किस स्थान पर की जा चुकी है?

(3) क्या सरकार किसानों की भूमि को अधिग्रहण नहीं कर उद्योगपति व किसानों के बीच का मध्यस्थ का काम करती है? यदि हां, तो क्या सरकार मध्यस्थ का कार्य छोड़ने को तैयार हैं? क्या सरकार द्वारा मध्यस्थ का कार्य करने से किसानों की हानि होती है?

उत्तर

(1) अलवर में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार हेतु रीको के पक्ष में अधिग्रहण करने के लिए प्रस्तावित भूमि का ग्रामवार/तहसीलवार विवरण (परिशिष्ट "अ") सदन के पटल पर रख दिया गया है। भूमि चाही, बारानी, बंजड़ आदि सभी किस्मों की होती है। इसमें ग्राम खारेड़ा की 200 बीघा ग्रीन बैल्ट में आती है। जो मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के साथ लगी हुई है।

(2) अधिग्रहण की गई भूमि का औद्योगिक क्षेत्रवार विवरण (परिशिष्ट "ब") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। भूमि की अवाप्ति राज्य के औद्योगिक विकास के के हित में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। अतः किसानों को हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अलवर जिले में तहसीलवार अवाप्ति की स्थिति जो अधिग्रहण करने हेतु प्रस्तावित है :—

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र	ग्राम का नाम	तहसील	क्षेत्रफल बीघा	क्षेत्रफल बिस्वा
1	2	3	4	5	6
(1)	भिवाड़ी-चतुर्थ चरण	1. सांथलका	तिजारा	35	00
		2. हरचन्दपुरा	,,	52	13
		3. खिजरपुर	,,	50	01
		4. बिलाहेड़ी	,,	6	00
		5. रामपुरा	,,	88	05
		6. मुण्डाना	,,	96	16
				328	51 बीघा
(2)	खुशकड़ा विस्तार	1. खुशकड़ा	,,	265	00
		2. कारोली	,,	107	19
				372	19 बीघा

1	2	3	4	5	6
(3)	मिवाड़ी (द्वितीय व तृतीय चरण में छुटे हुये नम्बर)	1. हरचन्दपुरा	तिजारा	13	07
		2. सांथलका	,,	1	09
				14	16 बीघा
(4)	खिजूरीवास	1. खिजूरीवास	,,	36	16
		2. उदयपुर	,,	17	12
				54	08 बीघा
(5)	बहरोड़ व शाहजहांपुर के छुटे हुये नम्बर	1. चोवारा	बहरोड	1–	25 है.
		2. काकरदोपा	,,	0	30 है.
		3. चोवारा	,,	3	32 है.
		4. बहरोड	,,	0	20 है.
				5	07 है.
(6)	निमराना	1. माधोसिंहपुरा	,,	224–	69 है.

1	2	3	4	5	6
(7)	मत्स्य (अलवर)	1. झारेडा	अलवर	398	11 बीघा
		2. कमालपुरा	रामगढ़	230	17 बीघा
				629	08 बीघा
(8)	सोतानाला (अलवर)	1. जैनपुरवास	बहरोड़	46	29 है.
(9)	राजगढ़ (अलवर)	1. नयावास हवेली	राजगढ़	29	03
		2. गोठ	,,	9	06
				38	09 बीघा
(10)	थानागाजी	1. थानागाजी	थानागाजी	71	05
		2. नाथूसर	,,	44	10
				115	15 बीघा

अलवर जिले में वर्तमान स्थिति तक अधिग्रहण की गई भूमि का विवरण :—

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	अर्जित किया गया क्षेत्रफल (एकड़ों में)	
1.	मत्स्य	2247—71	2941—77
2.	खेरली रेल	8—41	
3.	राजगढ़	16—56	
4.	खेरथल	39—09	
5.	अलवर	630—00	
		2941—77	
6.	भिवाड़ी	1993—49	1993—49
7.	बहरोड़	276—75	493—69
8.	शाहजहांपुर	216—94	
	कुल योग एकड़ में :—	5428—95	

सरिस्का रिजर्व वन क्षेत्र

62. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के सरिस्का रिजर्व वन क्षेत्र में कितने-कितने बाघ एवं शेर हैं ?

(2) 1 जनवरी, 1991 से अब तक इस क्षेत्र में कितने पर्यटक, शेर अथवा बाघ देखने के उद्देश्य से गये ?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र में शेर अथवा बाघों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(4) 1 जनवरी, 1991 से अब तक इस क्षेत्र में प्रवेश शुल्क से कितनी आय हुई ? महीनेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) इस वन क्षेत्र में कितने अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने वाहन हैं ? सूची पदवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाघ परियोजना सरिस्का वन क्षेत्र में 22 बाघ है। शेर (लायन) राजस्थान में नहीं पाया जाता है।

(2) 1 जनवरी, 1991 से अगस्त, 1992 तक बाघ परियोजना सरिस्का में कुल 86,554 पर्यटक आये थे।

(3) जी हां। बाघ परियोजना के मूल उद्देश्यों में बाघों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है इसके लिए सरिस्का के सम्पूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैज्ञानिक आधार पर वन्य जीव प्रबन्धन के जरिये बाघों की संख्या को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

(4) 1 जनवरी, 1991 से अगस्त, 1992 तक प्रवेश शुल्क से कुल 18,04,225/- रुपये की आय हुई है। महीनेवार विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट-I में रख दिया गया है।

(5) बाघ परियोजना क्षेत्र में कुल 121 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं और 8 वाहन है। इसका विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट II में रख दिया गया है।

1 जनवरी, 1991 से अगस्त, 1992 तक प्रवेश शुल्क से हुई आय का विवरण :—

क्र. सं.	माह का नाम	प्राप्त आय
1.	जनवरी, 91	1,07,013.00
2.	फरवरी, 91	74,663.00

1 2	3
3. मार्च, 91	1,03,679.00
4. अप्रैल, 91	54,933.00
5. मई, 91	25,641.00
6. जून, 91	26,926.00
7. जुलाई, 91	52,864.00
8. अगस्त, 91	1,53,883.00
9. सितम्बर, 91	1,80,988.00
10. अक्टूबर, 91	1,18,958.00
11. नवम्बर, 91	89,408.00
12. दिसम्बर, 91	92,499.00
13. जनवरी, 92	90,897.00
14. फरवरी, 92	86,637.00
15. मार्च, 92	1,21,696.00
16. अप्रैल, 92	60,901.00
17. मई, 92	45,605.00
18. जून, 92	29,707.00
19. जुलाई, 92	45,588.00
20. अगस्त, 92	2,41,739.00
	18,04,225.00

बाघ परियोजना, सरिस्का में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :—

क्र. सं.	पद नाम	कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी की संख्या
1.	क्षेत्र निदेशक	1
2.	सहायक क्षेत्र निदेशक	1

1	2	3
3.	अनुसंधान अधिकारी	1
4.	लेखाकार	1
5.	कार्यालय सहायक	1
6.	आशुलिपिक	1
7.	वरिष्ठ लिपिक	2
8.	कनिष्ठ लिपिक	4
9.	वाहन चालक	3
10.	कार्यालय जमादार	1
11.	चतुर्थ श्रेणी अधिकारी	3
12.	चौकीदार	2
13.	क्षेत्रीय ग्रेड–I	6
14.	क्षेत्रीय ग्रेड–II	1
15.	वनपाल	9
16.	सहायक वनपाल	3
17.	वन रक्षक	53
18.	गेमवाचर	17
19.	ट्रेकर	6
20.	मशालची	1
21.	कुक	1
22.	अर्दली	1
23.	स्वीपर	2
	योग :—	121

वाहनों का विवरण एवं संख्या

1.	जीप	1
2.	ट्रैक्टर	1
3.	केन्टर	1
4.	मोटर साईकिल	5
	योग :—	8

जोधपुर जिले में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत सड़कें

63. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जोधपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में वर्ष 1990-91, 1991-92 में कौन-सी सड़कें स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वर्षों में दूसरी तहसीलों में फलोदी से ज्यादा सड़कें स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या विभाग भविष्य में इस असंतुलन को दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1)जोधपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में वर्ष 1990-91 में कोई सड़क स्वीकृत नहीं की गई तथा वर्ष 1991-92 में तहसील बिलाड़ा में निम्न एक सड़क स्वीकृत की गई :—

क्र.सं.	सड़क का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	राशि (लाखों में)
1-	बिलाड़ा से बिजवाडिया	5.00	12.00

(2) जी नहीं।

(3) कोई असंतुलन पैदा ही नहीं हुआ है। अतः असंतुलन दूर करने का प्रश्न ही नहीं रहता है।

उदयपुर-राजसमन्द खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण

64. श्री शांतिलाल (राजसमन्द) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वित्तीय वर्ष में खनिज विभाग द्वारा उदयपुर व राजसमन्द जिले में कौन-कौन सी नई सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत प्रत्येक सड़क पर विभाग एवं खान मालिकों का पृथक्-पृथक् कितना धन खर्च होने की संभावनाएं हैं ? विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में खान विभाग द्वारा उदयपुर व राजसमन्द जिले में नई सड़कों के निर्माण हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी है।

(2) उदयपुर व राजसमन्द जिलों में सड़क निर्माण में खान मालिकों का कोई खर्चा नहीं हो रहा है। पूरा व्यय सरकार द्वारा ही वहन किया जा रहा है। उदयपुर एवं राजसमन्द जिलों में पूर्व में स्वीकृत क्रमशः 3 व 5 सड़कों पर विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में जो व्यय किया जावेगा, उसका विवरण संलग्न सूची में है। इन जिलों में इस वर्ष कोई नई सड़क स्वीकृत नहीं हुई है। इस वर्ष राज्य सरकार ने नीतिगत निर्णय लिया है कि खान क्षेत्रों में उन सड़कों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनकी 50% लागत खान मालिक वहन करने को तैयार होंगे।

उदयपुर एवं राजसमन्द जिलों में वर्ष 92–93 के व्यय की सूची

क्र. सं.	सड़क का विवरण	स्वीकृत लागत	मार्च, 92 तक व्यय	92–93 का अनुमानित व्यय
उदयपुर				
1.	केवड़ा से बाबरमाल	47.22 लाख रु.	18.87 लाख रु.	15.00 लाख रु.
2.	केसरियाजी से मसारों की ओबरी वाया ओडवास	106.39 लाख रु.	6.31 लाख रु.	40.00 लाख रु.
3.	दरोली से गुपड़ी	44.00 लाख रु.	49.399 लाख रु.	20.00 लाख रु.
		रु. 1,97,61,000=00	रु. 25,67,399=00	75.00 लाख रु.
राजसमन्द				
1.	केलवा उमटी सापोल	11.50 लाख रु.	3.96 लाख रु.	7.50 लाख रु.
2.	मादड़ी आतम थोरिया	80.35 लाख रु.	4.18 लाख रु.	33.00 लाख रु.

150

1	2	3	4	5
3.	पसुन्द, तासोल, खटमाला, बिनोल	43.00 लाख रु.	10.69 लाख रु.	30.00 लाख रु.
4.	कुम्रारिया, पोपली, म्रहीरान	23.85 लाख रु.	11.74 लाख रु.	10.00 लाख रु.
5.	म्रागरिया से साप रोच वाया-पार्वती दोबड़ा	37.00 लाख रु.	9051=00 रु. लाख	10.00 लाख रु.
		रु. 1,95,70,000=00	रु. 30,66,051=00	72.5 लाख रु.

अजमेर में कोबाल्ट थैरेपी संयंत्र

65. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर में कैन्सर के उपचार की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या केन्द्र सरकार द्वारा केन्सर के उपचार व अनुसंधान के लिए भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की मांग की गई है ? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या अजमेर में कोबाल्ट थैरेपी संयंत्र की यूनिट लगाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लगा दिया जावेगा ?

(4) क्या केन्द्र सरकार ने कैन्सर उपचार हेतु 70 लाख के आस-पास रुपये की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो स्वीकृति-पत्र की प्रति व उससे सम्बन्धित शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) अब तक इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही (भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में) नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) अजमेर के जे. एल. एन. अस्पताल में कैन्सर उपचार के लिए शल्य क्रिया एवं कीमो थैरेपी की व्यवस्था है ।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा कैन्सर उपचार व अनुसंधान के लिए भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की कोई मांग विशेष रूप से नहीं की गई है । नेशनल कैन्सर कन्ट्रोल प्रोग्राम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में ओनकोलोजी विंग की स्थापना के लिए वर्ष 91-92 में 70.00 लाख रुपये की स्वीकृति के साथ यह कहा गया है कि इस ओनकोलोजी विंग के अन्तर्गत सिविल कार्य व अन्य आधारभूत सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध कर देगी । दूसरे शब्दों में भूमि व भवन आदि की व्यवस्था राज्य सरकार को ही करनी है । जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय परिसर में ही इसके लिए भूमि निर्धारित की जा चुकी है व सिविल वर्क्स आदि के लिए प्रस्ताव 26.6.92 को ही राज्य सरकार को मेडिकल कालेज, अजमेर से स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं । स्वीकृति विचाराधीन है ।

(3) जी हां । अजमेर में कोबाल्ट थैरेपी संयंत्र की यूनिट लगाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो गए हैं । इन पर विचार किया जा रहा है । भवन निर्माण के मामले में निर्णय लेने के बाद संयंत्र की यूनिट के विषय में कार्यवाही की जावेगी ।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा कैंसर उपचार हेतु राशि रुपये 70.00 लाख की भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से स्वीकृति संख्या टी-20015/5/92 आर. दिनांक 4-3-92 द्वारा प्राप्त हो चुकी है जिसकी प्रति एवं उसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

(5) क्योंकि भूमि चिकित्सालय परिसर में निर्धारित की हुई है इसीलिए राज्य सरकार से भूमि उपलब्ध की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

No. T. 20015/5/92-R

Government of India

Ministry of Health & Family Welfare

Department of Health

New Delhi, the 4th March, 1992

To,

The Principal Pay & Accounts Officer,
Ministry of Health & Family Welfare,
Nirman Bhavan, New Delhi.

Sub : –Health Programme-Central Plan schemes-Central assistance for developments of Oncology Wings under National Cancer Control Programme during 1991-92

Sir,

I am directed to convey the sanction of the President to the payment of Rs. 280.00 lakhs (Rupees two crores and Eighty lakhs only) to the State Governments listed below during 1991-92 for development of Oncology Wing in the Medical College indicated against each : -

S. No.	State Government	Name of Institution	Amount (Rs. in lakhs)
1.	Government of Assam	Silchar Medical College and Hospital, Silchar	70.00
2.	Government of Rajasthan	Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer.	70.00

163

1	2	3	4
3.	Government of Utter Pradesh	Baba Raghav Das Medical College, Gorakhpur	70.00
4.	Government of West Bengal	North Bengal Medical College, Siliguri	70.00
			Rs. 280.00 lakhs

The sailent features of the scheme are given in the Annexure.

The expenditure is adjustable under grant No. 40 Department of Health-Major head "3601" D-Grant-in-aid to State Governments D. 1 Grants for Central Plan Scheme-D. 1(1) Medical & Public Health--Urban Health Services Allopathy--Other Health Schemes-D. 1(1)-Cancer Research and treatment Programme-(plan) for the year 1991-92.

The expenditure covered by this sanction is provisional and subject to adjustment on the basis of audited figures of expenditure in terms of the Ministry of Finance letter No. 2(19)-1160 dated 9-1-64, No. 6(68)/P/69 dated 13-1-1975 and No. 6(26)PF. I dated 22-3-1983.

This sanction issues with the concurrence of the Finance Devision vide their Dy. No. 525/JS(FA) dt. 14-2-93.

Yours faithfully,

Sd.

(B. K. CHUGH)

DESK OFFICER,

164

Copy forwarded for necessary action to :—

1. The Secretary, to the Government of Assam, Health & Family Walfare Department, Dispur.

2. The Secretary to the Government of Rajasthan, Health and Family Welfare Department, Jaipur.

3. The Secretary to the Government of Utter Pradesh, Health & Family Welfare Department, Lucknow.

4. The Secretary to the Government of West Bengal, Health and Family Welfare Department Calcutta.

5. The Principal, Silchar Medical College & Hospital, Silchar.

6. The Principal North Bengal Medical College. Siliguri.

7. The Principal Baba Raghav Das Medical College, Gorakhpur.

8. The Principal, Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer.

9. The Director, of Audit, Central Revenues, I. P. Estate, New Delhi.

10. Addl. D.D.G. (NCD), Dte. G.H.S. New Delhi.

11. Bureau of Planning, Dte. G.H.S. New Delhi.

12. Budget (Health) Section/M O. Health & F. W.

13. Finance II Desk,/M.O. Health and Family Welfare.

14. Sanction Registar.

Sd

(B. K. CHUGH)

DESK OFFICER.

Salient festures of the Scheme for Development of Oncology Wing in Medical College/Hospitals.

1. As the existing cancer thereapy facilities in the country are inadequate and uneven in distribution, it has been decided to provide financial assistance for development of Oncology Wings in selected Medical College/Hospitals in those areas/regions of the country, where such facilities are presently not available.

2. Surgical treatment, radio therapy and chemotherapy facilities for treatment of cancer should be made available in these selected institutions. The Central assistance upto Rs. 1.00 crore may be provided in suitable instalments to each of the Medical college/hospital selected for the purpose. The central assistance will be for the purchase of equipments as per list enclosed

3. Expenditure for civil works as well as for medical and pare-medical personnel will be provided by the concerned State Government/Organisation. The existing infrastrucutre of the State Government/Organisation will be utilised as far as possible.

4. The scheme is expected to augment availablity of cancer therapy facilities in the country and to fill up the geographical gaps in the country. Where such facilities are not available at present

5. The selected medical colleges/hospitals receiving financial assistance under the scheme will be required to send periodical reports to the Ministry of Health and family Welfare through the concerned State Government/North Eastern Council regarding progress of the scheme/activities/expenditure.

LIST OF EQUIPMENTS

		(Rs. in laks)
1.	Cobalt Units one	50.00
2.	Manual off-loading brachy therapy source	1.00
3.	Radio therapy simulator	8.00
4.	Treatment Planning System	1.00
5.	Mould Room Equipment	1.00
6.	Inter-Selectoral brachy therapy	1.00
7.	Radio Monitoring equipment	2.00
8.	Ultrasound equipment fibreoptic endoscope	10.00
9.	500 M A X-ray machine	6.00
10.	Gamma Camera (non-computer) and other Nuclear medicine equipment	12.00
11.	Pathology and Cytology Microscope	2.00
12.	Operation Theratre/Instruments/ Aneesthesia	20.00
	Rs.	114.00 lakhs

बीसलपुर परियोजनान्तर्गत पाइप लाइन बिछाने का कार्य

66. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर परियोजना में गोयला से नसीराबाद होते हुए माखोपुरा तक पाईप लाइन बिछाने का कार्य किस फर्म को कब तथा कितनी राशि का दिया गया था तथा उक्त कार्य कब तक पूरा किया जाना था ?

(2) उक्त कार्य को समय पर पूरा नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) सरकार उक्त कार्य को कब तक पूर्ण करवा देगी ? इस कार्य पर अब कुल कितनी राशि व्यय की जानी है ?

उत्तर

(1) उल्लेखित पाइप लाइन बिछाने का कार्य मैसर्स फैरो कंकरीट कन्सट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन्दौर को 99194602.50 रु. का (मय जीरो वाल्व विकल्प के साथ) अथवा 105818625.20 रु. का (मय सर्ज चेम्बर के विकल्प के साथ) दिया गया था। यह कार्य फर्म द्वारा दिनांक 22-8-90 तक पूर्ण किया जाना था।

(2) फर्म द्वारा कार्य बन्द कर दिये जाने के कारण पूरा नहीं हो सका है, जिसके लिए उपरोक्त फर्म मैसर्स फैरो कंकरीट कन्ट्रक्शन ही दोषी है। फर्म के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायालय अजमेर, का स्थगन आदेश है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार आरबिट्रेशन वाद भी विचाराधीन है।

(3) शेष बचे हुए कार्य हेतु 122670270.85 रु. का कार्यादेश अन्य फर्म को मैसर्स फैरो कंकरीट कन्सट्रक्शन, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हर्जे खर्चे पर दिया जा चुका है जिसके अनुसार कार्य जनवरी 1994 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सिंचित कृषि भूमि

67. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वृहद् सिंचाई परियोजनाओं के जरिये राज्य की कितनी-कितनी कृषि भूमि सिंचित होती है ? परियोजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी सिंचाई परियोजना में बाराबन्दी प्रोग्राम लागू किया हुआ है तथा कितनी में उक्त प्रोग्राम लागू करने का विचार है ? सूची विवरण दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बाराबन्दी प्रोग्राम के अभाव में सिंचित क्षेत्र के ऊपरी हिस्सों के किसानों द्वारा अधिक मात्रा में पानी लेने एवं पानी

(श्री रामनारायण वर्मा)

के दुरुपयोग करने से नहरों के अन्तिम छोर के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने की शिकायतें मिलती हैं ? यदि हां, तो जिन परियोजनाओं में बाराबन्दी लागू नहीं है उनमें से सर्वाधिक शिकायतें किस परियोजना क्षेत्र की होती है तथा ऐसी सिंचाई परियोजना में बाराबन्दी प्रोग्राम से पानी दिये जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या एक से अधिक पानी से पकने वाली फसलों को वांछित मात्रा से कम पानी मिलने पर सिंचाई शुल्क में राहत देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्या सरकार इस बाबत कानून बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वृहद परियोजनाओं से सिंचित होने वाले कृषि भूमि क्षेत्र का विवरण सदन की पटल पर रख दिया है।

(2) गंग नहर, भाखड़ा, इ. गा. न. प. एवं चम्बल के मात्र 94893 हैक्टेयर में बाराबन्दी प्रोग्राम लागू है। अन्य परियोजनाओं पर कृषकों की मांग करने पर बाराबन्दी लागू करने पर विचार किया जा सकता है।

(3) अन्तिम छोर में पानी कम मात्रा में मिलने की शिकायतें मिलती है। सर्वाधिक शिकायतें अन्तिम छोर के किसानों की होती है। कृषकों द्वारा बाराबन्दी लागू करने की मांग करने पर ही तत्संबन्धित विचार किया जा सकता है, क्योंकि कृषकों की भागीदारी आवश्यक होती है।

(4) सिंचाई एवं जल विकास नियम 1955 के परिशिष्ट–2 के सामान्य प्रावधान संख्या-6 के अनुसार उल्लेखित परिस्थितियों में जहां तालाबों से सिंचाई होती है, राहत देने का प्रावधान है।

परियोजना का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता क्षमता 31/3/92 तक (हैक्टेयर)	वास्तविक सिंचाई वर्ष 1991-92
1. गंग नहर	184560	315000
2. भाखड़ा नहर	289000	334826
3. चम्बल	220400	227000
4. माही	86000	57490
5. जाखम	211000	18000

(सिंचाई मंत्री)

6.	गुड़गांव नहर	20940	3159
7.	इन्दिरा गांधी नहर	763680	668000
	योग :-	1585680	1623475

जाखम, गुड़गांव नहर व इन्दिरा गांधी नहर परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

औद्योगिक इकाईयों से देय राशि माफ किये जाने हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

68. **श्री चुन्नीलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत तीन वर्षों में रूग्ण होने के उपरान्त अथवा बिना रूग्ण हुये लघु, मध्यम तथा बड़ी औद्योगिक इकाइयों से देय राशियों के भुगतान में किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि माफ की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राशि माफ करने के मापदण्ड क्या हैं ?

(3) माफी के कितने प्रार्थना-पत्र जिला उद्योग केन्द्रों में और राज्य स्तर पर विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) गत 3 वर्षों में रीको द्वारा सहायता प्राप्त 33 इकाईयों की रु. 245.06 लाख की दण्डनीय ब्याज की राशि माफ की गई है तथा राजस्थना वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त 161 इकाईयों की 317.43 लाख की राशि दण्डनीय ब्याज की माफ की गई है, इसके अतिरिक्त 42 इकाईयों का समयावधि के आधार पर दण्डनीय ब्याज माफ किया गया। उद्योग निदेशालय द्वारा बिना रूग्ण हुई 5 इकाईयों की रु. 25,816.00 मूल धन एवं ब्याज की राशि माफ की गई है। उनकी क्रमशः सूची परिशिष्ट "अ" "ब" एवं "स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) रीको एवं राजस्थान वित्त निगम द्वारा इकाईयों के विगत वर्षों के कार्य कलापों एवं उनके द्वारा उठाई गई हानि को दृष्टिगत रखकर गुणावगुण के आधार पर दण्डनीय ब्याज में माफी के प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जाता है :—

1. वे इकाइयों जिनके द्वारा सारगर्भित कारणों के फलस्वरूप देय राशि का भुगतान देरी से किया गया हो, जैसे- विद्युत कनेक्शन नहीं मिलने के कारण, बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में देरी के कारण, इकाई द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं करने के कारण इकाई नकद घाटे में चलने के कारण।

(2) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में।

(उद्योग मंत्री)

3. रुग्ण इकाईयों की परिभाषा में इकाई आने पर एवं बी. आई. एफ. आर. द्वारा पुर्नवास सहायता स्वीकृत करने की स्थिति में।

4. उद्योग निदेशालय द्वारा स्वीकृत राशि की वसूली के सभी प्रयास विफल होने कि स्थिति में उपरोक्त राशि अपलेखित की गई है।

(3) ब्याज की माफी के कोई भी प्रकरण रीको एवं राजस्थान वित्त निगम में विचाराधीन नहीं है। किन्तु दण्डनीय ब्याज की माफी के 15 प्रार्थना-पत्र रीको में प्राप्त हुये हैं एवं राजस्थान वित्त निगम में 29 इकाईयों के आवेदन पत्र दण्डनीय ब्याज की माफी के लिए विचारधीन है। उद्योग निदेशालय के 13 प्रकरण विचाराधीन हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सवाई माधोपुर के नेशनल पार्क रणथम्भोर में वन्य जीव

69. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नेशनल पार्क रणथम्भोर सवाई माधोपुर में वर्ष 1990-91 में बाघों व अन्य जानवरों की कितनी-कितनी संख्या थी एवं वर्तमान में कितनी संख्या है? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

नेशनल पार्क रणथम्भोर, सवाई माधोपुर में बाघों व अन्य जानवरों की गणना कलैण्डर वर्ष के अनुसार की जाती है न कि वित्तीय वर्ष के अनुसार। वर्ष 1990 व 1991 में बाघों वं अन्य जानवरों की संख्या की सूची परिशिष्ट 1 व 2 में सदन की मेज पर रखदी गई है। वर्ष 1992 के लिए बाघों एवं अन्य जानवरों की गणना प्राकृतिक एवं अन्य परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होने के कारण सही प्रकार से नहीं की जा सकी। गणना उपयुक्त समय पर पुनः करवायी जायेगी।

नेशनल पार्क रणथम्भोर सवाई माधोपुर में वर्ष 1990 में बाघों व अन्य जानवरों की संख्या का विवरण।

क्र. सं. 1	वन्य प्राणी का नाम 2	संख्या 3
1.	बाघ	44
2.	बघेरा	41
3.	रीछ	69

1	2	3
4.	सांभर	2243
5.	चीतल	3833
6.	नीलगाय	688
7.	जंगली सूअर	410
8.	गीदड़	178
9.	जरख	29
10.	लोमड़ी	46
11.	चिंकारा	307
		7888

नेशनल पार्क रणथम्भोर सवाई माधोपुर में वर्ष 1991 में
बाघों व अन्य जानवरों की संख्या का विवरण।

क्र. सं	वन्य प्राणी का नाम	योग
1.	बाघ	45
2.	बघेरा	50
3.	रीछ	67
4.	सांभर	2166
5.	चीतल	3881
6.	नीलगाय	1007
7.	गंगुली सूअर	632
8.	गीदड	158
9.	जरख	—
10.	लोमडी	—
11.	चिंकारा	291
		8297

नेशनल वाटर शैड बम्बूली में मस्ट्रोल पर कराये गये कार्य

70. **श्री चन्द्रभान (मण्डावा) : एवं श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नेशनल वाटर शैड बम्बूली में वर्ष 1991 में कार्य करवाये गये हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा कितनी राशि किस नम्बर की मस्ट्रोल के जरिये भुगतान की गई, तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है ? मस्ट्रोल नम्बर, कार्य व व्यय दर्शाते हुये सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि मौके पर हुए कार्य से अधिक का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, तथा क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां ! मस्टरोलों के जरिये भुगतान की गई राशि मय मस्टरोल नम्बर तथा कार्य विवरण परिशिष्ट–1 में संलग्न है ।

वर्ष 1991 की किसी मस्टरोल का भुगतान किया जाना शेष नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

मस्टरोल व किये गये काम का विवरण

क्र. सं.	मस्टरोल न.	राशि	किया गया कार्य
1.	6297 पेज 9 से 12	19888/-	1. छोर लगाने हेतु गढ्ढे 1450 मीटर में 2. लोडिंग अन लोडिंग थूर 2850 मीटर 3. अर्थ वर्क फोर एल. डी. सी. 4. प्लाण्टिंग ऑफ मूंज 4270 मीटर 5. अर्थ वर्क फोर अर्थन बन्ड
2.	6297 पेज 25	4450/-	1. लूज चेकडेम हेतु अर्थ वर्क व ड्राई स्टोन मैसोनरी कार्य ।
3.	6297 पेज 13	6480/-	1. मेकिंग कन्टूर बन्ड 7650 मीटर । 2. पास्चर ग्रेड डवलपमेन्ट 8.40 हे.

1	2	3	4
4.	6298 पेज 1	2596/-	1. प्लाण्टेशन इन पास्टर लेंड 600 मीटर, 2. प्लाण्टेशन ऑफ मूंज 2300 मीटर
5.	6298 पेज 18	924/-	1. सोईल सर्वेक्षण कार्य 1641 हे.
6.	6290 पेज 5	396/-	सोईल सर्वेक्षण कार्य 1641 हे.
7.	5431 पेज 14	1650/-	अर्थवर्क फोर बन्डस 53.92
8.	5431 पेज 11	3102/-	प्लान्टेशन ऑफ बबूल्स ट्रीज
9.	6290 पेज 6	1364/-	अर्थ वर्क व ड्राई स्टोन मेसोनरी वर्क एल. डी. सी.
10.	5830 पेज 10	1276/-	अर्थ वर्क फोर एल.डी.सी.
11.	7315 पेज 12	5064/-	अर्थ वर्क फोर एल. डी. सी. व ड्राई स्टोर मेसोनरी वर्क 58
12.	6298 पेज 2 से 4	13310/-	डिगनिंग ऑफ पिट्स फोर प्लान्ट्स 5068 पिट्स सिडिंग एन्ड प्लान्टेशन 5068 प्लान्ट्स ।
13.	6298 पेज 14 व 15	8998/-	डिगविग ओफ पिट्स 3803 पिट्स सिडिंग एण्ड प्लान्टेशन 3803 प्लाण्ट्स
14.	6298 पेज 13 व 16	6468/-	अर्थ वर्क फोर बन्डस 168.60 डिगनिंग आफ पिट्स 1689 पिट्स सिडिंग 1689 प्लाण्ट्स
15.	6298 पेज 17 व 25	5258/-	अर्थ वर्क फोर ब्रेश डेमस ।

पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन

71. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का कार्य जैन आयोग द्वारा सम्पूर्ण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित कर दिया गया है ?

(2) पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन में कितनी ग्राम पंचायतें एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया गया है ? पुनर्गठित ग्राम पंचायतों तथा पंचायत समितियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पुनर्गठन के तत्काल बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या सरकार पंचायती राज के वर्तमान त्रिस्तरीय प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो परिवर्तित प्रणाली का स्वरूप क्या होगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 25-5-95 के द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन का कार्य 12 शासन सचिवों को सौंपा था। उनके द्वारा पंचायतों के गठन/पुनर्गठन तथा पुनर्सीमांकन का कार्य पूर्ण किया जाकर अधिसूचनायें जारी की गई हैं जो दिनांक 10-9-92 व 14-9-92 के राजस्थान राजपत्र के विशेषांक भाग 6(ग) में दिनांक 11-9-92 व 14-9-92 में प्रकाशित हो चुकी है.।

(2) पुनर्गठित पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पंचायत समितियों का पुनर्गठन नहीं किया गया है।

(3) राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के चुनाव दिनांक 15-12-92 को या इससे पूर्व पूर्ण करवाने के आदेश दिये हैं।

(4) मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

क्र. सं.	नाम जिला	पूर्व पंचायतों की संख्या	पुनर्गठित पंचायतों की संख्या	नवगठित पंचायतों की संख्या
1.	अजमेर	265	276	11
2.	अलवर	436	476	40

175

1	2	3	4	5
3.	बांरा	258	213	65
4.	बांसवाड़ा	196	320	124
5.	बाड़मेर	255	380	125
6.	भरतपुर	300	372	72
7.	भीलवाड़ा	339	378	39
8.	बीकानेर	125	192	67
9.	बून्दी	143	182	39
10.	चित्तौड़गढ़	307	391	84
11.	चूरू	201	281	80
12.	दौसा	164	184	20
13.	धौलपुर	150	153	3
14.	डूंगरपुर	174	236	62
15.	गंगानगर	387	572	185
16.	जयपुर	421	486	65
17.	जालौर	215	265	50
18.	जैसलमेर	93	126	33
19.	झालावाड़	209	251	42
20.	झुंझुनूं	246	288	42
21.	जोधपुर	245	338	93
22.	कोटा	131	162	31
23.	नागौर	358	450	92
24.	पाली	292	319	27
25.	राजसमंद	195	211	16
26.	सवाई माधोपुर	389	464	75
27.	सीकर	287	328	41

1	2	3	4	6
28.	सिरोही	130	148	18
29.	टोंक	192	224	32
30.	उदयपुर	355	492	137
	योग :-	7358	9158	1800

बयाना (भरतपुर) में अवैध खनन

72. **श्री राम प्रसाद लड्ढा (वैर)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के भरतपुर जिले की तहसील बयाना के गांव कोडयापुरा, परुआ, पंचायत समिति सरमथुरा एवं अन्य इलाके (एरिया) में श्री बाबूलाल ठेकेदार लम्बे समय से अनधिकृत कब्जा कर अवैध खनन कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) यह ठेकेदार तहसील में कितने वर्षों से खनन कार्य कर रहे हैं और इनसे गत 5 वर्षों में कितनी रायल्टी वसूल की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार इस खनन कार्य में गरीब अनुसूचित जाति के लोगों से बन्धुआ मजदूर बनाकर कार्य करवा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्धुआ मजदूरों को छुटकारा दिलाने का एवं उनकी लीज निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार कोडयापुरा, कोट या परुआ, पंचायत के खाली एरिया में अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को लीज एलाटमेंट करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) श्री बाबूलाल गोयल के पक्ष में दिनांक 28-4-62 से 14-8-92 तक खनन

(177)

पट्टा हस्त रहा। गत 5 वर्षों में एक्सेस रायल्टी का भुगतान किया जो निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	वर्ष	भुगतान की गई रायल्टी
1.	1987-88	3, 25, 535.00
2.	1988-89	3, 26, 830 00
3.	1989-90	4, 31, 502.00
4.	1990-91	4, 31, 502.00
5.	1991-92	5, 13, 100.00

(3) ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है।

(4) नियमों में अनु. जाति को सैण्डस्टोनाखनिज का खनन पट्टा देने को प्राथमिकता का कोई प्रावधान नहीं है। परन्तु अनुसूचित जाति के सदस्य भी नियमानुसार खनन पट्टा प्राप्त कर सकते हैं।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 54 का विवरण

THE RAJASTHAN STATE AID TO INDUSTRIES (LOANS) RULES FOR XIV

Ravindra Kumar, President S/o Shri Raj Narain & Roop Narain Secretary, S/o Shri Vishal Lal certify that the sum of loan Rs. 16210.00 and Subsidy Rs. 8450.00 Only granted to us as loan and subsidy for the establishment 'expeansion of the industry named 'Seetla Mata Hath Kargha V.U.S.S. Ltd.' started/already being run by us has been spent in full for the purpose for which it was granted (ii) to the extent of Rs. 24660/- only and balance of Rs. Nil is hereby refunded —

For

Sd/- Sd/-

President - Secretary

Sheetla Mata Vastra Utpedak Sahakari Samiti
Gram Sheetla Dungri, Post Chaksu, Distt. Jaipur.

have checked the accounts of the M/s Sheetla Mata Hath Kargha Vastra Utpadak SS Ltd. and I am satisfied that the above certificate given by the Sheetla Mata Hath Kargha Vastra Utpadak Sahakari Samiti Ltd. Sheetla Dungri. is correct

Year 81-82

Amount & advanced & utilised

Joint Director
District Industries Centre,
Jaipur.

	Loan		Subsidy
Handloom 15	10050/	Rs.	4950/-
Waping Druml	1000	,,	500/-
Take up motion	3000	,,	1500/-
Share capital	2160	,,	--
Managerial Subsidy.	--		1500/-
	16210	Rs.	8450/-

Sd/--
Deputy Director
Khadi Hath Karga Hast kala Udyog,
Distt. Indu. Centre, Jaipur.

FORM–XIV

CERTIFICATE OF UTILISATION BY HANDLOOM SOCIETY

I. V. N. Katiyar Secretaty of Society of M/S Sheetla Mata Hath Kargha Vastra Utpadak Sahakari Samiti Limited' Chaksu.–Jaipur.

Certify that the sum of Rupees 68,320/- granted to the society as per order No. F. 1/64 ccs/82-83/1910-1919, 1930-1939 and 1920-1929 dated 24th March 83 by the Director of Industries, Rajasthan, Jaipur.

S. No.	Particulars	Quantity	Loan	Subsidy	Total
1.	Handlooms	17	11,390/-	5,610/-	17,000/-
2.	Warping Machine	2	2,000/-	1,000/-	3,000/-
3.	Jacquapd	5	8,350/-	4,150/-	12,500/-
4.	Dabi	10	6,700/-	3,300/-	10,000/-
5.	Take up Motion	17	3,400/-	1,700/-	5,100/-
6.	Die-House	1	13,330/-	6,670/-	20,000/-
7.	Share-Capital	–	720/-		720/-
			45,890/-	22,430/-	68,320/-

The sum of amount received by the co-operetive society has been spent in full amount for the purpose for which granted.

179

1. To the extent of Rs. 68,320/-
2. The balance Rs. NIL

Sd/-
Sheetla Mata Hath Kargha Vastra
Utpadak Sahakari Samiti, Chaksu,
Distt. Jaipur. (Rajasthan)

I have verified the accounts of sheetla Mata Hath Kargha Vastra Utpadak Sahakari Samit Limited, Chaksu -Jaipur, Jand satisfied that the above certificat given by the secretary of the society is correct, I have physically cheeked the record/machinery/equipment purchased & installed as sanationed--thereof.

Sd/--	Sd/--	Sd/--
Designer (H. L.)	District Ind. Officer	General Manager
District Industries	District Industries	District Industries
Centre, Jaipur	Centre, Jaipur	Centre, Jaipur

FORM XIV

CERTIFICATE OF UTILISATION BY M/S SHEETLA MATA HATH KARGHA VASTRA UTPADAK SHAKARI SAMITI LTD. CHAKSU, JAIPUR.

I, Roop Narain S/o Shri Vishal Lal secretary Sheetla Mata Hath Kargha Vastra Utpadak Samiti Ltd. Chaksu, Jaipur. Certity that, sum of Rs. 5,00,000/-. (Rupees five lacs only) granted to the Societym as loan 2.5 lacs share capital 1.25 lacs and subsidy Rs. 1.25 lacs as per directorat sanction letter No. F. 13. (Tax) 4/15/H L./86-87/5084-94, 5094-103 dated 28-3-87.

The loan sanctioned to the Co-operative society being run by us, has been utilised in full for the purpose for which granted thereof.

1. To the extent of Rs. 5,00,000/-

2. The Balance of Rs. NIL

For Sheetla Mata H.K.V.V.S.S. Ltd.

Sd/-

Secretary,

Sheetla Mata Hath Kargha Vastra
Utpadak, Samiti, Ltd. Chaksu.

I have certified that the account of Sheetla Mata Hath Kath Kargha Vastra Utpadak Sahakari samiti, Ltd. Chaksu, Jaipur and I am satisfied that the above certificate given by the society is correct. I have Phusically checked the records and machinery/ equipments purchased and installed as per funds sanctioned are in use in production.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Designer (H. L.)	District Industries	General Manager
District Industries	Officer,	District Industries
Centre, Jaipur.	District Industries	Centre, Jaipur.
	Centre, Jaipur.	

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 का विवरण

कार्यालय नगर पालिका, बगड़

क.सं. 1	निर्माण कार्यों का नाम 2	वार्ड नं. 3	राशि 4	लम्बाई 5	अर्थ वर्क्स चौड़ाई 6	अनुसार ऊंचाई/गहराई 7
1.	श्री रामस्वरूप के मकान से श्री विश्वम्भर के घर तक	6 व 7	5390/-	221 फी.ग्रो.	1.5 फी.ग्रो.	1.5 फी.ग्रो.
2.	श्री भुवनेश्वर लाल शास्त्री के घर से शिवलिंग तक	3	12594/-	264.5 फी.ग्रो.	2 फी.ग्रो.	1 फी.ग्रो.
3.	श्री बालूराम महेश्वरी के मकान से श्री प्रभुदयाल की गली तक	3	8780/-	260 फी.ग्रो.	.75 फी.ग्रो.	1.5 फी.ग्रो.
4.	श्री बृजलाल खटोड़ के घर से श्यामलाल के घर तक	2	4568/50	170 फी.ग्रो.	2.35 फी.ग्रो.	1.35 फी.ग्रो.
5.	श्री नत्थूराम रूंगटा के घर से गुमन राम के घर तक	3	5760/-	172 फी.ग्रो.	2.5 फी.ग्रो.	1.35 फी.ग्रो.
6.	श्री मन्नाराम रूंगटा के घर से लेखराज का नोहरा	8	17511/50	602 फी.ग्रो.	2.5 फी.ग्रो.	1.5 फी.ग्रो.
7.	श्री विश्वम्भर लाल के मकान से रामअवतार के घर तक	7	15725/-	209 फी.ग्रो.	5.2 फी.ग्रो.	2.25 फी.ग्रो.
8.	श्री प्रभूदयाल खटीक की गली से खटीकों के कुए तक	3	8625/-	408 फी.ग्रो.	1.1 फी.ग्रो.	1.1 फी.ग्रो.
9.	खटीकों के कुए से श्री बालूराम जाट के घर तक	4	7574/-	264 फी.ग्रो.	.3 फी.ग्रो.	1.5 फी.ग्रो.

183

1	2	3	4	5	6	7
10.	शेखावतों की कोठी से पहाड़ी तक नाली	5	51739/50	188.6 मी.ग्रो.	.9 मी.ग्रो.	.92 मी.ग्रो.
11.	श्री कालूराम के घर से श्री घोलाराम के घर तक	2	5635/-	46.2 मी.ग्रो.	5.2 मी.ग्र.	.6 मी.ग्रो.
12.	श्री विश्वम्भर लाल के घर से जयसिंह जाट के घर तक	1	5598/50	86 मी.ग्रो.	.40 मी.ग्रो	.35 मी.ग्रो.
13.	श्री मालीराम बालका के घर से बाबूलाल जांगीड़ तक	8	3145/80	40.4 मी ग्रो.	.4 मी.ग्रो.	.3 मी.ग्रो.
14.	श्री मनोहर लाल सैनी के मकान से श्रीकिशनलाल सैनी के नोहरे तक ढांणी सावतराम खुर्रा	9	9350/-	98 मी.ग्रो.	4.1 मी.ग्रो.	.58 मी.ग्रो.

ह.
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका बगड़, (झुन्झुनू)

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 का विवरण

जिला सवाई माधोपुर की नगरपालिकाओं को वर्ष 1990 से 1992 तक दी गई राशि, जिस मद में खर्च हुए विवरण एवं पूर्ण किये गये कार्य एवं अपूर्ण कार्यों की सूची

क्र. सं.	नाम नगरपरिषद/पालिका	प्राप्त राशि	मद जिस पर व्यय किया गया	पूर्ण किये निर्माण कार्य	अपूर्ण कार्य	कारण
1	2	3	4	5	6	7
(1)	सवाई माधोपुर	77,54,478	1. नेहरू रोजगार योजना 2. नाली व सड़क निर्माण 3. वेतन भत्तों पर	63	4	सामग्री की सप्लाई के अभाव व धनाभाव के कारण
(2)	करौली	28,20,750	1. नेहरू रोजगार योजना 2. वेतन भत्तों पर	15	6	वर्षा एवं धनाभाव के कारण
(3)	हिण्डौन	26,59,325	1. नेहरू रोजगार योजना 2. नाले की सफाई 3. सफाई उपकरण 4. वेतन भत्तों पर	60	8	कार्य चालू हैं।

185

1	2	3	4	5	6	7
(4)	गंगापुर	14,46,093	1. नेहरू रोजगार योजना 2. सफाई उपकरण क्रय	67	1	वर्षा के कारण
(5)	टोडाभीम	16,86,739	1. नेहरू रोजगार योजना 2. सस्ते फ्लश शौचालय निर्माण 3. वेतन भत्तों पर	16	3	धनाभाव के कारण

187

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 60 का विवरण

सेवा में,

श्रीमान् उप-जिलाधीश महोदय जी,
उप-जिलाधीश कार्यालय
वल्लभनगर (उदयपुर)

विषय :- वार्ड संख्या 2 एवं 4 में अवैध अतिक्रमण की जमीन पर नालियों का निर्माण कार्य रोकने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगरपालिका कानोड़ में रेगरों के मोहल्ले में नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है, उसी मोहल्ले में श्री देवीलाल रेगर एवं मोहनलाल रेगर पिता श्री गंगाराम रेगर के द्वारा चबूतरी व चौकी का अवैध निर्माण कर रखा है जिसको हटाने हेतु नगरपालिका कानोड़ के द्वारा तहसीलदार सा. के माध्यम से अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिस दिया गया, लेकिन नगरपालिका कानोड़ की मिली भगत से उक्त नोटिस तामील नहीं कराई गई है। नगरपालिका के द्वारा यह मोहल्ले के लोगों को कहा जा रहा है कि दिनांक 28-3-92 को एस. डी. ओ. सा. का कैम्प कानोड़ में होने से वो आकर मौका देखेंगे उसके पश्चात ही अतिक्रमण की जमीन का मौका देख देने के पश्चात निर्माण कार्य होगा। लेकिन मोहल्ले के वासियों को नगरपालिका के द्वारा अन्धेरे में रख कर निर्माण कार्य अतिक्रमण की जमीन पर मिली भगत से कराया जा रहा है।

उक्त अतिक्रमण की जमीन नगरपालिका एवं पंचायत से क्रय नहीं की गई है न ही इसकी राशि नगरपालिका में जमा कराई गई है। अतिक्रमण की जमीन को हटाने की कार्यवाही करते हैं, तो उक्त व्यक्ति मोहल्ले के लोगों व मजदूरों को मारने, पीटने, लड़ाई करने पर उतारू हैं, जिससे प्रशासन डर के मारे धमकी से डर कर अतिक्रमण की जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे मोहल्ले के वासियों में रोष है, आप श्रीमान् से निवेदन है कि दिनांक 28-3-92 को उक्त स्थिति का मौका देखने के बाद ही निर्माण कार्य करावें, आपके द्वारा ऐसा नहीं किया तो मोहल्ले के लोगों को बाध्य होकर राज्य सरकार को कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही करनी पड़ेगी।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त अतिक्रमण की जमीन से चबूतरी व चौकी को हटाने की कार्यवाही करा कर मोहल्ले के लोगों को राहत प्रदान कर अनुग्रहित करावें।

इसी आशा और विश्वास के साथ मोहल्ले के वासियों का प्रार्थना पत्र आपकी सेवामें उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक : 11-3-92 हम है रेगर मोहल्ला वार्ड स. 2 व 4
के निवासीगण

प्रा. पत्र की प्रतिलिपि

कार्यालय उप-जिला कलक्टर वल्लभनगर

क्रमांक : राजस्व/ब/92/117 दिनांक :—25/3/92

1. तहसीलदार
   वल्लभनगर

2. अधिशाषी अधिकारी
   नगरपालिका कानोड़ा

विषय :--वार्ड सं. 2 व 4 में अवैध अतिक्रमण की जमीन पर नालियों का निर्माण कार्य रोकने बाबत। प्रा.पत्र रेगर मोहल्ला वार्ड न 2 एवं 4 के निवासीगण,

नगरपालिका कानोड़ में रेगरों के मोहल्ले में नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है, उसी मोहल्ले में श्री देवीलाल रेगर, मोहनलाल रेगर पिता गंगाराम रेगर के द्वारा चबूतरी व चौकी का अवैध निर्माण कर रखा है। नगरपालिका कानोड़ की ओर से तहसीलदार सा. ने नोटिस दिया किन्तु नगरपालिका कानोड़ की मिली भगत से उक्त नोटिस की तामील नहीं कराई गई है। नगरपालिका द्वारा मोहल्ले के निवासीयों को अंधेरे में रख कर निर्माण कार्य अतिक्रमीत जमीन पर मिली भगत द्वारा कराया जा रहा है। अतः आप वस्तुस्थिति की जांच कर अवैध अतिक्रमण को हटाकर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करें।

ह.

उप- जिला कलक्टर
वल्लभनगर

(189)

पंचोमोका

श्रीमान् उप-खण्ड अधिकारी महो. वल्लभ नगर के आदेश क्रमांक 52721 दिनांक 16-4-92 की अनुपालना में श्री देवीलाल मोहनलाल रेगर कि कानोड़ वार्ड नं. 4 का स्थल का निरीक्षण किया गया, श्री मोहन लाल रेगर उपस्थित मिले उन्होंने जाहिर किया है कि मेरा मकान नगर पालिका से कि सन् 1974 में बना था। मैंने उठने बैठने के लिये व अपने घर में प्रवेश करने के लिये सिडीयां व पट्टी 20'-10' लम्बी व 1 फिट उतरी कोने पर व दक्षिणी कोने पर 2 फिट है, जो सरकारी जमीन है।

मौके पर ही श्री मोहन लाल S/o श्री गंगाराम जी रेगर वार्ड नं. 4 को पाबन्द किया गया। कि इस अतिक्रमण को हटा लेवें अब घर में प्रवेश करने की सीढ़ी स्वयं की जमीन में बनावे।

उक्त चर्चा श्री पार्श्व कुमार नागोरी एवं श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा क. लि. व श्री रूपसिंह राजपूत च. श्रे. के साथ निरीक्षण कर बनाया गया।

द. मोहन

ह.
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कानोड़ा

261

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 62 की सूची

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

विभिन्न शहरों के उच्च आय वर्ग के आवासों की अंतिम लागत का विवरण

क्र. सं.	शहरों का नाम	आवास की माप	निर्मित क्षेत्र व. मी.	भूमि एवं विकास लागत दर प्रति वर्ग मीटर	निर्माण लागत	आवास की कुल लागत	लागत स्वीकृति की दिनांक
1.	सांगानेर, जयपुर	11.25×21	89.23	360/=	103110/=	254800/=	4-9-91
2.	मानसरोवर, जयपुर	12 × 27	88.50	295/=	133006/=	312000/=	31-3-92
3.	गोवर्धन विलास, उदयपुर	11.25×21	92.191	410/=	139703/=	323500/=	4-11-91
4.	अलवर, एस. डब्लू. बी. स्कीम	12×19.5		300/=	177650/=	340400/=	18-12-91
5.	भरतपुर, एस. टी. सी.	10×20	97.78	405/=	179646/=	362350/=	28-2-92
6.	जोधपुर, चोपासनी	11.25×21	98.75	385/=	128238/=	299250/=	13-1-92
7.	कोटा, महावीर नगर	12 × 21	95.023	320/=	103300/=	246950/=	28-2-92

(191)

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का विवरण

प्रश्न के भाग एक की सूची

चिकित्सक

क्र. सं.	संस्था का नाम	पद का नाम	पद सं.	कब से रिक्त है
1.	प्रा. स्वा. के. पांचवा	चिकित्सा अधिकारी	1	8/92
2.	,, ,, आलनियावास	चिकित्सा अधिकारी	1	7/92
3.	,, ,, बडीबेरी	,, ,,	1	1/92
4.	,, ,, खूडीकलां	,, ,,	1	8/92
5.	,, ,, कोलिया	,, ,,	1	8/92
6.	,, ,, धनकोली	,, ,,	1	1/92
7.	,, ,, डेह	,, ,,	1	8/92
8.	,, ,, हरसोलाव	,, ,,	1	7/92
9.	रेफरल अस्पताल, मोलासर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	2/92
10.	राज. चिकि. कुचेरा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	5/92
11.	सामु. स्वा. के. डीडवाना	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री)	1	8/88
12.	,, ,, मेड़तासिटी	,, ,, (शिशु)	1	8/92
13.	,, ,, मेड़तासिटी	,, ,, (नेत्र)	1	5/92
14.	,, ,, कुचामनसिटी	,, ,, (नेत्र)	1	9/91
15.	रेफरल अस्पताल, परवतसर	,, ,, (मेडीसन)	1	8/92
16	,, ,, परबतसर	,, ,, (सर्जरी)	1	7/92
17.	,, ,, परबतसर	,, ,, (स्त्री)	1	8/92

मेलनर्स प्रथम व द्वितीय

1.	रेफरल अस्पताल, मोलासर	मेलनर्स श्रेणी प्रथम	1	8/92
2.	सामु. स्वा. केन्द्र, कुचेरा	मेलनर्स श्रेणी प्रथम	1	6/92
3.	प्रा. स्वा. केन्द्र, डेह	मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	1	7/92
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, नोखा	मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	2	7/92
5.	,, ,, डेगाना	,,	1	7/92
6.	,, ,, गच्छीपुरा	,,	1	7/92

1	2	3	4	5
7.	राज. चिकि. लाडनूं	मैलनर्स श्रेणी द्वितीय	1	8/92
8.	,, ,, मूण्डवा	,,	1	6/92
9.	,, ,, परबतसर	,,	1	5/92
10.	प्रा. स्वा. केन्द्र, चावण्डिया	,,	2	6/92, 7/92
11.	प्रा. स्वा. केन्द्र, रेगा	,,	1	जब से स्वीकृत
12.	,, ,, कुरडाया	,,	1	7/92
13.	,, ,, किसलसर	,,	1	6/92
14.	,, ,, पीपलाद	,,	1	4/92
15.	,, ,, कोलिया	,,	2	10/91, 12/92
16.	,, ,, धनकोली	,,	1	2/92
17.	,, ,, ग्रलाय	,,	1	7/92
18.	,, ,, गोठन	,,	1	8/92
19.	,, ,, खाड़ीकला	,,	1	5/92
20.	,, ,, दुगोली	,,	1	10/91
21.	,, ,, श्रीबालाजी	,,	1	12/91

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 68 की सूची

भरतपुर के गांवों की जिनकी आबादी 1000 से अधिक है सूची जिन्हें विश्व बैंक की सहायता से प्रथम फेज में सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है—

क्रम सं.	गांव का नाम	क्रम सं.	गांव का नाम
1.	फारसे	10.	गावनडी
2.	बागेरन	11.	नौगांव
3.	गोगेरा	12.	करहि
4.	भारोती	13.	भांगीरपुर
5.	हातीजर	14.	गोबरा
6.	सहाना	15.	तेसकि
7.	खुदासा	16.	सेमलि कलां
8.	बरौली छाव	17.	मुडेरा
9.	जाटोली चून		

193

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का विवरण

परिशिष्ट "क"

1. सड़क निर्माण कार्यों का विवरण

(अ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत

		लम्बाई	
1.	मूंडिया से धोलेट वाया नागल मोरेडा, कमालपुरा	23.5 किमी.	19.5 किमी. पूर्ण कोष भूमि अवाप्त नहीं
2.	गुडाचन्दरजी. गढ़मोरा, गढ़खेरा सलावद, अलदा, नादौती	12.4 किमी.	पूर्ण
3.	करीरी से बोल	4 किमी.	मिट्टी व पत्थर आपूर्ति की गई है।

(ब) निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत

1.	सम्पर्क सड़क खेडी	5.5 किमी.	स्वीकृत राशि रु. 5.5 लाख तक व्यय
2.	सम्पर्क सड़क चिरावंडा	1 किमी.	स्वीकृत राशि रु. 1.0 लाख तक व्यय

2. विशेष मरम्मत के कार्यों का विवरण

सड़क का नाम	किमी.	व्यय राशि
1. टोडाभीम जैसनी	2 किमी.	0.70 लाख
2. गंगापुर नादौती सिकन्दरा	4.5 किमी.	4.30 लाख
3. नादौती महावीर जी खेडा सड़क	9 किमी.	5.00 लाख

1	2		3
4.	टोडाभीम गाजीपुर सड़क	2 किमी.	0.68 लाख
5.	मालोती भांडारेज सड़क	2 किमी.	1.50 लाख
6.	मंडिया घोलेटा सड़क	3 किमी.	3.40 लाख
7.	टोडाभीम पदमपुरा सड़क	2 किमी.	0.70 लाख
8.	गाजीपुर पलानहेड़ा सड़क	2 किमी.	0.60 लाख
9.	मूंडिया से राज्य मार्ग सं. 22	3 किमी.	0.96 लाख

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 की सूची

अलवर जिले में वर्ष 92-93 में वृक्षारोपण स्थलों की सूची

(अ) उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी अलवर के माध्यम से :—

(1) फेजावली	15 है.	(17) सिवाना मातोर	40 है.
(2) अंगरपुर	30 है.	(18) बनेसिंहपुर	25 है.
(3) सियाखो	15 है.	(19) हरसाना अ	25 है.
(4) देसूलाना	15 है.	(20) अडोली	35 है.
(5) द्वारकपुर	15 है.	(21) घाटाबापल	25 है.
(6) भजनवास	30 है.	(22) रूपबास अ	20 है.
(7) बापडोली	15 है.	(23) खटोटी	20 है.
(8) करनीमोट	30 है.	(24) मुण्डली	20 है.
(9) खापरियों	25 है.	(25) बेलनी	30 है.
(10) बंदरढाणी	25 है.	(26) रूपबास ब	50 है.
(11) मानाबास	25 है.	(27) गढसइ अ	30 है.
(12) गढसइब	25 है.	(28) संजयनाथ अ	30 है.
(13) हरसाना ब	25 है.	(29) सीराबास	20 है.
(14) कटारियाबास अ	30 है.	(30) कटारियाबास ब	20 है.
(15) मोहम्मदपुर	25 है.	(31) गोहाढाणी	65 है.
(16) संजयनाथ ब	30 है.	(32) बरामदाढाणी	35 है.

(ब) भू संरक्षण अधिकारी शाहपुरा के माध्यम से

(1) बास दयाल	100 है.	(5) खारेटा	150 है.
(2) बी सलवा	30 है.	(6) मातौर	100 है.
(3) हमीरपुर	100 है.	(7) बास कृपालनगर	100 है.
(4) खुसालबास	150 है.	(8) किशनगढ बास	100 है.

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची

जिले के कस्बे मुबारिकपुर में बनने वाले 33 के. वी. सब स्टेशन से लाभान्वित होने वाले गांवों की सूची

क्र. सं. गांव का नाम	कोड नम्बर
1. बीजवा	5-7-69
2. नाहरपुरखुर्द	5-7-82
3. नो-गांव	5-7-79
4. कारोली-जागीर	5-7-101
5. जकोपुर	5-7-102
6. मोहम्मदपुर	5-7-78
7. गोलकी	5-7-87
8. खेड़ली	5-7-88
9. मूनपुर	5-7-90
10. मण्डापुर	5-7-81
11. पोदीपुर	5-7-80
12. हाजीपुर	5-7-77
13. बेहरामदा	5-7-72
14. सेखपुर	5-7-71
15. डांबरी	4-7-73
16. बोहर	5-7-76
17. नगलीवाल	5-7-75
18. मुबारिकपुर	5-7-74

1	2	3
19.	पडावदा	5-7-25
20.	नेवाडी	5-7-26
21.	अकलीमपुर	5-7-27
22.	रसवाड़ा	5-7-22
23.	रूपवास	5-7-21
24.	नीकब	5-7-10
25.	कोटा कलां	5-7-8
26.	घनेटा	5-7-6
27.	नाखनोल	5-7-11
28.	पाटा	5-7-20
29.	नंगलाचीरावंड़ा	5-7-19
30.	रघुनाथगुढा	5-7-10
31.	कल्लाडा	5-7-17
32.	कालाघाटा	5-7-16
33.	पाटनभान	5-7-15
34.	बलरामपुर	5-7-14
35.	बोदाका	5-7-13

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 की सूची

गत 3 वर्षों में नागरिकों की घातक व अघातक दुर्घटनाओं की विभिन्न वृतों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिलेवार विवरण —

क्र. सं.	जिला	वर्ष 1989–90		वर्ष 1990–91		वर्ष 1991–92	
		घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातक
1.	अजमेर	1	—	—	—	—	—
2.	अलवर	1	—	—	—	2	—
3.	बीकानेर	2	—	3	—	2	—
4.	बाड़मेर	—	—	—	—	—	—
5.	बूंदी	—	—	—	—	—	—
6.	भरतपुर	—	—	—	—	—	—
7.	बारां	—	—	—	—	—	—
8.	दौसा	—	—	—	—	2	1
9.	श्री गंगानगर	1	—	—	—	—	—
10.	कोटा	—	—	1	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	डूंगरपुर	—	—	—	—	—	—
12.	चित्तौड़गढ़	—	—	1	—	—	—
13.	नागौर	1	—	—	—	—	—
14.	भीलवाड़ा	1	—	6	—	1	—
15.	चूरू	—	—	—	—	4	—
16.	पाली	—	—	—	—	1	—
17.	जोधपुर	—	—	—	—	—	—
18.	उदयपुर	5	—	3	—	2	—
19.	झालावाड़	—	—	—	—	—	—
20.	जयपुर	3	—	2	1	2	—
21.	झुन्झुनू	—	—	—	—	5	—
22.	सीकर	—	—	1	—	—	—
23.	टोंक	—	—	1	—	—	—
24.	सवाई माधोपुर	—	—	—	—	—	—
25.	जालौर	—	—	—	—	—	—
26.	बांसवाड़ा	1	—	3	1	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	राजसमन्द	1	—	3	—	1	—
28.	सिरोही	—	—	—	—	—	—
29.	धौलपुर	—	—	—	—	—	—
30.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—
	योग–	17	—	24	2	24	1

उपरोक्त सूची वृत कार्यालयों से प्राप्त सूचना एवं पुनः दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार संकलित की गई है।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 84 की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	कार्य का नाम	स्वीकृति संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5
	सिचाई विभाग			
1.	झाड़ोल	लाखा गुड़ा	1/8-4-92	6—00
2.		अम्बावी एनिकट	,,	5—60
3.		उपरेटा	,,	6—00
4.		आमली का नाका	,,	6—00
5.		घोडा मारी एनीकट	3/25-4-92	5—00
6.		खेजरी एनिकट	,,	5—00
7.		गरूवास एनिकट	,,	5—00
8.		जामुन का नाका एनिकट	,,	5—00
9.		नैनबारा एनिकट	4/1-5-92	5—00

1	2	3	4	5
10.		सोम एनिकट	,,	5—00
11.		गामेरी का नाका	,,	5—00
12.		बेरन पाड़ा एनिकट	,,	3—00
13.		भीम सागर एनिकट	,,	5—00
14.		ओगणा सिचाई परियोजना	6/8-5-92	2—00
15.		पीपलबारी सिचाई परियोजना	7/15-5-92	1 50
16.		क्वाटर तालाब	,,	1—00
17.		झाडोल तालाब	12/8-6-92	1—20
18.		कन्थारिया तालाब एवं नहर	,,	1—20
19.		मनासा तालाब एवं नहर	,,	1—20
20.		गोराणा तालाब	,,	1—20
21.		बुझा का नाका	,,	1—20
22.	कोटड़ा	नयावास एनिकट	1/8-4-92	4—70
	सार्वजनिक निर्माण विभाग			
1.	झाड़ोल	सोम पानरवा राज्य मार्ग सं. 10 कि. मी. 131 से 135 तक	1/8-4-92	4—00

1	2	3	4	5
2.		फ्लासिया से निचली सिगरी	,,	5—00
3.		उण्डावेला से सुलतान जी का खेरवाड़ा	,,	5—00
4.		मादडी से पीपलवास	,,	4—00
5.		किरट से कमलनाथ जी	,,	5—00
6.		ओगणा से झाड़ोल	6/8-5-92	3—00
7.		पीपलबारा से निचली सिगरी वाया क्वाटर सड़क	7/15-5-92	3—00
8.		फ्लासिया से कन्धारिया वाया नला	,,	3—00
9.	झाड़ोल	बाघपुरा से नैनबारा	8/18-5-92	1—70
10.		कोल्यारी से मानपुर	,,	1—70
11.		धोबावाड़ा से काडा	,,	1—70
12.		ओगणा से बरोठी वाया उपलीसिगरी	,,	1—70
13.		मादड़ी से फ्लासिया वाया उपली सिगरी	,,	1—70
14.	कोटड़ा	साण्डमारिया से नयावास	1/8-4-92	5—00

1	2	3	4	5
15.		कोटड़ा मांमेर सड़क मिसिंग लिंक 8 कि. मी. से 10 कि. मी.	,,	4—00
16.		कोटड़ा से पानरवा राज्य मार्ग नं. 10 कि. मी. 105 से 106	,,	3—00
17.		सम्पर्क सड़क सड़ा 2 कि. मी.	12/8-6-92	1—00
	पंचायत समिति			
1.	झाड़ोल	पलासिया छात्रावास	5/8-5-92	2 50
2.		झाड़ोल छात्रावास	,,	2 –50
3.		गोराणा छात्रावास	,,	1—50
4.		ओड़ा छात्रावास	,,	2—00
5.		नालवा छात्रावास	,,	2—00
6.		डैया छात्रावास	,,	2—00
7.		उ. प्रा. वि. बिछीवाड़ा एक कमरा, बरामदा	8/18-5-92	0—66
8.		मा. वि. गोराणा एक कमरा, बरामदा	,,	0—66

263

1	2	3	4	5
9.		मा. वि. कोल्यारी एक कमरा, बरामदा	,,	0—66
10.		मा. वि. बाघपुरा, कमरा व बरामदा	12/8-6-92	0—47
	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण			
1.	झाड़ोल	सामुदायिक कुई निर्माण पालिया खेड़ा प्रथम	10/1-6-92	0—22
2.		सामुदायिक कुई बांगली (गेजवी)	,,	0—22
3.		सामुदायिक कुई देवाल	,,	0—22
4.		सामुदायिक कुई देवरावास (कोल्यारी)	,,	0—10
	पंचायत समिति			
1.	कोटड़ा	सामुदायिक केन्द्र निर्माण कोटड़ा	5/8-5-92	1—28
2.		प्रा. वि. बूझा चार दिवारी	7/15-5-92	0—39

ह0
कलक्टर (सहायता),
उदयपुर

205

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूची

क्र.सं.	नाम पूर्व सरपंच	पंचायत का नाम
1.	श्री राम प्रसाद सोनी	ग्रटरू
2.	श्री कैलाश चन्द्र	खेडलीगंज
3.	श्री किशन लाल	रीछन्दा
4.	श्री शिव नारायण	कुन्डी
5.	श्री राम किशन मीना	शेरगढ
6.	श्री लटूर लाल	खरवाडा राम लोधान
7.	श्री दुर्गा लाल नागर	सहरोद (मृत्यु हो गई है)
8.	श्री राम नारायण	सहरोद
9.	श्री हीरा लाल	चरडाना
10.	श्री पन्ना लाल	चरडाना
11.	श्री प्रभु लाल मीना	पटना
12.	श्री लक्ष्मी नारायण	अन्ताना
13.	श्री छीतर सिंह	खुरी
14.	श्री नन्द लाल मीना	बरला
15.	श्री महेन्द्र कुमार जैन	कुन्जेड

तहसील ग्रटरू जिला बारां के पूर्व सरपंचों के विरुद्ध जिला कलक्टर, छबड़ा द्वारा की जा रही जांचों की सूची :—

क्र. सं.	नाम पूर्व सरपंच	नाम ग्राम पंचायत	प्रेषण क्रमांक/दिनांक
1.	श्री अब्दुल अली	मेरमाचाह	4679-81, 14-7-78
2.	श्री राम प्रसाद	ग्रटरू	5482-84, 5-9-81
3.	श्री हीरालाल	हलगना	2226-28, 25-3-88
4.	श्री महेन्द्र कुमार	कुंजेड	6205-07 19-11-82
5.	श्री गंगाराम	हान्याहेडी	984-86 9-2-90
6.	श्री बिरधी लाल सुमन	ग्रटरू	3204 7-12-90
7.	श्री जगदीश सिंह	ग्रजनावर	2296 26-6-91
8.	श्री बृज मोहन चौधरी	पटना	2297 26-6-91

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 का विवरण

ग्रोंसिया जिला जोधपुर में रॉयल्टी कलेक्शन के ठेके का विवरण

क्र. सं.	ग्रवधि	वसूली की राशि	विशेष विवरण
1.	1-4-88 से 31-3-89 तक	41,000/-	1-4-90 से 31-3-92 तक की ग्रवधि का ठेका मूल में 43,100/- प्रति वर्ष को दर से स्वीकृत हुग्रा, लेकिन 11-3-91 से रॉयल्टी की दर में वृद्धि होने से उक्त दो वर्ष में विभाग को उपरोक्तानुसार संशोधित राशि प्राप्त हुई।
2.	1-4-89 से 31-3-90 तक	41,000/-	
3.	1-4-90 से 31-3-91 तक	44,243/-	
4.	1-4-91 से 31-3-92 तक	59,259/-	